खण्ड-355, अंक-2
मंगलवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(23 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	123–126
प्रश्नोत्तर	127–216
श्री जोश मलिहाबादी का शोक प्रस्ताव सदन में लाये जाने की मांग ..	217
विकास क्षेत्र, जलालपुर, जिला जौनपुर में शारदा नहर की मड़ियाहू-केराकत शाखा से चार उप शाखाएं निकाले जाने से प्रभावित किसानों के समक्ष उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	217
ऐशबाग, लखनऊ केन यूनियन से संबंधित गन्ना क्रय केन्द्र, नवाब अली का पुरवा पर किसानों का गन्ना न खरीदे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	218
सीतापुर स्थित आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के अध्यापकों को वेतन वितरण न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	218
उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर रनगवां (मध्य प्रदेश) के समीप छत्तरपुर (मध्य प्रदेश) के असामाजिक तत्वों द्वारा हमला के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	219
बलिया जनपद में गंगा तथा घाघरा नदी के दियारे में डाकुओं को प्रश्रय के संबंध में नियम 301 के संबंध में सूचना	219
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 में किये गये आनुषंगिक संशोधन, (सदन के पटल पर रखे गये)	220
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982.. (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	220
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 ..	221
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	221
हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री, श्री गुलाब सेहरा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	221
राजस्व मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	222
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	222
1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 2–आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 22–नगर विकास विभाग.....(स्वीकृत) ..	223
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	282
'करंट' पत्र के संवाददाता, श्री अनिल कुमार तथा भूतपूर्व विधायक पर हमला किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	283
नत्थियां	289

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–330

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर ईमाम, श्री ..	भिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री ..	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री ..	मेरठ
अनवार खां, श्री ..	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर
अमर सिंह, श्री ..	सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री	बिजनौर
अम्बिका सिंह, श्री ..	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री ..	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी ..	बस्ती
आजाद कुमार कर्दम, श्री ..	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उमश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैयालाल महेन्द्र, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गया सिंह, श्री	बाराबंकी
गुलाब सेहरा, श्री	उन्नाव
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	आगरा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	बस्ती
गोपी नाथ वर्मा, श्री	उन्नाव
गोवर्धन तिवारी, श्री	फजाबाद
गौरी देवी, श्रीमती	अल्मोड़ा
	गोरखपुर

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चरन जीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनादन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल' साकेती, श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
ध्रुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ीगढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर

बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बृज किशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा — आगरा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) — गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजोत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रती राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेशचन्द्र, श्री — रायबरेली
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० — जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर

राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री कृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्री नाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री	हरदोई

नोट:—श्रम मंत्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपास्थत थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 23 फरवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन निमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पुलिस फोर्स का पुनर्गठन

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस फोर्स के पुर्गगठन का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, ,तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी नहीं। पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केवल पुलिस दल की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री जी तो अभी गोली चला रही थीं।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन से पहले कोई क्या करता है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीया गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि पुलिस दल की कार्य क्षमता बढ़ाने की दिशा में कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत की गयी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, बहुत सारी हैं, एक लम्बी लिस्ट है। मान्यवर, सबसे पहले तो मुरादाबाद परिक्षेत्र का सृजन हुआ जिसमें मुरादाबाद, रामपुर एवं बिजनौर जनपदों के लिये पृथक से एक परिक्षेत्र का सृजन किया गया है। अब आइये नागरिक सुरक्षा पर। नागरिक सुरक्षा में वर्तमान थानों/चौकियों हेतु 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में इन्सपेक्टर के 57, सब-इन्सपेक्टर के 1404, हेड कांस्टेबिल के 882 व कान्सटेबिल के 8202 पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 प्रत्येक वर्ष में 19 इन्सपेक्टर, 467 सब इंसपेक्टर, 296 हेड कांस्टेबिल व 2770 कांस्टेबलों के पदों का सृजन किया गया। शेष पद 1981-82 में सृजित किये गये हैं। अब आइये राजकीय रेलवे पुलिस पर। इसमें 294 उप निरीक्षक, 285 हैड कांस्टेबिल व 2187 कांस्टेबिलों के अतिरिक्त पदों के, चरणबद्ध रूप से सृजित करने का निर्णय लिया गया। इनमें से 155 उप निरीक्षक, 166 हैड कांस्टेबिल व 1336 कांस्टेबिलों के पद वित्तीय वर्ष 1980-81 में सृजित किये गये। 57 सब-इन्सपेक्टर, 64 हेड कांस्टेबिल व 488 कांस्टेबिल के पद वर्ष 1981-82 में स्वीकृत किये गये। अब आइये आगे नये थानों एवं चौकियों की स्थापना पर। आपके इलाके में, प्रदेश में 58 शहरी एवं 213 देहाती क्षेत्रों में नये थानों व 50 रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टिगेटिंग चौकियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। 80-81 में 138 नये थानें और 53 शहरी क्षेत्र में .....

श्री उपाध्यक्ष--

केवल योजना पूछी थी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह नये थाने और चौकी हमने दी हैं, 82-83 में और मांगिये, बहती गंगा है । रीवर पुलिस की हमने स्थापना की है । एक साम्प्रदायिक कास्ट की 4-12 को स्थापित किया है । कम्यूटर सिस्टम के सुदृढ़ीकरण की योजना है इसके लिये 22 लाख रुपया हमने 81-82 में स्वीकृत किया है और अगले वर्ष लग जायेगा । वायरलेस बी0 एच0 आई0 को जो पहले था उसमें डाकू लोग हम लोगों की बात सुन लेते थे, छबिराम सुन लेता था । अब हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का लगाने जा रहे हैं । उसमें आवाज क्लियर होगी और दूर तक होगी तथा डाकू लोग हमारी बात को नहीं सुन सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनके प्रश्न का उत्तर हो गया आप विराजें ।

पुलिस चौकी राजाजीपुरम, ताल कटोरा, लखनऊ में पुलिस की हिरासत में ट्रक तथा बरामद की गई वस्तुयें

*2--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि पुलिस चौकी राजाजी पुरम्, तालकटोरा कालोनी; लखनऊ में श्री फकीर बख्श द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1981 को कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गयी तथा ट्रक नं0 यू0 एस0 डी0 395 पुलिस ने हिरासत में ले लिया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी वस्तुयें बरामद हुयीं ? उपरोक्त सन्दर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ट्रक से 41 अदद दूध के केन व 2 अदद लोहे के गार्डर बरामद हुये थे । चूंकि लोहे के गार्डर संडीला तहसील से चोरी गये बताये गये थे इसलिये समस्त कागजात थाना संडीला, हरदोई को उचित कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किये गये । विवेचना से चोरी करने या हड़पने का कोई साक्ष्य नहीं मिला अतः दिनांक 14-12-81 को इस मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्य. मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि फकीर बख्श ने 24 अप्रैल, 81 की जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई वह क्य. है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बहुत लम्बी है कहें तो पढ़ दूं आप बोर हो जायेंगे । नकल रपट रो0 आ0 रपट नं0 16 समय 22- 15 तारीख 24-4-81 चौकी राजा जी पुरम् खाला बाजार कालोनी ताल-कटोरा, जिला लखनऊ आमद तहरीर व दाखिला दो नम्बर मुल्जिमान धारा 41/411 भा0 दं0 वि0 माल पुसरका मुस्तका दो अदद फ्रीचर व लोहे की ट्रक नम्बर यू0एस0पी 395 व 41 अदद दूध का केन व कागजात व चाबी इस समय श्री फकीर बख्श, पुत्र स्व0 अब्दुल्ला निवासी एफ 2136 राजाजी पुरम कालोनी, थाना बाजार खाला, लखनऊ उपस्थित चौकी हाजा जाकर एक किता तहरीरे दस्तखती खुद व मुल्जिमान नम्बर 1 मुन्ने पुत्र नन्हें, निवासी संडीला हरदोई ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, लगता है कि यह एफ0 आई0 आर0 नहीं है बल्कि यह जी0 डी0 का खुलासा पढ़ रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हरिवंश सहाय जी आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री हरिवंश सहाय---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो बताया है कि 41 अदद दूध का केन व अन्य जो सामान बरामद हुआ और जिनके साथ सामान बरामद हुआ तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, जांच कीं गयी तो पता चला कि जो गार्डर ट्रक में थे और जो तहसील से चोरी गये बताये गये हैं तो तहसील के गार्डरों से वह भिन्न थे, दूसरी बात, वह साइज जो तहसील के गार्डर थे उनका छोटा था जबकि ट्रक के गार्डर में नम्बर अंकित नहीं था। जो तहसील से गार्डर खोये थे, उनकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गयी थी और न सिद्ध हुये कि यह हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने पूछा है कि जिनसे सामान बरामद हुआ उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही हुई कि नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, सिद्ध नहीं हुआ और न कोई साक्ष्य मिला इसलिये मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मुकदमे में जो अंतिम रिपोर्ट पुलिस द्वारा भेजी गयी थी उसको जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत करके संबंधित मुल्जिमों के खिलाफ क्या जमानती वारन्ट काटे गये हैं, यह मंत्री जी बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी -

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है। सूचना आयी है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना और चोरी का केस नहीं बना इसलिये अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में दिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सही मानकर कि अंतिम रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और जमानती वारन्ट काटे गये हैं, इसलिये क्या इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे और यदि संबंधित मुल्जिमों के खिलाफ वारन्ट जारी किये गये हैं तो उन अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित करने के आदेश मंत्री जी करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

मान्यवर, अदालत का जो निर्णय है, वह मान्य है। वह मानी ही जायगी, उसमें तो ना करने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री चन्द्रभूषण शुक्ल, भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोप

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रभूषण शुक्ल, भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं के आरोप हैं ? उनका जनपद ललितपुर से स्थानान्तरण आदेश सं0 शि0 6924/7080(80-81),दिनांक 7-9 जून, 1980 को पौड़ी गढ़वाल प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज के पद पर हुआ था ? यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं, जिनके आधार पर उन्हें प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, ललितपुर के पद पर रोका गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्री चन्द्र भूषण शुक्ल, भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर के विरुद्ध जिलाधिकारी, ललितपुर का एक पत्र दिनांक 23-3-1980 प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों, जनता एवं अध्यापकों की ओर से उन्हें श्री शुक्ला के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों पर उनका नियंत्रण प्रभावी नहीं है, दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखने पर भी श्री शुक्ल द्वारा न तो तत्परता से कार्यवाही ही की जाती है और न सूचना ही दी जाती है, आदेशों की अवहेलना करते हैं ।

जी हां ।

श्री शुक्ल को उनके पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारणों के आधार पर पौड़ी गढ़वाल के स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, ललितपुर के पद पर रोका गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध बड़ी गम्भीर शिकायतें थीं । पैसे की और पद के दुरुपयोग करने की शिकायतें थीं, भ्रष्ट अधिकारियों को प्रश्रय देने का आरोप है । उनका ट्रांसफर कर दिया गया और फिर रोक दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि गम्भीर आरोपों की, जिनकी पुष्टि जिलाधिकारी ने की और शासन को लिखा तो उसके आधार पर संदर्भित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जिलाधिकारी की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी शासन को । उसी के आधार पर उनको वहां से हटाया गया था, लेकिन बाद में श्री शुक्ल ने यह बताया कि 4-9-79 से 11-7-80 तक वह वहां रहे, थोड़े समय तक रहे । उनकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके बारे में उन्होंने शासन से अनुरोध किया था कि उनको वहां रहने दिया जाय । तो उनको उनके पद से हटाकर प्रिंसिपल के ओहदे पर चार्ज दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्षेत्रीय विधायकों की शिकायतों पर और अन्य शिकायतों पर जिलाधिकारी ने जांच की थी और अपनी पुष्टि सहित भेजा था । शासन सहमत हो गया और उनका ट्रांसफर कर दिया गया । ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ? अगर की गयी तो वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, शिकायतों का जो नेचर था, बहुत कुछ वेग नेचर का है। जब जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उनको उस स्थान पर नहीं रखा गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अगर जिलाधिकारी की शिकायतें वेग समझ ली गयीं तो यहां पर शिक्षा निदेशक या मंत्री जी ने उसको पढ़कर ही वेग समझ लिया या किसी से जांच करवायी ? क्या शिकायतों के आधार पर उसको दंडित किया गया है, चेतावनी आदि दी गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें किसी प्रकार की और कार्यवाही, जो स्थिति थी उसको देखते हुए अपेक्षित नहीं समझी गयी। उनको वहां से हटा दिया गया और प्रधानाचार्य के पद पर कर दिया गया और कोई कार्यवाही उस समय स्थिति को देखते हुए जरूरी नहीं समझी गयी।

जनपद गोरखपुर में स्थित इण्टर कालेज बरही, सोना बरसा में चार रिक्त सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों के विषय में विज्ञापन

* 4--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित इण्टर कालेज बरही, सोना-बरसा में चार रिक्त सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों के विषय में विज्ञापन स्थानीय समाचार-पत्रों में न करके सुदूर के समाचार-पत्रों में विज्ञापन किया गया, फलस्वरूप स्थानीय अभ्यर्थियों के साथ-साथ उसी विद्यालय के कार्यरत, स्थायी पुराने एल0 टी0 एवं सी0 टी0 वेतनक्रम वाले अध्यापक अपना आवेदन-पत्र न दे सकें, क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। किन्तु विज्ञापन के फलस्वरूप साक्षात्कार में 8 स्थानीय अभ्यर्थी भी आहूत किये गये। सी0 टी0 वेतन क्रम के पद हेतु उसी विद्यालय के सी0 टी0 तथा एल0 टी0 वेतनक्रम के स्थायी अध्यापकों द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विज्ञापित पद या तो उसी श्रेणी के थे अथवा उससे निम्नतर श्रेणी के। प्रश्नकर्ता द्वारा इस सन्दर्भ में स्थानीय अधिकारियों को जो शिकायती-पत्र दिया गया उसकी जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट निदेशालय के विचाराधीन है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 8 लोग बुलाये गये थे, उनका नाम और पता क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

उनके नाम हैं--श्री राम सुकुल यादव, श्री महानन्द राय, श्री रवीन्द्र नाथ, श्री राम किशोर राय, श्री अरविन्द राय, श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, श्री माया राय, श्री मुक्ति नाथ राय; श्री सुभाष चन्द्र और श्री केशव प्रसाद।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जांच रिपोर्ट निदेशालय के विचाराधीन है, वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह एक लम्बी रिपोर्ट है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पूरी रिपोर्ट न पढ़िये, सारांश बता दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

जिस्ट यह है कि जो वहां पर स्थिति थी, जो यह चार्ज लगाया गया कि वहां पर बाहर के लोग आये और स्थानीय लोगों को कोई मौका नहीं मिला, इसमें केवल दो लोग बाहर के थे, एक श्री माया राय, शाहजहांपुर के और दूसरे श्री अरविन्द राय, आजमगढ़ के सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि उस विज्ञापन को वहां के स्थानीय अखबार में भी देना चाहिये था, यह बात सत्य है और एक अखबार जिसका सर्कुलेशन प्रदेश भर में हो, उसमें दिया जाना चाहिये और एक स्थानीय अखबार में दिया जाना चाहिये । यह मैनेजमेन्ट ने नहीं किया; इसकी जांच जारी है, जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायगी ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, पूरी रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन क्या रिपोर्ट आयी है, वह मैं जानना चाहता था ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने संक्षेप में बता दिया और यह भी कह दिया कि जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

फरेन्दा पुलिस के साथ मुठभेड़ में श्री राधे और सुरेश की मृत्यु तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

* 5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या गृहमन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के आनन्दनगर (फरेंदा), थाना क्षेत्र के मछलीगांव के दो भाइयों की हत्या चन्द दिन पूर्व स्थानीय पुलिस ने की एवं इसके विरोध में निकाले गये शान्ति पूर्ण जुलूस पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक फरसा, लाठी चार्ज किया जिसमें एक भूतपूर्व विधायक (श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय) बुरी तरह घायल हुए हैं ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है एवं तत्काल दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार राधे और सुरेश की मृत्यु दिनांक 21/22-1-81 की रात्रि में फरेंदा पुलिस के साथ मुठभेंड़ में हुई थी । इस मुठभेंड़ की प्रतिक्रिया में श्री लक्ष्मीनरायन पाण्डे के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से गांव मछली-गांव में दिनांक 24-4-81 को जुलूस एवं सभा का आयोजन किया गया था । जुलूस में शामिल लोगों द्वारा लगाये जा रहे उत्तेजनाजनक नारों पर ग्रामीणों ने आपत्ति की जिस पर जुलूस के लोग शस्त्रास्त्रों से लैस होकर हिंसा पर उतारू हो गये । ग्रामीणों और कम्युनिस्ट कार्य कर्ताओं के बीच मारपीट आरम्भ हो गयी जिसमें श्री पाण्डेय आदि को चोटें आयीं । इस घटना के सम्बन्ध में उसी ग्राम के श्री सुदर्शन पुत्र करिया की लिखित सूचना पर श्री पाण्डेय आदि के विरुद्ध अ0 सं0 93 धारा 147/148/149/323/324/307/504 भा0 द0 वि0 थाना फरेंदा पर कायम किया गया तथा शांति व्यवस्था हेतु मौके पर तैनात पुलिस द्वारा 9 व्यक्ति घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किये गये थे । मामले में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । इसी मामले में श्री पाण्डेय की ओर से अ0 सं0 93ए-

धारा 147/148/149/323/324/307/379 भा० द० वि० भी थाना फरेंदा पर पंजीकृत है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी स्वयं कर रहे हैं ।

सिटी बस कर्मशाला, ईदगाह, आगरा में सहायक मैकेनिक पद पर कार्यरत श्री चन्द्रभान की हत्या तथा जांच

*6--श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-8-78 को सिटी बस कर्मशाला ईदगाह, आगरा में सहायक मैकेनिक पद पर कार्यरत श्री चन्द्रभान की हत्या में प्रथम सूचना रपट में दर्ज मुल्जिमों के खिलाफ क्या-क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 24-8-78 को सिटी बस कर्मशाला, ईदगाह, आगरा में सहायक मैकेनिक पद पर कार्यरत श्री चन्द्रभान की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अभियुक्त, श्री महावीर सिंह चाहर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप उन्हें निलम्बित कर दिया गया था । बाद में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार श्री महावीर सिंह चाहर को जमानत पर रिहा कर दिया गया । श्री चाहर इस प्रकरण में न्यायालय से बरी कर दिये गये हैं और बहाल हो चुके हैं।

(मंगलवार, 23 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

बिलग्राम-कन्नौज के बीच गंगा नदी के राजघाट पुल के निर्माण पर विचार

*1--श्री रामआसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिलरावां, पजवारीमार्ग जो हरदोई, बिलग्राम, कन्नौज जैसे ऐतिहासिक नगरी से होता हुआ मध्य प्रदेश से मिलता है, बिलग्राम-कन्नौज के बीच गंगा नदी का पुल न होने से अत्यन्त ही उपेक्षित रहा है? यदि हां,तो क्या शासन गंगा नदी के राजघाट पुल के निर्माण पर विचार करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

जी हां । पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने हमारे इस प्रश्न का जवाब दिया है--"जी हां" । प्रश्न था कि क्या बिलरायां पनवारी मार्ग, जो हरदोई विलग्राम कन्नौज जैसे ऐतिहासिक नगरी से होता हुआ मध्य प्रदेश से मिलता है, विलग्राम-कन्नौज के बीच गंगा नदी का पुल न होने से अत्यन्त ही उपेक्षित रहा है ? इसको माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया है और यह भी कहा है कि पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि धन की उपलब्धता के सिलसिले में क्या कोई कार्यवाही अभी तक की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या यह बतायेंगे कि धन उपलब्ध करने के सिलसिले में कौन-कौन सी कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसमें सर्वेक्षण के लिये धन दिया हुआ है और उसका सर्वेक्षण हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण के लिये जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, वह कब हुई और सर्वेक्षण कब तक हो जायगा ? सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सेतु बनाने में प्राथमिकता देने की व्यवस्था है, उसमें मिसिंग इधर-उधर की सड़कें बने तो उसे प्राथमिकता दी जाती है । तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, सर्वेक्षण के लिये 4-12-80 को रुपये दिये गये थे। बीस पुल थे जिनका सर्वेक्षण हो रहा है । जहां तक प्राथमिकता का प्रश्न है, हमारे लिये तो सभी पुल महत्वपूर्ण हैं । माननीय सदस्य जिस पुल का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पोपे का है परन्तु माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि वह जल्द से जल्द पूरा हो सके ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित पुल में कितनी लागत आयेगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इसमें श्रीमन्, करीब 7 करोड़ की अनुमानित लागत लगने की सम्भावना है ।

ग्राम रतनपुर, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी निवासी, सर्व श्री केदार व राधे श्याम के घर पड़ी डकैती की पर गनाधिकारी द्वारा जांच

*2--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 6/7 जुलाई, 81 की रात गांव रतनपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में केदार नाथ व राधेश्याम के यहां डाका पड़ा जिसमें 20 वर्षीय लालबहादुर, पुत्र केदार को 3-नाट 3 राइफल से उड़ाया गया है और हजारों का सामान लूटा गया है ? क्या यह सत्य है कि इस घटना की जांच परगना हाकिम, उत्तरी कुसुम शर्मा, वाराणसी ने 7-7-81 को ही मौके पर किया और बयान भी लिया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित तिथि की रात को 15-16 अज्ञात डकैतों द्वारा ग्राम रतनपुर, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी के निवासी सर्वश्री केदार व राधेश्याम के यहां डकैती पड़ी थी जिसमें श्री केदार के पुत्र लालबहादुर की गोली लगने से मृत्यु हो गयी । इस सन्दर्भ में धारा 396 भा0 दं0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है जो विवेचनाधीन है ।

परगनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण 7-7-81 को किया गया था और कुछ व्यक्तियों के बयान लिये गये थे । ग्रामीणों द्वारा परगनाधिकारी को उपलब्ध कराये गये कारतूसों के खोखों के विषय में जांच से स्थिति स्पष्ट नहीं है । मामले में अग्रेतर विवेचना जारी है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जो यह परगनाधिकारी द्वारा जो जांच 7-7-81 को की गयी थी और कुछ लोगों के इस सम्बन्ध में बयान लिये गये थे तो उस सम्बन्ध में परगनाधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, परगनाधिकारी की जांच रिपोर्ट से आंका गया है कि थ्री नाट थ्री की कारतूस मालूम पड़ती है, जो कि प्रोहिबिटेड है, और उसकी जांच आगे इसीलिये कराई जा रही है कि वह कारतूस कहां से मिली है।

श्री ऊदल—

अग्रेतर जो विवेचना जारी है अभी, वह किसके द्वारा की जा रही है दूसरे थ्री नाट थ्री के खोखे क्या लोगों ने परगनाधिकारी को प्रस्तुत किये थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, परगनाधिकारी को खोखे गांव वालों ने दिये थे और इसकी विवेचना परगनाधिकारी से कराई जा रही है।

थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद में भारत सिंह तथा अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

*3—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद में अपराध संख्या 39; धारा 147/148/149/307 /452, दिनांक 26-2-81 के मुल्जिम भारत सिंह जिसको मौके पर ही पकड़ लिया था, की जमानत के समय एस0ओ0, भगतपुर ने जो अदालत में रिपोर्ट दी उसमें धारा 307 और 452 को अंकित नहीं किया ? फलस्वरूप उसने बाकी 15 मुल्जिमानों ने जमानत करा ली ? यदि हां, तो एस0ओ0, भगतपुर के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट में धारा 307/452 न अंकित करने के अपराध में क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26-2-81 को समय साढ़े चार बजे सायं श्री तोता, पुत्र बिहारी सिंह, निवासी सकतपुरा, थाना भगतपुर ने थाना सिविल लाइन पर भारत सिंह तथा अन्य नामजद 15 अभियुक्तों के विरुद्ध सूचना अंकित कराई और वादी द्वारा मुल्जिम भारत सिंह को थाना सिविल लाइन में लाकर दाखिल किया गया। अभियुक्त भारत सिंह की जमानत थाना सिविल लाइन में ही प्रभारी निरीक्षक द्वारा ले ली गई थी क्योंकि उसके बदन पर काफी चोटें थीं। थाना सिविल लाइन पर चिक दस्तनदाजी पु0 सं0 157 धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 संबंधित थाना भगतपुर दर्ज करके सभी संबंधित कागजात थाना भगतपुर भेजे गये, जिस पर थाना भगतपुर में मुकदमा अपराध संख्या 39 धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। थानाध्यक्ष, भगतपुर ने भारत सिंह की जमानत के लिये न्यायालय में कोई रिपोर्ट नहीं दी। भारत सिंह के अतिरिक्त शेष 15 अभियुक्तों के विरुद्ध थानाध्यक्ष, भगतपुर ने जब न्यायालय में रिपोर्ट दी थी तो उस समय तक की तफतीश से जुर्म धारा 147/323 भा0दिं0वि0 का ही बनता था। बाद में पूरी तफतीस के बाद जुर्म धारा 147/148/149/307/323 भा0 दं0 वि0 का होना पाया गया। इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत सभी 16 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 11-6-81 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

पुलिस के संबंधित कर्मियों के आचरण के सम्बन्ध में डी0आई0जी0, मुरादाबाद परिक्षेत्र द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन---

क्या इस बात की जांच माननीय मंत्री जी पुन: करायेंगे कि भारत सिंह को सिविल लाइन से पकड़कर ले जाया गया और चूंकि वाक्या, भगतपुर के इन्सपेक्टर ने जमानत नहीं दी बल्कि गिरफ्तार कर के पुलिस की हिरासत में रखा गया जिसकी पुष्टि आपने स्वयं, जब मैंने नियम 301 में सूचना दी थी, की है कि 15 लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरी चीज जो पहले जमानत के समय पर जुर्म सिर्फ 143/303 बनता था तो पुन: एफ0 आई0 आर0 के मुताबिक .....

श्री उपाध्यक्ष---

आपका प्रश्न बहुत लम्बा हो गया है, मैं समझता हूं आप टुकड़ों में पूछ लें ।

श्री रियासत हुसैन---

ठीक है । तो इस मुद्दे पर भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

माननीय सदस्य की भावना का ख्याल रखते हुए इसकी जांच करा ली जायेगी और अगर अपराध बनेगा तो कार्यवाही की जायेगी ।

कारखानों में कार्यरत मजदूरों के अंग भंग अथवा घायल होने की दशा में प्रतिकर भत्ता बढ़ाने पर विचार

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारखानों में कार्यरत मजदूरों के अंग-भंग अथवा घायल होने की दशा में आश्रित लाभ की मानक लाभ दर बढ़ाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो 50 प्रतिशत की वृद्धि तत्काल न कर देने का क्या कारण है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)---

कारखानों में कार्यरत मजदूरों के अंग-भंग अथवा घायल होने की दशा में प्रतिकर की दर का विषय कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से विनियमित होता है । यह दोनों ही केन्द्रीय आधनियम हैं । अत: राज्य सरकार द्वारा लाभ दर बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय, इस विभाग के जो मंत्री हैं, बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं । इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जो घायल होने या अंग-भंग होने से प्रतिकर भत्ता मिलता है, उसकी राशि से सहमत होंगे कि बहुत कम है, केन्द्रीय सरकार के अधिनियम हैं यह तो दूसरी चीज है, क्या यह सरकार केन्द्र से सिफारिश करेगी कि प्रतिकर भत्ता बढ़ा दिया जाय ? या राज्य सरकार अपनी आर्थिक निधि से धनर शि बढ़ाने पर विचार करेगी ? और कम से कम 50 प्रतिशत भत्ता बढ़ा दिया जाय ?

श्रम एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)---

श्री गुप्ता जी का अनुरोध सही है, लेकिन हमारे मांग में कठिनाइयां हैं । 1923 का जो ऐक्ट है, वह जिन पर लागू हो ताहै वह श्रम का एक समुदाय एक है और जिन पर लागू नहीं होता वह दूसरा समुदाय है । उनपर सन् 1948 का ई0एस0 आई0 ऐक्ट है । इसमें पहले स्टन्डर्ड रेट का 25 प्रतिशत बेनिफिट देते थे और अब जनवरी, 81 से उसे बढ़ा कर 40

प्रतिशत कर दिया गया है । उन दोनों ऐक्ट में परिवर्तन का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है । जो अधिकार वे हमको देते है वह इतना ही है कि हम उनकी उद्योगों की सूची में उद्योगों को केवल वृद्धि कर सकते हैं, जिन पर वह लागू होता है । उनमें हम उद्योग के नाम ही बढ़ा सकते हैं । इसलिए हम समर्थ नहीं हैं । लेकिन आपके विचारों को भारत सरकार तक हम पहुंचा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आभारी हूं कि आपने आश्वासन दिया । राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है तो जो उद्योग सूची में पंजीकृत नहीं हैं और जिनको पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या सूची को पुनरीक्षित कर के उद्योगों को उसमें बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जो भी इण्डस्ट्रीज के नाम लायेंगे, हम उनका परीक्षण करेंगे और जो करने लायक होगा, जरूर करेंगे ।

*5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हीवेट पालीटेकनिक, महानगर, लखनऊ के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण

*6--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट पालीटेकनिक, महानगर, लखनऊ के हरिजन विद्यार्थियों का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-3-81 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-3-81 के साथ उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने के बाद भी उनको वितरित नहीं की जाती है और पैसे का दुरुपयोग किया जाता है? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ किन्तु माननीय सदस्य का एक शिकायती-पत्र दिनांक 25-2-81 प्राप्त हुआ था । हीवेट पालीटेकनिक द्वारा जांच के लिये अभिलेख उपलब्ध नहीं करायेगये किन्तु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने प्रधानाचार्य द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार यह सूचित किया है कि वर्ष 80-81 में प्राप्त समस्त धनराशि 1,14,881रु0में से 1,14,221 रुपये की धनराशि हरिजन छात्रों के अलग-अलग खाते में पोस्ट आफिस में जमा करके शेष 660 रु0 की धनराशि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को वापस कर दी गयी है ।

सर्वश्री आई0 वी0 सिन्हा एवं राम बिलास लाल श्रीवास्तव, लिपिक, आई0 टी0 आई0, देवरिया का स्थानन्तरण

*7--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि सर्वश्री आई0 बी0 सिन्हा एवं राम विलास लाल श्रीवास्तव,लिपिक, आई0 टी0 आई0, देवरिया का स्थानान्तरण उप निदेशक प्रशिक्षण एवं शिशिक्षुक, वाराणसी द्वारा आई0 टी0 आई0, बस्ती एवं गोरखपुर में किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों कर्मचारी उसी स्थान से स्थानान्तरित होकर आये थे ? यदि हां, तो क्या निदेशालय के पत्र सं0 8905 / 7-1 / 0915 / 54-80, दिनांक 13-10-80 का पालन उप निदेशक द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

जी हां ।

जी हां । शासन ने क्षेत्रीय उप निदेशकों को उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के लिये प्राधिकृत कर दिया था । निदेशालय के दिनांक 13-10-80 के कार्यालय आदेश में कुछ मार्ग निदेशक सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे । यह सही है कि प्रारम्भ में उप निदेशक ने प्रश्नगत कर्मचारियों के स्थानान्तरण में कार्यालय आदेश दिनांक 13-10-80 के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया; पर बाद में स्थान उपलब्ध होते ही उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण निदेशालय के कार्यालय आदेश दिनांक 13--10--80 के आदेशानुसार ही सुनिश्चित कर दिया गया है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

यह 13-10-80 को निदेशालय से आदेश हुए, उत्तर दिया कि उन्होंने पालन नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

दो आदेश इस विषय में विचार योग्य हैं । शासन ने अपनी शक्तियों का प्रतिनिधान उप निदेशकों को 15 अप्रैल को किया था । यह ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर हुए । वहां जब उन्होंने देखा कि उन्हें ले जाने के लिये कहीं और स्थान नहीं था इसलिए उन्होंने उन्हें गोरखपुर, देवरिया में स्थानान्तरण किया । चूंकि देवरिया उनका अपना जनपद था इसलिए 13 अक्तूबर को दूसरे आदेश हुए, जो निदेशक के गाइड लाइन के अन्तर्गत थे । इसलिए उसके बाद जैसे ही आजमगढ़ और बहराइच में स्थान खाली हुए, उनको वहां स्थानान्तरित कर दिया गया ।

जनपद देवरिया स्थित कुशीनगर में भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल से चिवर वस्त्र को हटाने संबंधी शिकायती-पत्र

*8--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद देवरिया में स्थित कुशीनगर में भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल से चिवर वस्त्र को वहां के परगनाधिकारी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए हटवा दिया है जिस पर प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को माह मार्च, 81 से माह जुलाई, 1981 के बीच प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी- -

प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित एक पत्र दिनांकित 25-5-81, प्रश्नगत विषय पर प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दु पर अपेक्षित कार्यवाई की गई । छान-बीन कराने पर यह ज्ञात हुआ है कि परगनाधिकारी द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति पर से चिवर वस्त्र हटवाने की कार्यवाही भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के निर्देशों पर की गयी थी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति पर से चिवर वस्त्र किस दिनांक को हटाया गया और इस सम्बन्ध में क्या निर्देश थे ? जो पुजारी आदि वहां रहते हैं उनसे बिना विचार-विमर्श के यह चिवर वस्त्र हटाया और जो भारत सरकार के निर्देश हैं, वह किन कारणों से आये और किस रूप में उनका पालन हुआ ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, भारत सरकार के निर्देश पुरातत्व विभाग को है जिसको मैनुमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत किया गया है और उसका मंतव्य यह है कि पुरातत्व की जो मूर्तियां या वस्तुयें हैं, उनका स्वरूप न बिगड़े और उनको सुरक्षित रखने के लिए ही यह कार्यवाही की गई है। उसका कारण उन्होंने यही अन्दाज करके लिखा कि वस्त्र चढ़ाने से मूर्ति खराब हो रही है तब उस पर 29-1-81 को यह आदेश कर दिये गए थे कि वस्त्र चढ़ाते रहें जब तक कि स्पष्ट रूप से फिर पुरातत्व विभाग दुबारा इसके लिए न कहे। अब पुरातत्व विभाग ने दुबारा लिखा कि वहां वस्त्र न चढ़ायें तभी से यह कार्यवाही की गई।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां जो पुजारी या उस धर्म के धर्मावलम्बी थे, उनसे विचार-विमर्श किया गया या इसको जबरदस्ती किया गया ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में किया गया ? उनसे क्यों नहीं विचार-विमर्श किया गया ? उनके मनोनुकूल विचार क्यों नहीं किया गया जिस कारण से उनमें असंतोष व्याप्त है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, पहले उन्होंने जरूर कुछ असंतोष व्यक्त किया था और उनके असंतोष व्यक्त करने पर ही कार्यवाही पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई लेकिन जब पुनः पुरातत्व विभाग ने दुबारा लिखा तब उसको बन्द कर दिया गया और अब जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, वह असंतुष्ट नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो भारत का संविधान है, उसमें उपासना पद्धति पर कोई रोक नहीं है और मेरी जानकारी है कि इस कार्यवाही के प्रति बुद्ध समाज में भीषण असंतोष है और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। इससे पहले भी मैंने इस विधान सभा में सुलहपुर, आगरा के बारे में भी यह बात उठाई थी कि पुरातत्व विभाग ने वहां भी इस बात को माना था कि इस चीज को हटाया जाय। उस समय सरकार ने उनको नहीं रोका। तो मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के द्वारा जो हमारी उपासना पद्धति है, अपने मन के मुताबिक पूजा करने का अधिकार है, क्या शासन का यह निर्देश उनकी उस उपासना करने के अधिकार पर कुठाराघात नहीं करती है ? यदि करती है तो इससे उनमें असंतोष पैदा हुआ था तो उस समय सरकार ने उनकी बात को मान लिया था, फिर ऐसी कौन-सी परिस्थिति पैदा हो गयी कि पुरातत्व विभाग द्वारा पुरानी मूर्ति पर से चिवर वस्त्र हटा कर उनकी धार्मिक आस्था पर आघात किया जा रहा है और इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपके प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा चिवर वस्त्र हटाने का जब पहले एक बार निर्देश हुआ था तो सरकार ने उनकी बात को मान लिया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का निर्देश राज्य सरकार को आया था और उस पर राज्य सरकार ने चिवर वस्त्र हटाने की कार्यवाही की....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि आपका प्रश्न इस मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

चिवर वस्त्र हटाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया था जिसका सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया कि पुरातत्व विभाग ने उस मूर्ति का जो प्राकृतिक सौन्दर्य है, वह नष्ट न हो जाय, इसलिये उस चिवर वस्त्र को हटाने का निर्देश दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, प्राकृतिक सौन्दर्य और धब्बे में फर्क है । धब्बे पड़ रहे थे इसलिये पुरातत्व विभाग ने ऐसा निर्देश दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

प्राकृतिक स्वरूप नष्ट न हो, उसको बचाने की बात है, लेकिन यहां पर धार्मिक आस्था का सवाल है । किसी की आस्था मूर्ति की उपासना में होती है, किसी की आस्था पूजा पद्धति में नहीं होती । भारतीय संविधान अपने मन के अनुरूप उपासना पद्धति की अनुमति देता है । उनको उस मूर्ति में धार्मिक आस्था है और सरकार के इस कार्य से उनके मन में असन्तोष है और इस असंतोष की वजह से ही पुरातत्व विभाग ने राज्य सरकार को लिखा था । तो क्या उनकी उस उपासना पद्धति की आजादी में आक्रमण नहीं करता है ? भारतीय संविधान ने सबको अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप उपासना करने की आजादी दी है और जैसे सिक्खों को अपनी उपासना पद्धति में तलवार रखना आवश्यक है उसी तरह और धर्म वाले भी अपना चिन्ह रख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह प्रश्न उससे कैसे ताल्लुक रखता है ? आप कृपया विराजें । (व्यवधान)

आप इसके लिये अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सरकार का आदेश है, मान्यवर,.....

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आप विराजें । (व्यवधान) ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

यह तो उनके धार्मिक विश्वास पर कुठाराघात है ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा एवं परीक्षा शुल्क में वृद्धि पर विचार

*9--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा एवं परीक्षा शुल्क आज भी वही लिया जा रहा है, जो बीस वर्ष पूर्व लिया जाता था ? क्या आज के वस्तुओं के बढ़े हुए दामों को देखते हुए विद्यालयों के समुचित संचालन हेतु इन शुल्कों में वृद्धि करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

क्रीड़ा शुल्क वही लिया जा रहा है किन्तु परीक्षा शुल्क में वृद्धि की गई । क्रीड़ा शुल्क वृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

जैसे शिक्षा के समुचित विकास के लिये शिक्षकों के वेतन वितरण का दायित्व सरकार ने ले रखा है ताकि शिक्षक संतुष्ट हों, उसी तरह से छात्रों के समन्वित विकास के लिये क्या सरकार उनके खेलकूद आदि के उपकरण देने का भी उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह शुल्क के बारे में ही पूछा है। जहां तक स्पोर्ट्स आदि का सम्बन्ध है, शासन इस सम्बन्ध में पूरी तरह से जागरूक है। इसके डेवलपमेन्ट के लिये जो कुछ भी सम्भव हो सकेगा, वह किया जायेगा लेकिन जहां तक शुल्क बढ़ाने का प्रश्न है यह भी शासन के विचाराधीन है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जो बढ़े हुये दाम हैं, तमाम सब चीजों को देखते हुये इसको भी बढ़ावें।

गांव भानपुर, जिला बुलन्दशहर में ईख के खेत में नवयुवती की लाश तथा कृत कार्यवाही

*10--श्री किरनपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या 17-8-80 को गांव मानपुर, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर में एक ईख के खेत में एक अल्प वयस्क नवयुवती की लाश मिली थी, यदि हां, तो उक्त का पूर्ण विवरण क्या है और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमचन्दी, ग्राम चौकीदार निवासी, ग्राम मानपुर अगौता, थाना, औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर ने दिनांक 17-8-80 को सायं 6-40 बजे थाना औरंगाबाद पर ईख के खेत में एक अज्ञात लड़की की लाश, जिस पर चोटों के निशान थे, पड़े होने के आशय की सूचना अंकित करायी। इस सम्बन्ध में थाने पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके तुरन्त विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना मे यह पता नहीं लग पाया कि उक्त मृतक लड़की कौन थी और उसकी हत्या किसके द्वारा की गयी। अतः दिनांक 6-1-81 को विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी। रिपोर्ट दिनांक 4-2-81 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गयी।

*11--श्री हरिवंश सहाय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

श्री अब्दुल खलील कान्सटेबिल के सेवाभिलेख में अंकित जन्मतिथि तथा सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश

*12--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि हेड कान्सटेबिल सी0पी0 16, अब्दुल खलील, जिला शाहजहांपुर जिनकी जन्म तिथि मिडिल पास के लिविंग प्रमाण-पत्र मिडिल स्कूल, जिला बांदा में 13-4-30 अंकित है, जो इनकी वास्तविक आयु भी है, फिर इन्हें 1-1-82 को आवश्यक सेवा निवृत्त होने का नोटिस दिया गया है ? यदि हां, क्यों ? क्या सरकार इनको मिडिल पास प्रमाण-पत्र के अनुसार जो कानूनी तौर से मान्य है, इनको सेवानिवृत्त तय करायेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। श्री अब्दुल खलील कान्सटेबिल के सेवाभिलेख में अंकित उनकी जन्म तिथि 30-12-23 के अनुसार 30-12-81 को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के कारण इनकी सेवा निवृत्ति सम्बन्धी आदेश 16-5-81 को पारित किये गये थे।

यदि मिडिल पास के लीविंग प्रमाण-पत्र में इनकी जन्म तिथि 13-4-30 लिखी है तो इसके हिसाब से पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती होते समय 30-12-44 को इनकी आयु 14 वर्ष 8 माह ही होती वह इस प्रकार वह पुलिस दल में भर्ती हेतु अनर्ह थे। उन्होंने भर्ती के समय मिडिल पास के लीविंग प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि का उल्लेख नहीं किया था। मिडिल पास प्रमाण-पत्र के आधार पर इनकी सेवानिवृत्ति तय किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म, दिनांक का अवधारण) नियमावली, 1974 तथा तत्संबंधी प्रथम संशोधन, 1980 में निहित अनुदेशानुसार उनके हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण उनके सेवाभिलेख में अंकित जन्म तिथि सेवा सम्बन्धी समस्त प्रयोजनों हेतु सही मानी जायगी। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत इनकी याचिका विचाराधीन है।

भूतपूर्व अतिरिक्त जिलाधिकारी, श्री बी0 एम0 सिंह, हरदोई के विरुद्ध आरोपों का शिकायती-पत्र

*13--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-3-81 को भूतपूर्व अतिरिक्त जिलाधिकारी, बी0 एम0 सिंह, जो हरदोई में तैनात थे, के विरुद्ध गम्भीर आरोपों को शिकायत सतर्कता सचिव को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य का प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 25-3-81 को नहीं बल्कि उनके एवं अन्य दो विधायकों के हस्ताक्षर से एक शिकायती-पत्र दिनांक 24-3-81 को प्राप्त हुआ था जिसकी मूल प्रति श्री राम औतार दीक्षित, विधायक के हस्ताक्षर से भी दिनांक 26-2-81 को प्राप्त हुई थी। मूल पत्र में उल्लिखित आरोप अभी जांचान्तर्गत हैं।

आगरा में मधुनगर बस्ती के अन्तर्गत हुई डकैती की सी0आई0 डी0 द्वारा जांच

*14--श्री विजय सिंह राना (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि आगरा में मधुनगर बस्ती के अन्तर्गत हुई डकैती जिसमें 3 व्यक्ति मारे गये थे, के मामले को सी0आई0डी0 को सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो किन आधारों पर ? तथा सी0आई0डी0 की जांच भी बदल दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रश्न में उल्लिखित घटना की जांच सी0आई0डी0 को सौंपी गई थी। सी0आई0डी0 की जांच बदली नहीं गई है।

जनपद जौनपुर के किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने हेतु अध्यापक की नियुक्ति

*15--श्री जंगबहादुर (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रसुलहा परियत में अंग्रेजी पढ़ाने हेतु अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी ? क्या शासन छात्रों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी अध्यापक को नियुक्ति करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)---

सूचना एकत्र की जा रही है।

गंगोलीहाट में भारी सीमेन्ट के कारखाने की योजना

*16--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ में भारी सीमेंट कारखाना लगाने में विलम्ब का क्या कारण है. क्या सरकार इसे मिनी प्लान्ट का रूप दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)---

विस्तृत सर्वेक्षण के फलस्वरूप गंगोली हाट में भारी सीमेन्ट का कारखाना लगाया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है क्योंकि यहां चूने पत्थर का भण्डार इतनी बड़ी परियोजना के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः यहां मिनी प्लान्ट की उपयोगिता पर विचार किया जा रहा है और इसकी टैक्नो इकनामिक फीजिबिल्टी रिपोर्ट बनाई जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय गंगोलीहाट में भारी सीमेन्ट फैक्टरी बनाने की योजना बनाई गई और उस की घोषणा की गई थी, उससे पूर्व उसका सर्वेक्षण किया गया था या नहीं ?

श्री नियाज हसन खां---

उपाध्याक्ष महोदय, इसका सर्वे किया गया था और यह कारखाना इसलिए लगाया जा रहा था कि नेपाल और हिन्दुस्तान में एक एग्रीमेन्ट हो रहा था कि एक बांध पंचेश्वर में बनाया जायगा। वह एग्रीमेन्ट दोनों मुल्कों में नहीं हो पाया इसलिए इतनी बड़ी योजना वहां लगाना कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी वजह, जैसे मैंने बताया कि बड़ी योजना के लिए लाइम स्टोन का इतना भण्डार नहीं है। तीसरा कारण यह है कि अगर इतनी बड़ी योजना लगाई जाती तो कास्ट आफ प्रोडक्शन इतनी होती कि हमारे माननीय सदस्य कहते कि ह्वाइट एलिफैन्ट खड़ा कर दिया है। पहाड़ पर बनाने का कास्ट आफ प्रोडक्शन जो है, वह कहीं अधिक होता है। चौथी चीज, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो भण्डार यह लाइम स्टोन का है, उसके साथ और भी सामग्री, मिट्टी और चीजें, पहाड़ से नीचे काली नदी में गिरने से काली नदी फट जाती। उससे पानी का बहाव रुकने से मालूम नहीं क्या भयंकर स्थिति होती। इन कारणों की वजह से इतनी बड़ी योजना लगाना सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मंत्री जी ने मूल उत्तर में केवल लाइम स्टोन की शारटेज की बात कही। बाद में सप्लीमेन्ट्री में .....

श्री उपाध्यक्ष---

बाद में पांच बातें कहीं....

श्री रियासत हुसैन---

मूल उत्तर में यह कहा कि चूंकि उसके सर्वे के बाद लाइम स्टोन का इतना स्टाक नहीं मिला कि जो उस बड़ी परियोजना के लिए पूरा होता...

श्री उपाध्यक्ष---

पहले उन्होंने कहा कि हलफनामा नहीं हो सका, दूसरा लाइम स्टोन पूरा नहीं है, तीसरा लाइम स्टोन के साथ और भी चीजें मिली हुई हैं जिनके हटने से काली नदी फट जाने.....

श्री रियासत हुसैन---

यह सप्लीमेन्ट्री जवाब में कहा । मूल उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो मेन रीजन है उसके बारे में कहा कि लाइम स्टोन का पर्याप्त स्टाक नहीं है, सप्लीमेन्ट्री में और चीजें थी नेपाल काली नदी वगैरह । बहरहाल, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां कितना स्टाक लाइम स्टोन का आप के सर्वे के मुताबिक अवेलेबिल है और परियोजना के लिए आपको मिनिमम कितने की जरूरत है जिसकी वजह से उद्योग आप नहीं लगा सके हैं ?

श्री नियाज हसन खां---

200 टन प्रति दिन सीमेन्ट बनाने का कारखाना लगाने का भण्डार बहुत कम समझा जाता है । 200 मेट्रिक टन सीमेन्ट रोजाना बनाने के कारखाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब इस योजना को बनाने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है तो शासन कितना धन इस सीमेन्ट कारपोरेशन की योजना को बनाने के लिये दे रहा है ?

श्री नियाज हसन खां---

कोई धन नहीं दे रहा है । इस वक्त जो प्लान्ट लगाने के बारे में सोचा जा रहा है, उसमें साधनों की कमी को देखते हुए अगर कोई कारखाना लगेगा तो वह निजी क्षेत्र में लगेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

एक सवाल की इजाजत और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप विराजें ।

दस्युग्रस्त जनपदों में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता दिये जाने पर विचार

*17---श्री शंकर सिंह---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुछ दस्युग्रस्त जनपदों में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो किन जिलों में पुलिस को यह भत्ता दिया जा रहा है तथा दस्युग्रस्त जालौन जनपद में यह भत्ता पुलिस कर्मचारियों को न दिए जाने के क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

जी हां, वर्ष 1955 में जारी किये गये शासनादेश के अनुसार जनपद आगरा, इटावा, जालौन तथा मैनपुरी के दस्यु प्रभावी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर नियुक्त पुलिस, पी0 ए0सी0 रेडियो एवं मोटर परिवहन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह विशेष प्रतिकर भत्ता दिया जाता है । उक्त शासनादेश के अनुसार जनपद जालौन के केवल थाना रामपुरा में तैनात कर्मचारियों को नियमानुसार, उक्त विशेष प्रतिकर भत्ता देय है, जो दिया जा रहा है ।

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सन् 1955 में जो शासनादेश हुआ था उसके अनुसार भत्ता दिया जा रहा है या उसमें कुछ बढ़ोत्तरी की गई और उसके अनुसार भत्ता दिया जा रहा है ? दूसरी बात यह है कि जो आपने 4 जिले 1955 में छांटे थे और अब 10/12 जिले हो गये हैं जो कि दस्यु प्रभावित जिले हैं, इसलिये जो अब 8 जिले और प्रभावित हुए हैं, उनमें यह भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, सन् 55 मे इस सम्बन्ध में शासनादेश द्वारा जो घोषणा हुई थी वह मैंने आपको अवगत करायी । 5 नवम्बर, 1981 को शासन में 12 जिलों के बारे में जिसमें झांसी, इटावा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, ललितपुर आदि आते है, इस तरह से प्रतिकर भत्ता देने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है । यथासमय इस पर निर्णय हो जाने के बाद आपको अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, सन् 55 में कितना प्रतिकर भत्ता देना तय किया गया था और क्या उसमें कुछ बढ़ोत्तरी की जा रही है या वही दिया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, सन् 1955 में जो प्रतिकर भत्ता तय किया गया था उसमें अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग भत्ता दिया गया था । जैसे सर्किल अफीसर को 50 रुपये था लेकिन अब जो 81 में हमने और जिले लिये हैं, उसके अनुसार इसकी बढ़ोत्तरी के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं । जब निर्णय हो जायेगा तब उसकी घोषणा कर दी जायेगी ।

प्रदेश के इंजीनियरिंग विद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पद्धति

*18--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (अनुपस्थित)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिक्षा सत्र 1980-81 से प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग विद्यालयों में प्रवेश हेतु शासन ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पद्धति लागू की है तथा क्या यह भी ज्ञात है कि वर्ष 1980-81 में प्रवेश हेतु मई/जून, 80 में परीक्षा हुई थी तथा कमला नेहरू विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान (तकनीकी संकाय), सुल्तानपुर में प्रवेश हेतु सफल परीक्षार्थियों का प्रवेश अक्तूबर, 1980 में समाप्त हो गया था? यदि हां, तो क्या वह सत्य है 3 ऐसे छात्रों का प्रवेश जनवरी, 1981 में उपरोक्त संस्थान में किया गया जिन्होंने उक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग ही नहीं लिया था ? यदि हां, तो वह 3 छात्र कौन हैं तथा किन नियमों के आधार पर इन छात्रों का प्रवेश किया गया ? इस अनियमितता के लिए कौन कौन लोग दोषी हैं तथा शासन ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थान में अंतिम छात्र का प्रवेश दिनांक 3 फरवरी, 1981 को हुआ था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग न लेने वाले जिन तीन छात्रों को 1 जनवरी, 20 जनवरी तथा 2 फरवरी, 1981 को संस्था में प्रवेश दिया गया उनके नाम क्रमश: सर्वश्री अजय मेहरोत्रा, विवेक माथुर तथा अजय प्रसाद है । इन तीनों छात्रों की प्रशासकीय परिषद् के दिनांक 6 अगस्त, 1979 के निर्णय के अनुसार बिहार, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य के नामिनी के रूप में प्रवेश दिया गया था । अत: इन प्रवेशों के लिये किसी को दोषी होने अथवा किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों में प्राकृतिक प्रकोप से हुई क्षति तथा क्षतिपूर्ति अनुदान

*19--श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में ऐसे विद्यालयों के सम्बन्ध में जिनमें विगत वर्ष 1978-79 में प्राकृतिक प्रकोप में क्षति हुई थी, की जांच आख्या एवं संस्तुति शासन ने निदेशालय से मांगी थी तथा निदेशालय ने अपने पत्रांक अर्द्ध0

11/5436-1/दो (5)-80-81, दिनांक 10-11-80 तथा पत्रांक अर्द्ध0 1/15436-5/दो-5-80-81, दिनांक 10-11-80 द्वारा किन-किन विद्यालयों की जांच कराई थी? जांचोपरान्त किन-किन विद्यालयों के अनुदान के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए, क्या उन्हें वर्ष 1981-82 में शासन अनुदान देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, संलग्न सूची में अंकित 16 विद्यालयों की जांच की गई थी। केवल दो विद्यालय, महन्थ त्रिवेणी पर्वत इण्टर कालेज, विशुनपुरा बाजार, देवरिया तथा लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज, साबितगढ़, बुलन्दशहर के सम्बन्ध में निदेशालय की आख्या शासन को प्राप्त हुई थी। वर्तमान सीमित संसाधनों को दृष्टिगत करते हुए इन विद्यालयों को वर्ष 1978-79 की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान देना कठिन है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 289 पर)

जूनियर हाई स्कूल के शिक्षा संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार

*20--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में वर्णित शिक्षा संस्थानों को छोड़कर शेष सभी जूनियर हाई स्कूल तक के शिक्षा संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने की बात सोच रहे हैं ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। इन प्रश्न के गुण अवगुण पर सम्यक् विचार अभी सम्भव नहीं हो पाया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्यक् विचार किया भी जा रहा है या अब तक इसके बारे में विचार किया ही नहीं गया है? यदि विचार किया जा रहा है तो वह कौन-सा आयोग, है, किसको आपने इस हेतु नियुक्त किया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि विचार हो ही नहीं पाया है इसलिये किस एजेन्सी से किया गया है, इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

श्रीमन्, विचार हो ही नहीं पाया है या विचार हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि शासन इस पर विचार कर रहा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप दोनों बुजुर्ग हैं, इतना तेज बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

अभी मंत्री जी ने कहा कि सम्यक् विचार नहीं हो पाया है।

श्री उपाध्यक्ष--

कहां, हो ही नहीं पाया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

यही सही, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर विचार हो रहा हो तो वह कौन सी एजेंसी है और अगर विचार नहीं हो रहा है तो वह भी स्पष्ट कर दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक विचार का प्रश्न है जितने विन्दु आते हैं शासन के सम्मुख उस पर किसी न किसी प्रकार विचार होता ही है क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है । जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, जूनियर स्कूलों का यह अभी विचार नहीं हुआ है और किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है क्योंकि हमारे वित्तीय संसाधन जो हैं उनको देखते हुए और जो हमारे इस वक्त के कमिटमेन्ट हैं, वे इतने ज्यादा हैं कि उनको देखते हुए इतनी ज्यादा जिम्मेदारी लेना सम्भव नहीं है । साथ ही साथ इसमें कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद का हवाला दिया गया है, मायोनिरटी इंस्टीट्यूशन के अलावा जो विद्यालय हैं, उनका राष्ट्रीयकरण का जो सवाल है तो प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, उनके अन्दर फ्री एजूकेशन हासिल है ही । लेकिन जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें दूसरी एजेंसी चला रही हैं उनके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन इस वक्त नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होंगे ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को अनिश्चित काल के लिए बन्द

*1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर में स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज को गत 30 जनवरी, 1982 से अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

छात्रों द्वारा परीक्षायें स्थगित करने की मांग को लेकर उपद्रव व आगजनी की वारदातों के कारण स्थिति के और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिये कालेज को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

(दोनों प्रश्नों के प्रश्न कर्ताओं के अनुपस्थित होने पर) मान्यवर, श्री ओझा जी के प्रश्न पर रुचि है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

प्रश्न संख्या 2 में रुचि है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जरूर कहा कि रुचि रखते हैं लेकिन अभी तक अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में केवल रुचि से काम चला नहीं है, यह बड़े इम्पार्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें माननीय सदस्यों को मौजूद होना चाहिए । यह अच्छी परम्परा मालूम नहीं होती है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

नोट:--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1, फिरंगी प्रसाद विशारद की रुचि पर लिया गया ।

श्री गौरीशंकर भैय्या--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि गोरखपुर जनपद के अन्दर एक ऐसा दरोगा है जो जा-जा कर कालेज के लड़कों को घसीट-घसीट कर लाकर पीटता है, जिसके कारण उद्वेलित्त होकर यह कालेज बन्द हुआ, तो इस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न इससे दरोगा का कोई सम्बन्ध है।

श्री रामकुमार भार्गव--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उपद्रव और आगजनी की वारदातें हुई, तो यह बहाना हर विद्यालय लेता है और कालेजों को बन्द कर देते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी छात्रों के भविष्य को देखते हुए उस विद्यालय को शीघ्र खुलवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय विधायक, श्री रामकुमार जी को सूचना देना चाहता हूं, वह विद्यार्थी आन्दोलन के नेता हैं वह यह है कि एक विद्यार्थी, श्री आर० एस० सिंह गौतम के डाक्टर के अनुसार मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में स्वैलिंग थी, इस तरह से बीमार थे, उनके सन्दर्भ में एक रोचक पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष --

हमारे लिए तो सबसे रोचक बात तभी उपस्थित हो गई, जब प्रश्नकर्ता सदस्य ही गैर हाजिर हो गये।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जरा यह पढ़ने वाला है। यह विद्यार्थियों का प्रतिवेदन है जिसमें एक सुनील कुमार और 48 अन्य छात्रों के हस्ताक्षर हैं। उसमें कहा गया है कि--"सर, वी वान्ट टू इन्फार्म यू दैट मिस्टर आर० के० सिंह गौतम इज सीरियसली इल, सो वी वान्ट दैट अवर एक्जाम आफ न्युक्लियर फिजिक्स / पावर, एलेक्ट्रा निक्स शैड्यूल्ड टु बी हेल्ड आन 26 / 1 शुड बी पोस्टपोन्ड टिल 10 / 3।" उन बालकों का कहना था कि चूंकि एक लड़का बीमार है इसलिए हमारे इम्तहान पोस्टपोन कर दिए जाएं। जब यह नहीं किया गया तो झगड़ा हो गया। मैंने यह कह दिया आपके द्वारा, अब क्या इसके अलावा भी कोई बात कहने की है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि सदन इसमें हमारी सहायता करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह बात तो साफ हो गई कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर हिंसा हो गई इस पहलू पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि जो 30 जनवरी से विद्यालय बन्द है और परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए क्या शासन स्तर पर कोई ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति सामान्य हो जाय, विद्यालय खुल जाए और इम्तहान शीघ्र सुचारु रूप से सम्पादित हो सकें ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

वह भी हो रहा है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मंत्री जी के विषय से सम्बन्धित, मैं मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका विषय मंत्री जी से सम्बन्धित नहीं है, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र---

वही कह रहा हूं । क्या मंत्री जी मेरी बात को सही मानकर इस बात की जानकारी करने की कृपा करेंगे कि उस स्कूल में आगजनी की जो घटना हुई है। वह कुछ ऐसे अवांछनीय तत्वों द्वारा कराई गई है और सारा चार्ज विद्यार्थियों पर लगा दिया गया है ? जबकि लड़के बार-बार चिल्ला रहे हैं कि हमारी परीक्षाएं कराई जाएं । वहां से मैं नजदीक हूं इसलिए सारी वास्तविकता की हमें जानकारी है । तो क्या मंत्री जी इस चीज की इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे कि आगजनी प्रिंसिपल के माध्यम से कराई गई या विद्यार्थियों के जरिये हुई ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

श्रीमन्, कोई कारण नहीं है कि मैं माननीय विधायक की बात न मानूं । जो रिपोर्ट लिखाई गई है 23 तारीख को तथा एक दूसरे दिन समें एक्जामिनेशन रूम के अन्दर के कुछ सामान और बाद में उस कमरे में जहां खेल की चीजें होती , उन्हें जलाने के संबंध में है । एफ0 आई0 आर0 में विद्यार्थियों पर कोई विशेष दोष नहीं लगाया गया है । जब एक बार रिपोर्ट हो गई तो पुलिस जांच करेगी । तो विधायक जी ने जो यहां आशंका व्यक्त की है, उसका कोई अवसर नहीं है ।

श्री गौरीशंकर भैय्या---

मैंने सूचना दिया था कि एक दरोगा की बदमाशी पर यह सारी घटना हुई है, जिससे उन्होंने इंकार किया है, तो जो आगजनी हुई थी, उसमें किसी लड़के के खिलाफ क्या नामजद रिपोर्ट की गई ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि इन इंजीनियरिंग छात्रों को दरोगा तरह-तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसकी सी0 आई0 डी0 की जांच वह कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

मान्यवर, कहें तो एफ0आई0आर0 पढ़ दूं । मामला यह था कि 23 तारीख के बाद जब दूसरी पाली की परीक्षा होने को थी, तो परीक्षा देने वाले लड़कों को अन्दर आने नहीं दिया गया और जब वह नहीं आ पाए तो परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ा । पोस्टपोन करने से और आगजनी से दरोगा का कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि आपको दरोगा से ही डर है तो उस पर भी अवसर आने पर विचार कर लिया जायगा, पहले एक काम तो पूरा हो जाने दीजिए ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि इसमें मूलरूप से प्रधानाचार्य के षड़यंत्र के कारण यह हुआ है और इसमें प्रधानाचार्य का हाथ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आगजनी की घटना घटी क्या उसके पीछे प्रधानाचार्य का हाथ है ? और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में जो पढ़ाई ठप्प है, दूसरी पाली में जो लड़कों की परीक्षा नहीं हुई, उनकी परीक्षा करवायेंगे और कालेज खुलवा देंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

कालेज को पहली मार्च को खुलवा देंगे । जहां तक जांच का प्रश्न है, पुलिस जांच कर रही है लेकिन उसके बाद यदि माननीय सदस्य जो आवश्यक समझेंगे तो उसे भी करवा देने पर विचार करेंगे ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ की मांगे तथा समझौते पर निर्णय

**2---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि 19 मार्च, 1981 को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के साथ हुआ समझौता लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त समझौता लागू न करने के कारण महासंघ ने 2 फरवरी, 82 को सरकार का

ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरना दिया तथा प्रदेश के समस्त शिक्षक 12 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, इसकी जानकारी मिली ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी---

19 मार्च, 1981 को शिक्षा मंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ वार्ता हुई थी । उस वार्ता में महासंघ की मांगों पर विचार किया गया था तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गयी है । महासंघ ने शासन को सूचित किया था कि 2 फरवरी, 1982 को लखनऊ में विधान सभा के सामने महासंघ की प्रादेशिक कार्यकारिणी धरने पर बैठेगी तथा 12 फरवरी, 1982 को महाविद्यालयों के शिक्षक एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे । 19 मार्च, 1981 को जिन मांगों पर विचार किया गया था उनके सम्बन्ध में शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही की सूचना संलग्नक में अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 290 पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन मुद्दों पर शासन और अध्यापकों के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता हुई थी, उनमें एक मुद्दा यह भी था कि उनकी मैनेजिंग कमेटी को कान्सटीट्युशनल स्टेट्स दिया जायेगा और उसमें 25 फीसदी प्रतिनिधि अध्यापकों के रहेंगे और सरकार ने वायदा भी किया था कि जब कोई शिक्षा के सम्बन्ध में संशोधन विधेयक आयेगा तो उसमें इसका प्राविधान कर दिया जायेगा । इस आश्वासन के बावजूद भी जब एक संशोधन विधेयक लाया गया तो उसमें इसका प्राविधान नहीं किया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि अगला संशोधन विधेयक लाकर कब तक इसका प्राविधान कर दिया जायेगा ? और जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको यू0 जी0 सी0 का ग्रेड की बात को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया और यह भी कहा गया कि इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है तो क्या ये आदेश जारी कर दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो आश्वासन के बाद भी कार्यवाही करने में क्यों विलंब हो रहा है और क्या अधिनियम में संशोधन करवा देंगे ।

यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी---

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैनेजिंग कमेटी में 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का किया जाना, जब माननीय शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी तो उस समय यह प्रश्न आया था । पूरे विश्वविद्यालय ऐक्ट का संशोधन सरकार के विचाराधीन है और जितनी ये चीजें हैं, जो आवश्यक होंगी, उनका समावेश इस ऐक्ट में हो जायेगा ।

जहां तक शारीरिक इन्सट्रक्टर्स का सम्बन्ध है, जब वार्ता हुई थी तो उनको बताया गया था उनको यू0 जी0 सी0 का स्केल देने पर शासन विचार कर रहा है । और बाद में यह तय हो गया कि इसे किसी हद तक दिया जा सकता है । लेकिन चूंकि जहां तक महाविद्यालयों का प्रश्न है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से भी विचार विमर्श करना पड़ता है और उनकी सम्मति लेना पड़ती है, इसलिये उनकी सम्मति लेकर सारी कार्यवाही हो रही है और वह शीघ्र पूरी हो जायेगी ।

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? और शिक्षकों को भी मकान किराया भत्ता दिये जाने की स्वीकृति हो चुकी है या नहीं ? मुझे डिग्री कालिजों के टीचर्स ने ही यह बताया है कि अभी तक मकान किराया भत्ते वाले आदेश विश्वविद्यालयों में पहुंचे ही नहीं हैं और न ही अभी तक किसी अध्यापक को यह मिल रहा है । तो क्या यह आदेश अभी सचिव स्तर तक ही हैं या विश्वविद्यालयों में पहुंच गये हैं या निदेशक के यहां पहुंच गये हैं और क्या मंत्री जी की जानकारी में यह है कि अब तक किसी भी अध्यापक को यह मिला भी है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह आदेश दिनांक 13 अक्तूबर को यहां संयुक्त सचिव के यहां से चला गया है और सभी जगह गया है । जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से विद्यालयों या शिक्षकों को इसकी सूचना नहीं है, मान्यवर, इसके बारे में निवेदन है कि इसकी सूचना तो बराबर अखबारों में निकलती रही है । अगर किसी विद्यालय में नहीं पहुंची है और उसकी सूचना माननीय सदस्य यदि देंगे, तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मंत्री जी ने अभी बताया कि मकान भत्ता देने के लिए आदेश हो गये हैं पर मुझे बताया यह गया है कि उसके लिये अभी तक बजट में चूंकि प्राविधान नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिये वह नहीं मिल पा रहा है ! क्या इसकी जानकारी है, मंत्री जी को ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो भी यह शासनादेश है, उसके अन्तर्गत बजट में प्राविधान अवश्य किया जायेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रश्नगत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सदन में कब तक प्रस्तुत हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में बहुत ही सोच-विचारकर काम करना है जल्दी में कोई कार्यवाही करना ठीक न होगा । विचारोपरान्त हर पहलू पर विचार करके शीघ्र ही उसे पेश किया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हाउस एलाउन्स सम्बन्धी जो निर्देश जारी किये गये हैं, वह जिलों पर नहीं पहुंचे हैं । तो क्या वह निर्देश बलिया जिले के डिग्री कालेज में और माननीय मंत्री जी खुद जिस कालेज में हैं, वहां पर यह हाउस एलाउन्स के भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

नोट :-- अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

श्री निरंजन प्रकाश, जिला शासकीय अभिव क्ता (फौजदारी) का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गये पैनल में से चयन

1—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1978 में जिला देहरादून में जो डी0 जी0सी0 (क्रिमिनल) कार्यरत थे, क्या वे जिलाधिकारी, देहरादून तथा जिला जज, देहरादून की संस्तुति पर नियुक्त किए गए थे ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी तथा जिला जज की संस्तुतियों को किस आधार पर नहीं माना गया ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

वर्ष 1978 में श्री निरंजन प्रकाश जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गये पैनल में से की गयी थी। श्री देवेन्द्र शास्त्री, विधायक ने भी इनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला न्यायाधीश की संस्तुति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नियुक्ति की गई थी। जिला न्यायाधीश व जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश मानने या न मानने के संबंध में कोई कारण अभिलिखित करने का प्रश्न नहीं है, संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद पैनल में से नियुक्ति की गई थी।

गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

2—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत में प्रशासक की नियुक्ति कब और किस कारण की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

इस विद्यालय में शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 1979 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आधार पर की गई थी।

ग्राम पालपुर, जिला फैजाबाद में सामन्तों द्वारा हरिजनों का कत्ल तथा आश्रितों को आर्थिक सहायता

3—श्री भीखा लाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गंगा, बेवा बुधराम, श्रीमती पारवती, बेवा राम बक्श तथा श्रीमती पचुआ, बेवा करिपा हरिजन, निवासी ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद जिनके पतियों को सामन्तों द्वारा दिनांक 13-2-81 को गांव पर आक्रमण करके कत्ल कर दिया था दिनांक 3-11-81 को प्रार्थना-पत्र देकर जीवन निर्वाह के लिए पेंशन की मांग की है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है तथा कुछ भूमि भी आवंटित कर दी गई है। ऐसे मामलों में आजीवन पेंशन देने का कोई प्राविधान नहीं है।

राजा राम इण्टर कालेज, बदायूं की संस्कृत प्रवक्ता श्रीमती विनोद बाला उपाध्याय का वेतन तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की बकाया धनराशि

4—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा राम इण्टर कालेज, बदायूं की संस्कृत प्रवक्ता श्रीमती विनोद बाला उपाध्याय का 22 नवम्बर, 1977 से 4 जनवरी, 1979 तक के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और पहली नवम्बर, 1976 से नवम्बर, 1981 की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नौलिहाल सिंह—

जी हां। श्रीमती विनोद बाला उपाध्याय ने 22-11-77 से 4-1-79 तक प्रबन्धक के आदेश के उपरान्त भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नही किया इसलिये उन्हें उक्त अवधि का वेतन न देने के आदेश मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली के पत्र दिनांक 22-4-79 द्वारा दिये गये थे। अध्यापिका को नियमानुसार वेतन वृद्धि देने के आदेश भी उक्त आदेश में दिये गये थे किन्तु श्रीमती उपाध्याय ने उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिया तथा कटे हुये वेतन सहित वेतन वृद्धि की मांग की एवं कर रहीं हैं। जिसे नियमानुसार दिया जाना सम्भव नहीं है। इसी कारण उनको वेतन वृद्धि का भुगतान भी नहीं हुआ है।

श्री कल्याण सिंह, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, ग्राम लोधीपुर, जिला अलीगढ़ के घर पड़ी डकैती तथा मृतकों के परिवार को पारिवारिक पेन्शन

5—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे थाना हसायन, जिला अलीगढ़ के ग्राम लोधीपुर में भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख कल्याण के यहां सन् 81 के अन्तर्गत डकैती पडी था, क्या यह सही है कि डकैतों का मुकाबला करते हुये एक जाटव नौजवान मारा गया था ? यदि हां, तो उसके परिवार को पेंशन तथा जिन लोगों को मुकाबले में चोट आई थी इनाम भी मंजूर था ? यदि हां, तो वह दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कल्याण सिंह, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, ग्राम लोधीपुर, जिला अलीगढ़ के यहां सन् 81 के अन्तर्गत कोई डकैती नहीं पड़ी बल्कि दिसम्बर, सन् 1980 में डकैती पड़ी थी जिसमें डकैतों का मुकाबला करते समय मेघ सिंह मारे गये थे। मृतक के परिवार को असाधारण पारिवारिक पेंशन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इनाम दिये जाने के संबंध में भी विचार किया जा रहा है।

जिला अलीगढ़ में डकैतियां तथा अपहरण की घटनाएं

6—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में जनवरी, 81 से नवम्बर, 81 तक कितनी डकैतियां 396, 395 की हुयीं और कितने व्यक्तियों का अपहरण हुआ ? उसमें कितने लोग मारे गये, फिरौतियों से कितने छूटे और कितने मार दिये गये व कितने लापता हैं ? क्या पूरा विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1981 से नवम्बर, 81 तक जनपद अलीगढ़ में 78 डकैतियां हुईं। इसी अवधि में 21 व्यक्तियों का अपहरण हुआ। इनमें 20 व्यक्ति

डकैतियों में मारे गये। अपहृत व्यक्तियों में से 19 व्यक्ति बिना फिरौती दिये वापस आ चुके हैं तथा 2 व्यक्ति लापता हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह, थानाध्यक्ष फूलपुर, जिला वाराणसी का निलम्बन

7—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष फूलपुर, जिला वाराणसी स्वतन्त्र सिंह को पहली या दूसरी नवम्बर, 1981 को एस0 एस0 पी0, वाराणसी ने निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो उनके ऊपर क्या-क्या आरोप थे ? क्या सरकार बतायेगी कि आरोप-पत्र थानाध्यक्ष को दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री स्वतन्त्र सिंह, थानाध्यक्ष फूलपुर, जिला वाराणसी दिनांक 2-12-81 को निलम्बित किये गये थे। श्री स्वतन्त्र सिंह जब थानाध्यक्ष फूलपुर थे तो लूट की एक घटना को पंजीकृत न करने तथा नामांकित अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने के संबंध में निलम्बित किये गये थे। उन्हें अभी आरोप पत्र दिया नहीं जा सका है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल की मान्यता मिलने पर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक बनाने की योजना

8—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल की मान्यता मिलने पर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं पाया गया।

9—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

[19-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या-207 द्वारा उत्तरित।]

जनपद नैनीताल में राजकीय इण्टर कालेज, ओरवल काण्डा में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

10—श्री बिहारी लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में राजकीय इण्टर कालेज, ओखल काण्डा में प्रधानाचार्य के पद पर प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की गयी है ? क्या यह सही है कि कार्यरत प्रधानाचार्य की नियुक्ति अनियमित है, यदि हां, तो नियमित नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

शासन ने विज्ञप्ति संख्या यू0 ओ0 271/15-1-81, दिनांक 17 फरवरी, 1982 द्वारा प्रश्नगत पद पर अस्थाई नियुक्ति पर दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला नैनीताल में सितारगंज–पीलीभीत रोड पर निर्माणाधीन शुगर फैक्ट्री, सरकण्डा तक सड़क का निर्माण कार्य

11––श्री बिहारी लाल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जिला नैनीताल में सितारगंज, पीलीभीत रोड पर निर्माणाधीन शुगर फैक्ट्री, सरकण्डा तक सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो यह किस आधार पर रोका गया है तथा अब कब से उक्त निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री श्याम कुमार शुक्ला के विरुद्ध मृतक व्यक्ति के राशन कार्ड पर चीनी इत्यादि लेने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा

12––श्री राम लाल––

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24–3–81 को वजीरगंज वार्ड जनपद लखनऊ के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा श्याम कुमार शुक्ला पुत्र श्याम मनोहर शुक्ला के विरुद्ध थाना अमीनाबाद, लखनऊ में मृतक व्यक्ति के राशन कार्ड पर चीनी इत्यादि लेने के सम्बन्ध में धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां, उक्त मामले में दिनांक 19–4–81 को श्याम कुमार शुक्ला को बन्दी बनाया गया था। विवेचना के आधार पर अभियोग न्यायालय भेजने योग्य नहीं पाया गया अतः अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

सूत के मूल्य में वृद्धि

13––श्रीमती गौरी देवी––

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1981 मार्च से नवम्बर माह तक सूत के मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई ? यदि हां, तो कारण क्या है और क्या सरकार सूत का मूल्य पूरे वर्ष के लिये निर्धारित करेगी ?

श्री निसार हसन खां––

जी नहीं । वर्ष 1981 मार्च से नवम्बर माह तक सूत के मूल्यों में वृद्धि निम्न प्रकार हुई है :––

1––24 काउन्ट में 40 काउन्ट तक 6 प्रतिशत ।

2––स्टेपुल धागें में 12 प्रतिशत सूत के मूल्यों में वृद्धि का कारण रुई आदि कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, हड़ताल आदि द्वारा कम उत्पादन तथा बाजार में सूत का अभाव होना है ।

सूत के मूल्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा वस्त्र आयुक्त, बम्बई के माध्यम से होता है ।

श्री श्याम सिंह, प्रधान एस0 आई0 पुलिस, देहरादून को श्री अमरनाथ आनन्द के कत्ल के केस में वधवान कम्पनी के मुल्जिमानों को मय माल की गिरफ्तारी पर नकद पुरस्कार तथा पदोन्नति संबंधी घोषणा पर कृत कार्यवाही

14--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1973 में जब श्री श्याम सिंह, प्रधान एस0 आई0 पुलिस, देहरादून में तैनात थे तो इन्हें देहरादून के उस समय के बहुचर्चित केश आनन्द के कत्ल का इन्हें सी0 आई0 डी0 से लेकर दिया गया था, इन्होंने उक्त केस के मुल्जीमान को दो दिन में गिरफ्तार कर पुलिस छवि को बिगड़ने से बचाया था तो उस समय के आई0 जी0 पुलिस, श्री ए0 के0 दास ने खुश हो कर इन्हें एक हजार रुपया इनाम तथा इंस्पेक्टर पद पर पदान्नति करने की घोषणा की थी ? अभी तक न तो वह इनाम ही दिया गया और न ही इनकी इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति ही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। वर्ष 1973 में केश आनन्द के कत्ल का मामला सी0 आई0 डी0 से लेकर श्री श्याम सिंह प्रधान को नहीं दिया गया था बल्कि सी0 आई0 डी0 की मदद के लिये श्री श्याम सिंह प्रधान को नियुक्ति किया गया था श्री श्याम सिंह प्रधान ने दिनांक 22-6-73 को संदिग्ध हालत में अभियुक्त हरवंश उर्फ कूट्टू तथा योगेश चन्द्र उर्फ जोनी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछतांछ के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने दिनांक 16/17-1-1973 की रात को श्री अमर नाथ आनन्द का कत्ल किया था। इसके लिये सब इन्सपेक्टर श्री श्याम सिंह प्रधान को 200 रुपये का नकद पुरस्कार दिनांक 20-8-73 का प्रदान किया जा चुका है। पदोन्नति संबंधी कोई घोषणा आई0 जी0 द्वारा की गई प्रतीत नहीं होती।

15--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सिंह प्रधान सन् 1980 में थाना हल्द्वानी, जनपद ने नीताल में थाना इंचार्ज थे तो इनके द्वारा एफ0 आई0 आर0 485 धारा 485 के लुधियाना (पंजाब) की वधवान कम्पनी के मुल्जीमानों को मय माल की गिरफ्तारीपर 25,000 रुपये इनाम देना घोषित हुआ था, जो अभी तक इन्हें नहीं दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री श्याम सिंह प्रधान सन् 1980 में थाना हल्दवानी जनपद नैनीताल में थाना इंचार्ज नियुक्त नहीं थे, बल्कि वरिष्ठ उप निरीक्षक थे। शासन को इस अपराध से सम्बन्धित मुल्जिमानों की गिरफ्तारी पर किसी प्रकार के इनाम की घोषणा की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अधीक्षक, नैनीताल से जानकारी की जा रही है।

16--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सिंह प्रधान सन् 1980 में थाना इंचार्ज हल्द्वानी, जनपद ननीताल म थे तो इन्होंने एक केस के मुल्जिमान गिरफ्तार कर उनसे 6 लाख रुपया बरामद किया था, केस के मुद्दई ने खुश होकर इन्हें 10 हजार रुपया इनाम दिया था, जो धन श्री सरदार जय सिंह, अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, हल्द्वानी के नाम हल्द्वानी बैंक में जमा है, वह धन इन्हें कब तक दिया जा रहा है और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री श्याम सिंह प्रधान सन् 1980 में थाना हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में थाना इन्चार्ज नहीं थे बल्कि वरिष्ठ उप निरीक्षक थे और न इनके द्वारा किसी केस में मुल्जिमान गिरफ्तार

कर 6 लाख रुपये ही बरामद किये गये थे । यह सूचना मिली है कि एक अन्य 60 हजार रुपये की बरामदगी के मामले में वादी ने 10 हजार रुपया पुलिस को पारितोषिक देने हेतु श्री सरदार जय सिंह के पास जमा किये हैं । इस मामले का परीक्षण कराया जा रहा है व नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापकों की एल0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति

17--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापकों की पांच वर्ष से अधिक समय तक सेवारत रहने पर भी एल0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति नहीं दी गयी ? क्या सरकार नियमानुसार ऐसे अध्यापकों को उच्च वेतनक्रम में पदोन्नत करके उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब स और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मिझौड़ा, जिला फैजाबाद के प्राइमरी स्कूल के भवन का पुनर्निर्माण

18--श्री जियाराम शुक्ल, विकल साकेती--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम मिझौड़ा, ब्लाक कटहरी, जिला फैजाबाद का प्राइमरी स्कूल का भवन कई वर्षो से गिरा हुआ है और उसके लिये धन की व्यवस्था हो गयी है ? यदि हां, तो निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । ग्राम मिझौड़ा ब्लाक कटहरी, जिला फैजाबाद का प्राइमरी स्कूल का भवन गिरा हुआ है । भवन निर्माण के लिये आवश्यक धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध है । अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कारवाई की जा रही है । भवन का साइट प्लान एवं नजरी नक्शा आदि संबंधित अभियंत्रण को पूर्व में ही दिये जा चुके हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के भविष्य निधि के हिसाब तथा पासबुकों को ठीक कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही

19--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् गोरखपुर के भविष्य निधि के हिसाब में भारी घपला है और विभागीय जांच में भी यह तथ्य प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है एवं समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का भविष्य निधि संबंधी हिसाब एवं पास बुकों को कब तक ठीक कर दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों के निर्माण में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमितता, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

20--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने चन्द माह पूर्व गोरखपुर जनपद की घुघली शिकगपुर-इन्दरपुर, घुघली, श्याम देउरवा-भेगलपुर, भटहट धोड़हवा, महराजगंज-चौक, चौक के निर्माण में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं निर्धारित मानकों के विरुद्ध कार्य करने सम्बन्धी एक शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या कोई जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, प्रश्नगत मामले में माननीय विधायक का दिनांक 25-9-81 का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

जनपद गोण्डा कोतवाली में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र

21--श्री मसरूर जाफरी--

क्या गृह मन्त्री यह बतायेंगे कि जनपद गोण्डा कोतवाली में 27-11-81 को गुलाम असगर, कर्मचारी नगरपालिका ने कोई रिपोर्ट दर्ज करायी है धारा 452, 323 में उसमें कितने मुल्जिमान हैं और उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । श्रीमती अनीस फातिमा, राजू व बाबू 3 अभियुक्त नामजद तथा एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 22-12-81 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है जो विचाराधीन है । चौथे अभियुक्त का विवेचना से पता नहीं चल सका ।

थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा में श्री ननकऊ सिंह की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु तथा सी0आई0डी0 द्वारा जांच

22--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव टिकवार, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा के ननकऊ सिंह को दिसम्बर, 81 के प्रथम सप्ताह में कोचा ग्राम के बाग में पुलिस-डाकू मुठभेड़ दिखा कर इनकाउन्टर कर दिया ? क्या यह सत्य है कि ननकऊ सिंह को पुलिस ने बैरागी पुरवा में पकड़ा और नगवा होते हुये कोचा ग्राम के बाग में मार डाला क्या सरकार सभी मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17/18-11-81 की रात्रि लगभग 1 बजे ग्राम कोचा थाना करनैलगंज में श्री राम सभा तिवारी के बाग में डाकू पुलिस मुठभेड़ में ननकऊ सिंह, पुत्र मुन्ना सिंह निवासी किटवार, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा मौके पर मारा गया। घटना के संबंध में अभियोग अपराध संख्या 301 व 302 अन्तर्गत क्रमशः धारा 307 भा0 द0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक श्री राम कृपाल तिवारी द्वारा की गई तथा दिनांक 31-12-81 को अंतिम आख्या द्वारा विवेचना समाप्त हुई। इस मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये सी0 आई0 डी0 से जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बसन्तपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल का स्थानीय जनता तथा क्षेत्रीय विधायक की शिकायत पर स्थानान्तरण

23--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बसन्तपुर, विकास खण्ड कोट, जिला पौड़ी गढ़वाल का स्थानान्तरण स्थानीय जनता तथा क्षेत्रीय विधायक की शिकायत पर वर्ष 1981 को किस तिथि को हुआ था और किन परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण पुनः जूनियर हाई स्कूल, बसन्तपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल कितने समय पश्चात् कर दिया गया ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लिपिकों के रिक्त पद

24--श्री पंचानन राय-

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लिपिकों के वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं ? इन्हें भरने के लिये जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये शेष हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्तमान समय में अवर लिपिकों के 32 पद आजमगढ़ में इस विभाग में रिक्त हैं ।

जिला चयन समिति के माध्यम से अब रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं ।

शासन के 5-11-81 के आदेश द्वारा नई नियुक्तियां मार्च, 1982 तक नहीं भरी जानी है ।

गोरखपुर मंडल में कार्यरत हेड कांस्टेबुल

25--श्री पंचानन राय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में पुलिस रेगुलेशन के पैरा 455 के अन्तर्गत कितने हेड कान्सटेबुल कार्यरत हैं और उनमें से कितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गोरखपुर मण्डल में ऐसे कुल 142 हेड कान्सटेबुल कार्यरत हैं । किसी ने भी स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी होने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया है । आश्रित होने का उल्लेख सेवा अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ।

गोरखपुर मण्डल में कार्यरत उप निरीक्षक

26--श्री पंचानन राय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में पुलिस रेगुलेशन के पैरा 191 के अनुसार कितने एस0आई0सी0पी0 कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर मंडल में पुलिस रेगुलेशन्स के प्रस्तर 191 के अन्तर्गत 152 उप निरीक्षक कार्यरत हैं जिनमें से कोई भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का आश्रित नहीं है।

किसान मजदूर इण्टर कालेज, औरा, आजमगढ़ का इण्टर में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता से सम्बन्धित आवेदन-पत्र

27—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979–80 में किसान मजदूर इण्टर कालेज औरा आजमगढ़ का इण्टर में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता से संबंधित आवेदन-पत्र 450 रु0 ट्रेजरी के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री उमाशंकर मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें

28—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाशंकर मिश्र जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें शासन को 1 अप्रैल, 81 से 31 अगस्त, 81 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से कराई गयी है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ? क्या जांच के समय शिकायतकर्ताओं को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्डर कालज, बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत में प्रधानाचार्य पद का चयन

29—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक सुन्दर लाल इंटर कालेज, बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत में प्रधानाचार्य पद का विज्ञापन कब-कब निकाला गया ? विज्ञापन का प्रारूप जिला विद्यालय निरीक्षिक, पीलीभीत की स्वीकृति से निकाला गया, कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और कब चयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पद के विज्ञापन हेतु विद्यालय समिति ने कब-कब क्या प्रस्ताव पारित किए ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बरेली के ग्राम क्योलडिया में थाना स्थापित करने पर विचार

श्री चेतराम गंगवार—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में ब्लाक भदपुरा में कोई थाना नही है ? यदि हां, तो क्या वह शीघ्र आदेश देगी कि ब्लाक मुख्यालय ग्राम क्योलडिया पर एक थान स्थापित कर दिया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां। जिला बरेली में ग्राम क्योलडिया में एक पुलिस चौकी स्थापित है। उक्त चौकी को फिलहाल थाना बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

जिला बरेली में सेथल–जाटोपुर मार्ग का निर्माण

31---श्री चेतराम गंगवार---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में सेथल–जाटोपुर मार्ग वर्ष 1976 से बन रहा है और अब तक पांच वर्ष पश्चात् भी पूरा नहीं हो पाया है? यदि हां, तो कब तक मार्ग पेन्ट होकर जनता के आवागमन हेतु खोल दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

किलोमीटर 12 में एक रेलवे समपार का निर्माण होना है जिस हेतु रेल अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। शेष मार्ग का पेन्ट किया जाना धन और सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। वैसे इस समय भी मार्ग पर यातायात चल रहा है।

ग्राम बेलवा में डाका डालने आये लोगों से ग्रामीणों द्वारा बन्दूक छीनने की घटना तथा फूलपुर थाने के सिपाहियों द्वारा ग्रामवासियों को बुरी तरह से पीटने की शिकायत

32---श्री ऊदल---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव वेलवा, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में ता0 6, 7 दिसम्बर, 1981 की रात में डाका डालने आये लोगों की दो रायफलें, एक बन्दूक गांव वालों ने छीन ली, जिसे 7–12–81 को जिलाधीश वाराणसी को एक दरख्वास्त के साथ पचासों व्यक्तियों ने जमा किया ? क्या वे बन्दूकें फूलपुर थाने के सिपाहियों की थीं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6/7–12–81 की रात में ग्राम बेलवा में ग्रामीणों द्वारा बंदूक छीनने की घटना के संबंध में थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी में अपराध संख्या 171/81 धारा 395/397/342/332 व अपराध संख्या 171ए/81, धारा 395/397 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये अभियोगों की विवेचना प्रचलित है।

33---श्री ऊदल---

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि उक्त डाकू फूलपुर थाने के सिपाही थे और 7–12–81 को जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाकर दो व्यक्तियों को पकड़ ले गये और जिलाधीश के यहां गये लोगों में से 3 को लाकर सी0 ओ0 पुलिस ने थाना में बन्द कराया और बुरी तरह मार कर चालान किया है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने 9 व 11 दिसम्बर, 1981 को गृह मन्त्री व मा0 मुख्य मंत्री को पत्र दिया है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतों के बारे में प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच प्रचलित है।

34---श्री हुकम सिंह---

[5 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक, एम0एम0डी0 सेठ द्वारा लखनऊ से दिल्ली की विमान यात्राएं तथा उन पर व्यय

35—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक, एम0एम0डी0 सेठ ने अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में कितनी बार लखनऊ से दिल्ली विमान यात्राएं की हैं ? कुल यात्रा व्यय की धनराशि एवं उद्देश्य क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री एम0एम0 डी0सेठ, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने कार्यकाल 1—3—80 से 6—2—82 तक लखनऊ से दिल्ली विमान द्वारा बीस यात्रायें कीं जिन पर कुल 5783.00 रु0 की धनराशि व्यय हुई। उनके द्वारा लखनऊ से दिल्ली विमान द्वारा की गई यात्राओं की तिथियां एवं उद्देश्य का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 291 पर।)

गाजीपुर गंगा सेतु एवं गंगा सेतु पहुंच मार्ग हेतु कृषकों की अध्याप्त की गई भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

36—श्री राम नारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि गाजीपुर गंगा सेतु एवं गंगा सेतु पहुंच मार्ग हेतु किन-किन ग्रामों के किन-किन कृषकों की भूमि अध्याप्त की गयी तथा किस दर से मुआवजा की धनराशि उन्हें दी गयी और अब तक कितने कृषकों को मुआवाजा देना बाकी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

37—श्री राम नारायण सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष, श्री डी0 पी0 सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

38—श्री मसरूर जाफरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष, श्री डी0पी0 सिंह के विरुद्ध सार्वजनिक धन की हेरा-फेरी, अपव्यय, भाई भतीजावाद एवं कुनबा-परस्ती के आरोपों के संबंध में माननीय विधायकों, विश्वविद्यालय कार्य-परिषद् एवं कोर्ट के सदस्यों तथा सार्वजनिक व्यक्तियों से अनेकानेक शिकायतें गत वर्षों में शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए उन शिकायतों के संबंध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

39—40—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी—

[9 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31—32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश के विभिन्न निगमों के अध्यक्ष और निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति

41—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न निगमों के अध्यक्ष और निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर वर्ष 1980 व 1981 में अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की गयी, नियुक्ति होने की तारीख को इनकी क्या उम्र थी? इनकी नियुक्ति किसी नीति के अनुसार हुई अथवा किसी अन्य ढंग से हुई ? इनकी नियुक्ति पर क्या केन्द्र सरकार ने गम्भीर नाराजगी व्यक्त की है ? यदि हां, तब इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन को बैलेंस शीट तथा एन्टरटेनमेन्ट पर व्यय तथा केन्द्र से रिबेट और प्राप्त सब्सिडी का उपयोग

42—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 हैन्डलूम कारपोरेशन की गत तीन वर्ष की बैलेंस सीट तैयार नहीं की गयी और कम्पनी रजिस्ट्रार को नहीं भेजी गयी, इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनक विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? इन वर्षों में एन्टरटेनमेंट पर कितना-कितना और किस स्थान पर खर्च किया गया है, किताबों में यह खर्चा किस हेड में दिखाया गया है ? इस अवधि में कितने गिफ्ट पैकेट तैयार किए गये ? 71 सेल डिपो के माध्यम से कितने गिफ्ट पैकेट ग्राहकों को दिए गये और कितने वीवर सोसाइटीज को दिये गये ? तथा केन्द्र से इन वर्षों में कितना रिवेट और कितनी सब्सीडी मिली ? उसका उपयोग कैसे और किस तरह किया गया ?

श्री नियाज हसन खां—

विस्तृत सूचना की आवश्यकता है ।

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण कोटा

43—श्री हुकम सिंह—

क्या न्याय मन्त्री बतायेंगे कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जिन 34 नये सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गयी है उनमें से कितने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के हैं ? क्या नियुक्ति करते समय इन जातियों के आरक्षण के कोटे को ध्यान में रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में शासन द्वारा,महाधिवक्ता तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता को छोड़कर कुल 31 सरकारी वकीलों की नियुक्तियां की गई हैं जिनमें से दो अधिवक्ताओं ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । सरकारी वकीलों की नियुक्तियों का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और कतिपय नियुक्तियां अभी शेष भी हैं । इन सरकारी वकीलों में कोई अधिवक्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का नहीं है । परन्तु खण्डपीठ, लखनऊ

[श्री जगदीश प्रसाद---]
में दो शासकीय अधिवक्ता पिछड़ी जाति के हैं। यह नियुक्तियां व्यवसायिक आबन्ध के रूप में योग्यता के आधार पर की जाती हैं और सरकारी सेवा में आरक्षण सम्बन्धी आदेश इन पर लागू नहीं हैं। अतः किसी आरक्षण कोटे का प्रश्न नहीं उठता।

कौड़ी राम-गजपुर व जैतपुर–बोक्टा मार्ग, गोरखपुर का निर्माण तथा स्वीकृत धनराशि

44---श्रीमती गौरी देवी---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कौड़ीराम–गजपुर व जैतपुर-बोक्टा मार्ग गोरखपुर को निर्मित न कराने का कारण क्या है ? क्या यह सच है कि वर्ष 80 व 81 में अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर ने संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी से इन मार्गों की महत्ता व आवश्यकता को देखते हुए प्राथकिता के आधार पर शीघ्र निर्मित कराने के लिये अनुमति व धनराशि आवंटित करने की मांग एक पत्र के माध्यम से किया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों के निर्माण की अनुमति व धनराशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी---
सूचना एकत्र की जा रही है।

सोयाबीन मिलों की स्थापना का प्रस्ताव

45---श्रीमती गौरी देवी---
क्या उद्योग मन्त्री बतान का कष्ट करेंगे कि निकट भविष्य में प्रदेश में पांच सोयाबीन मिलों की स्थापना होगी ? यदि हां, तो ये मिलें प्रदेश के किन स्थानों पर तथा कब तक स्थापित होंगी ? क्या इन पांच सोयाबीन मिलों में एक गोरखपुर के खोराबाद नामक स्थान पर लगाई जायेगी ?

श्री नियाज हसन खां---
सोयाबिन मिलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

खलीलाबाद बस्ती के प्रोसेसिंग हाउस को चालू करने पर विचार

46---श्री राम आसरे पासवान---
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद बस्ती, के प्रोसेसिंग हाउस को कब तक चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां---
खलीलाबाद (बस्ती) का प्रोसेसिंग हाउस दिसम्बर, 1981 से चालू किया जा चुका है।

मोहम्मदी, जिला खीरी में बढ़ते हुए अपराध तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में शिकायत

47---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---
क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 24–11–81 मिला, जिसमें मोहम्मदी, जिला खीरी में बढ़ते हुए अपराध तथा पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में शिकायत की गई है ? यदि हां,तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई लेकिन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

जहानगंज जूनियर हाई स्कूल में राष्ट्रीय ध्वजारोहण के सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

48--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्यामा चरन द्विवेदी ने राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त, 1981 को जहानगंज जूनियर हाई स्कूल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण 12.00 बजे दिन में उप विद्यालय निरीक्षक, प्रेम नाथ जलौटा द्वारा करने के संबंध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1981 को रजिस्ट्री द्वारा भेजा है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की पदोन्नति

49--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी---

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 1977 से अगस्त, 1981 तक अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान रु0 450-950 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये कितने प्रतिशत पद आरक्षित थे और कितने-कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को पदोन्नति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान अध्यापन शाखा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 18 तथा 2 प्रतिशत पद आरक्षित थे। संदर्भगत पदों में अनुसूचित जाति के 11 तथा अनुसूचित जनजाति के एक अध्यापक को पदोन्नति दी गई। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला चमोली के नन्दादेवी सेंचुअरी राष्ट्रीय वन उद्यान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जिला चमोली के निवासी

50--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी---

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के नन्दादेवी सेंचुअरी राष्ट्रीय वन उद्यान में नियमानुसार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी क पदों पर जिला चमोली के कितने निवासी नियुक्त किये गये हैं और कितने पदों पर जिला चमोली के अतिरिक्त अन्य जिलों क निवासियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया है तथा वे किन-किन जिलों क निवासी हैं ? क्या सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ?

वन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर पद हेतु सम्पन्न लिखित तथा शारीरिक परीक्षा में चयनित आवेदकों की सूची तथा प्रस्तुत की गई रिट याचिका

51--श्री मित्रसेन ---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश पुलिस फोर्स में सब इंसपेक्टर पद के लिये वर्ष 1980 में सम्पन्न लिखित तथा शारीरिक परीक्षा में चयनित आवेदकों की सूची अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गयी ? यदि हां, तो इस सूची के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त पद पर नियुक्तियों की सत्यता को चुनौती देते हुए कोई समादेश याचिका किसी अभ्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की गयी है ? यदि हां, तो उस याचिका में नियुक्तियों के सन्दर्भ में लगाये गये आरोप क्या हैं ? अभी तक सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां । परीक्षाफल की घोषणा दिनांक 8--8--81 को की गई थी तथा परीक्षाफल उसी दिन इलाहाबाद के समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" में प्रकाशित कर दिया गया ।

उक्त पद पर नियुक्तियों की सत्यता को चुनौती देते हुए कोई भी समादेश याचिका दायर नहीं की गई है । वरन् चयन के सम्बन्ध में एक अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो अभी स्वीकार नहीं हुई है ।

याचिका में कथन का सारांश यह है कि याची का चयन हुआ था परन्तु बाद में 60 चयन हुये व्यक्तियों के नाम हटाकर उनके स्थान पर 60 अन्य अभ्यर्थियों के नाम सूची में डाल दिये गये । याचिका का प्रतिवाद किया जा रहा है ।

बरेली जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत कार्यों पर व्यय

52---श्री जयदीप सिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1980 से लेकर 1 अक्तूबर, 1981 तक बरेली जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये गये हैं और उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी---

1--मिट्टी का कार्य 0.850 कि0 मी0
2--पुलियों का कार्य 6.00 कि0 मी0
3--सोलिंग का कार्य 4.500 कि0 मी0 ।
उक्त कार्यों पर लगभग 3.53 लाख रुपये व्यय हुआ ।

जनपद जौनपुर के इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य का रिक्त पद तथा चयन

53---श्री प्रभूनारायण सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने इण्टर कालेजों में गत दो वर्षों से अधिक समय से प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं । और नियमित प्रधानाचाय न नियुक्त होने के कारण कार्यवाहक प्रधानाचार्य ही स्थायी रूप से कार्यरत हैं ? क्या इन विद्यालयों में शीघ्र प्रधानाचार्य का चयन किया जायेगा ? क्या शासन प्रधानाचार्य पद की योग्यता रखने वाले उन शिक्षकों को जो पांच वर्षों से निरन्तर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं, नियमित नियुक्त मानकर स्थायी करेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती शकुन्तला शर्मा, अध्यापिका जानकी बाई कन्या इण्टर कालेज, मथुरा के बकाया वेतन का भुगतान

54-- श्री पूरन चन्द्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती शकुन्तला शर्मा, अध्यापिका, जानकी बाई कन्या इण्टर कालेज, मथुरा का गत 6 वर्षों का वेतन भुगतान संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), इलाहाबाद के आदेशों के बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सच है कि श्रीमती शर्मा का वेतन निर्धारण भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, विज्ञान अध्यापक, श्री सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज, हापुड़ द्वारा एल0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों की वरीयता सूची के विरुद्ध अपील तथा प्रत्यावेदन

55--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, विज्ञान अध्यापक, श्री सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज, हापुड़ ने विद्यालय में एल0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों की वरीयता सूची के विरुद्ध अपनी अपील तथा प्रत्यावेदन दिनांक 18-5-78, 20-5-78, 13-6-78, 20-9-79, 5-7-80, 3-9-80 तथा 21-7-81 विद्यालय के प्रबन्धक, जिला विद्यालय के प्रबन्धक, जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद तथा अन्य अधिकारियों को प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय से इस प्रकरण पर निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शिवराम लाल श्रीवास्तव, ग्राम रानीपुर बहेरा, जनपद फतेहपुर का अपने भाई की हत्या की जांच के सम्बन्ध में पत्र

56---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-11-81 को शिवराम लाल श्रीवास्तव, ग्राम रानीपुर बहेरा, थाना किशुनपुर, जनपद फतेहपुर ने अपने भाई की हत्या की जांच के संबंध में गृह सचिव, को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्रश्न में उल्लिखित आशय के प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी खागा, जनपद फतेहपुर द्वारा करायी गयी । जांच से पुलिस के विरुद्ध प्रश्नगत मामले में रिपोर्ट न लिखने व कोई कार्यवाही न करने के आरोप प्रमाणित नहीं हुये । प्रार्थी के भाई की कथित हत्या के संबंध में विवेचना अभी प्रचलित है ।

परगना अधिकारियों को क्षेत्रीय विधायकों के साथ माह में एक बार भ्रमण करने का निर्देश

57--श्री हरीशंकर--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश संख्या 10-3-57(15)/80-462-80 राजस्व, दिनांक 2-4-81 द्वारा समस्त परगना मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया था कि वह माह में एक बार क्षेत्रीय एम0एल0ए0 के साथ भ्रमण करें और भू-आवंटियों को कब्जा दिलायें ? यदि हां, तो परगना अधिकारी, बिलग्राम, जिला हरदोई ने उक्त आदेश के परिपालन में 1981 में क्षेत्रीय विधायकों के साथ कितने बार भ्रमण किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी हां। परगनाधिकारी, बिलग्राम, जिला हरदोई ने जून, 1981 में क्षेत्रीय विधायकों के साथ भ्रमण करने के लिये उन्हें पत्र लिखा था परन्तु विधायकों ने उनके साथ भ्रमण पर जाने में असमर्थता व्यक्त की 1 जुलाई 1981 से परगनाधिकारी, बिल ग्राम ने पुनः क्षेत्रीय विधायकों को पत्र लिखा परन्तु संबंधित विधायकों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अगस्त, 1981 से दिसम्बर, 81 तक परगनाधिकारी, बिलग्राम ने क्षेत्रीय विधायकों के साथ भ्रमण नहीं किया। परगना अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय विधायकों के साथ भ्रमण न किये जाने के विषय में छानबीन की जा रही है।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित सीमेन्ट जाली उद्योग की इकाइयों को पंजीकृत हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ऋण

58--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित सीमेंट जाली उद्योग के तीन इकाइयों में पंजीकृत हेतु जिन्हें जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ऋण वर्ष 1979-80 व वर्ष 1980-81 में दिये गये थे, कागजात भेजे गये थे ? यदि हां, तो इन इकाइयों का स्थायी पंजीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां---

गोरखपुर जनपद में निम्नलिखित दो इकाइयों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि का विभागीय ऋण स्वीकृत किया गया :--

इकाई का नाम	धनराशि	दिनांक
1--मे0 नागलिया सीमेन्ट जाली उद्योग, मुडेरा बाजार, गोरखपुर।	रु0 17,000	31-3-80
2--मे0 अंगद सिंह सीमेन्ट जाली इण्डस्ट्री, खजनी, गोरखपुर।	रु0 12,000	31-3-80

मे0 लाट सीमेंट जाली एवं पाइप उद्योग चौरी-चौरा, गोरखपुर को कोई विभागीय ऋण नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त इकाइयों ने स्थायी पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र क्रमशः 28-3-81, 7-2-81 तथा 30-3-81 को दिये थे। इन इकाइयों का स्थायी पंजीकरण नहीं किया गया क्योंकि इन इकायों ने अपने को स्थापित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की थी।

भूतपूर्व सैनिकों को सब्सीडी ग्रान्ट हेतु कमेटी की बैठक

59—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 25 हजार से ऊपर ऋण पर सब्सीडी ग्रान्ट हेतु कमेटी की बैठक कब की गयी थी ? कितने भूतपूर्व सैनिक इससे लाभान्वित हुए ? दूसरी बैठक कब होगी और कितने केस विचाराधीन हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

इस हेतु उप समिति की तीन बैठकें दिनांक 22-10-1979, 7-2-1980, तथा 30-1-1981 को हुई थीं जिसमें 20 भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने 25,000 रु0 से ऊपर ऋण लिया था ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया था। उपरोक्त 20 भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज अनुदान दिया जा रहा है जो 3 वर्ष तक देय होगा। उप समिति की आगामी बैठक शीघ्र बुलाई जा रही है। वर्तमान में ऐसे 21 केस विचाराधीन हैं।

नगर क्षेत्र, जौनपुर में बालक / बालिकाओं के जू0 हा0 स्कूलों में अध्यापक / अध्यापिकाएं एवं उनमें अनुसूचित जाति का कोटा

60—श्री राम समुझावन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र जौनपुर में दो बालक/ बालिकाओं के जू0 हा0 स्कूल में कितने अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत हैं तथा उनमें कितने अध्यापक, अध्यापिकायें अनुसूचित जाति के हैं और कितने प्रधानाध्यापक अनुसूचित जाति के हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

नगर क्षेत्र जौनपुर में बालकों के 5 तथा बालिकाओं के 4 जूनियर हाई स्कूल संचालित है। इनमें कुल 52 अध्यापक/अध्यापिकायें (34 अध्यापक और 18 अध्यापिकायें) कार्यरत है जिसमें से 4 सहायक अध्यापक अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के प्रधानाध्यापक कोई नहीं है। प्रधान अध्यापक के पद के लिये पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता न रखने के कारण।

सचिवालय के भाषा विभाग में हिन्दी तथा उर्दू अनुवादकों के सेलेक्शन ग्रेड के सृजित पद

61—श्री भागीरथ—

क्या सरकार बतायेगी कि सचिवालय के भाषा विभाग में हिन्दी तथा उर्दू अनुवादकों के सेलेक्शन ग्रेड के कितने-कितने पद कब से सृजित हैं और उन पदों पर इस समय किन-किन कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सचिवालय के भाषा विभाग में हिन्दी तथा उर्दू अनुवादकों की कुल संख्या के आधार पर तीन पदों के लिये दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 से सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत हैं। इन पदों पर इस समय सर्वश्री रेबाधर पन्त, श्रीकान्त पाण्डे तथा सत्यानन्द शर्मा को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है।

राहुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय, चकपानपुर, जनपद आजमगढ़ को हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करने हेतु कार्यवाही

62---श्री दूधनाथ राजभर---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राहुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय, चकपानपुर, जनपद आजमगढ़ को हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करने हेतु शासन को अनेक बार लिखा जा चुका है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

हां, मामला विचाराधीन है।

शहजातपुर, सैदापुर, जलालपुर की सड़क का निर्माण

63---श्री शेर बहादुर---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि शहजातपुर--सैदापुर--जलालपुर की सड़क को कब बनकर तैयार हो जाना था ? वह अब तक क्यों नहीं बन कर तैयार हुई ?

श्री अम्मार रिजवी---

प्रश्नगत मार्ग को पूर्ण करने की सम्भावित तिथि वर्ष 1976 थी। भूमि की उपलब्धता के संबंध में विवाद, धन व सामग्री के आवश्यकतानुसार न उपलब्ध होने के कारण उक्त मार्ग अभी तक पूरा नहीं किया जा सका।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के कार्यालय में अवैध नियुक्ति सम्बन्धी शिकायतों की जांच

64---श्री रियासत हुसैन---

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के कार्यालय में अवैध नियुक्ति सम्बन्धी शिकायतों की जांच उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा सन् 1980 में करायी गयी ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संस्तुत हाई स्कूल / इण्टर की नवीन एवं अतिरिक्त वर्ग विषय की मान्यता

65---श्री प्रभूनारायण सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल एवं इण्टर की मान्यता के कितने प्रकरण गत एक वर्ष से अधिक समय से शासन के विचाराधीन हैं ? क्या यह भी सत्य है कि मान्यता के ऐसे सभी प्रकरण माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संस्तुत हैं ? क्या शिक्षा क प्रसार हेतु शासन विचाराधीन इन विद्यालयों को शीघ्र मान्यता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संस्तुत हाईस्कूल/इण्टर की नवीन एव अतिरिक्त वर्ग विषय की मान्यता के 445 प्रकरण एक वर्ष स अधिक समय से शासन के विचाराधीन हैं। आगामी

वित्तीय वर्ष के बजट प्राविधान को देखते हुये उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जावेगी।

जनपद शाहजहांपुर में लखनऊ–बरेली मार्ग पर शाहजहांपुर बाई-पास का निर्माण

66––श्री सिकन्दर अली खां––

क्या सरकार यह बताने की कष्ट करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में लखनऊ–बरेली मार्ग पर शाहजहांपुर वाई पास का निर्माण विचाराधीन है, यदि हां, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां। प्रश्नगत बाईपास के निर्माण के लिये अभी भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद शाहजहांपुर में झुकना तथा गोमती नदी के पुलों पर पथकर वसूली की नीलामी

67––श्री सिकन्दर अली खां––

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में झुकना तथा गोमती नदी के पुलों पर पथकर वसूली की नीलामी 2–7–80 को हुई थी ? यदि हां, तो उसे अब तक अन्तिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां। नीलामी को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारणों की जांच की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में शाहजहांपुर–जलालाबाद मार्ग पर पुल के निर्माण में विलम्ब

68––श्री सिकन्दर अली खां––

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में शाहजहांपुर–जलालाबाद मार्ग पर गिरई नदी पर बनने वाले पुल में निर्माण कार्य के विलम्ब के कौन से कारण हैं ? यदि नहीं, तो कार्य की स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी––

कार्य में विलम्ब नहीं है। सब कुओं की प्लगिंग कर दी गई है तथा दो पियर पूरी ऊंचाई तक उठा दिये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षकों का आन्दोलन एवं मांगें

69––श्री हरिवंश सहाय––

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों का आन्दोलन दिसम्बर, 1981 में किन मांगों को लेकर हो रहा था तथा उसमें कितनी मांगें स्वीकृत की गयीं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

संलग्न सूची नें उल्लिखित मांगों को लेकर आन्दोलन हो रहा था जिन पर विचार हो रहा है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 292 पर।)

प्राथमिक अध्यापकों का ललितपुर से झांसी स्थानान्तरण

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

70--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, अगस्त 81 को 35 प्राथमिक अध्यापकों को ललितपुर से झांसी को स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण क्यों रोक दिये गये ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जनपद के शहजातपुर, सैदापुर, जलालपुर की सड़क का निर्माण

71--श्री शेरबहादुर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के शहजातपुर, सैदापुर, जलालपुर की सड़क अभी तक बनकर पूरी नहीं हुई, जबकि उसे सन् 1976 में पूरी हो जाना चाहिये था ? सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर इस लापरवाही के लिये कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं । कोई लापरवाही विदित नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ के प्राइमरी पाठशालाओं में बालाहार योजना का क्रियान्वयन

72--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के प्राइमरी पाठशालाओं चक्रमानपुर, किशुनपुर, बरौरा बुजुर्ग धरवारा, में बालाहार योजना लागू की गयी थी, उसे किन कारणों से बन्द कर दिया गया ? क्या इसकी उपयोगिता को देखते हुए मन्त्री जी तुरन्त उक्त योजना को लागू करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

बालाहार योजना प्राइमरी पाठशाला चक्रमानपुर, किशुनपुर तथा धरवारा में पहले लागू थी । परन्तु बरौरा बुजुर्ग पाठशालाओं में यह योजना लागू ही नहीं थी । योजना को जनपद के अन्य क्षेत्रों में लागू करने के कारण और लाभार्थी संख्या सीमित व निश्चित करने के फलस्वरूप उसे उक्त विद्यालयों में बन्द किया गया ।

वर्ष 1981-82 में स्वीकृत लाभार्थियों के चयनोपरान्त अब इन स्कूलों में योजना पुनः लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के राजकीय कन्या विद्यालयों में रिक्त पद

73--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के राजकीय कन्या विद्यालयों में पिछले सत्र से विभिन्न पद रिक्त हैं जिससे पठन-पाठन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी तत्काल तदर्थ नियुक्ति कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री श्रीराम खूट, मोहर्रिर, कोटा रेन्ज, रामनगर डिवीजन का शेर द्वारा मारा जाना तथा परिवार के आश्रितों को सहायता

74––श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम खूट, मोहर्रिर, कोटा रेंज, रामनगर डिवीजन को 19–1–81 को शेर द्वारा मारा गया है ? शासन द्वारा उक्त व्यक्ति के परिवार को क्या सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो शासन उक्त व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह––

यह सही है कि श्री श्रीराम खूट, मोहर्रिर को दिनांक 19–1–81 को शेर द्वारा मारा गया ।

नियमानुसार केवल उन्हीं मृतकों के परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्हें नरभक्षी घोषित किये जाने के बाद शेर द्वारा मारा गया हो । चूंकि यह शेर नरभक्षी घोषित नहीं किया था और इसे जिन्दा पकड़ लिया गया अत: इस मामले में आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की सेवाओं का विनियमितीकरण तथा आरक्षण कोटा

75––श्री राम स्वरूप वर्मा––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय/उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आज्ञा संख्या डिग्री सेवा/75 एल–3(1) 7/80–81, दिनांक 22 मई, 1980 विज्ञप्ति नियमितीकरण द्वारा राजकीय महाविद्यालय के कितने प्रवक्ताओं की सेवायें विनियमित की गयी है ? उनमें अनुसूचित जाति, जन-जाति/पिछड़े वर्ग के कितने प्रवक्ता हैं, क्या आरक्षण कोटा पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और क्या अवशेष देय पद अग्रेनीत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

कुल 360 प्रवक्ताओं की सेवायें विनियमित की गयी हैं । इनमें से 13 अनुसूचित जाति तथा 20 पिछड़े वर्ग के हैं । अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है । आरक्षित वर्गों के तदर्थ प्रवक्ताओं के वांछित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा किया जाना एवं आरक्षित पदों को अग्रेनीत किया जाना संभव नहीं हो सका क्योंकि उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-77 से पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त ऐसे सभी प्रवक्ता जो उक्त नियमावली के नियम 4 में निहित अपेक्षित शर्तें पूरी करते थे उन सभी को विनियमित किया जाना आवश्यक था ।

राजकीय स्नातकोत्तर कालेजों में स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के कुल पद तथा कार्यरत अनुसूचित जाति / जन-जाति व पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

76––श्री राम स्वरूप वर्मा––

क्या शिक्षा मन्त्री बतायगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय स्नातकोत्तर कालेज में स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के वर्तमान समय में कितने पद हैं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रवक्ता प्रोन्नत हुए हैं ? क्या आरक्षण कोटा पूरा किया गया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

वर्तमान समय में राजकीय स्नातकोत्तर कालेजों में स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के कुल 65 पद तथा प्राचार्य के 16 पद हैं ।

कोई नहीं ।

जी नहीं, यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि दिनांक 30–11–77 तक स्नातकोत्तर प्रोफेसर पद पर केवल लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था थी और राजाज्ञा दिनांक 30–11–77 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0 जी0 सी0) द्वारा संस्तुत वेतनमान लागू किये जाने के उपरान्त स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद तथा प्रवक्ताओं के पद एक ही वेतनमान रु0 700–1600 में हो गये । अतः प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

स्नातकोत्तर प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रवक्ता निर्धारित पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे ।

77—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में कितने प्राचार्य के पद हैं, कितने स्नातकोत्तर प्रोफेसरों एवं विभागाध्यक्ष के 'पद' कितने सीनियर प्रवक्ता के पद तथा कितने प्रवक्ता के पद हैं ? इन विभिन्न संवर्गों के पदों पर कितने अनुसूचित जाति के, कितने जन-जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? क्या विभिन्न संवर्गों में आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राचार्य के 40 पद स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के 65 पद, सीनियर प्रवक्ता के 50 पद तथा प्रवक्ता के 660 पद हैं ।

निम्न तालिका के अनुसार—

वर्ग	प्राचार्य	प्रोफेसर	सीनियर प्रवक्ता	प्रवक्ता	योग
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित जाति	1	..	..	35	36
जनजाति	..	..	..	2	2
पिछड़ा वर्ग	1	5	5	83	94

आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों के वांछित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा किया जाना संभव नहीं हो सका ।

मुन्नर प्रसाद इण्टर कालेज, बरगदवा, जनपद गोरखपुर के प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापकों द्वारा अवैध भुगतान

78—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्नर प्रसाद इण्टर कालेज, बरगदवा, जनपद गोरखपुर के प्रधानाचार्य तथा कतिपय अन्य अध्यापकों का अनियमित वेतन निर्धारण करके लगभग पचास हजार रुपये का अवैध भुगतान किया गया है और इसकी शिकायत संस्था के शिक्षकों द्वारा वर्ष 1980–81 में शासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को की गयी है? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच कराई गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद नैनीताल में शक्ति फार्म सितारगंज में बेगुला नदी पर पुल का निर्माण

79--श्री बिहारी लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद नैनीताल में शक्ति फार्म सितारगंज में बेगुला नदी पर पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ हो गया था ? यदि हां, तो अब तक निर्माण कार्य पूरा न किये जाने का क्या कारण है ? यह पुल कब तक निर्मित करा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । पुल का डिजाईन बनाया जा रहा है । उसके बाद पुल का निर्माण धन एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

छिबरामऊ--फर्रुखाबाद राज मार्ग पर काली नदी पर पुल का निर्माण तथा पथकर की वसूली

80--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ-फर्रुखाबाद राज मार्ग पर काली नदी पर पुल का निर्माण कब किया गया तथा इस पुल पर कुल कितना खर्च हुआ ? इस पुल से गुजरने वाले विभिन्न वाहनों से किस रेट पर किस तिथि से किस विभाग द्वारा टैक्स की वसूली की जा रही है तथा अब तक टैक्स के रूप में कितना धन वसूल हो गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

छिबरामऊ-फर्रुखाबाद राजमार्ग पर काली नदी पर पुल का निर्माण वर्ष 1972 में 10.06 लाख रुपये की लागत से किया गया था । दिनांक 15-11-72 से 2-1-76, 3-1-76 से 5-6-76 एवं 6-6-76 के बाद से पथकर क्रमश: शासकीय अधिसूचना दिनांक 2-12-1968, 3-12-1975 एवं 2-6-1976 में निर्धारित दरों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वसूल किया जा रहा है । 31 जनवरी, 1982 तक 10,86,483.06 रु0 पथकर वसूल हुआ है ।

81--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि पुल निर्माण की लागत से अधिक धन टैक्स के रूप में वसूल हो गया है ? यदि हां, तो अब टैक्स वसूली जारी रखने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

पुल की निर्माण लागत' उस पर ब्याज, पथकर की वसूली एवं पुल के रख-रखाव में हुआ व्यय अभी वसूल नहीं हुआ है, अत: पथकर लिया जा रहा है ।

हरिजन ब्रुश उद्योग उत्पादन सहकारी समिति, कानपुर में श्री बृजेन्द्र कुमार की सचिव के पद पर नियुक्ति तथा समिति द्वारा वेतन भुगतान

82--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या उद्योग मन्त्री हरिजन ब्रुश उद्योग उत्पादन सहकारी समिति, कानपुर के कर्ज सम्बन्धी प्रश्नकर्ता द्वारा 29 जनवरी, 81 के उन्हें दिये गये पत्र के सम्बन्ध में कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उप सहायक निबन्धक, श्री रमेश चन्द्र भार्गव के पत्रांक 1533-34 आई0सी0, दिनांक 4-5-75 द्वारा उप वर्णित सहकारी समिति के लिये 300 रुपये माहवार

वेतन पर श्री बृजेन्द्र कुमार को सचिव, नियुक्त किया गया और उप निबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियों ने अपने पत्र सं0 7420/आई0सी0एम0ए0/73-74 दिनांकित 14 फरवरी, 75 द्वारा इसी सहकारी समिति को सचिव के वेतन भुगतान हेतु 3,600 रुपया वर्ष 1974-75 के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो स्वीकृत किया गया उक्त अनुदान समिति को क्यों नहीं दिया गया और जब सचिव का वेतन समिति ने भुगतान समिति से किया ?

श्री नियाज हसन खां--

उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 क नियम 125 के अनुसार प्रत्येक समिति को निबन्धक से निर्धारित प्रणाली के अनुसार सचिव की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । इसके अनुसार श्री रमेश चन्द्र भार्गव उप निबन्धक ने अपने पत्रांक 1533-34 दिनांक 5-5-1975 द्वारा अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया था कि समिति श्री बृजेन्द्र कुमार को सहकारिता में प्रशिक्षण दिलायेगी । सचिव का सहकारिता में प्रशिक्षित होना आवश्यक है । यह सही है कि पत्र संख्या--7420 दिनांक 14-2-1975 द्वारा मु0 3600 रु0 अनुदान स्वीकृत की सूचना दी गई थी । उक्त स्वीकृत अनुदान वित्तीय अनियमितता के कारण निरस्त करके राजकोय कोष में जमा कर दिया गया जिसकी सूचना सभापति, समिति को दे दी गई थी । वर्ष 1975-76 में शासन द्वारा इस प्रकार के अनुदान की कोई स्वीकृति नहीं प्रदान की गई थी । जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर की रिपोर्ट दिनांक 6-5-76 के अनुसार समिति कार्यरत नहीं थी और किसी प्रकार की आर्थिक सहायता हेतु कोई संस्तुति भी नहीं की थी । अगले बजट से अनुदान के भुगतान का कोई प्रश्न नहीं उठता था । अधिनियम 31 व नियम 125 के अनुसार समिति को सचिव रखना अनिवार्य था और समिति को वेतन का भुगतान करना चाहिये था । यदि वर्ष 1975-76 में शासन से स्वीकृति प्राप्त होती तो नियमानुसार अनुदान देने पर विचार किया जाता ।

बुनकर औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, खैराबाद, जिला सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

83--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या उद्योग मन्त्री यह बतायेंगे कि दिनांक 21 सितम्बर, 81 या उसके आसपास प्रश्नकर्ता का कोई पत्र इस सम्बन्ध का मिला जिसमें बुनकर औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, खैराबाद, जिला सीतापुर में व्याप्तभ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उसमें भ्रष्टाचार की क्या मुख्य शिकायतें थीं तथा उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयीं?

श्री नियाज हसन खां--

ऐसा कोई पत्र उद्योग विभाग में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

हरिजन ब्रुश उद्योग उत्पादन सहकारी समिति लि0, कानपुर के अध्यक्ष श्री रामनाथ के आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही

84--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन ब्रुश उद्योग उत्पादन सहकारी समिति लि0, कानपुर का आर0बी0आई0 कर्ज माफ करने सम्बन्धी उक्त समिति के अध्यक्ष, श्री रामनाथ का आवेदन-पत्र संलग्न कर प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 29 जनवरी, 81 को उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नियाज हसन खां--

श्री रामनाथ के आवेदन-पत्र पर आवश्यक जांच के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त समिति को वर्ष 1974-75 में जिला सहकारी बैंक लि0, कानपुर से रु0 5000 कैश क्रेडिट स्वीकृत किया गया था । श्री रामनाथ, सभापति जो नगर महापालिका, कानपुर के स्कूल में अध्यापक हैं, ने उक्त ऋण धनराशि को नियमानुसार बैंक को वापस नहीं किया । दिनांक 31-3-81 को मूलधन रु0 7211.76 एवं ब्याज रु0 146.80 कुल रु0 7358.56 की धनराशि समिति के ऊपर बकाया है । समिति का बैंक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर उसके पंजीकृत पते पर समिति का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया और न कोई अभिलेख ही देखने को उपलब्ध थे, जिसके कारण बैंक द्वारा श्री रामनाथ के विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा 409 के अन्तर्गत (अभियोग संख्या 62/79) एफ0 आई0 आर0 दर्ज किया गया है। मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता, कानपुर द्वारा किया जा रहा है । श्री रामनाथ ने अब सम्पूर्ण धनराशि बैंक में जमा कर दिया है ।

आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को भवन निर्माणार्थ दी गई धनराशि

85--श्रीमती धनेश्वरी देवी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में कितने ऐसे आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को भवन निर्माण के लोन (कर्ज) दिया गया था जिनके पास भूमि जमीन नहीं थी ? क्या मन्त्री अलग-अलग नाम की स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस हिरासत में कैदियों को भोजन हेतु दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का विचार

86--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि वर्तमान समय में पुलिस हिरासत में कैदियों को दोनों वक्त भोजन के लिये केवल 70 पैसे ही दिया जाता है ? क्या शासन का उपरोक्त धनराशि में बढ़ोत्तरी करने का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । वर्तमान समय में पुलिस हिरासत में कैदियों को मैदानी क्षेत्र में रु0 1.25 प्रतिदिन प्रति बन्दी तथा पर्वतीय क्षेत्र में रु0 1.50 प्रतिदिन प्रति बन्दी को दिया जाता है । उक्त दरों को बढ़ाकर मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र के लिये क्रमशः रु0 2.50 व रु0 3.00 प्रतिदिन प्रति बन्दी करने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

अलीगंज स्थित एम0 आई0 जी0 कालोनी में सरकारी अधिकारियों को आवंटित मकानों में विषमतायें

87--श्री श्यामलाल वाजपेयी--

क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ में अलीगंज स्थित एम0आई0 जी0 कालोनी में सरकारी अधिकारियों को आवंटित कुछ मकानों में तो ट्यूब लाईट, दर्पण, टावेल राड, बाउन्डरी वाल, मेनहोल कवर आदि दिये गये हैं और शेष में नहीं? इस विषमता का क्या कारण है ? इसे कब तक दूर किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

लखनऊ स्थित एम0आई0जी0 कालोनी, अलीगंज के सभी आवासों में ट्यूब लाईट दर्पण, टावेल राड, मेनहोल कवर लगाये जा चुके हैं। इस कालोनी में बाउन्डरी वाल की सुविधा नहीं है।

(2) यह आवास लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय किये गये हैं कुछ आवासों में वायर फैंसिंग की सुविधा नहीं थी। कुछ भवन अब भी निर्माणाधीन हैं।

(3) निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर विषमतायें स्वत: दूर हो जायेंगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डे, संख्या सहायक, अर्थ एवं संख्या विभाग के अवशेष देय का भुगतान

88--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डे, संख्या सहायक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जिन्हें 24 अक्तूबर, 1977 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था, के अवशेष देय धन के भुगतान हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा 17 अक्तूबर, 1980, 3 मार्च, 1981 को लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? भुगतान में विलम्ब के कारण क्या हैं और भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री पाण्डे के अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्न में संदर्भित दोनों पत्र शासन को प्राप्त हुए थे। माननीय विधायक को मार्च 12, 1981 के पत्र द्वारा तत्कालीन स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

2--जी0पी0एफ0 तथा राज्य जीवन बीमा में श्री पाण्डे द्वारा दिये गये अंशदान के लुप्त प्रत्ययों के सम्बन्ध में श्री पाण्डे द्वारा आवश्यक विवरण महालेखाकार, उ0 प्र0 को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

3--महालेखाकार द्वारा भुगतान का प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने के उपरान्त ही भुगतान सम्भव होगा।

छठी पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड के विकास के लिए आवंटित धनराशि

89--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिये बजट का 8 प्रतिशत धन देना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो छठीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड के विकास के लिये कितना धन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

विकेन्द्रित नियोजन की नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी वर्ष (1982-83) से वार्षिक योजना के कुल परिव्यय में से केवल जिला सेक्टर परिव्यय के लिये आरक्षित धन-राशि का 7.09 प्रतिशत भाग बुन्देलखण्ड के विकास के लिये आवंटित किया जायगा। छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में यद्यपि हर जिले का अलग से आवंटन नहीं है फिर भी विकेन्द्रित नियोजन व्यवस्था के अन्तर्गत छठीं पंचवर्षीय योजना के अवधिकाल निर्दिष्ट मानकों के अनुसार बुन्देलखण्ड को धनराशि आवंटित होगी।

90--श्री मोतीलाल देहलवी--

[9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित।]

91--श्री मोतीलाल देहलवी--

[2-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 192 द्वारा उत्तरित ।]

भूतपूर्व परगनाधिकारी, बिल्हौर द्वारा तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर देहात की जीप गाड़ी की मरम्मत पर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के खर्च की गई विभिन्न मदों की धनराशि

92--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर, कानपुर की जीप गाड़ी पर परगनाधिकारी, बिल्हौर, जनपद कानपुर ने अगस्त, 1980 से मार्च, 81 तक बाढ़ फण्ड का व मेला कमेटी, मकनपुर का तथा कलेक्ट्रेट फण्ड का धन बिना किसी पूर्व स्वीकृति के ही खर्च किया ? यदि हां, तो उपरोक्त तीनों फण्ड से कित ा-कितना धन किसके माध्यम से किस-किस मद में खर्च किया गया और खर्च की पूर्व स्वीकृति न लेने के विरुद्ध संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह सही है कि भूतपूर्व परगनाधिकारी, बिल्हौर ने तहसील बिल्हौर,जिला कानपुर देहात की जीप गाड़ी की मरम्मत पर विभिन्न मदों जैसे विशेष सहायता मद, मेला कमेटी, मकनपुर तथा कलेक्ट्रेट के फण्ड से अगस्त,1980 से मार्च, 1981 के बीच जीप गाड़ी के सम्बन्ध में विभिन्न धनराशियां कई मदों पर व्यय की । किस फण्ड से जीप की किस मद विशेष पर कितनी धनराशि बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के व्यय की, इस पर निर्णय लेने के लिये पूरे ही मामले का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सहायक संख्याविद् के रिक्त पद

93--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या नियोजन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ में 1-11-81 को सहायक संख्याविद के कुल कितने पद हैं ? इनमें कितने पद अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग हेतु सुरक्षित हैं ? क्या इसमें आरक्षण का कोटा नियमानुसार पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण को कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में दिनांक 1-11-81 को सहायक संख्याविद् के कुल सात पद थे । इनमें से एक पद अनुसूचित जाति और एक पद पिछड़े वर्ग के लिये सुरक्षित है । अनुसूचित जाति का कोटा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं है किन्तु पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा है। अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध तथा चयन होने पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा हो जायेगा ।

डा0 महावीर सिंह वर्मा की लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में शैक्षिक पद पर प्रतिनियुक्ति

94--श्री मसरूर जाफरी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के एक अधिकारी डा0 एम0 एस0 वर्मा (संयुक्त निदेशक) की लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में शैक्षिक पद पर प्रतिनियुक्ति, उ0 प्र0 विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1974 की धारा 31

(12) के प्राविधानों के विरुद्ध की गयी थी तथा इस सम्बन्ध में शिकायतों के प्राप्त होने पर क्या यह अवैधानिक प्रतिनियुक्ति शासन द्वारा 31-1-81 से समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि शासकीय आदेशों का उल्लघन करते हुए उक्त अधिकारी अभी तक विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि शासकीय आदेशों की अवज्ञा के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के नवीन प्रभागों के स्थायी संयुक्त निदेशक, डा0 महावीर सिंह वर्मा की लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 31(1) के प्राविधानों के अनुसार की गई थी न कि धारा 31(12) के अधीन। अतः धारा 31(12) के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है। डा0 वर्मा को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर उन्हें दिनांक 31-1-81 से प्रत्यावर्तित करने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे। परन्तु विश्वविद्यालय ने डा0 वर्मा को कार्यमुक्त नहीं किया, अपितु विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने डा0 वर्मा का एक प्रार्थना-पत्र, जिसमें उन्होंने शासकीय सेवा से त्याग-पत्र देकर विश्वविद्यालय में संविलय होने हेतु अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की, शासन के विचारार्थ अग्रसारित करते हुए शासन से यह अनुरोध किया कि एक्जक्यूटिव काउन्सिल का निर्णय होने तक शासन डा0 वर्मा को विश्वविद्यालय में बने रहने दें। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी यह मामला एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के विचाराधीन है। उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारी किसी अवज्ञा का दोषी नहीं है। अतः उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है।

प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़े जनपद

95--श्री हरिवंश सहाय--

क्या नियोजन मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन सर्वाधिक पिछड़े जनपद हैं तथा पिछड़े होने का आधार क्या है ? और देवरिया जनपद को सर्वाधिक पिछड़ा न घोषित करने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपदों का कोई अभिज्ञान नहीं किया गया है जिसके कारण देवरिया जनपद को सर्वाधिक पिछड़ा जनपद घोषित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

रौनापार लाटघाट मार्ग का निर्माण तथा बदरहुवा नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति

96--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रौनापार लाटघाट मार्ग का निर्माण हो चुका है और केवल कल्याणपुर के पास बदरहुवा नाले में पुल का निर्माण न होने से उक्त मार्ग अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का शीघ्र निर्माण कराने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मार्ग का निर्माण प्रगति पर है। पुल की स्वीकृति 6.00 लाख रु0 की लागत पर दिनांक 24-4-1981 को प्रदान की जा चुकी है।

एस0 के0 पी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

97—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में 5-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ की समस्याएं तथा कृत कार्यवाही

98—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों ने 25 जुलाई, 1981 से शिक्षा निदेशक के लखनऊ स्थित कार्यालय पर धरना दिया था तथा इससे संबंधित शिक्षा निदेशक को सम्बोधित श्रीराम जन्म सिंह, जिला मन्त्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ का पत्र दिनांक 1-5-81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में कौन सी प्रमुख समस्यायें हैं और उनके समाधान के सम्बन्ध में 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राधेश्याम सिंह, सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका के गायब पृष्ठों की प्रविष्टियां पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश

99—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राधेश्याम सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, मोहम्मदाबाद गोहना (आजमगढ़) की सेवा पंजिका के पृष्ठ गायब किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-2-81 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

श्री राधेश्याम सिंह, सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका के गायब पृष्ठों की प्रविष्टियां पूर्ण कराये जाने हेतु शिक्षा निदशक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

गांधी स्मारक उ0 मा0 विद्यालय कोड़िया, आजमगढ़ की अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

100— श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक उ0 मा0 विद्यालय कोड़िया, आजमगढ़ की अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-10-80 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गयी और उसके क्या परिणाम निकले ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रबन्धक, राष्ट्रीय इण्टर कालेज, तहवरपुर आजमगढ़ की सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षतिपूर्ति विषयक पत्र

101--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-10-80 के साथ प्रबन्धक, राष्ट्रीय इण्टर कालेज तहवरपुर, आजमगढ़ की सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षतिपूर्ति किये जाने से सम्बन्धित पत्र शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पत्र में मुख्य बिन्दुओं पर जांच तथा कृत कार्यवाही

102--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, एस0के0पी0 इक्टर कालेज आजमगढ़ का पत्र दिनांक 25-8-80 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-9-80 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में प्रमुख बिन्दु क्या है और उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई है ? तथा जांच का क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिल्प शिक्षकों को अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने विषयक पत्र

103--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत नियुक्त कृषि एवं शिल्प शिक्षकों को प्रसार अध्यापकों की भांति अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक की आख्या मांगी गयी है ।

गांधी स्मारक उच्चत्तर मा0 विद्यालय नन्दगंज, गाजीपुर के प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था की भूमि की अवैध तरीके से रजिस्ट्री

104--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक उच्चतर मा0 विद्यालय नन्दगंज, गाजीपुर के प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था की भूमि को अवैध तरीके से रजिस्ट्री किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-7-81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जो हां। जिन्हें शिकायत की भूमि रजिस्ट्री की गई है उन्हें भूमि पर कब्जा करने से रोक दिया गया है।

ग्राम राजपुर, जिला देवरिया की श्रीमती सुरसतिया के साथ बलात्कार की घटना की रिपोर्ट

105--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना खामपार, ग्राम राजपुर में दिनांक 2-9-81 को श्रीमती सुरसतिया हरिजन के साथ बलात्कार किया गया जिसकी लिखित रिपोर्ट दिनांक 4-9-81 को पुलिस अधीक्षक, देवरिया को किया गया ? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती सुरसतिया, पत्नी रज्जन हरिजन, निवासिनी ग्राम राजपुर, थाना खामपार, जिला देवरिया द्वारा उनके साथ बलात्कार करने के बारे में पुलिस अधीक्षक, देवरिया को 4-9-81 को दिये गये शिकायती पत्र की जांच कराने पर आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

सचिवालय में दैनिक वेतन भोगी एवं तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों का चयन

106 श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय में दैनिक वेतन भोगी एवं तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों का चयन रोक दिया गया था ? क्या यह सही है कि सचिवालय प्रशासन द्वारा अभी भी उक्त प्रकार की नियुक्तियां की जा रही है तथा नियुक्ति से पूर्व न तो किसी प्रकार का विज्ञापन ही किया गया न ही सेवा योजन कार्यालय से नाम मांगे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार की गई नियुक्तियों (वर्ष 1981) को निरस्त करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

चयन सम्बन्धी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। वर्ष 1981 में दैनिक वेतन पर 12 तथा तदर्थ रूप से 30 कर्मचारी नियुक्ति किये गये।

चूंकि यह नियुक्तियां नियमित हैं अतः इनको निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

107--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[19-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या-28 द्वारा उत्तरित]

पिछड़ा क्षेत्र बुन्देलखण्ड हेतु औद्योगिक विकास की योजनाएं

108--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने बुन्देलखण्ड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है ? यदि हां, तो बुन्देलखंड के विकास के लिये तैयार की गई विशेष योजना का ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां---

जी हां । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा तथा हमीरपुर प्रदेश के घोषित पिछड़े जिले हैं ।

बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास के लिये निम्नलिखित योजनायें लागू की जा रही हैं:—

1—बांदा जनपद के मर्वड बुजुर्ग ग्राम में 50,000 स्पिन्डिल क्षमता की एक सूती कताई मिल की स्थापना की जा रही है ।

2—बांदा जनपद के मानिकपुर क्षेत्र में बाक्साइट पर आधारित एक सिन्थेटिक समरी इकाई की स्थापना की जा रही है ।

3—बांदा जनपद के बरगढ़ क्षेत्र के पास सिलिका सैण्ड पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है ।

4—झांसी जनपद में स्थापित सूती कताई मिल का विस्तार (25,000 स्पिण्डिल से 50,000 स्पिण्डिल क्षमता) किया जा रहा है ।

5—झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्र में हथकरघा से टेरीकाट बनाने के उद्योग के विकास हेतु प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना के लिये आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है ।

6—ललितपुर में एक फास्फेट के कार्मशियल खनन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है इसके शुद्धिकरण प्लाण्ट की स्थापना हेतु भी कार्यवाही की जा रही है ।

7—जालौन एवं हमीरपुर जनपदों में क्रमशः पेपर प्लाण्ट तथा ग्रेनाइट स्टोन कटिंग उद्योग लगाने का प्रस्ताव है ।

बुन्देलखण्ड के बांदा जिले में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

109—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बुन्देलखण्ड के बांदा जिले में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रदेश में चार उर्वरक कारखाने स्थापित करने की जानकारी भारत सरकार द्वारा दी गई है । प्रदेश में ये कारखाने किन-किन स्थानों पर लगेंगे इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय भारत सरकार ही लेगी ।

प्रदेशीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् का गठन

110—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने प्रदेशीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के गठन करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना सितम्बर, 1981 में की गयी थी और अक्टूबर, 1981 में उसके निदेशक की नियुक्ति भी कर दी गयी ।

सम्प्रति शिक्षा विभाग की निम्नलिखित 10 इकाइयां उक्त परिषद् के अधीन रखी गयी हैं:—

1—आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ।
2—राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी ।
3—राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ।
4—सेन्ट्रल पैडागाजिकल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद ।
5—राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ।
6—राज्य मनोविज्ञान संस्थान, इलाहाबाद ।
7—एजूकेशनल टेक्नोलाजी सेल, लखनऊ ।
8—शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद
9—राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद की अनौपचारिक शिक्षा इकाई ।
10—पाठ्य पुस्तक अधिकारी का कार्यालय, लखनऊ अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली तथा कुछ विशिष्ट इकाइयों के गठन तथा व्यवस्था आदि का अध्ययन करके प्रदेशीय परिषद् के गठन से सम्बन्धित विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

111—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम के जिला कांग्रेस के महामंत्री द्वारा सड़कों के निर्माण, पुल आदि के सम्बन्ध में दिया गया ज्ञापन

112—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम के जिला कांग्रेस (जे0) के महामन्त्री तनवीरुलहसन जैदी द्वारा कोई ज्ञापन (सड़कों के निर्माण, पुल निर्माण आदि) दिनांक 13-10-81 को मा0 राज्य श्रम मंत्री (श्री राम नरायन पाठक) को मल्लावां, जनपद हरदोई के आगमन पर दिया था यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना खजरेडू, जनपद फतेहपुर में श्री मंगरू की लाश तथा अपराध का पंजीकरण न करने के सम्बन्ध में जांच

113—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला फतेहपुर, थाना खखरेडू के ग्राम जहांगीराबाद नगर निवासी गंगरू उम्र लगभग 20 वर्ष को दिनांक 10-1-81 की शाम की उसी गांव का निवासी रमजान शाह ने अपने घर बुलाकर जान से मार डाला? क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट भी थाना खखरेड़ू में नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराकर पूरे तथ्यों से सदन की अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-1-81 को प्रात: थाना खखरेडू, जनपद फतेहपुर में मृतक के पिता द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि मंगरू, जो पिछले कुछ दिनों से गायब था, की लाश दिनांक 5-1-71 को गांव गढ़रा के कुयें में तैरती पायी गयी । यह सूचना उक्त थाने

की जी0डी0 में अंकित की गयीं। पंचायतनामे से मृतक के शरीर पर कोई स्पष्ट जाहिरा चोट नहीं मिली. अतः लाश पोस्टमार्टम के लिये भेजी गयी। अपराध क पंजीकरण न करने आदि के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

114–115–– श्री ऊदल––

[19–1–82 के अतारांकित प्रश्न–40–41–42 द्वारा उत्तरित।]

116–117–––श्री ऊदल––

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

श्री मेंहदी हसन, थाना बेला, जिला इटावा के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही तथा सादे कागज पर हस्ताक्षर निशानी अंगूठा कराने के संबंध में जांच

118––श्री ऊदल– –

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेंहदी हसन, पुत्र भिखारी खां, याकूबपुर, थाना बेला, जिला इटावा ने एक प्रार्थना-पत्र श्रीमान् गृह मन्त्री, आई0 जी0 उत्तर प्रदेश, डी0आई0जी0, कानपुर को 19–11–81 को रजिस्टर्ड भेजा है कि चौकी याकूबपुर एवं थाना बेला के इंचार्ज एवं स0 ई0 तथा सिपाही उसे 31 अक्टूबर, 1981 को पकड़ कर ले गये और तीन दिन थाना बेला की हवालात में बन्द किया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

प्रश्न में उल्लिखित आशय का पत्र दिनांक 18–11–81 प्राप्त हुआ था।

119––श्री ऊदल– –

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि प्रार्थना-पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि 90 रु0 31 अक्तूबर, 1981 को खाना तलाशी में ले लिया तथा सादे कागज पर हस्ताक्षर निशान अंगूठा करा लिया है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच किसके द्वारा की गयी और क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां। इस आरोप की जांच हेतु क्षेत्राधिकारी विधूना को आदेश दिये जा चुके हैं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

120––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री ओम प्रकाश पाण्डेय सचिव, कर्मचारी भविष्य निधि संघर्ष समिति, सीतापुर की ओर से क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र 1–10–81 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित––

श्री पाण्डेय का 30–9–81 का शिकायती पत्र, दिनांक 3–10–81 को शासन को प्राप्त हुआ मुख्य शिकायतें यह थीं कि कुछ श्रमिकों के खाते एक सेवायोजक से दूसरे सेवायोजक को स्थानान्तरित नहीं किये गये, कुछ मामलों में श्रमिकों को अन्तिम भुगतान समय से नहीं किया गया, तथा कुछ मामलों में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन व अन्य

भुगतान समय से नहीं किये गये । इस बात की भी शिकायत की गई कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में घूसखोरी व्याप्त है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का संगठन केन्द्रीय शासन के नियंत्रणाधीन है । अतः उक्त शिकायती पत्र मूल रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित कर दिया गया था । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने आवश्यक जांच करके श्री ओम प्रकाश पाण्डेय को विभिन्न मामलों की वास्तविक स्थिति से अपने दिनांक 3-12-81 व 4-12-81 के पत्रों द्वारा अवगत करा दिया है ।

टिकली कोयला की औद्योगिक ईकाइयों को कोयले के आवंटन का आधार

121--श्री बलबीर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकली कोयला की औद्योगिक इकाइयों को उनकी मशीनों की शक्ति के अनुसार कोटा न देकर उद्योग कार्यालय की इच्छानुसार दिया जाता है ? क्या एक आकार की इकाइयों को भिन्न-भिन्न मात्रा में कोटा दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

टिकली कोयला की औद्योगिक इकाइयों को कोयले का आवंटन ब्रीज कोक की उपलब्धि तथा मशीनों की क्षमता के आंकलन के अनुसार एक निश्चित फामूंले के आधार पर दिया जाता है । एक ही आकार की इकाइयों को भिन्न-भिन्न मात्रा में कोयला देने का कारण यह है कि कोयले के आवंटन के लिये निश्चित फार्मूला इकाई के आकार के अतिरिक्त स्थापना की तिथि तथा उपयोग में आने वाली अन्य साज-सामान पर आधारित है ।

श्री यशवन्त सिंह, ग्राम अंगथरी, जनपद झांसी के शिकायती-पत्र पर जांच

122--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि मार्च, अप्रैल, 1981 को झांसी पुलिस द्वारा श्री यशवंत सिंह, ग्राम अंगथरी, थाना समथर, झांसी के प्रार्थना-पत्र पर जांच की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री यशवंत सिंह, ग्राम अंगथरी, थाना समथर, जनपद झांसी की शिकायतों पर क्षेत्राधिकारी मोंठ की जांच रिपोर्ट दिनांक 19-7-81 से पुलिस पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । चीनी की बरामदगी से सम्बन्धित अभियोग धारा 3/7 ई0सी0 ऐक्ट में विवेचना उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

जिला देवरिया के ग्राम पिपरा उत्तरपट्टी, टोला छपिया के हरिजन बस्ती में उत्पीड़न के सम्बन्ध में कार्यवाही

123--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपा बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना खामपार, ग्राम पीपरा उत्तरपट्टी, टोला छपिया के हरिजनों को 21 मार्च, 81 को दो बार मारा गया तथा उनकी बस्ती दिनांक 13 जून, 1981 को जला दी गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार 21-3-81 को श्री सुन्दर हरिजन, निवासी ग्राम पिपरा उत्तर-पट्टी, टोला छपिया, थाना खामपार ने चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने वादी के लड़के तथा अन्य लोगों को मारा पीटा है। सूचना के आधार पर मुकदमा धारा 323/506/504 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किया गया। डाक्टरी परीक्षण से चोटें धारदार असलहे से आना पाया गया। अतः मुकदमें को धारा 324/323/506/504 भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित कर दिया गया। विवेचना के उपरान्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध 25-3-81 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

21-3-81 को हरिजनों को दोबारा मारने-पीटने की घटना सही नहीं है।

13 जून, 1981 को हरिजन बस्ती जलाने की घटना सही नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार 12 जून, 1981 को आकस्मिक आग लग जाने से कुछ हरिजनों एवं सवर्णों के मकान जल गये थे। जांच से यह आग आकस्मिक रूप से लगना पाई गई। अतः किसी विधिक कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है। हरिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है।

124--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना खामपार, ग्राम पिपरा, उत्तरपट्टी, टोला छपिया के हरिजनों के उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-81 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संलग्नक-पत्र में क्या शिकायतें हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्ता के तीन प्रार्थना-पत्र माह नवम्बर, में ग्राम पिपरा उत्तरपट्टी, थाना खामपार के हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे। इनमें से दो प्रार्थना-पत्र, दिनांक 21-11-81 जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलरूप में भेज दिये गये थे। तीसरे प्रार्थना-पत्र की तिथि ज्ञात नहीं हो सकी। पुलिस अधीक्षक, देवरिया को निर्देश कर दिया गया है कि इस तीसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में वह प्रश्नकर्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उसकी प्रति प्राप्त कर लें और तत्काल जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

जनपद गोरखपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण-कार्य

125--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में बरही से बोहाबार, नई बाजार से इटौवा होते गजपुर, महराजगंज चौक, नई बाजार से ब्रह्मपुर होते बोहाबार मार्ग पर ईंट सोलिंग हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितनी बार टेंडर किया गया है ? टेंडर करके अब तक कार्य न प्रारम्भ कराने के कौन-कौन से कारण हैं, कार्य कब प्रारम्भ करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ प्लान्ट आपरेटरों को आवास भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता दिलाने पर विचार

126--श्री मसरूर जाफरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है, कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता 29वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ प्लान्ट आपरेटरों को अन्य राज्य कर्म-

चारियों की भांति आवास गृह तथा नगर प्रतिकर भत्ता नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनको भी शीघ्र उक्त सुविधायें दिलाने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी- -

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ नियमित अधिष्ठान के प्लान्ट आपरेटरों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति आवास तथा नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है। कार्य प्रभारित तथा दैनिक वेतन पर कार्यरत प्लान्ट आपरेटरों को आवास तथा नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य नहीं है। कार्य प्रभारित एवं दैनिक कर्मचारियों को उक्त सुविधायें देना विचाराधीन नहीं है।

127–128––श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 67–68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल में प्रसार अध्यापकों को उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने का विचार

129––श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल में नियुक्त प्रसार अध्यापकों को सरकार उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह- -

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें तथा सीनियर बेसिक प्राइमरी पाठशालायें

130––श्री सिकन्दर अली खां––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में प्राइमरी पाठशालाओं और सीनियर बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के कितने ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अपने भवन नहीं हैं और वह किराये के भवनों में चल रहे हैं, उनमें पढ़ाई हेतु कमरों, शौचालयों एवं पीने के पानी की स्थिति क्या है ? इसके लिये बेसिक शिक्षा परिषद् क्या प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह- -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

केदार नगर भारीडीहा मार्ग, जनपद फैजाबाद का निर्माण

131––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की टाण्डा तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत केदारनगर, भारीडीहा मार्ग कब बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी––

भूमि उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

भोलाराम मसकरा इण्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

132—श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भोलाराम मसकरा इण्टर कालेज, सहजनवां गोरखपुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने 1 सितम्बर, 81 से 10 नवम्बर, 81 के बीच शिक्षा निदेशक को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नौनिहाल सिह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों के गोपनीय सहायकों का स्थानान्तरण

133- - श्री श्यामलाल बाजपेयी- -

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों के "सी0ए0" बाबुओं के पद स्थानान्तरणीय हैं ? यदि हां, तो पुलिस महानिरीक्षक के सी0ए0 श्री लक्ष्मी बाबू तथा डी0आई0जी0, कानपुर के सी0ए0 श्री विष्ट अपने-अपने वर्तमान पदों पर कितने दिन से कार्यरत हैं ? क्या शासन उपरोक्त लोगों को नियमों की परिधि में लाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी- -

पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों के सी0ए0 (गोपनीय सहायक) के पद स्थानान्तरणीय हैं । पुलिस महानिरीक्षक के गोपनीय सहायक श्री लक्ष्मी स्वरूप सक्सेना 1967 से उनके शिविर कार्यालय में तथा उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर के गोपनीय सहायक श्री एस0 डी0 विष्ट 1978 से नियुक्त हैं ।

पुलिस महानिरीक्षक के शिविर कार्यालय में ही एक अन्य समकक्षीय पद पर 1977 में श्री सक्सेना को स्थानान्तरण किया गया था । वर्तमान पदों पर इन दोनों की तैनाती की निर्धारित अवधि अभी पूरी नहीं हुई ।

स्व0 मुकुन्द सिंह रावत, सहायक अध्यापक को पेन्शन, ग्रेच्युटी, व सामूहिक भविष्य निधि का भुगतान

134—श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्व0 मुकुन्द सिंह रावत, सहायक अध्यापक, 30 जून, 1977 को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फाटा, जिला चमोली से सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो पेंशन, ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 एवं सामूहिक भविष्य निधि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, जी0पी0 एफ0 एवं सामूहिक भविष्य निधि का भुगतान कब तक हो जाने की संभावना है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह-

जी हां । स्व0 मुकुन्द सिंह रावत के आश्रितों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत की जा चुकी है । जी0पी0एफ0 तथा सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि को क्रमशः महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा जीवन बीमा निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान करना संभव होगा ।

"मधुकर कागज उद्योग", जिला अल्मोड़ा को कागज का आवंटन तथा व्यक्तियों को दिया गया रोजगार

135---श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताड़ीखेत, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में "मधुकर कागज उद्योग" नाम का कोई उद्योग चल रहा है ? उक्त उद्योग को वार्षिक किस दर पर किस किस्म का कितना कागज आवंटित होता है ? उक्त उद्योग में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

136---श्री हरिवंश सहाय---

[9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 178 द्वारा उत्तरित] ।

परगनाधिकारी, सलेमपुर द्वारा अनधिकृत कब्जे हटवाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

137---श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगें कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत सलेंमपुर, टाउन एरिया में दिनांक 10 मई, 1981 को परगनाधिकारी ने सफाई मजदूर पी0 एस0 सी0 के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहर राम व हरिजन नेता डा0 उदय प्रताप आजाद की दुकान सहित नौ दुकानों को तुड़वाकर लाठी चार्ज कराया और भू0 पू0 विधायक, श्री हरिकेवल प्रसाद सहित 9 लोगों को जेल भेज दिया गया ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और दुकानों को तोड़े जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील सलेमपुर की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था । जिन्होंने परगनाधिकारी, सलेमपुर द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद भी, अनधिकृत कब्जा नहीं हटाया । फलस्वरूप दिनांक 10--5--81 को थाना सलेमपुर की पुलिस की सहायता से परगनाधिकारी द्वारा अनधिकृत कब्जा हटवाया गया । जब अनधिकृत कब्जा हटवाया जा रहा था तो श्री हरिकेवल प्रसाद, भू0 पू0 विधायक तथा अन्य द्वारा विरोध करने तथा समझाने पर भी न मानने के फलस्वरूप शांति भंग होने की सम्भावना पर श्री हरिकेवल प्रसाद सहित 9 व्यक्तियों को धारा 151/107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । मामला विचाराधीन न्यायालय है ।

सहायक अभियन्ताओं की सीधे अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का आधार

138---श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच व्यक्तियों क्रमश: प्रभाकर जान राव एंगले, आकाश दीप सिंह, ओम प्रकाश सिंह, हरिशंकर सिंह और के0 जी0 श्रीव स्तव, सहायक अभियन्ताओं को सीधे अधिशासी अभियन्ता बना दिया गया ? क्या यह सही है कि प्रमोशन के लिये स्वच्छ आचरण, योग्यता के साथ-साथ 1 वर्षों तक सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करने का अनुभव एवं सिनियारिटी होनी चाहिये ? यदि हां, तो इसमें से किसी का कार्यकाल पूर्ण नहीं है, ऐसा क्यों? यया यह भी सही है कि के0 जी0 श्रीवास्तव की चरित्र-पंजिका में 74-75 में ही सत्यनिष्ठा ही संदिग्ध लिखा गया है ? तब कैसे प्रमोशन दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

अधिशासी अभियन्ता के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं की जाती। यह पद सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति से भरा जाता है। प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:--

(1) श्री प्रभाकर जानराव एंगले अनुसूचित जाति के हैं। इन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण के कोटे के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के पद पर, सहायक अभियन्ता के पद पर 7 वर्ष की निर्धारित अर्हकारी सेवा पूरी करने के उपरान्त, तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया है।

(2) श्री के0 जी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता को 7 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया है।

(3) सर्व श्री आकाश दीप सिंह, ओम प्रकाश सिंह तथा हरीशंकर सिंह नाम के किसी भी सहायक अभियन्ता की अभी अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई है। सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु वे ही सहायक अभियन्ता प्रोन्नति के लिये पात्र होते हैं, जिन्होंने विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। अधिशासी अभियन्ता के पद पर चयन "अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता" के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 1974-75 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में श्री के0 जी0 श्रीवास्तव की वर्ष 1974-75 की सत्यनिष्ठा संदिग्ध लिखी गई थी। उस समय वह जांच का विषय होने के कारण संदिग्ध थी। जांच के फलस्वरूप उक्त वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ श्री श्रीवास्तव की वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 तक की प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया था। इस अवधि में श्री श्रीवास्तव की सत्यनिष्ठा निरन्तर प्रमाणित थी।

अधीक्षण अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु अर्हताएं तथा श्री एन0 एन0 सिन्हा, रघुराज चौधरी की पदोन्नति का औचित्य

139--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रमोशन हेतु सहायक अभियन्ता के पद पर 12 वर्ष व अधिशासी अभियन्ता के पद पर 6 वर्षों का अनुभव, स्वच्छ आचरण एवं सीनियारिटी भी होनी चाहिये ? यदि हां, तो श्री एन0 एन0 सिन्हा, रघुराज चौधरी को वाराणसी एवं कानपुर का अधीक्षण अभियन्ता कैसे बना दिया गया और क्या यह सत्य है कि इनसे भी सीनियर लोग पड़े हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

अधीक्षण अभियन्ता पद के लिये वे ही अधिशासी अभियन्ता चयन के पात्र होते हैं, जिन्होंने चयन के वर्ष 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण सेवा में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इसपू री सेवा में कम से कम 6 वर्ष अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य किया हो। नियमित चयन का आधार "श्रेष्ठता" है तथा तदर्थ चयन "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर किया जाता है। यद्यपि श्री एन0 एन0 सिन्हा, अधीक्षण अभियन्ता के पद के चयन के लिये उपरोक्त उल्लिखित अर्हकारी सेवा की शर्त पूरी नही करते थे, किन्तु चूंकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किये जा चुके थे, अतः श्री सिन्हा को अर्हकारी सेवा की शर्त को शिथिल करते हुए अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति दी गई और उनकी तैनाती वाराणसी में कर दी गई। श्री सिन्हा से कोई वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता उस समय प्रोन्नति के लिये शेष नहीं था।

श्री रघुराज राम चौधरी, अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं। यह अधीक्षण अभियन्ता के चयन के लिये अर्हकारी सेवा की शर्त पूरी करते थे। इन्हें प्रोन्नति में अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे की व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की गई और उनकी तैनाती कानपुर में की गई। अनुसूचित जाति का श्री रघुराज राम से वरिष्ठ कोई अधिशासी अभियन्ता उस समय प्रोन्नति के लिये उपलब्ध नहीं था।

श्री निरमल कुमार, सहायक अधिशासी अभियन्ता, गोण्डा के विरुद्ध जांच

140--श्री मसरूर जाफरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतायेंगे कि निरमल कुमार, सहायक अधिशासी अभियन्ता, गोण्डा के विरुद्ध जो जांच उतरौला-गोण्डा मार्ग पर चल रही है उसमें क्या हो रहा है ? और उसकी जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्राविधिक परीक्षक द्वारा की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के पकड़ी रेन्ज में बिना अनुमति के शिकार करने पर कार्यवाही

141--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर पकड़ी रेंज में जीप नं0 यू0 एस0 बी0 5026 पर सवार कुछ लोग बिना अनुमति के दिनांक 24/25 नवम्बर, 1981 की रात्रि लगभग 8 बजे प्रवेश कर दर्जनों वन जन्तुओं को मारा और दो मादा गर्भिणी हिरिणी को जीप पर लाद कर भागते समय वन गारदों व रक्षकों द्वारा पकड़ लिये गये ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां, जनपद गोरखपुर के पकड़ी रेन्ज में दिनांक 24/25 नवम्बर, 1981 की रात्रि में लगभग 12 बजे कुछ लोगों ने जीप नं0 यू0 एस0 बी0--5026 पर सवार होकर जंगल में दो मादिन चीतलों का शिकार किया और वन्य जन्तु रक्षकों द्वारा पकड़े गये। घटना के समय कुछ अपराधी फरार हो गये जिनका पता नहीं चल सका है। मौके पर पकड़े गये अपराधियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और प्रतिकर के रूप में 1100 रु0 जमा कर दिया है।

ग्राम बाढूपुरा, जिला मुरादाबाद के हरिजनों पर जांटों द्वारा अत्याचार होने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

142--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री को ग्राम बाढूपुरा-धोसीसुरा, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद के हरिजनों का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-10-81 को प्राप्त हुआ है ? जिसमें उन्होंने जाटों द्वारा अत्याचार होने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार वादी अजब सिंह, पुत्र परसादी सिंह, निवासी घोसी-पूरा, बाबूपुरा ने थाना भगतपुर पर दिनांक 19-9-81 को प्रतिवादीगण प्रभू सिंह आदि के विरुद्ध अपराध संख्या 131/81, धारा 342/323/352 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग

पंजीकृत करा दिया था। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया, जहां मामला विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी प्रभू सिंह आदि के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। पुलिस द्वारा घटना के तुरन्त बाद ही विधि के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है। श्री जी0 वी0 सिंह, क्षेत्राधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

अकबरपुर राज्य कताई मिल में प्रशासकों द्वारा ईद के पर्व पर मिल को चलाये जाने तथा वेतन न देने के सम्बन्ध में पत्र

143--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र सचिव, उद्योग विभाग को अकबरपुर स्थित राज्य कताई मिल में प्रशासकों द्वारा ईद के पर्व पर श्रमिकों को 2 अगस्त, 1981 के स्थान पर 3 अगस्त, 1981 को अवकाश देने की घोषणा करने के बाद भी 3 अगस्त, 1981 को पूरे घंटे उक्त मिल को चलाये जाने तथा पूरे घंटों का श्रमिकों को वेतन न देने तथा उक्त सम्बन्ध में उप श्रम आयुक्त, लखनऊ द्वारा मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट विभाग को भेज देने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र को तथा उप श्रम आयुक्त, लखनऊ की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां। सम्बन्धित माननीय सदस्य को शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 4960/18-10-दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर भेजा जा चुका है। अतः पत्र तथा अपेक्षित रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल की नियुक्ति तथा चार्ज

144--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में गत जून, जुलाई, 1981 में एक डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल की नियुक्ति की गयी थी ? क्या अभी तक डी0आई0एस0 ने चार्ज नहीं लिया है, जिसके कारण जिले में शिक्षा कार्य अवरुद्ध पड़े हैं ? यदि हां, तो आगे क्या व्यवस्था की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील उतरौला, जनपद गोण्डा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के भवन का निर्माण तथा मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की पोस्टिंग

145--श्री मसरूर जाफरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील उतरौला जनपद गोण्डा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय का भवन बनकर विगत 6 माह हुए तैयार हो गया है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग अभी तक न करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

तहसील उतरौला जनपद गोण्डा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के भवन का विद्युतीकरण तथा सम्बद्ध भवनों का निर्माण कार्य एवं विद्युतीकरण अभी पूरा नहीं है। उक्त भवनों का निर्माण/विद्युतीकरण पूरा हो जाने व उनके न्याय विभाग को हस्तान्तरित हो जाने पर ही वहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग करना सम्भव हो सकेगा।

लखनऊ में हत्याओं की सी0आई0डी0 द्वारा जांच

146--श्री हुकम सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के एक दर्जन से भी अधिक हत्याकाण्ड की जांच माह नवम्बर, 1981 में सिविल पुलिस से लेकर सी0 आई0 डी0 को इसलिये दे दी गयी कि सिविल पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों के चालान किये थे ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार गलत तरीके से चालान किये गये लोगों को कोई मुआवजा दिलाने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में इस आधार पर किसी भी हत्या के मामले की जांच माह नवम्बर, 1981 में सी0 आई0 डी0 को नहीं दी गई कि सिविल पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों के चालान किये हों। अतः पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

147--श्री चेतराम गंगवार--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के काकोरी शहीद उ0मा0 विद्यालय, मीरनपुर कटरा में श्री राम बहादुर शर्मा, कला अध्यापक की नियुक्ति में अनियमितता

148--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के काकोरी शहीद उ0मा0 विद्यालय, मीरनपुर, कटरा में श्री राम बहादुर शर्मा, कला अध्यापक, की नियुक्ति 8-7-72 का 2/3 जे0टी0सी0 वेतनक्रम में स्थायी रूप से की गयी थी परन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हाई स्कूल में कला विषय पढ़ाने के लिए वांछित योग्यताएं न होते हुए भी श्री शर्मा का उच्चीकरण 1-5-78 को राजाज्ञा सं0-5583/पन्द्रह-8-3100,1973 दिनांक 3-10-74 तथा शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक अर्थ (1)/2359 दि0 30-4-75 के विपरीत किस आधार पर कर दिया गया ? क्या इस अनियमितता के दोषी व्यक्ति के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में चयन की प्रक्रिया तथा अनुसूचित जाति जन-जाति का आरक्षण

149--श्री सन्तबख्श रावत तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में विभाग में चौकीदार, जमादार, लिफ्ट मैन,

चपरासी और टैलीफोन अटेंडेंट के पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयीं और उनके चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गयीं और अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं पिछड़ी जाति के कुल कितने एवं कौन-कौन व्यक्ति चुने गये ? क्या आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

निम्नांकित नियुक्तियां की गयीं---

वर्ष	चौकीदार	जमादार	लिफ्टमैन	चपरासी	टेली0 अटेन्डेन्ट
1977-78	1	..	..	..	..
1978-79	..	2	..	..	..
1979-80	3	2	..	..	20
1980-81	..	..	..	..	..
योग ..	4	4	..	..	20

कुल योग-28

उपरोक्त 28 कर्मचारियों में से 21 कर्मचारी सेवा योजन कार्यालय से प्राप्त सूची में से गठित चयन समिति द्वारा चुने गये, 4 कर्मचारियों की नियुक्ति मृतक कर्मचारी के आश्रित होने के फलस्वरूप तथा 3 कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य अतिथि गृह, कलकत्ता में उनके विकल्प के अनुसार की गयी ।

इन 28 कर्मचारियों में 9 अनुसूचित जाति, 4 पिछड़ी जाति, 15 कर्मचारी सामान्य कोटि के चुने गये । सूची संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 293 पर) ।

भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ में श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्य, सहायक प्राध्यापक लोक नृत्य की योग्यताओं, गतिविधियों एवं कार्य-कलापों से सम्बन्धित विवरण की जांच

150---श्री छत्तर सिंह---

क्या सांस्कृतिक कार्य मन्त्री को जानकारी है कि सन् 1969 में आसाम निवासी भातखंडे संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के लोक नृत्य के एक सहायक प्राध्यापक को असामाजिक गतिविधियों में लिप्त तथा संदिग्ध चरित्र का पाए जाने के कारण सेवा से पृथक किया गया था । उसी सहायक प्राध्यापक को पुनः सेवा में चार वर्ष बाद किन परिस्थितियों एवं आधारों पर बहाल किया गया था । क्या सरकार इस सहायक प्राध्यापक से सम्बन्धित योग्यताओं गतिविधियों एवं कार्य कलापों से सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ में श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्य की सहायक प्राध्यापक लोक नृत्य के पद पर अस्थायी रूप से वर्ष 1969 में नियुक्ति के पश्चात् उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जांच विशेष शाखा अभिसूचना विभाग उ0 प्र0 से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री भट्टाचार्य को सेवा में बनाये रखना उपयुक्त न पाया गया था, अतः श्री भट्टाचार्य को वर्ष 1970 में सेवा से पृथक किया गया था। सेवा से पृथक किये जाने के विरुद्ध श्री भट्टाचार्य से प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस पर विचार करने के पश्चात् श्री भट्टाचार्य के पूर्ववृत्त के बारे में गृह विभाग के माध्यम से पुनः जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप कोई ऐसे तथ्य नहीं पाये गये जिससे उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्त किये जाने में कोई आपत्ति हो। जांच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् शासन ने यह निर्णय लिया कि श्री भट्टाचार्य को पुनः नियुक्त कर दिया जाये। इस प्रकार श्री भट्टाचार्य को वर्ष 1973 में पुनः नियुक्त कर दिया गया।

श्री भट्टाचार्य की योग्यताएं निम्न प्रकार हैं --

1--गौहाटी विश्वविद्यालय से वर्ष 1948 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।

2--गौहाटी विश्वविद्यालय से वर्ष 1968 में बी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण।

3--सिल्वर संगीत विद्यालय से लोक नृत्य में वर्ष 1956 में 'सर्टीफिकेट आफ मैरिट'

4--नृत्य गुरू राजकुमार सेनारिक सिंधा से लोक नृत्य अनुभव का प्रमाण पत्र।

श्री भट्टाचार्य की कोई ऐसी गतिविधि अथवा कार्य कलाप नहीं हैं जिसके सम्बन्ध में सूचना दी जाये।

बस्ती खलीलाबाद के किले की मस्जिद का पुनर्निर्माण

151--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती खलीलाबाद के किले की मस्जिद का पुनर्निर्माण स्वयं करेगी अथवा जनता को निर्माण करने की इजाजत देगी ? यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

बस्ती खलीलाबाद के किले की मस्जिद ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। शासन द्वारा पुनर्निर्माण कराना सम्भव नहीं है। प्रश्नगत मस्जिद सरकारी भूमि पर स्थित है और जनता को निर्माण कराने की इजाजत देना सम्भव नहीं है। कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ में सहायक अध्यापक श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्य पर चरित्रहीनता का आरोप तथा शैक्षिक एवं नृत्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संदिग्ध होने की शिकायत

152--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्य, सहायक प्राध्यापक, लोक नृत्य भातखंडे संगीत महविद्यालय, लखनऊ को संदिग्ध व्यक्ति घोषित होने के पश्चात शासन द्वारा सेवा मुक्त किया गया था और इनके ऊपर चरित्रहीनता के आरोप हैं साथ ही शासन के विपरीत कार्य करने की भी गंम्भीर शिकायतें हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ में सहायक प्राध्यापक, लोक नृत्य के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के पश्चात् श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्या के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जांच विशेष शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री भट्टाचार्य को सेवा में बनाये रखना उपयुक्त न पाया गया था, अतः शासन द्वारा श्री भट्टाचार्य की अस्थायी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। श्री भट्टाचार्य के चरित्र एवं शासन के विपरीत कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायतें निराधार पाई गईं।

153---श्री जीराज सिंह मौर्य---

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्य के शैक्षिक एवं नृत्य संबंधी प्रमाण पत्र संदिग्ध है ? यदि हां, तो इन्हें सेवा में अभी तक क्यों रखा गया है? क्या शासन श्री दास के आरोपों की जांच के दौरान तत्काल निलम्बन की कार्यवाही जनहित में करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्य के शेक्षिक एवं नृत्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र संदिग्ध होने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शैक्षिक एवं नृत्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र संदिग्ध नहीं पाये गये अतः निलम्बन करने का प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय में कर्मचारियों व अधिकारियों के पद का स्थायीकरण

154---श्री श्यामलाल बाजपेयी---

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि निदेशालय में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 218 अधिकारियों व कर्मचारियों के पद स्थाई किये गये थे परन्तु उन पदों में अभी केवल 133 कर्मचारियों को ही स्थाई किया गया है ? यदि हां, तो शेष पदों पर स्थाईकरण नहीं करने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जी हां,

145 कर्मचारियों को स्थायी किया गया है।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

155---श्री श्याम लाल बाजपेयी---

क्या स्पोर्ट्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, सचिव, अवध स्पोर्टिंग क्लब, महानगर, लखनऊ का प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1981 का शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र में प्रधानाचार्य, लखनऊ स्पोर्ट्स कालेज के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

श्री विन्देश्वरी प्रसाद सिंह, सचिव, अवध स्पोर्टिंग क्लब, महानगर, लखनऊ का पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1981 प्राप्त नहीं हुआ परन्तु शिकायती पत्र दिनांक 15-4-81 प्राप्त हुआ है

जिसमें प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज के विरुद्ध कतिपय तथा कथित अनियमितताओं को इंगित किया गया है । शिकायत की छानबीन करने पर आरोप ठीक नहीं सिद्ध हुये ।

" उ0 प्र0 खेलकूद निदेशालय राज्य कर्मचारी परिषद्" नामक संस्था का गठन तथा मान्यता दिये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र

156--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या खेलकूद निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा "उ0 प्र0 खेलकूद निदेशालय राज्य कर्मचारी परिषद"नामक संस्था गठित की गई है, और कर्मचारियों द्वारा उसमें मान्यता दिये जाने हेतु लगभग एक वर्ष पूर्व प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? परन्तु उस पर अभी तक शासन को संस्तुति निदेशक, खेलकूद, लखनऊ द्वारा नहीं भेजी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

सेवा संघों की मान्यता नियमावली की शर्तों को संघ द्वारा पूर्ण नहीं किया गया ।

स्व0 श्री हुबई राम, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, वाराणसी को जी0 पी0 फण्ड, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान तथा पुत्र की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

157--श्री राम स्वरूप निम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0श्री हुबई राम,सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, कुकराठी, विकास खंड भदोही, जनपद वाराणसी की मृत्यु दिनांक 21-4-76 को हो गई ? यदि हां, तो अभी तक उनके जी0 पी0 फंड, ग्रेच्युटी तथा जीवन बीमा की धनराशि न दिये जाने का क्या कारण है तथा यह सब धनराशि अब कब तक दे दी जायेंगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । श्री हुबई राम, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, कुकराठी, विकास खंड भदोही, जनपद वाराणसी की मृत्यु 21-4-76 को हो गई थी उनके जी0पी0 फण्ड की कुल धनराशि रु0 1,766.29 का भुगतान, उनके नाम निर्देशन पत्र के अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती धनपत्ती देवी को चेक द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 1977 को किया जा चुका है । निधि पर ब्याज का आगणन किया जा रहा है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के अनुसार उसका भुगतान इस माह के अन्त तक हो जाने की आशा है । ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि नियमानुसार वह अनुमन्य नहीं है । अनिवार्य जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान अभी नहीं हुआ है क्योंकि स्व0 हुबई राम ने अपने जीवन काल में इस हेतु किसी वारिस का नामांकन नहीं किया था । उनकी पत्नी को इस कारण वरासत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया है । प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान भी हो जायेगा ।

158--श्री राम सागर--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेश संख्या शि0 मु0 25801-629/एक-21911/75-76 दिनांक 19-12-75 के सम्बन्ध में सेवारत कर्मचारी के मरणोपरान्त उसके आश्रितों पत्नी तथा बच्चे को सेवा में लिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो स्व0 हुबई राम, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, कुकराठी, विकास खण्ड भदोही, जनपद वाराणसी जिनकी मृत्यु 21-4-76 को हो गई है के पुत्र को सेवा में न लिए जाने का क्या कारण है जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को निरन्तर लिखा जाता रहा है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्त कर लिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

स्व0 हुबई राम, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, कुकराठी, जनपद वाराणसी के पुत्र की नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को प्राप्त हुआ किन्तु निर्धारित योग्यतायें न रखने के कारण इनको नहीं लिया जा सका ।

उप परिषद ज्ञानपुर में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद भी रिक्त नहीं है । वर्णित स्थिति में स्व0 अध्यापक के पुत्र की नियुक्ति का अवसर दिया जाना संभव नहीं है ।

श्रीमती ऊषा मेहता को बी0एस0ए0, देहरादून में नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

159--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र उनको 15-1-81 या उसके आस पास मिला है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि श्रीमती ऊषा मेहता द्वारा श्री आर0एस0 मेहता, 5 तिलकरोड, देहरादून जो 1970 की बी0टी0सी0ट्रेनिंग प्राप्त हैं,को बी0एस0ए0देहरादून ने नौकरी में नहीं रखा जबकि 1972 में ट्रेनिंग प्राप्त लोगों को सर्विस दे दी ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । प्रश्नगत पत्र दिनांक 22-1-81 शासन को प्राप्त हुआ और उसमें संलग्न श्रीमती ऊषा मेहता के पत्र दिनांक 10जुलाई, 1980में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने किस जिले से वर्ष 1970में बी0टी0सी0प्रशिक्षणप्राप्त किया ।मामले की विस्तृत जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून से कराई गई जांच आख्या से यह तथ्य प्रकाश में आये कि श्रीमती ऊषा मेहता का एक प्रार्थना दिनांक 10-7-80को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ किन्तु उक्त पत्र में भी अभ्यर्थिनी ने अपने नाम तथा पते में परिवर्तन की सूचना नहीं दी थी । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कुमारी ऊषा राणा पुत्री श्री तेज सिंह राणा के नाम से प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया गया था । नियमानुसार अभ्यर्थिनी को प्रार्थना पत्र के साथ विधिवत् प्रमाणित शपथ पत्र भी संलग्न करना चाहिय था कि उनके नाम तथा पते में परिवर्तन कु0 ऊषा राणा पुत्री श्री तेज सिंह राणा के स्थान पर श्रीमती ऊषा मेहता पत्नी श्री आर0एस0 मेहता, 5 तिलकरोड, देहरादून उनकी शादी के फलस्वरूप हो गया है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 27-3-81 में श्रीमती ऊषा मेहता से यह जानकारी प्राप्त की कि उन्होंने किस वर्ष किस प्रशिक्षण विद्यालय से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया । जिसका उत्तर श्रीमती ऊषा मेहता से 28-3-81 को प्राप्त हुआ और इस पत्र में नाम परिवर्तन के तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया । श्रीमती ऊषा मेहता का नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय को 10-7-80 को प्राप्त हुआ और इस अवधि के पश्चात जनपद देहरादून में स्थित पदों के उपलब्ध न होने के कारण श्रीमती ऊषा मेहता को नियुक्ति का अवसर नहीं दिया जा सका । उपरोक्त वर्णित स्थिति में किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राम सागर मिश्र नगर कालोनी में एल-2 टाइप के आवासों में रसोई व स्नानगृह के दरवाजों को अविलम्ब लगाने की व्यवस्था

160--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम सागर मिश्र नगर स्थित रा0स0विभाग की कालोनी में एल-2 टाइप के आवासों में रसोई व स्नान गृह के दरवाजे

अब तक न लगाये जाने के क्या कारण है जबकि अध्यासी लगभग 6 मास से उन आवासों में रह रहे हैं ? क्या सरकार उन आवासों के दरवाजे अविलम्ब लगाने की व्यवस्था करगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से क्रय किये गये राम सागर मिश्र नगर के सेक्टर 4 स्थित 363 आवासों में सुधार कार्य हेतु स्वीकृति शासनादेश दिनांक 4 सितम्बर, 1981 द्वारा प्रदान की जा चुकी है । एल-2 टाइप के 182 आवासों में सुधार कार्य इसमें सम्मिलित है । इन आवासों में सम्बन्द्ध रसोई गृहों तथा स्नान गृहों में दरवाजे लगाने का निर्देश अधीक्षण अभियन्ता 39 वां वृत्त सा0नि0वि0 को दे दिया गया है ।

जी हां ।

शीघ्र ही व्यवस्था कर दी जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डकैत श्री गबडू एवं लाल सिह की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

161--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के ता0 प्र0 सं0 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गबडू एवं लाल सिह को अलग-अलग कितने मुकदमें में थाना हजरतपुर, जनपद बदायूं में पुलिस द्वारा तलाश थी ? क्या यह सही है कि उक्त थानाध्यक्ष ने इन व्यक्तियों को डकैती डालने का प्रयास करने की फर्जी मुठभेड़ दिखाकर इन्काउण्टर कर दिया ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी अथवा सी0 आई0 डी0 से कराकर सदन को सारे तत्वों से अवगत करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गबडू एवं लाल सिह की किसी भी मुकदमें में थाना हजरतपुर, बदायूं की पुलिस द्वारा तलाश नहीं थी लेकिन उक्त डकैत थाना हजरतपुर के अन्तर्गत ग्राम हरें नगला के पास दिनांक 16/17-8-81 को हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गये । उपरोक्त डकैतों का अपराधिक इतिहास तथा इस मामल की अन्य परिस्थितियों को देखत हुए किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्रीमती जोहरा, निवासी अब्बास खेड़ा, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव को गुण्डों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

162--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना-पत्र श्रीमती जोहरा, निवासी अब्बास खेड़ा, थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को गुण्डों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15-1-82 को मा0 मुख्य मंत्री, मा0 गृह मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या उसकी जांच कराई गयी ? क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्रीमती जोहरा का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी जांच करवायी गयी । जांच से भूतपूर्व कान्सटेबिल, बांके लाल द्वारा प्रार्थिनी के भाई को मारने पीटने आदि के आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

प्रार्थिनी के भाई तथा अन्य लोगों में कुछ विवाद चल रहा है जिसके उपबन्ध में धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही करते हुये दिनांक 10-10-81 को न्यायालय में चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी। दोनों पक्षों ने न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि वे आपस में सुलह करना चाहते हैं जिसकी पेशी 8-3-82 को निश्चित है।

थाना हजरतपुर की पुलिस द्वारा श्री चन्द्रपाल यादव के घर छापा डालने से सम्बन्धित जांच

163--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के थानाध्यक्ष श्री एस0 के0 भरद्वाज, थाना हजरतपुर तथा अन्य कई पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 17-12-81 की रात को श्री चन्द्रपाल यादव के यहां छापा मारकर कई व्यक्तियों को पकड़ ले गये और मारा-पीटा ? क्या यह सही है कि उक्त थानाध्यक्ष द्वारा किये गये इस अनियमित कृत्य के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल यादव ने 25-1-81 को लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक, बदायूं को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच पुलिस अधीक्षक, या सी0आई0डी0 से कराकर सम्बन्धित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना हजरतपुर, बदायूं की पुलिस द्वारा कोई छापा श्री चन्द्रपाल यादव पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी वमनपुरा के यहां नहीं डाला गया, न ही किसी को गिरफ्तार किया गया और न ही किसी को मारा पीटा गया।

इस संबंध में श्री चन्द्रपाल यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक, बदायूं को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। अतः मामले में जांच कराकर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

164— श्री श्यामलाल बाजपेयी--

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महेरव पुरेब, जौनपुर के छात्र तथा छात्राओं का अघोषित परीक्षाफल

165--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में राष्ट्रीय इण्टर कालेज महरेव पुरेव, जौनपुर के कितने छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण समस्त छात्रों के साथ घोषित नहीं किया गया? क्या यह भी सत्य है कि इन छात्रों का परीक्षाफल माह अक्तूबर 1981 तक घोषित नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और उन छात्रों को उच्च कक्षा में प्रवेश लेने में कौन सी सुविधा दी गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। इण्टर संस्थागत परीक्षा के केवल 3 छात्र तथा 6 छात्राओं का परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण समस्त छात्रों के साथ घोषित नहीं किया जा सका।

(ख) यह सत्य नहीं है। सभी छात्रों का परीक्षाफल 31 अगस्त, 1981 को पूर्ण करके सूचना भेजी गई।

(ग) किसी के विरुद्ध एवं छात्रों के उच्च कक्षा में प्रवेश लेने के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील रानीखेत के अन्तर्गत प्रान्तीयकृत हुए हाईस्कूल व इण्टर कालेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने पर विचार

166—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील के अन्तर्गत जनवरी, 1979 से 1980 तक प्रान्तीयकृत हुए विद्यालयों में हाई स्कूल इण्टर कालेजों में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक,अल्मोड़ा के अनुमोदन के पश्चात भी प्रान्तीयकरण होने पर सेवा से मुक्त किया गया है ? शासन क्या ऐसे कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने पर विचार कर रहा है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बरखण्डी विद्यापीठ इण्टर कालेज, शिवगढ़ में प्रधानाचार्य का रिक्त पद

167—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत चल रहे श्री बरखण्डी विद्यापीठ इण्टर कालेज, शिवगढ़ के प्रधानाचार्य की नियुक्ति लगभग 2 वर्ष 6 माह से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ? क्या स्थानापन्न प्राचार्य नियुक्त करते समय वरिष्ठतम अध्यापकों की उपेक्षा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

प्रधानाचार्य पद हेतु दो बार विज्ञापन दिनांक 15-9-78 तथा 5-9-79 को किया गया प्रथम बार अयोग्य अभ्यर्थियों के कारण चयन नहीं हुआ । द्वितीय विज्ञापन में दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति के कारण साक्षात्कार नहीं हो सका । अतएव नियुक्ति नहीं हो सकी ।

वरिष्ठतम प्रवक्ता श्री गुरु शरण लाल श्रीवास्तव को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया। उनके असमर्थता व्यक्त करने पर दूसरे प्रवक्ता श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया है ।

प्रदेश में हिजड़ों का सम्मेलन

168—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष प्रदेश में (लखनऊ में) हिजड़ों का कोई सम्मेलन हुआ था ? यदि हां, तो उसमें प्राप्त प्रस्ताव द्वारा उन्हें पुलिस सेवा में रखने हेतु सरकार को कोई मांग पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । ऐसे किसी सम्मेलन की सूचना शासन को नहीं है । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

कांस्टेबुल बालक राम, राम सिंह पाण्डेय तथा अवधेश शर्मा की प्रशिक्षण काल में अनुपस्थिति

169--श्री ऊदल---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा से कांस्टेबुल में भर्ती करके सन् 1980 में प्रशिक्षण हेतु बहराइच में बहुत से लोगों को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सर्वश्री बालक राम मिश्र, राम सिंह पाण्डेय, राम जीत सिंह, अवधेश शर्मा, जो बिना छुट्टी लिए प्रशिक्षण से 3 दिन लगायत 8 दिन तक गैर हाजिर रहे उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां ।

रंगरूट बालक राम, राम सिंह पाण्डेय तथा अवधेश शर्मा जो जनपद गोण्डा से तथा श्री अमरजीत सिंह जो जनपद बाराबंकी से प्रशिक्षण हेतु आये थे क्रमशः 14 घंटे, तीन दिन, तीन दिन व तीन दिन अनुपस्थिति रहें जिनके फलस्वरूप उनका स्पष्टीकरण लेने के उपरान्त उन्हें अनुपस्थिति अवधि का अवकाश स्वीकृत कर दंडित एवं प्रताड़ित कर भविष्य के लिये कठोर चेतावनी दी गई ।

कांस्टेबुल श्री तेज बहादुर वर्मा की प्रशिक्षण काल में अनुपस्थिति तथा पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा सेवा से मुक्ति

170---श्री ऊदल---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेज बहादुर वर्मा, जनपद बस्ती से दिसम्बर 1980 में कांस्टेबिल के पद पर भर्ती हुए और उनको प्रशिक्षण हेतु बहराइच भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसको तीन दिन की गैर हाजिरी में कार्यालय आरक्षी के पत्र संख्या डी0 6 81, दिनांक 3 अगस्त 1981 के द्वारा अधीक्षक पुलिस बस्ती ने एक माह की नोटिस देकर निकाल दिया है ? ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां ।

रंगरूट कान्सटेबुल तेज बहादुर वर्मा दिनांक 9-6-81 को सायंकाल अनुपस्थित पाया गया और यह दिनांक 12-6-81 को वापिस आया इस अनुपस्थिति के लिये उक्त रंगरूट का स्पष्टीकरण मांगा गया जिसका उत्तर असंतोषजनक होने के कारण पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा पुलिस अधीक्षक बस्ती को संस्तुति दी गई कि उक्त कान्सटेबिल सेवा से उन्मुक्त कर दिया जाय। अतः उक्त आधार पर पुलिस अधीक्षक बस्ती ने श्री तेज बहादुर वर्मा के नियुक्ति अधिकारी है, ने आदेश संख्या 16/81, दिनांक 3-8-81 के अनुसार उन्हें सेवा से मुक्त कर दिय ।

राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, गाजीपुर में कार्यरत अस्थायी अध्यापिकायें तथा स्थायी न किये जाने का कारण

171---श्री पंचानन राय---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, गाजीपुर की स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत कितनी अध्यापिकाएं 26-10-81 को अस्थायी है, इनमें कौन-कौन सी ऐसी अध्यापिकाएं है, जिनका सेवाकाल उक्त वेतनक्रम में 12 साल से

अधिक है ? इतनी लम्बी सेवा अवधि होने के उपरान्त भी उन्हें स्थायी न किए जाने के क्या प्रमुख कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

स्नातक वेतनक्रम की 9 अध्यापिकायें अस्थायी है । केवल श्रीमती कमला कुमारी सिंह की सेवा अवधि 12 से अधिक है । स्नातक वेतनक्रम का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है । लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित न होने के कारण उनका स्थायीकरण संभव नहीं हो सका है ।

प्रधानाचार्य, राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) को निः शुल्क आवासीय सुविधा

172--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) में प्रधानाचार्य एवं आदर्श प्रधानाचार्या को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो किन किन को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । केवल प्रधानाचार्य को / प्रधानाध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय को नहीं ।

केवल प्रधान चार्य, राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) को आवासीय निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है ।

प्रदेश के राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निःशुल्क आवास की सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें तथा जूनियर स्कूल

173--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सलेमपुर तहसील, जनपद देवरिया में वर्तमान समय में कितने प्राइमरी पाठशालायें हैं और कितने जूनियर स्कूल हैं ? कितने के पास भवन नहीं है ? इसमें नदोली, कोसड़, लार ब्लाक, सवेणी ब्लाक भटनी, बकुची, ब्लाक भागलपुर के विद्यालयों का भवन कब तक बन जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया में 532 प्राइमरी पाठशालायें और 60 जूनियर हाई स्कूल है । इनमें से 116 प्राइमरी एवं 16 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन है । ग्राम नदौलो, ब्लाक लार में प्राइमरी स्कूल के दो पक्के कमरे है तथा कन्या जूनियर हाई स्कूल का भवन भी पक्का है । बालक जूनियर हाई स्कूल का भवन गिरा हुआ है । ग्राम कोसड़, ब्लाक लार में प्राइमरी पाठशाला है जिसमें दो पक्के कमरे हैं। ग्राम सवरेणी, ब्लाक भटनी में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल दोनों है जो मरम्मत योग्य है और इनकी मरम्मत के लिये क्रमशः रु0 19,000 व रु0 18,500 का व्ययानुमान है । ग्राम बकुची, ब्लाक भागलपुर का प्राइमरी स्कूल भवन गिरा हुआ है । इसके निर्माण पर अनुमानतः रु0 35,800 की लागत आनी है । वर्ष 1980-81 के अनुदान से प्राइमरी पाठशाला संवरेणी तथा जूनियर हाई स्कूल संवरेणी एवं प्राइमरी स्कूल, बकुची के भवन मरम्मत/निर्माणहेतु प्रस्तावित है जिनका

[चौधरी नौनिहाल सिंह]

जिला बेसिक शिक्षा समिति से अनुमोदन हो जाने पर जिला परिषद् देवरिया के माध्यम से मरम्मत/निर्माण कराया जा सकेगा। अन्य मरम्मत/निर्माण योग्य स्कूल भवनों की मरम्मत/निर्माण संसाधनों के उपलब्ध होने पर करायी जा सकेगी /परन्तु उसके लिये किसी समयावधि का आश्वासन देना संभव नहीं है।

एल0 टी0 वेतनक्रम में अनुसूचित जाति के पदधारक अध्यापकों स्थायीकरण

174--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शासन ने मई, 1981 में यह निर्णय लिया है कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान 450-950 (पुनरीक्षित 770-1600) में अनुसूचित जाति का शीघ्र कोटा पूर्ति हेतु एल0टी0 वेतन क्रम के अनुसूचित जाति के पदधारक अध्यापकों को शीघ्र एल0टी0 वेतनक्रम में स्थायी कर पदोन्नत किया जायेगा ? यदि हां, तो 1 जून, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 तक अनुसूचित जाति के सी0टी0 ग्रेड से एल0टी0 ग्रेड में पदोन्नति एल0टी0 पदधारक कितने अध्यापकों को स्थायी करके अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और शासन शीघ्र कोटा पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, मई 1981 में नहीं बल्कि फरवरी 1981 में शासन ने संदर्भगत निर्णय लिया था। विभागीय चुनाव समिति द्वारा चुने गये अध्यापकों की सूची में ज्येष्ठतानुसार सी0 टी0 से एल0 टी0 में पदोन्नत कोई अनुसूचित जाति का अध्यापक स्थायीकरण हेतु उपलब्ध नहीं था। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर के बी0 के0 हायर सेकेण्ड्री स्कूल के हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवैधानिक रूप से सेवा समाप्ति

175--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपा बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर के बी0 के0 हायर सेकेण्ड्री स्कूल के हरिजन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सर्वश्री छोटे लाल, दिवाकर आदि की सेवायें अवैधानिक रूप से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1981 को जो पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवेदन-पत्र संलग्न कर शिक्षाराज्य मन्त्री को दिया गया उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के भविष्य निधि के अप-टू-डेट होने में देरी के विरुद्ध कार्यवाही

176--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 13 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस मामले में देरी के लिए जिला परिषद् के दो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है ।

विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्नाव में मार्गों के रख-रखाव पर व्यय

177---श्री गया सिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव विभागीय निर्माण इकाई को सड़कों के रख-रखाव के लिये सन् 1981-82 में सन् 1980-81 में कितनी धन-राशि सरकार द्वारा दी गयी और उक्त धनराशि में सड़कों के रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया था अगर अन्य मदों पर व्यय किया गया तो इस अनियमितता के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी---

विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग उन्नाव को वर्ष 1980-81 व वर्ष 1981-82 में मार्गों के रख रखाव के लिये क्रमश: 15.187 लाख रु0व 17.300लाख रु0 आवंटित किये गये । वर्ष 1980-81 में कुल 17.54 लाख रुपया तथा वर्ष 1981-82 में दिसम्बर 81 तक कुल 11.80 लाख रु0 व्यय किये गये हैं ।

वर्ष 1980-81 में हुए कुल 17.54 लाख के व्यय में रु01.63 लाख वर्षा से क्षति-ग्रस्त मार्गों को खोलने के लिये तथा 1.02 लाख पिछले वर्ष के खाद्यान्न से पटरी निर्माण कार्यों के दायित्वों एवं लगभग रु0 5.00 लाख अन्य पुराने दायित्वों के भुगतान के व्यय सम्मिलित है ।

लेखा परीक्षण होने के उपरान्त यदि कोई अनियमितता पाई गई तो तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु अनुदान

178---प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के किन-किन प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का मरम्मत हेतु वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में अनुदान स्वीकृत किये गये थे? इनमें से किन विद्यालयों को उक्त धनराशि का 15 अक्टूबर, 81 तक भुगतान हो गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

वर्ष 1979-80 व वर्ष 1980-81 में जनपद बांदा के जिन प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये उनकी सूची संलग्न है ।

जिन प्राथमिक विद्यालयों को उक्त धनराशि का 15 अक्टूबर, 1981 तक भुगतान हो गया है वे निम्नलिखित हैं:---

1---प्रा0वि0बबेरू प्राचीन
2--- ,, तेरा
3--- ,, विखण्डा प्राचीन
4--- ,, मानिकपुर
5--- ,, भौरी
6--- ,, छीबों

[चौधरी नौनिहाल सिंह]

7--प्रा0 वि0 सीतापुर
8-- ,, खोही
9-- ,, नरैनी प्राचीन
10-- ,, मदेहदू

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 294 पर।)

डी0 आई0 ई0 एवं ए0 आई0 जी0 एस0, जिला बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं गबन किये जाने की शिकायत

179--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 आई0 ई0 एवं ए0 आई0 जी0 एस0 जिला बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र मा0 विधायकों तथा शिक्षक संघ द्वारा 1 अप्रैल, 81 से 30 सितम्बर, 1981 तक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं सरकारी धन के गबन किये जाने के संबंध में शासन को प्राप्त हुए हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

माननीय विधायकों से दो तथा प्राथमिक शिक्षक संघ, बांदा से छः शिकायती-पत्र संदर्भगत अवधि में प्राप्त हुये हैं। शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों के स्थानान्तरण

180--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 1981 से 30 अक्टूबर, 1981 के बीच बेसिक शिक्षा विभाग, बांदा के कितने अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये और इनमें से कितने निरस्त किये गये ? उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण करने तथा निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लोकमान्य तिलक इन्टर कालेज पचपेड़वा, गोंडा के अध्यापकों के सी0 डी0 एस0 का भुगतान

181--श्री अकबाल हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक मान्य तिलक इन्टर कालेज, पंचपेड़वा, गोंडा के अध्यापकों का भी सी0डी0एस0 स्कीम में काटा गया धन उनको अब तक वापस नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं। केवल एक किस्त का भुगतान शेष है जिसके लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कानपुर से पत्र व्यवहार किया जा रहा है तथा इसका भी भुगतान यथा समय करा दिया जायेगा। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनपद बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

182—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिल्ली जनपद बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्थानीय विधायक श्री केशव राम द्वारा दिनांक 31-3-81 को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी तथा जांच के दौरान कितने आरोप सही पाये गये तथा क्या कोई कर्मचारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी । यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, जनपद बदायूं के अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों का बकाया सी0 डी0 एस0 का भुगतान

183—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, बिल्ली, जनपद बदायूं के अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के जुलाई, 1974 से मई, 1977 तक सी0डी0एस0 का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में विद्यालय के अध्यापिकाओं द्वारा वित्त मंत्री व शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशक व प्रावीडेन्ट कमिश्नर, मंडलीय विद्यालय निरीक्षक बदायूं, जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं को 31-7-81 को कोई शिकायती पत्र दिया गया? यदि हां, तो अध्यापिकाओं, कर्मचारियों का बकाया सी0डी0एस0 का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया तथा कब तक भुगतान करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । संस्था के इस अवधि के अभिलेख एवं तिजोरी विद्यालय लिपिक के विरुद्ध गबन के केस के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा 16 जून, 1979 को सील कर दिये गये हैं अभिलेख न प्राप्त होने के कारण सी0 डी0 एस0 के खातों की जांच होना सम्भव नहीं है। न्यायालय से प्रकरण पर निर्णयोपरान्त तथा जांचोपरान्त ही सी0 डी0 एस0 का भुगतान होना सम्भव होगा ।

इसलामिया स्कूल, अकबरपुर, फैजाबाद को सहायता देने पर विचार

184—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इसलामिया स्कूल अकबरपुर, फैजाबाद जो 1967 से चल रहा है तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है को आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण रहा ? क्या सरकार उक्त इसलामिया स्कूल को सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पुलिस प्रशासन, फैजाबाद के विरुद्ध जिलाधिकारी, फजाबाद व पुलिस उप-महानिरीक्षक को दिया गया मांग पत्र

185—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेगी कि जिला पुलिस प्रशासन, फैजाबाद के विरुद्ध दिनांक 8 अगस्त, 1981 को एक विशाल प्रदर्शन संयुक्त रूप से दोनों कम्युनिस्ट (मा0 क0 पा0 तथा भा0 क0पा0) पार्टियों द्वारा किया गया था जिसने अपना एक मांग पत्र उप पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद तथा जिला अधिकारी फैजाबाद को दिया था ? यदि हां, तो आरोप कौन-कौन से थे ? उनकी जांच किससे कराई गई ? और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 8 अगस्त, 1981 को तो नहीं अपितु 8 सितम्बर, 1981 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को मांग पत्र व पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद को मांग पत्र के उद्धरण दिये गये। मांग पत्र में उल्लिखित मुख्य-मुख्य आरोपों का संक्षिप्त विवरण व कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है। अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का अभी प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ 295 पर।)

सड़क निर्माण करने वाले मजदूरों की मजदूरी में अन्तर

186—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग की सड़क निर्माण करने वाले मजदूरों के लिये सामान्य लगभग आठ रुपया प्रतिदिन प्रति मजदूर पारिश्रमिक दिया जाता है जो अधिशासी अभियन्ता श्री वी0 पी0 गर्ग (शाहजहांपुर) के खंड में प्रति मजदूर पांच रुपया बीस पैसा क्यों दिया जा रहा है ? इस विषमता को सरकार दूर करके उपरोक्त खंड में भी आठ रुपया प्रति मजदूर मजदूरी दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण करने वाले (दैनिक मजदूरी या मस्टर रोल पर लगाये गये) मजदूरों का छः रुपये प्रतिदिन या (26 कार्य दिवसों के लिये) 156 रुपये प्रति मजदूर प्रति मास न्यूनतम मजदूरी दी जाती है जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार है। पूरे विभाग में ऐसे मजदूरों को सामान्यतः आठ रुपये या छः रुपये से अधिक किसी अन्य विशिष्ट धनराशि प्रतिदिन की दर से मजदूरी दिये जाने के शासन के आदेश नहीं हैं। ऐसे मजदूरों के छः रुपये प्रतिदिन पर उपलब्ध न होने की दशा में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने विभागीय अधिकारों के अन्तर्गत उससे अधिक दैनिक मजदूरी भी स्वीकृत की जाती है।

जी नहीं। प्रश्नगत खण्ड में भी उपरोक्तानुसार न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल, बाराबंकी की सहायक अध्यापिका, कु0 सुनीता सिन्हा के बकाया वेतन का भुगतान

187—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल बाराबंकी की सहायक अध्यापिका, कु0 सुनिता सिन्हा को जनवरी, 1981 से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जी हां ।

कु 0 सुनीता सिन्हा की सेवाओं के विनियमितीकरण एवं वेतन निर्धारित न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ था । अब उनकी सेवाओं का विनियमितीकरण तथा वेतन निर्धारण हो गया है । तथा अवशेष वेतन भुगतान के लिये प्रबन्धक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

राजकीय क्वींन्स इण्टर कालेज, वाराणसी में अनियमितताओं की शिकायतें

188---श्री पंचानन राय---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय क्वींस इण्टर कालेज, वाराणसी में अनियमितताओं की शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को एक जुलाई, 1981 से 31 जुलाई, 1981 के बीच प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और क्या परिणाम निकले ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया रुद्रपुर मार्ग का निर्माण

189---श्री हरिवंश सहाय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया रुद्रपुर मार्ग पर 1 जनवरी, 1979 से 30 अगस्त, 1981 के बीच कितना धन किस मद में व्यय किया गया ? उसका निर्माण कब किया गया तथा निर्माण के बाद कौन-कौन अधिकारी ने जांच किया ? क्या मार्ग का क्रंसथिकनेस की भी जांच की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी---

प्रश्नगत सूचना माननीय मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है जो देखी जा सकती है । प्रश्नगत मार्ग अभी निर्माणाधीन है, अत: निर्माण के बाद की जांच का प्रश्न नहीं उठता । जी नहीं ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, दिल्ली, जनपद बदायूं के लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान ।

190---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि आर्य कन्या इण्टर कालेज दिल्ली, जनपद बदायूं के लिपिक एवं तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन अप्रैल, 1979 एवं मई, 1979 से रोका गया है ? यदि हां, तो वेतन रोके जाने का क्या कारण था ? कब तक बकाया वेतन कर्मचारियों को दे दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

प्रश्नगत विद्यालय के लिपिक एवं 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन अप्रैल; 1979 एवं मई 79 से रोका नहीं गया है । लिपिक एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें क्रमश: दिनांक 21-4-79 व 12-7-79 से समाप्त कर दी गई हैं । अन्य एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने त्याग पत्र दे दिया था जो स्वीकार हो चुका है । सेवा काल का वेतन इनको दे दिया गया है ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के बसोहरी बाजार (भीटी ब्लाक) में कन्या विद्यालय खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र

191—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के बसोहरी बाजार (भीटी ब्लाक) में कन्या विद्यालय खोलने हेतु ग्रामीणों द्वारा प्रार्थना-पत्र उप मन्त्री युवा कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 1981 को दिया गया पत्र प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर कब तक विद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषक इण्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया में लिपिक की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत

192—श्री कुबेर भण्डारी, तथा श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि लिपिक की नियुक्ति हेतु कृषक इण्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा किये गये अनियमितता की शिकायत विधायक (श्री कुबेर भण्डारी) द्वारा दिनांक 4-11-81 को शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संलग्न सहित प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

193—श्री मोतीलाल देहलवी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद देवरिया में संस्कृत पाठशालायें तथा छात्र एवं अध्यापकों की संख्या, अनुदान की धनराशि

194—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में कितने स्कूल संस्कृत के जूनियर हाई स्कूल से डिग्री तक, कहां-कहां हैं ? उनमें अध्यापक तथा छात्रों की संख्या 31 मार्च, 1981 को क्या थी और किस-किस विद्यालय को कितना-कितना अनुदान मिलता है । वर्ष 1980-81 में कितना अनुदान दिया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

50 संस्कृत पाठशालायें हैं ।

सूची संलग्न है ।

31 मार्च, 1981 को अध्यापक तथा छात्रों की संख्या क्रमशः 203 एवं 3380 थी । प्रत्येक विद्यालय को उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों के आधार पर नियमानुसार देय अनुदान मिलता है । सूची में अनुदान की राशि अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 297 पर ।)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की रामकोला, जिला देवरिया के श्रमिकों का बकाये वेतन का भुगतान

195—श्री हरिवंश सहाय—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की रामकोला खेतान इकाई, जिला देवरिया के श्रमिकों का किस-किस मद का कितना रुपया चीनी मिलों के जिम्मे 31–10–81 को बकाया है ? उक्त बकाया के भुगतान की कब तक व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की रामकोला जिला देवरिया स्थित इकाई के श्रमिकों का 3,65,000 रुपया ओवरटाइम व अर्जित छुट्टियों के एवज में, और 10,00,000 रुपया ग्रेच्युटी के मद में दिनांक 31–10–81 तक बाकी था। धनाभाव के कारण उक्त बकायों का भुगतान नहीं हो पाया है। सेवायोजक इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री बांके लाल गुप्त, एम0 आई0 कालेज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद की पेंशन का भुगतान

196—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री बांके लाल गुप्त न एम0 आई0 कालेज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद से 30 जून, 1978 को अवकाश ग्रहण कर लिया था किन्तु उन्हें अब तक पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें पेंशन का भुगतान कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। श्री बांके लाल गुप्त ने नवीन पेंशन का वरण करने का विकल्प 23 जनवरी, 1980 को भरा था। जबकि विकल्प भरने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1978 थी। विकल्प पत्र निर्धारित तिथि के बाद भरने के कारण श्री गुप्त का प्रकरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अब प्रकरण संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है।

श्री देवेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, जिला मन्त्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मैनपुरी के पत्र में समस्याओं की सूची एवं उस पर कृत कार्यवाही

197—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मैनपुरी, का पत्र दिनांक 23–9–81 जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुआ है जिसमें 8–11–81 से अनिश्चित कालीन अनशन की सूचना दी गयी है ? यदि हां, तो सन्दर्भित पत्र में कौन-कौन सी समस्याएं हैं और उस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां।

समस्याओं की सूची संलग्न है और प्रत्येक के सम्मुख कृत कार्यवाही का उल्लेख अंकित है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 300 पर।)

श्याम कृष्ण इण्टर कालेज थवईपार, गोरखपुर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शिकायतें

198—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम कृष्ण इंटर कालेज थवईपार, गोरखपुर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को 1 अक्टूबर, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से करा ई गयी तथा जांच में क्या परिणाम निकले है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां, प्रमुख शिकायतें वेतन वितरण, छात्रवृत्ति, सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के विधिवत् रखरखाव में गड़बड़ी एवं कर्मचारियों के अन्य देयकों के भुगतान न करने के संबंध में थी जिसकी जांच क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की गई और यह बात प्रकाश में आई कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक अनियमितायें की गई हैं । मण्डलीय उप0 शि0 नि0 गोरखपुर द्वारा वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई ।

सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज बसनी, वाराणसी में अध्यापकों के रिक्त पद तथा 9वीं तथा 11वीं कक्षा में छात्रों की वृद्धि

199—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी में 2 एल0टी0 ग्रेड तथा 4 सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों में दो की मृत्यु हो गयी है, चार रिटायर सन् 1980 में हो गए हैं ? यदि हां, तो इनकी जगहों को भरने के लिए क्या आदेश उक्त कालेजों के प्रिंसिपल को दे दिया गया ? क्या प्रिंसिपल ने अध्यापकों की मांग की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

नहीं, वर्ष 1980 में न तो किसी एल0टी0/सी0टी0 ग्रेड अध्यापक की मृत्यु हुयी और न ही ऐसा कोई अध्यापक सेवानिवृत्त हुआ । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

200—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी में छात्रों की तादाद 1981–82 के सत्र के लिए 9वीं क्लास में बहुत बढ़ गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकार के आदेश के मुताबिक सेक्शन न बढ़ाया जाय इसलिए 9वीं कक्षा के लिए एवं 11 वीं कक्षा के लिए इम्तहान लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया जा रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्नगत विद्यालय की 9वीं कक्षा में कुल 48 छात्रों की वृद्धि हुयी, जिसके आधार पर अतिरिक्त सेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी । सेक्शन न बढ़ाने का कोई सरकारी आदेश नहीं है और न ही कक्षा 9 अथवा 11 में प्रवेश के लिये कोई लिखित परीक्षा ही ली गयी ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा फर्जी चेकों का भुगतान एवं सम्पत्ति एवं मकान की जांच

201—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 से 25-2-80 तक के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा चेक बुक संख्या 3870 से बहुत चेक काट करके लाखों रुपये फर्जी तरीके से अध्यापकों का प्राविडेंट फण्ड तथा बिल्डिंग का रुपया एवं दूसरे मदों का निकाल कर दुरुपयोग किया गया है? क्या सरकार इस चेक बुक के पहले की कटी हुई चेक बुकों की जांच सी0आई0डी0 से करायेगी और इस बात की भी जांच करायेगी कि जो चेक बुक ट्रेजरी से दिया गया था उसकी जगह पर फर्जी चेक बुकें कहां से और कैसे बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राप्त की हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

202—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी की सम्पत्ति एवं मकान की जांच करायेगी जो इन लोगों ने क्रमशः सोनियां व जिला कारागार के सामने आलीशान मकान वाराणसी में खड़ा किया है ? यह धन कहां से आया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) निरीक्षण शाखा से प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति में पिछड़े वर्ग का आरक्षण

203—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (शिविर) के आदेश संख्या शिविर सं01/81-82, दिनांक 7 अप्रैल, 1981 के द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की सात प्रोन्नतियां अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) निरीक्षण शाखा से की गयी हैं जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया इसका क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । कारणों की छानबीन की जा रही है ।

श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, क्वीन्स कालेज, वाराणसी के अवशेष वेतन का भुगतान

204—मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प), क्वींस कालेज, वाराणसी के सन् 1965 से चले आ रहे अवशेष वेतन के भुगतान हेतु ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले मुकदमा नं0 149(1)/1977, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 एवं रिवाइव एप्लीकेशन के फैसले दिनांक 7-9-79 के बावजूद भी अभी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—
सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में राजकीय हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

205—श्री विद्यासागर नौटियाल—
क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त पड़े हैं ? उन्हें भरने के लिए शासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? उन पर कब तक नियुक्ति कर ली जायगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—
जनपद टिहरी गढ़वाल में राजकीय हाई स्कूलों तथा इंटरमीडिएट कालेजों (बालक) में प्रवक्ता वेतनक्रम के 15 पद, स्नातक वेतनक्रम के 43 पद तथा सी० टी० वेतनक्रम के 5 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों का विवरण संलग्न है । रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ—304 पर ।)

श्री जटा शंकर त्रिपाठी को पेंशन तथा अवशेष वेतन का भुगतान

206—श्री जगदीश सिंह—
क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भदुसुआ ईसापुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 19-10-68 को श्री जटा शंकर त्रिपाठी 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त किये गये और उनका अभी तक न पेंशन दी गयी और न उनका अवशेष वेतन सेवा काल का भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—
सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी, जनपद हरदोई की प्रबन्ध समिति द्वारा स्थानीय विद्यालय निरीक्षक के आदेशों के विरोध में कृत कार्यवाही

207—श्री राम आसरे वर्मा—
क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी, जनपद हरदोई के कार्यवाहक प्रधानाचार्य सम्बन्धी जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई के आदेश के विरुद्ध प्रबन्ध समिति द्वारा किए गए प्रतिवेदन पर अक्तूबर 1981 में उप-निदेशक, शिक्षा, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति (श्री हजारी लाल वर्मा) को गबन का आरोप सिद्ध होने के कारण अयोग्य घोषित करते हुए अन्य वरिष्ठ शिक्षक के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गयी है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—
जी नहीं ।

प्रबन्ध समिति द्वारा स्थानीय विद्यालय निरीक्षक के आदेशों के विरोध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को अपील प्रस्तुत की गई है जो कि अभी विचाराधीन है ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

[12 बज कर 20 मिनट]

श्री जोश मलिहाबादी का शोक प्रस्ताव सदन में लाये जाने की मांग

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, जोश मलिहाबादी का कल पाकिस्तान में निधन हो गया । जोश मलिहाबादी हमारे उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के रहने वाले थे और वह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि थे । स्वतंत्रता संग्राम के वह महान सेनानी थे और उन्होंने उर्दू साहित्य के जरिये अंग्रेजों के खिलाफ कवितायें लिखी हैं । वह जो कवितायें लिखी है, वह सदा अमर रहेंगी । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव हो जाय । इस पर शासन विचार कर ले ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न आपका असंगत है । यह प्रश्न नहीं उठता ।

[समय 12-22 अपराह्न से]

विकास क्षेत्र जलालपुर, जिला जौनपुर में शारदा नहर की मड़ियाहूं- केराकत शाखा से चार उप शाखायें निकाले जाने से प्रभावित किसानों के समक्ष उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 5 सूचनाएं स्वीकृत की गयीं ।

*श्री प्रभू नारायण सिंह---

मान्यवर, जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर के अन्तर्गत शारदा नहर के मडियाहूं केराकत शाखा से चार नई उप शाखायें-बरायीं लोहगाजर, लहंगपुर एवं औइना प्रस्तावित हैं । यह सभी उप शाखायें उस क्षेत्र में प्रस्तावित है जहां अत्यधिक घनी आबादी है और अधिकांश लघु तथा सीमान्त कृषक रहते हैं । बरायीं माइनर में 18 सीमान्त एवं 32 लघु कृषक हैं । लोहगाजर माइनर पुरवे, मेघपुर, सलेमपुर, ग्रामों से होकर आती है । इसके क्षेत्र में 451 सीमान्त एवं 52 लघु कृषक हैं । लहंगपुर माइनर में केवल एक गांव के 254 सीमान्त एवं 32 लघु कृषक हैं । औइना राजबहा बैला, औइना गोपी पुर नेजादा जरहिला सरैया छतरी पुर, टुसौली, तथा मई आदि 14 ग्रामों में से जाती है तथा इसके क्षेत्र में 1960 सीमान्त एवं 310 लघु कृषक हैं । इन 18 ग्रामों में 39 कृषकों को 45856 रुपयों का ऋण निजी लघु नलकूप लगाने के लिये विभिन्न बैकों द्वारा वितरित किया गया है । नहर खुदाई से पूर्व कृषकों को न तो नोटिस दी गई और न ही उन्हें अब तक मुआवजा ही दिया गया । पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है । किसानों की हरी फसलें काटी जा रही हैं । पूरे क्षेत्र में भुखमरी व्याप्त होने की आशंका है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि अब तक न खोदी गई लोहगाजर और औइना माइनर का निर्माण कार्य स्थगित कर उन्हें निरस्त किया जाय । चकबन्दी करा कर किसानों की सामूहिक कटौती से भूमि दी जाय। नवीनतम बाजारू दर से उन्हें नहर में ली गयी भूमि का मुआवजा दिया जाय। प्रथम सर्वे के अनुसार आबादी से दूर वाले क्षेत्रों से नहर की खुदाई की जाय जिससे कि घनीं आबादी वाले इस क्षेत्र को सीलन और उससे उत्पन्न बीमारियों से बचाया जा सके । विभिन्न बैकों से सिंचाई सुविधा हेतु दिये गये धन में अधिकतम सरकारी छूट दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐशबाग, लखनऊ केन यूनियन से सम्बन्धित गन्ना क्रय केन्द्र, नवाब अली का पुरवा पर किसानों का गन्ना न खरीदे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बक्श रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका विवरण निम्न है :—

ऐशबाग, लखनऊ के केन यूनियन के सदस्य जो रायबरेली शुगर मिल से संबंधित हैं, अपना गन्ना विगत तीन वर्षों से भेज रहे हैं। यह समस्त गन्ना उत्पादक अधिकांशतः विकास खण्ड गोसाईगंज, जनपद लखनऊ के निवासी हैं, जो नवाबअली का पुरवा सेन्टर से गन्ना विक्रय करते रहे हैं। इस वर्ष लगभग दो महीना कांटा चलते हो गया है लेकिन किसानों का गन्ना बहुत कम तौला गया है। दिनांक 25-1-82 से 20-2-82 तक केवल 5 दिन गन्ना तौला गया। यूनियन से बराबर पर्ची कटती रहती हैं, पर्ची मिलने पर गन्ना किसान अपना गन्ना सेन्टर पर लाते हैं, आठ-आठ दिन गन्ने से लदी गाड़ी सेंटर पर खड़ी रहती है। गन्ना सूखा करता है जिससे किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती है। साथ ही गन्ने का कांटा प्रतिदिन का पहले से आधा कर दिया गया है। उस पर भी 25-1-82 से अब तक लगातार कांटा बन्द है। पर्चियों के अनुसार 11 फरवरी, 82 से खेतों एवं गाड़ियों में कटा हुआ गन्ना सूख रहा है इस क्षेत्र में अभी करीब चार सौ एकड़ गन्ना खेतों में खड़ा है। उपरोक्त परिस्थितियों में इस क्षेत्र के किसानों का, गन्ना उठना असम्भव हो गया है। रायबरेली शुगर मिल एवं ऐशबाग कन यूनियन, लखनऊ क अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण इस क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों में भारी रोष व क्षोभ एवं असन्तोष पैदा हो गया है। लगता यह है कि अब उनका गन्ना खेतों में ही खड़े सूखे जायेंगा और अन्त में जलाने की भी नौबत आ जायेगी।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार शीघ्र इस ओर ध्यान देकर ऐशबाग केन यूनियन से सम्बन्धित सभी गन्ना कृषकों क गन्न को शीघ्र रायबरली शुगर मिल को भिजवा कर किसानों को राहत देने का काम करें और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करें।

सीतापुर स्थित आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के अध्यापकों को वेतन वितरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12.27 अपराह्न से]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सीतापुर स्थित आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के अध्यापकों को विगत 5 माह से वेतन नहीं दिया गया जबकि उक्त कालज क अध्यापकों का वतन संदाय शासन द्वारा दिये जा रहे पोषण अनुदान से होता है अर्थात् वेतन देने की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। इससे स्वाभाविक है कि अध्यापकों के सामने भीषण संकट व्याप्त है।

मान्यवर, अनेक बार मैंने स्वयं तथा विवादग्रस्त अध्यापकों ने सरकार का दरवाजा खटखटाया परन्तु कोई हल नहीं निकला अब मजबूरन अध्यापकों न आन्दोलन का सहारा पकड़ा है। 5 माह से वेतन न मिलने से परिवार के सामने भुखमरी की दशा है। अब होली का त्योहार निकट होने से और भी गहन है। अध्यापकों नें काम बन्द करने की चेतावनी दे दी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीतापुर स्थित आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के अध्यापकों को वेतन वितरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अतएव लोकमहत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर मा0 शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब वेतन दिलाने का आग्रह करता हूं। और यह भी मांग करता हूं कि इस बात की भी जांच की जाय कि 5 माह से वेतन बिल बनाकर उसका भुगतान न कराने के लिए दोषी कौन है तथा उसकी भी शास्ति अवश्य दी जाय ।

उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर रनगवां (मध्य प्रदेश) के समीप छतरपुर (मध्य प्रदेश) के असामाजिक तत्वों द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दिनांक 20-2-82 को मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, अधिशासी अभियन्ता एवं सिंचाई विभाग के अन्य कर्मचारियों पर रनगंवा (मध्य प्रदेश) के समीप हिंसक भीड़ ने गाली-गलौज मारपीट तथा तोड़ फोड़, कार्यकारी जिलाधिकारी (छतरपुर) विधायक तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश की उपस्थिति में की है। पत्थरों की मार से एक सहायक अभियन्ता, गार्ड तथा अन्य 4 लोगों को चोटें आई हैं। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट कमौठा थाना जिला, छतरपुर में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, प्रखन्ड तृतीय, बांदा ने दिनांक 21-2-82 को कर दी है। म0 प्र0 के कुछ राजनैतिक लोग यह चाहते हैं कि म0 प्र0 में स्थित इन बांधों से बांदा (उ0प्र0) को सिंचाई के लिये पानी न दिया जायें और इसके लिये उ0 प्र0 के कर्मचारियों को आतंकित व प्रताड़ित कर भगा देना चाहते हैं। इसके पूर्व रनगवां बान्ध के पानी के संबंध में जिला जनता पार्टी (छतरपुर) (म0 प्र0) द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को अवैध रूप से कब्जा कर लेने की धमकी दी थी। दिनांक 18-9-1981 को नियम 301 के अन्तर्गत मैं माननीय सदन के संज्ञान में इस तथ्य को भी ला चुका हूं। मारपीट की उक्त घटना से गगऊ बान्ध, (रंनगवा) तथा वारियारपुर बान्ध पर कार्यरत सिंचाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है तथा भय के कारण वे इन बान्धों का छोड़कर उत्तर प्रदेश में भाग कर चले आयेंगे। इस प्रकार बांदा को सिंचाई के लिये प्राप्त होने वाला पानी नहीं मिलेगा तथा लाखों एकड़ रबी की फसल को नुकसान हो सकता है।

अतः इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि शासन तत्काल प्रभावशाली कदम उठाये। गगऊ बान्ध रनगवां तथा बरियारपुर पर कार्यरत सिंचाई कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। जिससे कि बांदा जनपद की सिंचाई व्यवस्था नष्ट न हो।

बलिया जनपद में गंगा तथा घाघरा नदी के दियारे में डाकुओं को प्रश्रय के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

महोदय, बलिया जनपद में गंगा नदी तथा घाघरा नदी के किनारे उ0 प्र0 तथा बिहार की सीमा रेखा पर नदियों के दियारे में दोनों प्रदेश के डाकुओं का आश्रय स्थल बन गया है दोनों प्रदेशों की सीमा रेखा के पास गंगा नदी बहती है। इसके कारण भरौली से जयप्रकाश नगर तक लगभग 50 किलोमीटर लम्बी तथा 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी दियारे के रूप में विकसित हो गयी है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बबूल के पेड़,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गौरी शकर भैय्या]

झउआ, मूंज, ढोढ आदि उग आये हैं। इसी दियारे के मध्य से दोनों प्रदेश की सीमा रेखा के आर-पार दोनों प्रदेश के डाकू तथा असामाजिक तत्व निर्भय होकर रहते ह। प्रति सप्ताह गंगा नदी के उत्तर लगभग 15 कि0 मी0 के अंदर पड़ने वाले गांवों में इनके द्वारा भयंकर लूटपाट की जाती है। डकैती डालने के पश्चात् ये लोग गंगा नदी के दियारे में या इसी रास्ते बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इनके प्रभाव क्षेत्र में थाना नरही थाना फेफना, थाना गड़वार, थाना बलिया (नगर), थाना अजोरपुर, दरामपुर बैना शनिचरा, लक्ष्मनपुर कोठिया सेनुरिया, पिपरा, रामपुर बड़का खत व आस-पास के गांवों में डकैतियां डाली जा चुकी हैं। ग्राम कोट अजारेपुर तथा दरामपुर में पिछले सप्ताह लगभग 30 लोगों का गिरोह राइफल और बन्दूकों से लैस होकर आया तथा डेढ़ घंटे तक गोली चलाकर लाखों रुपये की संपत्ति लूट लिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिनका उपचार विभिन्न चिकित्सालयों में चल रहा है। प्रभावित इलाके में 50 बड़ी चोरी तथा 10 बड़ी डकैतियां पड़ चुकी हैं। साथ ही दियारे के मध्य खेती करने के लिय डेरा बनाकर रहने वाले लोगों से बलात भोजन प्राप्त करना, हैण्ड पम्प एवं ट्यूबवेल के इंजिनों को उठा ले जाना बैल एवं दुधारू पशुओं के समूह हांक ले जाकर, फिरौती लेना, फसल की कटाई करना तथा मजदूरों से बेगार लेने का काम भी यह लोग करते हैं। दियारे में अपना आतंक बनाये रखने के लिये रात्रि क वक्त हवा में गोलियां चलाने का काम भी ये लोग करते हैं, जिससे आतंकित होकर दियारे के लोग पुलिस में बहुत सी घटनाओं की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं बिहार की सीमा के पास होने के कारण ये लोग दिन में बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। बलिया जिला में इस दियारे को नया चम्बल के नाम से पुकारा जाता है। यही हालत घाघरा नदी, नारायणी नदी, (देवरिया) के दियारे का भी है। इस प्रकार पूरे क्षेत्र की शांति व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है।

उपरोक्त घटना से बलिया, देवरिया तथा गाजीपुर जनपद में लोगों में व्यापक रूप से भय, असंतोष, चिन्ता, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 में किये गये आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

मा0 उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 में किये गये आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(आनुषंगिक संशोधनों के लिये देखिये नत्थी (ट) आगे पृष्ठ 306 पर)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 9 फरवरी, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् स बिना किसी सशोधन के दिनांक 18 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री, श्री गुलाब सेहरा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गोपी नाथ वर्मा, सदस्य विधान सभा ने 2 फरवरी, 1982 को माननीय राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, श्री गुलाब सेहरा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें उनका कहना है कि प्रथम सत्र 1982 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के सन्दर्भ में माननीय राज्य मंत्री, ने जो उत्तर दिया है वह तथ्य को छिपाते हुये सदन को गुमराह करने वाला है।

माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रकार था "क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री रामदेव, पुत्र श्री भिखारी प्रसाद, हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, मकदूमनगर, ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद को छात्रवृत्ति न दिये जाने की शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?" इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि "(अ) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।"

माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत के प्रमाण स्वरुप हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा 8 जुलाई, 1981 को उनके 7 जुलाई, 1981 के एक पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुये लिखे गये पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपनी सूचना के साथ संलग्न की है और कहा है कि यह स्पष्ट प्रमाण है कि उक्त माननीय राज्य मंत्री जी ने तथ्य को छिपाकर सदन को गुमराह किया है। मा0 अध्यक्ष ने इस सूचना के संबंध में माननीय राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। उक्त माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा सूचित किया है कि श्री गोपीनाथ वर्मा ने अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 188, जिसका उत्तर वर्तमान सत्र के दूसरे बुधवार दिनांक 27 जनवरी, 1982 को दिया गया था, में श्री रामदेव पुत्र, श्री भिखारी प्रसाद, निवासी फैजाबाद के शिकायती पत्र की प्राप्ति के संबंध में सूचना मांगी थी जब कि माननीय छेदा लाल चौधरी, तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, द्वारा उनके दिनांक 8 जुलाई, 1981 के पत्र में श्री देवराज पुत्र श्री भिखारी प्रसाद, निवासी फैजाबाद के पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गयी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1980–81 तथा वर्ष 1981–82 के अभिलेखों को देखने पर यह पाया गया कि हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशाला, मकदूमनगर, ब्लाक टांडा, जिला फैजाबाद के किसी छात्र ने छात्रवृत्ति के लिये कोई आवेदन-पत्र जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य मंत्री माननीय श्री गुलाब सेहरा ने श्री गोपीनाथ वर्मा के उक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जानबूझकर किसी तथ्य को नहीं छिपाया है

[श्री उपाध्यक्ष]

और न गलत सूचना ही दी है। अतः माननीय अध्यक्ष ने इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी है।

राजस्व मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना और है, श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 1 फरवरी, 1982 को माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान की एक सूचना दी है जिसमें माननीय सदस्य ने विधान सभा के वर्ष 1982 के प्रथम सत्र के द्वितीय शुक्रवार के लिये निर्धारित उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के बारे में यह कहा है कि उसमें तथ्यों के विपरीत कथन करके माननीय राजस्व मंत्री ने सदन को भ्रामक सूचना देकर गुमराह करने की चेष्टा की है और इस प्रकार सदन का अवमान हुआ है।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ कोई ऐसा लेख्य या प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि उक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर द्वारा माननीय राजस्व मंत्री ने जानबूझकर भ्रामक सूचना दी अथवा सदन को गुमराह करने की चेष्टा की। अतः माननीय अध्यक्ष ने इसे विशेषाधिकार या सदन के अवमान के प्रश्न के रुप में उठाने की अनुमति दी है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-स्थगन के लिये नियम 56 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुईं। क्योंकि अधिकतर लोगों ने यही सूचना नियम 51 में भी दी हैं, अतः इनमें से प्रत्येक को अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैनपुरी जिले में जो दस्यु प्रभावित इलाका है, वहां छविराम के एक साथी ने बल्लभपुर गांव में एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की हत्या की, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। आप स्वयं अपने दिमाग में दुविधा में थे।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर—व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यों तो इस सरकार ने कत्ल, डकैती, सामूहिक नरसंहार और.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इसकी विशेषता को स्वयं हल्का कर दिया है, आप बैठें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के पुनः बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी स्वयं की भावनाओं को देखते हुए हमने इसे अस्वीकार कर दिया है और नियम 51 में स्वीकार कर लिया है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, हमारा कार्य स्थगन का प्रस्ताव देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सभी बैठें।

(समय 12 बजकर 42 मिनट)

1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या–2 आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग तथा अनुदान संख्या–22 नगर विकास विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–2–आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,55,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,99,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, प्रदेश में आवास की बड़ी गम्भीर समस्या है और सन् 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 5.50लाख भवनों की अनुमानिक कमी थी, जो 1980–81 के अन्त तक बढ़कर14.84 लाख तक हो जाने की आशा है। इसी उद्देश्य से शासन इस समस्या पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहा है और इसी को हल करने के लिये आवासीय कार्यक्रमों में प्रगति लाने के उद्देश्य से 14 नगरों में विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है एवं आवास एवं विकास परिषद् के जरिये से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। योजना के माध्यम से वर्ष 1981 तक राज्य सरकार द्वारा 59,262 भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शासन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत मलिन बस्ती सुधार योजना पर बहुत अधिक जोर दे रहा है और इसके अन्तर्गत 12 नगरों–कानपुर,आगरा, वाराणसी,इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली,गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर और देहरादून में मलिन बस्तियों में सीवर लाइन, पानी निकासी के नाले, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि बनाने की योजना है और उसको चालू किया गया है। वर्ष 1982–83 में इस योजना के अन्तर्गत कुछ अन्य नगरों को भी लाने का प्राविधान है।

इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत ऋण के रूप में और 37 1/2 प्रतिशत अनुदान के रूप में शासन द्वारा दिया जाता है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त छोटे और मध्यम वर्ग के नगरों के संगठित विकास करने के लिये भी भारत सरकार की सहायता से योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत बीस नगरों का–आजमगढ़, जौनपुर, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं, बांदा,

[नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)]

अल्मोड़ा, देवरिया, बाराबंकी तथा बलिया इत्यादि नगरों के विकास के लिये भी मान्यवर, कहीं पर एक करोड़ और कहीं पर डेढ़ करोड़ रुपये भारत सरकार से अनुदान लेकर हर तरह से नगरों के विकास करने की योजना है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त कानपुर नगर के अन्दर विश्व बैंक की सहायता से 41 1/2 करोड़ की योजना है जिसके अन्तर्गत मलिन बस्ती सुधार, पेय जल सुधार योजना तथा साइट सर्विसेज सुधार योजनायें हैं, 15,000 लोगों के लिये। इसके अतिरिक्त 20,000 परिवार जो कि गन्दे हातों में रह रहे हैं, उनकी स्थिति में भी सुधार किया जा रहा है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जितने भी भवन प्रदेश के अन्दर बनाये जा रहे हैं, उनमें से लगभग--

श्री मुख्तार अनीस--

सभी से आप रुपये ले रहे हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

आप कृपया बैठ जाइये, जब आपकी मौका दिया जाय तभी आप अपनी बातों को कह लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्तार अनीस, आप बिराजें।

श्री मुख्तार अनीस--

इन्होंने कैसे कह दिया कि आप गुण्डों को पालते हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय मुख्तार अनीस, आप कृपया बैठें।

(श्री मुख्तार अनीस की ओर इशारा करके)

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

आपकी बातों का कोई असर मुझ पर नहीं होता है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन जितने भी आवास बना रहा है, उनमें से अधिकतर आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये बनाये जा रहे हैं। 80 प्रतिशत भवन कमजोर वर्गों के लिये बन रहे हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त शहरों में जो पेय जल योजना की व्यवस्था है, इस समय पूरे प्रदेश में 644 स्थानीय निकाय हैं, उनमें से मान्यवर, 434 स्थानीय निकायों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था उपलब्ध की जा चुकी है,। 1981-82 और 1982-83 में 20 और 15 नये नगरों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। शुष्क शौचालयों के परिवर्तन की योजना भी चालू है जो 25 नगरों में चलायी गयी है और उसमें 25 प्रतिशत अनुदान शासन की तरफ से दिया जा रहा है। ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत 112561 ग्राम हैं, इनमें से 33 हजार 506 ग्राम ऐसे हैं जो समस्याग्रस्त हैं। 11602 ग्रामों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जा रही है। 11602 ग्रामों में से अभावग्रस्त ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जायेगी।

81–82 में 1516 ग्रामों में और उपलब्ध करा दी जायेगी। हम कोशिश कर रहे है कि बाकी जितने बचे हुए ग्राम हैं, उनमें भी पेय जल सुविधा उपलब्ध करा दें। नगरों में सड़कों के रख-रखाव के लिये साढ़े दस करोड़ रुपया इस वर्ष वितरित किया गया है जिससे सड़कें और नालियां ठीक हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है, उसको यह सदन स्वीकार करे।

(12 बजकर 51 मिनट)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–2 आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। दोनों अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करन तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जिस उद्देश्य और ढंग से अपनी बात रखी है, तो आने वाले दिनों में जो भी पेयजल योजना है, जो भी गांव अभावग्रस्त हैं, मलिन बस्ती के सुधार की योजना है, उन पर काबू पान का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब एक दृष्टि हम उनके बजट पर डालते हैं तो लगता है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। इस वर्ष वर्ल्ड बैंक से उधार नहीं मिला। इसलिए मंत्री जी बड़े निराश और हताश हुए हैं। जो व्यवस्था पिछले साल धन की हुई थी, उससे कम इस वर्ष हुई है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान खण्ड 5 के भाग (1) की ओर, पृष्ठ 10 पर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें आवास के लिये जो ऋण की व्यवस्था थी पिछले वर्ष 9 करोड़ 28 लाख 90 हजार और इस वर्ष 8 करोड़ 29 लाख 8 हजार, इस प्रकार मान्यवर, 99 लाख 85 हजार की कमी दर्शायी गयी है। नगर विकास के लिए आयोजनागत धन में 8 करोड़ 27 लाख 34 हजार का प्राविधान था और इस वर्ष 8 करोड़ 24 लाख 10 हजार का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 2 करोड़ 3 लाख 24 हजार की कमी है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में भी कमी की है। मान्यवर, जिसका यह बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, हरिजन आवास, निर्बल वर्ग के लिए, इसमें भी कोताही कर दी क्योंकि उससे इनका लगाव है नहीं। कभी कभार इस सदन में आ जाते हैं, उसमें भी मान्यवर, कमी कर दी। पृष्ठ 12 है। अनुसूचित जातियों, जन जातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछले वर्ष आयोजनागत में 1 करोड़ 7 लाख 10 हजार रुपये थ और इस वर्ष 1 करोड़ 6 लाख रुपया रखा है। 25 हजार की कमी कर दी। आवास के लिये ऋण में और नगर विकास के लिये ऋण में, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण में भी कमी दर्शायी गयी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मंत्री जी किस प्रकार कह रह हैं कि सारी समस्याओं का निदान वे इस वर्ष कर लेंगे। मलिन बस्तियों के सुधार की योजना है जिसका आपने ढिंढोरा पीटा है। इस साल से शुरू करने का प्रयास है।

यह जो आप का बजट है, कितने दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि आपकी जो परफारमेंस किताब है, मिल जाये, मंत्री जी स भी अनुरोध किया था, मंत्री जी न निराश और हताश हो कर कहा था कि सेक्रेटरी से बात करें। आज 12 बजे वह हम को मिली है। पिछले वर्ष इन्होंने,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

पृष्ठ 15 पर है, धन आवंटित किया था, 50 हजार अनुदान के रूप में और इस वर्ष 25 हजार इसके साथ साथ नगर विकास में भी कमी दर्शायी गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान खण्ड 5, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ 509 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल सम्पूर्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का स्वास्थ्य सुन्दर रहे। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिये सरकार को आगे आकर काम करना चाहिए इसमें भी धन की कमी दिखायी गयी है। इसी प्रकार से और आगे चल कर, और विषयों पर प्रकाश डालूंगा। इन्होंने कारण भी दर्शाया है कमी का। कारण बताया है कि प्रशासनिक खर्चे, वेतन वृद्धि हुई है, इनकी पूर्ति के लिये जो वर्ल्ड बैंक से धन नहीं मिला तो परिणामस्वरूप कमी का बजट।

एक बात और कह कर आगे बढ़ना चाहूंगा। नगर पालिकायें, महा पालिकायें आज कल भंग अवस्था में हैं। सारा धन शासन ने अपने द्वारा नियुक्त आई0ए0एस0 और दूसरे अधिकारियों को दे रखा है जिनका जन-जीवन से कोई नाता, कोई सरोकार नहीं है। जब उनके हाथों में यह धन जायेगा तो स्वाभाविक है कि जब आदमी शक्ति पाता है तो अपन स्वतः मनोनुकूल कार्य करने के लिये आगे बढ़ता है और शासन में जो बैठे हैं, उनके माफिक खर्च होगा। इसलिए जो भी योजना बनेगी शहरों में निवास करने वालों पर खर्च करेंगे और उनसे हम कभी अपेक्षा नहीं कर सकते कि मलिन बस्तियों का सुधार करेंगे। इनसे कभी हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सड़कों पर घूमने व फुटपाथों पर रहने वालों के लिये यह कोई व्यवस्था करेंग। इसके ऊपर कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है।

राजेन्द्र प्रसाद जी ने एक बार कहा था कि जो सत्ता हो वह पिरामिड की तरह हो। सत्ता के सारे श्रोत निचले स्तर पर होने चाहिये जिससे लोगों को कार्य करने का अच्छा मौका मिल सके। जब नगरपालिकाओं के चुनाव हो जायेंगे तो मंत्री जी का काम केवल अनुदान ग्रान्ट कराने का रह जायेगा। इसलिए कभी भी सत्ता में बैठ लोग, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, जब तक इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तब तक वह ऊपर बैठ व्यक्ति अपने अनुरूप नगरपालिकाओं और टाउन एरिया को समाप्त कर देते हैं। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि इस पर आप कोई अंकुश लगायें जिससे चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में सत्ता रहे क्योंकि यह अधिकारी तो अपने में ही तल्लीन रहते हैं, इसलिये उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिये। इस प्रकार का प्रश्न पहले भी शासन के विचाराधीन इसी सदन में आया था। हेमवती नन्दन बहुगुणा जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इसी सदन में कहा था कि सवाल यह हुआ कि सुपरसेशन के लिये कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाय ऐक्ट में कि सरकार इसके अधिकार का तभी प्रयोग करें जब कि वह बोर्ड, जिसमें हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज, इस सदन के शासकीय और विरोधी दल के प्रतिनिधि, उनकी एक संख्या निर्धारित कर दी जाय, उसमें एक व्यक्ति जो नगरपालिका का अध्यक्ष या मेयर अनइन्टरप्टेड कई साल तक रहा हो, जिसे अनुभव हो, एक डाइरेक्टर लोकल बाडी हो, आदि यह रिकमेंड करे कि सुपरसेशन की आवश्यकता है, तभी किया जाये। कहने का मतलब यह है कि एक निष्पक्ष जमात होनी चाहिये। इस प्रकार इस में, इस ऐक्ट में यह प्राविधान होना चाहिये।

इसी प्रकार पेज 288 पर 11 जुलाई की कार्यवाही में उन्होंने कहा है कि--मेरी इस माननीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना है कि अगर इस पर उनकी राय मालूम हो जाय तो इसका भी फायदा लेकर, अपना निर्णय लेकर इसी सदन में रख दिया जाय और कोशिश इस बात की हो कि जल्दी से जल्दी वह बिल पास हो, साथ ही इस बात की कोशिश करें कि वर्ष के समाप्त होने के पहले ही हर म्युनिसिपैलिटी या जितनी संस्थायें हैं, वह अतिक्रमित न रह जायें और जिस प्रकार से एक नोटीफाइड एरिया में तहसीलदार बैठा हुआ है या सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ है, वह न रहे और जन प्रतिनिधियों के द्वारा वह संस्था चलाई जाय, वह बन्दोबस्त करे और जैसा

कि प्रजातन्त्र में अपेक्षित है सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, उस आधार पर स्वायत्तशासी संस्थाओं का स्वतन्त्र होना आवश्यक है और वह संस्थायें सचमुच में प्रजातन्त्र की बुनियाद जड़ बन जाये। मान्यवर, यह विचार था इस सदन का। प्रश्न जो उपस्थित हुआ था, वह आज तक उत्तरित नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि जिसके बारे में उन्होंने कहा था, उस पर आप अमल करके इस अधिनियम में प्राविधान करें कि इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी। मैं चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिये निवेदन करूंगा। एक चीज और आपने किया है कि नगरपालिकाओं, क्षेत्र समितियों के अपने आय के स्रोत नहीं बढ़ेंगे।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिसके चलते नगरपालिकाओं की आय में वृद्धि हो। आवारा कुत्ते पकड़ने से लेकर तमाम बातों के लिये बजट में लिखा गया है जिसे आप दिखला देंगे लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी आय के स्रोत को बढ़ावें। आय के स्रोत बढ़ाने के लिये तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स हैं। सरकार को चाहिये कि वह उन सुझावों पर विचार करके अपनी आय बढ़ावें, आय के साधन बढ़ायें। आय के साधन बढ़ाने के दो तीन तरीकें हैं। कैसी विडम्बना है कि मोटर चलती है नगरपालिकाओं की सड़कों पर और उसका टैक्स लेती है राज्य सरकार। वाहन चलते हैं नगरपालिका व महापालिकाओं की सड़कों पर और उसका टैक्स लेती है राज्य सरकार। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे इनकी आमदानी बढ़े। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में इस तरह का कोई प्राविधान होना चाहिये। इसी तरह से मनोरंजन कर सरकार लेती है। सिनेमा दिखलाया जाता है, लेकिन सिनेमा हाल्स के चारों तरफ जो गन्दगी होती है, उसकी सफाई तो नगरपालिका के आदमी करते हैं लेकिन मनोरंजन कर नगरपालिका की ट्रेजरी में नहीं जाता है। यह खुशी की बात है कि मिट्टी तेल पर से आपने चुंगी हटा ली जिससे साधारण जनता को लाभ पहुंचेगा लेकिन नगरपालिकाओं की आय में इधर जो कमी हुई है, उसकी इनकम को बढ़ाने के लिये आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान्यवर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुझाव दिया था, मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनी थी, उसने भी सुझाव दिया है। उन सबने सुझाव दिया है कि इन्टरटेनमेंट टैक्स व टैक्स पर सरचार्ज जो लगता है, मोटर टैक्स आदि जो इस प्रकार के टैक्स हैं उनका कुछ हिस्सा नगरपालिकाओं व नगरमहापालिकाओं को मिलना चाहिये। 1931 में एक आदेश पारित हुआ था, सरकारी गजट हुआ था जिसमें प्राविधान किया गया था कि मोटर टैक्स ऐसे खाते में जमा किया जायेगा जिसका 50 प्रतिशत लोकल बाडीज को दिया जायेगा। वह प्राविधान भी खतम कर दिया गया।

मोटर टैक्स पूरा का पूरा राजकोष में चला जाता है। नगरपालिकायें व महानगरपालिकायें उनसे वंचित हो जाती हैं। इस तरह से उनके इनकम में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है। इसी तरह से टोल टैक्स की बात है। आवास विकास परिषद् का कोई सामान आयेगा तो उस पर चुंगी नहीं लगेगी, विद्युत् परिषद् का कोई सामान आयेगा तो उस पर चुंगी नहीं लगेगी, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। नगरपालिका के अन्दर आपके विकास प्राधिकरण का कोई सामान आयेगा तो उस पर कोई चुंगी या टोल टैक्स नहीं लगेगा लेकिन साधारण आदमी जब कोई सामान लायेगा तो उस पर टोल टैक्स लग जाता है। यह कौन सी विडम्बना है, यह कौन सी व्यवस्था है। इसमें हम कैसे अपेक्षा करें कि इन नगरपालिकाओं के आय स्रोतों में वृद्धि होगी। इस प्रकार की तमाम कमेटी बनायी गयी जिन्होंने समय–समय पर विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये। श्रीवास्तव कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी बनी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आय के साधनों को बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय---]

तमिलनाडु में, दक्षिण के प्रदेशों में, वहां की नगरपालिकायें राज्य सरकार की ओर धन के लिये ललचायी दृष्टि से नहीं देखती और वे स्वयं ही अपनी आर्थिक व्यवस्था करके बहुत सी स्कीमों को कार्यान्वित कर लेती है ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आय के स्रोतों के विषय में और जो भी हो, आप चाहें अनुदान दें या न दें लेकिन अनुदानों के लिये कोई एक निश्चित मापदंड होना चाहिये । यह नहीं कि जिस नगरपालिका से आप प्रसन्न हों उसे तो ज्यादा धन दे दें और जिस नगरपालिका से असन्तुष्ट हों उसके धन को काट दें । इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अनुदान के रूप में धन को आवंटित करते समय नगरपालिकाओं के अंशदान का एक मानक सिद्धान्त होना जरूरी है । जब तक इसका कोई मानक सिद्धान्त नहीं बनेगा आप हमेशा किसी के धन को बढ़ा देंगे और किसी का धन घटा देंगे । बराबर नहीं आयेगा । इस के बारे में वेतन आयोग ने भी रपट दी है । इस प्रकार का एक सिद्धांत बनाया जाना चाहिये जिसके जरिये इन को अनुदान और अंशदान दिया जाय ।

दूसरी बात मैं आप के मायध्म से और कहना चाहूंगा कर्मचारियों के बारे में । ये कर्मचारी दैनिक वेजेज में अभी भी पड़े हुये हैं । नगर महापालिका लखनऊ में 600 कर्मचारी हैं । मुझे शर्म आती है यह बात कहते हुये कि जब मैं सोचता हूं कि इस प्रदेश में आई0ए0एस0 भी दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं । कुछ दिन पहले कानपुर नगरपालिका में जहां पर तीन वर्ष से यह निर्णय हुआ था कि कोई एम0डी0नियुक्त किया जायगा, हमारी सरकार में बैठे हुये लोगों ने मुन्नी लाल, आई0ए0एस0, को दैनिक वेजेज पर अप्रैल, 81 से जनवरी, 82 तक रखा । तो यह सरकार की आदत हो गई है दैनिक मजदूरी पर काम करवाने की, दैनिक रोजी देने की । स्वीपर से लेकर आई0ए0एस0 तक दैनिक मजदूरी पर रखने की आदत सरकार की हो गई है ।

सन् 1977 में हमारी सरकार ने एक आर्डर पारित किया था कि जो भी दैनिक बेजेज पर काम कर रहे हैं, अस्थायी हैं, उनको स्थायी कर दिया जाय । आज तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ । निदेशालय के डाइरेक्टर का झगड़ा मंत्री से हमेशा चला करता है । वहां दस वर्ष से कर्मचारियों की ई0बी0 कैसेज का भी निस्तारण नहीं हो सका है । लोग दिन भर बैठे रहते हैं ।

बजट समीक्षा में मंत्री जी ने परफारमेन्स बताई है लेकिन ये लोग करते कुछ नहीं हैं । दिन भर वहां नरगपालका के अधिकारी आयेगे, और लोग आयेंगे, ट्रान्सफर, पोस्टिग की बात करते रहते हैं । कर्मचारी अस्थायी है, बहुत दिनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली । मुझे एक बख्शी जी मिले, नौजवान थे, चमकता चेहरा, वित्त मंत्री जी के यहां जा रहे थे । मैंने कहा आप का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है । मैंने कहा मामला क्या है ? उन्होंने बताया तीन साल से कोई तनख्वाह नहीं पायी । तीन साल से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती टाउन एरियाज क्षेत्र समितियों में । क्यों नहीं मिलती ? इसलिए नहीं मिल पाती क्यों कि वहां आय के साधन ऐसे नहीं हैं जिनसे उन को भुगतान किया जा सके ।

कर्मचारियों के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा । जल निगम में, जल संस्थान में, इन के नामिनेटेड लोग हैं उन को तो अधिकार है कि दो हजार तक पे पाने वाले कर्मचारी को एपाइन्ट कर सकते हैं लेकिन जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं, उन्हें एक चपरासी नियुक्त करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है । इस में लिखा हुआ है कि सारे अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । पूर्व स्वीकृति लेंगे, पद सृजन करेंगे । जब पद सृजन होगा तब नियुक्ति कर सकते हैं । पद सृजन करने में कितनी दिक्कतें होती हैं, नतीजा यह होता है कि दैनिक वेंजेज पर कर्मचारी रखे जाते हैं । कर्मचारियों के कल्याण के लिए इस सदन में ही नहीं, उच्च और सदनों में भी

बैठे लोग दुहाई देते हैं । उनके दिमाग में यह बात नहीं आती चुने हुये प्रतिनिधियों को आप अधिकार दे दें कि वह कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है । एक तरफ अधिकार दे रखा है, अभी तक आदेश हैं कि उन के राजस्व का पचास प्रतिशत अधिष्ठान पर खर्च किया जायगा । जब पचास प्रतिशत खर्च अधिष्ठान में करने का अधिकार दिया है तो कर्मचारियों की नियुक्ति पर पचास प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं होता, उनको नियुक्त करने का अधिकार मिलना चाहिये । उनके लिए पहले से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । उसके लिए इस पर प्राविधान करने वाले नहीं हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं सफाई की व्यवस्था के बारे में । हमारी आबादी 1971 के मुकाबले में 1981 में काफी बढ़ गई है । प्राविजनल रोन्सस रिपोर्ट आई हुई है कि किसी नगर में 38 प्रतिशत, किसी में 30 प्रतिशत तथा किसी में 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी चारों तरफ से हुई है लेकिन सफाई की व्यवस्था जो सन् 65 से शुरू हुयी थी वही आज भी बनी हुई है, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है । जो लोग दैनिक वेजेज पर रखे गये थे, वे ही आज भी काम कर रहे हैं, कर्मचारियों में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है । मान्यवर, एक मैनुअल हुआ करता है जिसके आधार पर म्युनिसिपैलिटीज में तथा नगरपालिकाओं में लोगों को नियुक्त किया जाता है तथा प्रस्ताव के द्वारा भी महानगरों, उपनगरों, नगरपालिकाओं तथा महानगर-पालिकाओं में लोगों की नियुक्ति की जा सकती है । किन्तु इसके बारें में माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कुछ भी नहीं कहा है कि इस दिशा में वे क्या कदम उठा रहे हैं ।

अब मैं जल निगम के बारे में निवेदन करता चाहता हूं । इसके अन्तर्गत आते हैं आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, और जल संस्थान । ये विभाग ऐसे हैं जो कि अपने आप घोटाले की प्रतिमूर्ति हैं । मान्यवर, जल निगम की स्थापना कैसे हुई थी ? बर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं मिल रहा था, उसको धोखा देने के लिये आपने एक जल निगम बना लिया । उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, यह सर्व विदित है । जिन गांवों में जल की व्यवस्था नहीं है, वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था इस जल निगम द्वारा करायी जाती है । इसके अलावा सीवर लाइन्स की व्यवस्था भी आप के विभाग द्वारा ही की जाती है । जहां आप काम शुरू करते हैं, उसी वक्त दो प्रतिशत स्वत: अग्रिम के रूप में ले लेते हैं । मान्यवर, मैं एक ऐसे जिले से आता हूं जहां एक टूटी-फूटी नगरपालिका है जहां एक जनाना अस्पताल है। मैं वहां गया था मैने देखा कि वहां ऊपर जो टंकी पानी के लिये बनी हुई थी, उसमें पानी चढ़ता ही नहीं है, लिहाजा नलों में वहां पानी आता ही नहीं है । यह हालत अस्पतालों में इस विभाग की है तो दूसरी जगह क्या हालत होगी, इसका अन्दाज लगाया जा सकता है । ऐसे ही कई गांव होंगे । इसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने प्लान्डवे में काम करने के बारे में सोचा ही नहीं है । जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कि इनका विभाग कार्य शुरू करने से पहले ही 2 प्रतिशत लागत वसूल कर लेता है और और योजना बाद में बनाता है । शहरों के बारे में तो मैंने घूमकर देखा नहीं है, लोगों से सुना है, जब हम जाते हैं तो मेन सड़कों पर जाते हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई दिखाई देती हैं, सब ठीक ठाक दिखाई देता है लेकिन गलियों में मंत्री जी की हिम्मत नहीं होती कि वे वहां चले जायं । अधि-कारी लोग तो वहां जाते ही नहीं हैं क्योंकि वहां से उनको कुछ लेना देना तो पड़ता नहीं है ।

मान्यवर, आपको ज्ञात होगा कि लखनऊ महापालिका में कुछ ऐसे मोटर खरीदे जा रहे हैं जो कि 50 हार्स पावर के हैं जब कि बोरिंग के लिये यहां पर 15/20 हार्स पावर के मोटर की ही आवश्यकता है लेकिन ज्यादा कैपेसिटी के मोटर खरीदे गये हैं । क्योंकि उनसे अधिकारियों को कमीशन मिलता है । इसका नतीजा यह होता है कि जब ज्यादा कैपेसिटी के मोटर खरीदे जायेंगे तो या तो वे काम नहीं करते हैं या उनसे बालू आती है । यह स्थिति इस विभाग के

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

अधिकारियों की है । सीवर लाइन के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट 1979-80 में जो कि सिविल के सम्बन्ध में है, में कहां है कि माननीय मंत्री जी स्वयं में निश्चित नहीं हैं कि 35 हजार गांव अभावग्रस्त हैं, या 26 हजार गांव अभावग्रस्त हैं । उन्होंने पृष्ट 174 में कहा है । माननीय मंत्री जी उसे पढ़ लेंगे, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा थोड़ा पढ़ देना चाहता हूं । इसमें लिखा है मार्च, 1978 तक ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं को निष्पादित करने हेतु जिसमें 6 670 ग्राम अपनायें गये थे, 5563 लाख रुपयों की धनराशि व्यय हुई थी । तो भी जल निगम न तो 1951-52 से वर्ष अनुसार अथवा योजनानुसार निर्धारित लक्ष्य दिग्दर्शित करने के अभिलेख प्रस्तुत कर सका और न मार्च, 1978 तक अपनाये गये 6670 ग्रामों में से समस्या प्रधान और समस्या रहित ग्रामों के अवधिवार अलग अलग विभाजित विवरण प्रस्तुत कर सका ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया कि मार्च, 1978 तक अपनाये गये 6670 ग्रामों में से समस्या प्रधान ग्रामों को घटा कर 1 अप्रैल, 1978 को उत्तर प्रदेश में अवशिष्ट ग्राम 12,711 थे तो भी जल निगम ने सूचित किया कि 1 अप्रैल, 1978 को समस्या प्रधान और समस्या रहित ग्रामों की संख्या 30,503 थी, यद्यपि जल निगम ने सूचित किया कि अगस्त, 1980 को भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1978 को 30,503 की संख्या को स्वीकृत किया था, इसकी पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था और न ही यह बताया जा सका कि भारत सरकार ने किस प्रकार 12,711 अंकों की गणना की थी । तो मान्यवर, यह अपने आप में बताता है इनका निगम क्या करता है ।

आगे समाहार में लिखा है लखनऊ और कानपुर विकास प्राधिकरणों के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों को, राज्य सरकार ने समय से तथा केन्द्रीय ऋणों पर लागू नियम व शर्तों पर उपलब्ध नहीं कराये थे ।

मान्यवर, यह वर्ल्ड बैंक से ऋण ले लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं (व्यवधान) इसमें लिखा हुआ है मान्यवर कि मार्च, 1979 में समाप्त होने के चार वर्षों की अवधि में लखनऊ विकास प्राधिकरण को भूमि के अर्जन और विकास के निश्चित लक्ष्य का क्रमश: 28.8 और 10.6 प्रतिशत उपलब्ध हुआ था । कानपुर विकास प्राधिकरण की उपलब्धि (23.5 प्रतिशत अर्जन और 21 प्रतिशत विकास) अच्छी नहीं थी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम ने मार्च, 1980 तक एक भी कार्य पूर्ण नहीं किया था यद्यपि कानपुर में दो कार्य मार्च, 1979 तक पूर्ण हो जाने थे ।

जल निगम को काम कराने के लिए पैसा मिलता है मल निकासी आदि के लिए तो इसमें महालेखाकार ने क्या कहा है, उसको मंत्री जी स्वयं पढ़ लें, मैं पढ़ कर समय नहीं लेना चाहता हूं। मान्यवर, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलता है उसमें नरगपालिकायें अपनी योजनायें बनाती हैं लेकिन निगम उनसे पूछता नहीं है और मनमानी योजनायें बना लेता है और उनको बुला कर बाद में उल्टी सीधी स्वीकृत करा लेता है ।

फैजाबाद में एक सीवर लाइन के लिये दो करोड़ की योजना बनाई गयी तो उनके अपने साधन सारे टैक्सेज लगाने से, सीवर और पानी का टैक्स लगाने से 7,8 लाख की थी । मैंने सीवर टैक्स का जब निकाल कर देखा तो उसमें एक लाख की आमदनी आती है तो उसमें यह दो करोड़ खर्च कर रहे हैं । तो एक लाख में तो ब्याज भी नहीं दिया जा सकता है । तो जहां भी ऐसी संस्थायें हों जिनकी आय के साधन नहीं हैं, वहां पर यह इस प्रकार खर्च कर रहे हैं । तो इस प्रकार निगम 20-25 परसेंट कमीशन अपना काट लेता है जो कर्मचारियों के वेतन और रखरखाव का होता है और उसके बाद ठेके पर काम कराते हैं तो पुन: ठेके पर देने का

क्या औचित्य है और उस ठेके में भी 10 परसेंट और ले लेंगे। दो दो करोड़ में 40 परसेंट पैसा जल निगम इस प्रकार काट लेता है। जब जल निगम को काम करने के लिए यह पैसा मिलता है तो फिर क्यों यह ठेकें पर काम कराते हैं? तो मेरा निवेदन है कि जल निगम की कार्य प्रणाली में सुधार लाकर और जो यह कमीशन लेकर काम कराते हैं, उसको रोका जाय। जो म्यूनिसिपैलिटीज और नगरपालिकायें या क्षेत्र समितियां हैं वे, अपने संसाधनों से सीवर लाइन बनायें, अपने स्रोतों को बढ़ने में जो सक्षम हैं उनको सीधा कर्जा दें और जलनिगम का भार उन पर न लादें। जल निगम अलग और जल संस्थान अलग है। निगम टंकी और नाली बनाता है और उसे संस्थान को सौंप देता है जिनका रखरखाव वह बाद में करता है। फिर वह निगम अपना कमीशन लेकर अलग हो जाता है और कोई खराबी आने पर वह उस पर दोष देते हैं। इसलिए इसमें एक की जिम्मेदारी कभी नहीं होती है, जिम्मेदारी बंट जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों--जल निगम व जल संस्थान को मिलाकर एक में कर दें और उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर दें। तीन फिट गहराई तक जाना चाहिए, फिर भी वह न होने पर आप कुछ नहीं करते हैं। तो आप इनको एक करके इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें कि जहां कहीं गड़बड़ी होगी, टंकी टेढ़ी होगी आदि किस्म की शिकायतें होंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मथुरा में इसी प्रकार की गड़बड़ी हुई थी जिसके बारे में पिछली बार यहां बताया गया था लेकिन उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यह रुपया आप भले ही इन स्थानीय निकायों के आदमियों को न दें, लेकिन जो धन इनके द्वारा वहां व्यय किया जा रहा है वह किसी न किसी बहाने से वहां के गरीब निवासियों को देना पड़ेगा, इसलिए आप उसकी गाढ़ी कमाई के पैसे को व्यर्थ में न जाने दें और उसका पूरा-पूरा उपयोग करने का हर प्रयास करें। अभी आवास विकास परिषद ने बड़ा जोर मारा है, इसमें नई मदें आई हैं। मैं मंत्री जी के बयान दिनांक 20-11-81 से ही पढ़कर बताना चाहता हूं, उसके अनुसार 14 लाख 85 हजार मकानों की जरूरत पड़ेगी, जबकि आप 33 हजार 7 सौ मकान ही बनवाने जा रहे हैं और आपकी यह योजना भी पूरी होगी या नहीं या किस रूप में पूरी होगी, यह अलग की बात है। एक तरफ इतने अधिक लोगों के रहने की व्यवस्था करनी है जब कि इतने कम पैमाने पर सरकार मकान बनवायेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? कभी आपने क्या यह जानने की कोशिश किया है कि इन मकानों में क्या कभी गरीब आदिमयों को रहने को मिलता भी है? यह आवास विकास परिषद् में नई मदें दे रहे हैं, जिसके अन्तर्गत इन्होंने पिछड़े लोगों को धन दिया है। खण्ड-3 आयोजनागत, उत्तर प्रदेश शासन के व्यय की नई मदें जिन्हें 1982-83 के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है, के 2 प पर समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिये गृह निर्माण की योजना' के अन्तर्गत जो दिया हुआ है, उसे मैं पढ़कर मंत्री जी को सुनाए दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने उसका उद्धरण दे दिया है। अब आगे मंत्री जी बाकी देख लेंगे। इ ना ही काफी है।

श्री माता प्रसाद पांण्डेय---

इसमें इन्होंने 82-83 में 52 करोड़ 75 लाख रुपया दिया है और इसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 10 लाख 55 हजार रुपया रखा गया है। इसमें जो व्यय दिखाया गया है, उस हिसाब से इस धन से केवल 132 मकान बनते हैं हरिजनों के लिए और इसके विपरीत मंत्री जी अपने लिए बनवा रहे हैं 527 मकान। यह 132 मकान यदि

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय--]

सभी क्षेत्र समितियों, नगरपालिकाओं आदि में बांट दिये जायं तो हर एक में एक मकान भी नहीं पड़ता है। आप गांवों के गरीब रिक्शाचालक से जो यहां आकर कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका कमाते हैं, टैक्स लेते हैं, लेकिन आपने उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। यह आपकी योजना है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए। अल्प आय वालों के लिए जो योजना है, इसमें 230 मकान बनते हैं जबकि मंत्री जी क लिए 593 मकान बनत हैं। यह उनकी योजना है। पता नही धन म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन से ले आयेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आया। विकास प्राधिकरण जब घर बनाता है तो कोई जमीन देने को तैयार नहीं होता है लेकिन ये 5-5 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से किसानों की भूमि ले लेते हैं और उसे 35-35 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बेच देते हैं। ये गांव के लोगों को बेरोजगार करके, उनकी सम्पत्ति का हरण करके बड़े बड़े मुनाफे पर उसको बेच देते हैं। कोई भी अच्छी सरकार सीधे मुनाफा नहीं कमाती है लेकिन यह सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार, कैपिटलिस्टों की सरकार है जो अपनी कारगुजारी से गरीबों को बेरोजगार करती है और उनकी सम्पत्ति को छीना करती है। हमारे माननीय मंत्री जी पूंजीपतियों को रिप्रेजेन्ट करते हैं।

जहां तक विकास प्राधिकरण का प्रश्न है, उसके कितने ही मकान ऐसे हैं जिन पर नेता लोग, क्योंकि वे ताकतवर हैं कब्जा किए हुए हैं और इसके बाद अधिकारीगण हैं जिनकी परमानैन्सी है, वे कब्जा किए हुए हैं। लगभग 300 मकान ऐसे हैं जिन पर कब्जा कर खुद भी मकान बनाये हुए हैं लेकिन स्वयं विकास प्राधिकरण के मकानों में रहते हैं और अपने मकानों को ऊंचे किराये पर उटाये हुए हैं। विकास प्राधिकरण जो मकान बनवाता है उनकी जो हायस्ट बोली बोलता है और एक मुश्त में रुपया देता है, उनको दिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके चपरासी या हरवाहा 25--25, 30--30, 45--45 या 50-50 हजार रुपया देकर पायेगा। जिनकी नम्बर 2 की कमाई है, जिन्होंने सारे प्रदेश के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, उन्ही लोगों को विकास प्राधिकरण के मकान मिल पाते हैं। यदि इस प्रकार के प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जाय तो मध्यम वर्ग के लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी। आज उनको कोई घर उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप प्राथमिकता तय करके उसका निर्धारण करें कि इतनी आय तक के लोगों को आप इस योजना में मकान देंगे।

बड़ी दुहाई दी जाती है कि आपने टैक्स माफ किया है पानी का। 360 रूपये तक के लोगों पर लेकिन आपने मिनिमम टैक्स 72 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया है। यह मंत्रिमंडल गरीबों का कभी फायदा नहीं करता है।

अब मैं नजूल की जमीन के बारे में बताना चाहता हूं, नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं में जो स्थिति है, टाउन एरियाज की तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी व्यवस्था इनके हाथ में रहती है। यह जो रिपोर्ट है, वह यह दर्शाती है कि इस प्रदेश में जो नगरपालिकाओं को कुछ हिस्सा भी मिल जाता था, उन जमीनों का रिन्युवल भी नहीं किया जाता है। 10--10 वर्ष से वे पड़े हुए हैं, उस पर मकान बन गये हैं लेकिन उनका कोई किराया नहीं देता है और न उनका कोई रिन्युवल ही कराता है। मेरी प्रार्थना है कि उनको कैंसिल करके उन जमीनों को गरीबों में बंटवा दें। आपकी सरकार दिशाहीन है, संकल्पहीन है, आपकी सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है इसलिए आप उसको गरीबों में बांट नहीं सकते हैं। तो कम से कम उनका रिन्युवल तो तुरन्त करवाइये।

इलाहाबाद की सिविल लाइन्स को ही देख लीजिए, वहां पर नजूल की जमीन पर लोग कब्जा किए हुए हैं । हमारे मुख्य मंत्री जी और हलवासिया आदि बड़े-बड़े लोगों के वहां पर बंगले हैं । 10-10 एकड़ जमीन उनके बीच में है । तो सरकार को चाहिए कि उनका रिन्युवल करके कर निर्धारण करना चाहिए। आज उनके रख रखाव पर कटाक्ष किया गया तो नगर महापालिकाओं, महापालिकाओं और टाउन एरिया में रख रखाव का कोई रजिस्टर ही नहीं मिला । प्राविधान यह है कि यह रजिस्टर नगर महापालिका के कार्यालय में भी रहेगा और एक कागज जिला कलेक्टर के लिये रहेगा । जब कभी कोई अतिक्रमण करेगा तो उसका सत्यापन रजिस्टर से मिलाकर कर लिया जाया करेगा । कलेक्टर के यहां से यह अपेक्षित है कि वह हर वर्ष उसका मिलान किया करे । किन्तु ऐसा कभी होता ही नहीं है । न तो निर्धारित प्रपत्र के अनुसार वहां रजिस्टर ही रखे जाते हैं और न हो नियमों के अनुसार कार्यवाही ही की जाती है। पट्टों के सम्बन्ध में कोई विवरण दर्ज नहीं किया जाता है । न कभी मिलान किया जाता है । लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद आदि कई जिलों में यही चीज देखने को मिलेगी ।

मान्यवर, इमरजेंसी के टाइम में एक अर्बन सीलिंग ऐक्ट पास किया गया । यह सरकार 20 सूत्रीय कार्यक्रम का बड़ा ही प्रचार करती है । पहले कहा गया था कि शहरों में बड़े बड़े लोगों के पास जो तमाम भूमि पड़ी हुई है, उसे निकाला जायेगा और उसे भूमिहीनों में बांटा जायेगा । उस कानून के तहत जिन बड़े-बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी भूमि पर कब्जा कर रखा है, उसका सर्वेक्षण करा कर उस भूमि के वितरण का काम सरकार को करना चाहिये था, लेकिन आज तक उस ऐक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गयी । गांव में अगर किसी के पास 18 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसे सरकार ले लेती है, पर शहरों में जिन लोगों के पास करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी है, उसको लेने की यह सरकार हिम्मत नहीं करती है । इसी से यह स्पष्ट है कि यह सरकार बड़े बड़े लोगों की है, पूंजीपतियों की है और गरीबों के प्रति इस सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है । अर्बन सीलिंग ऐक्ट जरूर बना मगर उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हुई । मैं यह कहना चाहूंगा––एक श्लोक है––

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि नहीं मनोरमें,
नहि प्रवेशान्ति सुपतस्य : सिंहस्य मुखे : मृग : ।

आप प्रयास कीजिये । इन बड़े-बड़े भू-खण्डों को वितरित कीजिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें और इस शासन के मुंह पर तमाचा मारें और कालिख पोतें ।

*श्री आजाद कुमार कर्दम––]

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । मैं, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं, उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इन अनुदानों का स्वागत करता हूं ।

मान्यवर,यह विभाग बहुत बड़ा विभाग है और करोड़ों रुपया यह हर वर्ष खर्च करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि सारा रुपया अधिकारियों की जेबों में ही चला जाता है और नगर विकास के काम पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता । मैं आपका ध्यान आगरा की तरफ दिलाना चाहूंगा । आगरे में नगर महापालिका है । वहां का चुनाव 12 साल से नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री आजाद कुमार कर्दम--]

हुआ है। इस विधान सभा को चुने हुये भी पौने दो वर्ष हो गये हैं, पर अभी तक वहां पर जनता के प्रतिनिधियों की कोई बैठक तक नहीं बुलायी गयी। वहां जो कुछ घोटाला होता है वह अधिकारियों तक ही सीमित रह जाता है और जनता तक उसका पता नहीं चलने पाता। नगर विकास का कोई काम वहां पर नहीं हो रहा है।

(इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

आज हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर एक भी नगर ऐसा नहीं है कि हम अपना सिर ऊंचा करके कह सकें कि हमारे प्रदेश के अन्दर इतना बढ़िया एक नगर है। कोई एक भी नगर ऐसा नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जिसका नाम लिया जा सके। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्षों में जो घोटाला होता रहा है, वह तो होता ही रहा है, लेकिन 7-8 महीनों में जो घोटाला हुआ है आगरा विकास के अन्तर्गत उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगरा में करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। वह रुपया ठेकेदारों और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मान्यवर, उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। (2) मान्यवर, जिन लोगों के 1970-72 से रजिस्ट्रेशन हैं, उनको मकान नहीं मिल पाता है और जो अधिकारियों को किसी तरह से खुश कर देता है, उसको मकान तुरन्त मिल जाता है। मान्यवर, एक तरफ तो हमारी सरकार यह कहती है कि पिछड़ी जातियों को मकान देना है, लेकिन मान्यवर, यह बड़े दुःख का विषय है कि ये सारी योजनायें और मकान के आवंटन की सारी योजनायें अधिकारियों की मर्जी पर रह जाती हैं, जो उनकी जेब गर्म करता है, उसको मकान आवंटित हो जाता है। लेकिन उन पिछड़ी जातियों तक वह योजनायें नहीं पहुंच पाती हैं।

मान्यवर, मैं भी एक पिछड़ी जाति का हूं और आगरा शहर का रहने वाला हूं। आगरा में ताजमहल है। वहां दुनियां के लोग देखने आते हैं। मैं वहां की नालियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर नगरपालिका जो है, वह नरकपालिका हो रही है। वहां पर सारी गाड़ियों का दुरुपयोग होता है। वहां के अधिकारी एवं प्रशासक दारू पीकर मस्त रहते हैं। उनको इन नालियों को देखने का मौका ही नहीं है। आज से कुछ महीने पहले मंत्री जी मेरे क्षेत्र में गये थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था और आदेश भी दिया था कि वह नालियां ठीक करा दी जायेंगी।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बाढ़ आगयी थी और तमाम गरीब के मकान गिर गये। रोड और फर्श खराब हो गयी थीं। माननीय मंत्री जी, ने यह आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उसे ठीक कराया जायगा, लेकिन माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, कमलानगर आवास योजना, आगरा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर 3 मकान एक ही परिवार के लोगों को दिये गये। एक मकान पिता के नाम, एक लड़के के नाम दिया। एक 400 मीटर का प्लाट एक आदमी के फादर के नाम कर दिया और इनके लड़के के नाम एक एल0 आई0 जी0 भवन कमलानगर में कर दिया। एक एम0आई0 जी0 भवन उनके लड़के के नाम कर दिया गया जब कि उसका रजिस्ट्रेशन, 1981 में हुआ था। उसमें न तो कोई लाटरी और न विज्ञापन ही किया गया था, एक-एक डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का घपला इन मकानों के एलाटमेंट में हुआ है।

तीन मकान कमला नगर में इस प्रकार से एलाट किये गये हैं, जिनका नाम बाद में दे दूंगा। आगरा नगरपालिका में लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है। जब मैंने इसकी तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान दिलाया तो उन्होंने इस तरह का जवाब दिया कि जैसे उन्हें इसका ध्यान ही नहीं है। प्रशासक महोदय का वहां कोई पता ही नहीं रहता है। छुट्टी पर ही

रहते हैं और वहां के जनता के प्रतिनिधि घूमते रहते हैं लेकिन अधिकारियों का कोई पता नहीं रहता है । मान्यवर, वहां के क्षेत्र का विकास और शहर का विकास होना चाहिये ।

लखनऊ के उप-प्रशासक, श्री राधेमोहन सिन्हा जिन पर 60 लाख रुपये का गवन था, और उसके खिलाफ विजीलेंस की जांच चल रही थी, उसकी नियुक्ति फिर भी आगरा में कर दी गयी । एक बात की तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, कानपुर के चीफ इंजीनियर को कुछ समय पूर्व सस्पेंड किया गया और उसके तुरन्त बाद ही बहाल कर दिया गया और वहां पर उसको रख दिया गया । एक तरफ तो कहते हैं कि अधिकारी गलत काम करते हैं और दूसरी तरफ गलत काम करने का रास्ता दिखा दिया जाता है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भी नगरपालिका और नगरमहापालिका तथा आवास विकास परिषद् में गड़बड़ियां फैल रही हैं, उसके लिए कमेटी जिला स्तर पर विधायकों की बनाई जाय, जब तक चुनाव नहीं होता महापालिकाओं के विधायकों की एक कमेटी उस क्षेत्र में बना दी जाय जिससे भ्रष्टाचार पर वह ध्यान रख सकें । हम जनता के प्रतिनिधि हैं । जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह काम इस नियम के रहते नहीं हो सकता है । लेकिन जब वही काम कोई दलाल लेकर चला जाता है, तो वह हो जाता है । मेरी समझ में नहीं आता है दलाल की क्या स्थिति है और हम लोग डेढ़ लाख से चुनकर आये हैं हमारी क्या स्थिति है । मेरी विचित्र सी स्थिति है । मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि आगरा में जो लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है मान्यवर, आगरा में संजय कम्प्लेस बनाया जा रहा है उसमें लाखों करोड़ों रुपये का घपला हो रहा है । वहां पर एक ही व्यक्ति इंजीनियर बना है और वही ठेकेदार भी है । उसने ठेका भी ले रखा है । एक हाथ से ठेकेदार बनकर बिल पर दस्तखत करता है और दूसरे हाथ से बिल पास करता है । इस प्रकार के प्रमाण हमारे पास हैं ।

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में लाखों करोड़ों रुपये का घपला हो रही है । जब हमारे रोड, मकान बनते हैं तो 6 महीने के अन्दर नष्ट हो जाते हैं, रोड टूट जाती है और लाखों रुपया बेकार हो जाता है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल निगम, नगरमहापालिका, आवास विकास परिषद् ऐसा महत्वपूर्ण संस्थाओं में जिन पर सदस्यों का ध्यान जाता है, अगर इसकी सुविधा जनता को नहीं दिला पायेंगे तो हम लोगों का चुनकर आना बेकार है । मेरा अनुरोध है कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को महापालिकाओं से साफ किया जाय । विधायकों को एक कमेटी बना दी जाय । जब तक यह नहीं होगा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है । मान्यवर, इधर 7–8 महीने से भ्रष्टाचार सीमा पार कर गया है, पहले कितना होता रहा होगा, मुझे नहीं मालूम है । लाखों करोड़ों रुपये का लखनऊ और जिलों के अन्दर घोटाला होता है । हम लोग चुप हैं । हम लोग चुप नहीं रह सकते क्यों कि हमारा फर्ज होता है, मान्यवर, आगरा नगरपालिका की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाय और जो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अधिकारी नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको दण्डित किया जाय और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर फैलते हुए भ्रष्टाचार को साफ करने के लिये कड़े से कड़े कदम उठाये जायं । अन्त में, मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

*श्री मुख्तार अनीस––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री अपनी छबि बना रहे हैं और उनके जितने चमचे हैं वह कहते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री ईमानदार हैं । लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस---]

इस सरकार के अन्दर ऐसे मन्त्री हैं कि मुख्य मंत्री के नाम पर लाखों रुपया कमा रहे हैं। मैं आपके सामने लखनऊ नगरपालिका की एक मिसाल देना चाहता हूं। मान्यवर, श्री राधे मोहन सिन्हा, प्रशासक थे, मान्यवर, नगरपालिका की जांच हुई तो 60 लाख का घपला पाया गया। 11 अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी लेकिन मंत्री जी ने श्री राधे मोहन सिन्हा को आगरा में नियुक्त कर दिया, उनको निलम्बित होना चाहिये था, उन पर गबन का केस चलना चाहिये था लेकिन मन्त्री जो की कृपा दृष्टि हो गई। मान्यवर, आगरा को बर्बाद करने की योजना बन गई है अपने रिश्तेदारों को, अपनी बिरादरी को वहां पर लगा रहे हैं क्योंकि मंत्री जी को वह कुर्सी के नीचे से रकम दे रहे हैं ? उनके कहने पर काम हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

अधिष्ठाता महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस हाऊस में मा0 अध्यक्ष जी ने रूलिंग दिया था कि जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, उनके बारे में आरोप नहीं लगाना चाहिये और जो मौजूद हों उनके बारे में आरोप लगाते हैं तो स्पेसिफिक आरोप लगायें और उनका नाम बताना चाहिये। मान्यवर, उन्होंने कहा कि विधायक जो पैसा देते हैं, उसमें इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्यों पर आरोप आ गया है, इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि या तो इस अंश को निकाल दिया जाय या उन विधायकों के नाम बतायें।

श्री अधिष्ठाता---

यदि ऐसी बात है तो वह आरोप निकाल दिया जायेगा। नियम 289-क में है कि ऐसा आरोप जो मानहानिकारक हो, यदि किसी पर है तो उसकी पूर्व इत्तला माननीय सदस्य को देना होगा, ताकि उसका जवाब दिया जा सके।

श्री मुख्तार अनीस---

मैं मान्यवर, किसी विधायक का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने इशारा कर दिया और बता देना चाहता हूं कि आवास विकास परिषद् में लाटरी द्वारा मकानों का आवंटन होता है लेकिन मंत्री जी ने उस लाटरी के सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है और विधायक के रिश्तेदार को एस0 272, एल0आई0जी0, दूसरा भवन एफ0 653, एम0आई0जी0 और तीसरा एफ 317, एम0आई0जी0 भवन इन्होंने अपने दस्तखत से एलाट किये। मैं पूछना चाहता हूं और इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं....।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

यह जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल मिथ्या है। मैंने हाउस के एलाटमेन्ट में आज तक न कोई दखल दिया है और न दखल देने का विचार है और न कभी आवास विकास परिषद् को आदेश दिया है एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में। यह किस के इशारे पर आरोप लगाया जा रहा है, उसको सारा सदन जानता है और जिसका यहां पैसा पाते हैं वह भी सदन जानता है।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। श्री मन्जूर अहमद का...मा0 मुख्य मंत्री जी के नाम एक पत्र है। वह इनकी पार्टी के विधायक हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, यह पत्र पहले आपके पास भेजें उसके बाद पढ़ें, यह नियम है।

श्री मुख्तार अनीस---

मैं मन्त्री जी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

आरोप पहले आपके पास (मा0 अधिष्ठाता के पास) भेजें तब आरोप लगायें ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मुख्तार अनीस साहब मैं नियम पढ़ रहा हूं । उस नियम के अनुसार आप देखें आरोप लगाने की प्रक्रिया क्या है ?

श्री मुख्तार अनीस---

मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

नियम 289(क)में है । किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया- "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारण या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके।

(मेजों की थपथपाहट ।)

श्री मुख्तार अनीस---

मैं तो भाषण दे रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं । मन्त्री जी को मौका मिलेगा जवाब देने का ।

श्री अधिष्ठाता---

इसमें मैं एक निवेदन कर दूं कि जनरली, आमतौर पर जो हम किसी जगह के लिये कहना चाहते हैं, वह नहीं आता है । दूसरी बात मंत्रिपरिषद् के सदस्य भी इस सदन के मेम्बर हैं और यहां जो बुजुर्ग हमारे मेम्बर हैं, वह समझते हैं ।

श्री मुख्तार अनीस---

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

एक सदस्य---

बहुगुणा जी से पैसा मिल गया है, 2 लाख रुपया ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता---

आरोप लगाने के सम्बन्ध में जो नियम है उसको मैंने पढ़ दिया है । उस के अनुसार नियमों के अन्तर्गत ही कोई बात की जा सकती है ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने व्यवस्था दे दी उसके बारे में अब व्यवस्था नहीं होगी ।

श्री मोती लाल देहलवी--

आपने अभी एक व्यवस्था दी है कि किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता । मंत्री की एक मर्यादा होती है । मान्यवर, आप कार्यवाही मंगा कर देख लें माननीय मंत्री जी ने मुख्तार अनीस पर यह आरोप लगाया और यह कहा है कि मैं जानता हूं कि किसके इशारे पर किसके कहने पर बोल रहे हैं, आपको पैसा दिया गया है बोलने के लिये ।

श्री अधिष्ठाता--

यह देख लिया जायगा किन्तु माननीय सदस्य उसका खंडन कर सकते हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

अगर इस तरह की बात कही गयी है तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बननी चाहिये ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र--

राशन चुराने वाले और चीनी चुराने वालों को इतना बड़ा लांछन नहीं लगाना चाहिये ।

श्री मुख्तार अनीस--

लखनऊ मेडिकल कालेज के पास नर्सिग होम है । उसके पास में संजय पिक्चर्स को कौड़ियों के भाव में जमीन को एलाट किया गया है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

यह गलत है, संजय पिक्चर्स को कोई एलाटमेंट नहीं किया गया है । संजय पिक्चर्स का एलाटमेन्ट मैंने खत्म कर दिया । यह झूठा आरोप है ।

श्री मोती लाल देहलवी---

चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्री अधिष्ठाता---

इस तरह की जनरल बातें आयेंगी । उनका जवाब देने का मौका आपको मिलेगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

इसी प्रकार से कानपुर में एक नैरोदा सिनेमा है, उसको भी पता नहीं किस प्रकार जमीन का एलाटमेन्ट किया गया है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं । आगरा में एक बी0 के0 फर्म है, उसे संजय काम्प्लेक्स में ठेका दिया गया लेकिन उन लोगों ने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया । शासन ने आदेश दिया कि उन्हें रोक दिया जाय । फिर उस फर्म को विकास प्राधिकरण में दुबारा काम करने के लिये कैसे अधिकार प्राप्त हुआ ?

मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन-सा राज्य मन्त्री है, जिसको आपने 450 गज जमीन कमला नगर आवास योजना में एलाट की है ?

(सत्ता पक्ष की ओर से "नाम बताइये", "नाम बताइये" की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा को एलाट किया है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से घोर व्यवधान)

मेरठ प्रशासन के अन्दर क्या हो रहा है। एक जाति के 15 लोग उसके अन्दर हैं। अभी उन्होंने नियुक्तियां की हैं। नियुक्तियां जो की हैं नगर महापालिका में, टाउन एरिया में और सारी जगहों पर, तो उसमें कोई मन्त्री का भांजा है, कोई भतीजा है और कोई बेटा है...

(विपक्ष की ओर से "शेम" "शेम" की आवाजें)

श्री दामोदर शर्मा--

इस प्रकार से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है, वहां पर जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

जिस मुख्य मंत्री के शासन में मन्त्रिमण्डल में मा0 नगर विकास मन्त्री ऐसे मन्त्री हों, वह मुख्य मंत्री कैसे ईमानदार हो सकता है, आपकी सारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप सत्ता चला नहीं सकते हैं। आप घोषणा करते हैं कि नगरपालिकाओं के, टाउन एरिया के चुनाव करायेंगे, 3–3, 4–4 बार आपने कहा कि चुनाव करायेंगे....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा काफी समय नष्ट भी हो गया। मुझे दो मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, स्थिति यह हो गयी है कि....

एक सदस्य--

मान्यवर, जिस बजट से चर्चा सम्बन्धित हो, उस पर बोलना चाहिये।

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह बजट पर चर्चा हो रही है या किस चीज पर चर्चा हो रही है।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

(अत्यधिक व्यवधान)

(गृह मंत्री भी कुछ बोलती रहीं जो समझ में नहीं आया)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुख्तार अनीस .....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का जवाब नहीं आया । आपकी छत्रछाया में बजट पर चर्चा होनी चाहिये, कैरेक्टर असेसिनेशन शुड नाट बी एलाउड ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, मन्त्री जी जानना चाहती हैं कि यहां पर बजट भाषण पर चर्चा हो रही है कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी, आप बैठें ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्तार अनीस जी से कहना चाहता हूं कि वे बैठ जायें और पहले जो सदन की शेरनी की व्यवस्था का प्रश्न है उस पर व्यवस्था हो जाने में, उसके बाद वे बोलें ।

(गृह मंत्री जोर-जोर से चिल्लाती रहीं, शोर में कुछ भी समझ में नहीं आया) ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं इस सदन को ·····

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, बारम्बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पहले सदन की शेरनी की बात की आप व्यवस्था दे दें, मुख्तार अनीस बाद में बोलते रहेंगे, उनको उसके बाद मौका दे दीजियेगा । पहिले श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी की बात का उत्तर आप दे दें ।

श्री अधिष्ठाता---

जो माननीया मंत्री जी ने बात कही है, उसके पहले मैं यह बात कहूंगा कि यह बात सही है कि सदन की गरिमा को बरकरार रखने के लिये जिस प्रकार से यहां पर कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, वह नहीं होना चाहिये, उसके लिये मैं माननीय सदस्य को बोलने के लिये दो मिनट का समय और दूंगा । जहां तक गृह मन्त्री जी द्वारा उठायी गयी बात है भाषण के समय में माननीय सदस्यों को उस विषय पर रहना चाहिये जो विचाराधीन हो, उसी के अन्दर अपनी बात कहनी चाहिये ।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

यह आप मन्त्री जी की बात को प्राथमिकता दे रहे हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, यह आपको इंगित कर रही हैं और तीन-चार बार खड़ी होकर प्रदेश की गृह मंत्री आपसे व्यवस्था मांग चुकी हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, गृह मन्त्री महोदया को देखें, सदन में शेरनी की तरह चीख-चीख कर आपसे व्यवस्था के लिये कह रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

मेरी आज्ञा के बिना जो लोग बोल रहे हैं, उनके शब्द कार्यवाही में लिखे नहीं जायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, इतनी देर से माननीय बाजपेयी जी जो गृह मन्त्री को सदन के अन्दर सदन की शेरनी कह रहे हैं और आपने इसके लिये कोई व्यवस्था भी नहीं दी है कि उन शब्दों को कार्यवाही में नहीं रखा जायेगा, तो क्या हम लोग यह मान लें कि उनको आपने सदन की शेरनी स्वीकार कर लिया है ? इस टाइटिल की स्वीकृति आपने दे दी है ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रियासत साहेब, "शेरनी" शब्द पार्लियामेन्टरी है । इसकी स्वीकृति देने या स्वीकृति न देने का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मेरा सवाल शेरनी से नहीं, बल्कि सदन की शेरनी से है । क्या आपने इसकी स्वीकृति दे दी कि ये सदन की शेरनी हैं ?

(हंसी)

श्री मुख्तार अनीस---

मेरा सारा समय व्यवस्था के अन्दर ही समाप्त हो गया । अभी सीतापुर में एकाएक वहां के अधिकारियों ने चुंगी बढ़ा दी और आप विश्वास करें 10 गुना बढ़ा दी । इनके जल निगम में करोड़ों का घाटा है और जो टंकियां बननी चाहिये, वह अभी तक नहीं बनी हैं । अधिकारियों के तबादले रोज हो रहे हैं यहां तक कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के हो रहे हैं । मैं मानता हूं कि उनमें भ्रष्टाचारी हैं लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से परेशान जब होंगे तभी कमीशन देंगे । आवास योजना आप बना रहे हैं, इसके अन्तर्गत जमीन ली जा रही है लेकिन एक विशेष बिरादरी के जो लोग हैं उनकी जमीन छोड़ी जा रही है । मुजफ्फरनगर में मिथलेश कुमारी की जमीन नहीं आयी और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जमीन कैसे आ गयी . . .

(अत्यधिक व्यवधान)

हमारी गृह मन्त्री ने भाषण दिया, उन को सबसे हिम्मती मानता हूं ।

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मेरे पति के लिये जो शब्द हैं निकाले जायें . . . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी, आप बैठें । यह शब्द शोभनीय नहीं है ।

(अत्यधिक शोर)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जो साफ सुनाई नहीं पड़ा) ।

नोट---[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सब लोग बैठ जायें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपके माध्यम से मैं श्री मुख्तार अनीस जी के शब्दों पर घोर आपत्ति करता हूं ।...

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी ने जीवन भर अपने पति की सेवा नहीं की तो मैं मुख्तार अनीस जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने सेवा नहीं की तो क्या मुख्तार अनीस जी उनकी सेवा जीवन भर करते रहे । मान्यवर, इसका उत्तर मुझे चाहिये ।

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं । इतना बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है । इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मेरा आपके माध्यम से इस सदन के सम्मानित सदस्यों से यह अनुरोध है कि वह अपने भाषण को अगर विषय तक सीमित रखें तो अच्छा है । किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है और खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहना जो कि इस दुनिया में न हो, बिल्कुल भी उचित नहीं है । इस सदन की गरिमा को बरकरार रखना आवश्यक है क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे भारतवर्ष की नजरें इस पर लगी हैं इसलिए मा0 सदस्य अपने भाषण को उसी हद तक सीमित रखें जिससे कि व्यवधान न हो और एक ऐसा स्वस्थ वातावरण रखें जिससे जो विपक्षी दल के लोग हैं, वह सरकार की नितियों के बारे में जो कहना चाहें, कहें लेकिन ऐसा वातावरण न उत्पन्न करें, इस वक्त जो वातावरण उत्पन्न हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए । इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मा0 सदस्य ने अन्त में जो शब्द कहे हैं उन्हें कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मा0 मंत्री जी जो पहलवानी दिखा रही थीं उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 सदस्यों से पहले भी कई बार यह बात कहीं गई है कि विषय पर बोलें अगर कोई बात विषय से हट कर होती है जैसा कि अभी हुआ, उस समय कई मा0 सदस्य एक साथ बोलने लगते हैं तो कैसे किसी की बात को सुना जा सकता है । मुझे भी इस जगह से खड़े होकर बात कहने का मौका दें । मैं पहले भी इस चर्चा के दौरान यह बात कही कि विषय से हटकर न बोलें और यह विषय से हटकर बात जिस अन्दाज में कही गई, उसके बारे में मैंने कह दिया कि यह अशोभनीय है और उसके बारे में यदि और भी कोई बात होगी तो उसे निकाल दिया जायेगा । विषय की चर्चा थी नगर विकास और उसकी सीमायें, जिनके ऊपर टिप्पणी हो रहा था वह टिप्पणी कुछ हद तक सीमा के अन्दर थी, लेकिन जब उस सीमा से हट कर एक बात मा0 गृह मंत्री जी के बारे में कही गई और--

(कई सदस्यों के एक साथ खेड़े होने और बोलने पर)

(व्यवधान)

(गृह मंत्री के खड़े होने पर)

श्री मोती लाल देहलवी—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए । मेरी अभी पूरी बात नहीं हो पाई । मेरी बात के दरमियान में जो शब्द कहे गए हैं, वह लिखे नहीं जायेंगे ।

(व्यवधान के बीच)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अग्निहोत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं ? आप कृपा करके बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर । माननीय गृह मंत्री महोदया किसकी अनुमति से इस सदन में बोल रही थी ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसके पूर्व जो बात कह चुका हूं उसे फिर दोहराता हूं कि कोई अशोभनीय बात जो इधर से या उधर से कही गयी है, इस कार्यवाही में लिखी नहीं जायेगी ।

श्री मुख्तार अनीस—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह भी अशोभनीय है । इसे भी लिखा नहीं जायेगा ।

माननीय नरेश अग्रवाल जी, आप अपना भाषण दीजिये ।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । (व्यवधान) मान्यवर, नागरिक विकास मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । विरोधी दल के माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मुझे आशा है कि वे उसे जरूर वापस लेंगे मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य [× × ×]

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

यह भी असंसदीय है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने पहले ही एक बात कह दी कि अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा । (व्यवधान) बजट पर सीमित रहकर ही भाषण करें । (व्यवधान)

नोट : —[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री और नागरिक विकास मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने अर्द्ध कुम्भ मेले के अवसर पर इलाहाबाद में इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि हमारे हिन्दू भाइयों ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्नान और पुण्य कमाया । इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री और नागरिक विकास मंत्री जी बधाई के पात्र है । मान्यवर, हमारे मंत्री जी जिस विभाग के मंत्री है उनका जनमानस से सीधा सम्पर्क बना हुआ है । आपके जीवन में मकान, पानी और स्वच्छता ये तीन चीजें अत्यन्त आवश्यक हैं । माननीय मंत्री जी के पास आवास विकास, जल निगम और नगर विकास विभाग है जल निगम और आवास विकास की प्रशंसा करने में कोई तकलीफ नहीं होती है लेकिन अगर नगरपालिका को हम नरक पालिका कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । हमारे मंत्री जी ने बीस सूत्री प्रोग्राम का पालन अपने विभाग से किया है उसके लिए हम उन को बधाई देते हैं । मंत्री जी ने बताया कि 84.40 लाख मकान आगामी वर्ष में बनेंगे । शासन बहुत तेजी से उन मकानों को बनाने की कोशिश कर रहा है । इन मकानों में से 80 प्रतिशत मकान दुर्बल लोगों को देने की शासन ने घोषणा की है । जहां तक मलिन बस्ती का सवाल आता है, यह बहुत बड़ी समस्या है । शासन ने 12 जिले इसके तहत लिये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के 56 जिले शीघ्र इस योजना के अन्तर्गत लिये जांय ताकि जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले भाई है, उन को महसूस हो सके कि नगर विकास विभाग हम लोगों के लिए कुछ कर रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जल निगम और जल संस्थान इन दो विभागों की ओर दिलाना चाहत हूं। मान्यवर, जल निगम एक निगम है जो पानी के लिए और लाइन खींचने के लिए बना है और जल संस्थान उसकी व्यवस्था करता है । दोनों विभाग एक दूसरे से दूर रहते हैं । अक्सर देखा गया कि जल निगम टंकी बनाता है या पाइप डालता है और वह बनने के बाद तुरन्त खराब हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी जल संस्थान अपने ऊपर नहीं लेता है । इसी की मिसाल मैं अपने हरदोई जनपद में शाहाबाद में बनी एक टंकी की दूंगा । जल निगम ने इसे बनाया । बनने के बाद जल संस्थान ने उसे इसलिए लेने से मना कर दिया कि टंकी लीक करती है । मेरा सुझाव है कि जल निगम और जल संस्थान दोनों को एक संस्थान कर दिया जाय जिससे उन अधिकारियों पर जो लाइबिल्टी नहीं लेते उन पर लाइबिल्टी फिक्स हो सके ।

मान्यवर, मैं तो सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी आज घोषणा अवश्य करेंगे जैसी उन्होंने पिछले सत्र में की थी कि विधायकों के लिए यहां पर मकान बनाने की व्यवस्था की जायगी लेकिन मंत्री जी ने यह घोषणा नहीं की । मुझे विश्वास है कि शायद बजट के बाद उसकी घोषणा अवश्य शीघ्र करेंगे ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान सब से पहले जनपद हरदोई की ओर ले जाना चाहता हूं मान्यवर ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जल निगम जिला परिषदों को ऋण देता है और जब जिला परिषद ऋण स्वीकार कर लेता है तो ग्रामीण स्तर पर पेयजल योजना बनती है जिला परिषद में अधिकारी प्रशासक है मेरे जिले हरदोई में जिला परिषद ने इस बात से इन्कार कर दिया है कि वह कोई ऋण लेगा जिसके कारण ग्रामीण पेयजल योजना बिल्कुल नगण्य है । माननीय मंत्री जी ने जो यह पत्रिका बंटवाई है, इसमें दिया है कि हरदोई में 1879 गांव हैं जिन-में पेयजल समस्या है । किसी गांव में आज तक पेयजल योजना नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि यदि कोई ज़िला परिषद इस प्रकार के ऋण लेने से मना करता है तो ग्रामीण स्तर पर जिन को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है उन्हें पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल योजना का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने जो पेयजल का स्वरूप बनाया है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है । 300 के ऊपर आबादी वाले जो गांव है, उनमें एक कुंआ दिया जायेगा और 250, 300 के बीच में हरिजन बस्तियों में रहने वाले हरिजन भाइयों को पानी का कोई न कोई स्रोत उपलब्ध कराया जायगा मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि वह अपनी इस घोषणा को अवश्य लागू करेंगे ।

मान्यवर, हमारे हरदोई नगरपालिका को आई0डी0ए0 के तहत 36 लाख रुपया दिया गया । साल भर हो गया लेकिन शासन ने आज तक कोई स्टाफ नहीं दिय जिस कारण आज तक वह रुपया बदस्तूर वैसे ही रखा है । बिना स्टाफ के कोई खर्च करने की योजना नहीं बन पा रही है । अगला 36 लाख रुपया तब तक नहीं मिलेगा जब तक किसी योजना में यह रुपया नहीं खर्च हो जायगा । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि तुरन्त स्टाफ की व्यवस्था करेंगे जिससे वह योजना लागू हो सके ।

जहां तक मेरे जनपद हरदोई में आवास विकास की बात है सन् 1974 में हरदोई जिले में आवास विकास के तहत नोटिफिकेशन किया गया सन् 79 में उसका रजिस्ट्रेशन खोला गया। तमाम भाइयों ने उसके तहत पैसा जमा किया लेकिन रजिस्ट्रेशन खोलने के बाद भी जमीन को अधिग्रहण करने की कार्यवाही नहीं की गई । इसलिये मेरा निवेदन है कि वह कार्यवाही हमारे यहां शुरू कर दें ।

(व्यवधान)

मान्यवर जहां तक वाटर टैक्स का सवाल है नगर पालिका का नियम है कि जहां तक पानी की लाइन चली जायेगी वहां से दो सौ गज तक वाटर टैक्स लिया जायेगा । यह अन्याय है । मान्यवर, जिन लोगों को पानी मिले, उन्हीं से टैक्स लिया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि मनानीय मंत्री जी जल्दी ही इस पर अमेन्डमेंट लायेंगे क्योंकि वे भी मेरे इस विचार से सहमत है । मान्यवर, जब से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुये है तब से ये नगरपालिकायें बेंच ली गई है,उनके हाथ से चली गई है । जैसा कि इंदिरा जी भी इस बात पर अडिग है कि हम प्रजा-तांत्रिक तरीके से देश को चलाना चहते हैं उसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में जैसे आप ग्राम प्रधानों के चुनाव कराने जा रहे हैं, नगरपालिकाओं के चुनाव भी करा दें ताकि विरोध पक्ष के सदस्यों को एक तमाचा पड़े और वे यह कहना भूल जाय कि यह सरकार भी तानाशाही तरीके से शासन करना चाहती है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट मांगों का समर्थन करता है ।

*श्री ऊदल---

श्रीमन जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इस विभाग के दो अंग मानता हूं जो बहुत ही आवश्यक है एक तो है पेयजल योजना, जो शहरों में और गांवों में चलायी जा रही है । ये दोनों योजनायें ग्रामीण और शहरी पेयजल योजनायें आज तक त्रुटिपूर्ण रही है । मैं कहना चाहता हूं किये जितनी भी पेयजल योजनायें है इन सबकी जांच होनी चाहिये और मैं तो यह चाहता हूं कि इसके लिये सरकार एक कमेटी का गठन कर दे जो कि इसकी जांच करे । मैं सिर्फ तीन जगहों का जिक्र कर रहा हूं । बनारस में एक नौगढ़ पेयजल योजना है चकिया में । दूसरी योजना है पाठा, बांदा की तरफ बुन्देलखंड में । तीसरी है बबीना में, जिसकी टंकी हवा में उड़ गई है और चौथी सिन्धरा में । इन पेयजल योजनाओं में किसी भी योजना को आप पानी नहीं दे पाये हैं और हजारों रुपया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल --]

आपने उन पर खर्च कर दिया है। यही हालत शहरों की भी है, वहां भी आपकी पेयजल योजनायें सफल नहीं हुई हैं ।

श्रीमन् इसका दूसरा अंग है आवास विकास परिषद् । इसकी हालत भी बहुत ही त्रुटि-पूर्ण है । इसके बारे में जितना कहा जाय उतना ही कम है । लखनऊ में तो चूंकि यह सरकार की नाक के नीचे है इसलिये यहां पर कुछ कार्य हो भी रहा है लेकिन बनारस में एक भी मकान अभी तक नहीं बना है । लोगों से रजिस्ट्रेशन कराकर रुपया ले लिया गया लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है । आपका यह परिषद् लोगों के जमा पैसे का ब्याज खा रहा है और जमीन की प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है । लखनऊ में यही हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, आगरा में और फिरोजाबाद में हो रहा है । सभी जगह यह योजना त्रुटिपूर्ण है । इसलिये इसके बारे में जांच आवश्यक है । बहुत सी ऐसी चीजें है जो विभाग के द्वारा गलत तरीके से की जा रही हैं । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । हमारे यहां एक नगर-पालिका है भदोही । वहां पर सेन्टर है जहां पर कि कुछ जमीन आवास विकास कालोनी के लिये ली गई रजपुर, मिसोर, ज्ञानपुर आदि में ली गई और इसके लिये धारा 4 की कार्यवाही भी की गई लेकिन जमीन का एक्वीजीशन नहीं हो पाया । सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और उसने उसे बदल दिया । जलालपुर जो भदोही नगरपालिका से एक किलोमीटर दूर है और सड़क से भी एक कि0मी0 दूर है। एक दिन सवाल आया था माननीय ब्रह्मदत्त जी आवास विकास मन्त्री जी की तरफ से उसका जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा जांच करा लेंगे 5 ता0 को यह प्रश्न था और 6 ता0 को मैं वहां गया था तो मुझे दुख है जिन लोगों की पहले आवास विकास कालोनी के लिये जमीन ली गयी, उन्हीं के यहां मंत्रीगण जाकर ठहरते हैं तो उनके दबाव में आकर दूसरी जमीन ले ली जो गरीब हरिजनों और धोबियों की है ।

श्रीमन्, सड़कों की हालत सभी नगरपालिकाओं में बड़ी खराब है । जगह-जगह नालियां टूटी हुई हैं । इधर हाल ही में सरकार ने अपने विशेषाधिकार से टैक्स बढ़ा दिये हैं, जैसा अभी सीतापुर के बारे में माननीय सदस्य बता रहे थे तो सभी जगह टैक्सों का भार बढ़ गया है और जबरदस्ती वसूलियां हो रही हैं लेकिन सफाई का कुछ भी प्रबन्ध नहीं है । तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, उधर लाबी में शोर हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

जाफरी साहब आप सदन का ध्यान रखें ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, हमारे यहां भेलूपुर विकास योजना नं0 पांच थी, उसमें जिन लोगों की जमीन एक्वायर की जा रही थी सबकी जमीन छोड़ दी गयी केवल एक व्यक्तिकी जमीन जो अयोध्या प्रसाद है, उसकी जमीन किसी गुस्से में आकर या चिढ़ कर नहीं छोड़ी गयी । एक अकेले व्यक्ति की जमीन पर कैसे कालोनी का निर्माण हो सकता है जब कि 10 व्यक्तियों को 100 वर्ष की लीज पर छोड़ दिया गया है । आवास विकास का काम केवल जमीन सस्ते में लेकर और उसको महंगे दामों पर बेचने का का रह गया है । अभी कुछ समय पहले आपने भी पढ़ा होगा प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि चूंकि आबादी बहुत बढ़ रही है इसलिये एक मंजिला और दो मंजिला मकानों की जगह बहुमंजिली मकान बनाये जायें और बड़े-बड़े लान और बंगले

और जमीनें न छोड़ी जायं मैं भी इस बात का हामी हूं कि 8, 10 मंजिला इमारतें बनाई जाकं। आपने देखा होगा बम्बई में विधान सभा की इमारत 20 मंजिली है इसी तरह दुनियां के दूसरे देशों में भी है। मास्को में यूनिवर्सिटी की बिल्डिग 38 मंजिली है, इसी प्रकार अमेरिका में है। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि हमारी आबादी तजी से बढ़ रही है बड़े-बड़े बंगले और एक या दो मंजिले मकान और उनके लिये लान नहीं छोड़न चाहिये।

मैं आपका ध्यान यह जो जल दूषित हो रह है इसकी तरफ खींचना चाहता हूं जैसे आगरा में यमुना, इलाहाबाद में गंगा और जमुना और बनारस में गंगा जी का पानी जो है, उसको देख कर दुख होता है। बनारस में मैं बताना चाहता हूं कि 6 पंपिंग सेट लगाये गये उनमें से केवल दो ही काम कर रहे हैं जिन पर करोड़ रुपया खर्च हो चुका है बाकी चार बेकार पड़े हुए हैं, यह सीवर लाइन को ले जाने के लिये थी। आज गंगा जी का जल दूषित हो रहा है जिसको बचाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया गया लेकिन इनकी अक्षमता के कारण वह काम भी ठीक से नहीं हो रहा है। आज इनका करोड़ों रुपयों का बकाया है। यदि लखनऊ की ही आप जांच कर लें तो इसका अन्दाजा हो जायगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह जांच करा लें कि लखनऊ नगरमहापालिका में पछले दो वर्षों में जो असेसमेंट किया गया है उसका कितना बकाया पड़ा है और कितना-कितना धन गलत तरीके से छोड़ दिया गया है। यही हालत आज सारे प्रदेश की है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं जल निगम और जल संस्थान के सम्बन्धमें भी कहना चाहता हूं। अभी कहा गया कि जल संस्थान, जल निगम का दत्तक पुत्र है। यह बात किसी हद तक पूरी तरह ठीक है। वह निगम टंकी आदि बनाकर संस्थान को सौप देता है, लेकिन वह ठीक से पानी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि दोनों को एक कर देना चाहिये और सारी की सारी जिम्मेदारी इस पर देनी चाहिये और जो त्रुटिपूर्ण कार्य है, वह ठीक से कार्य नहीं करते तो उन पर उसके लिये सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

अभी म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के बारे में उधर से अग्रवाल जी ने कहा कि इससे विरोधियों के मुंह पर तमाचा लगेगा। तमाचा ही नहीं, हमारे सिर पर लाठी पड़े, हमें कोई एतराज नहीं है, बशर्ते आप घोषणा करा दें कि 3 महीनों में सभी स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव अवश्य करा दिये जायेंगे। आप इसकी घोषणा तो करवा दीजिये। तमाचा तो हमारे आज 12 साल से लग रहा है। पहले भी यह लोग जब शासन में थे वायदा करते थे, बाद में हमारे भाई जनता पार्टी के लोग शासन में आये और उन्होंने भी वायदा किया और अब पुनः आपको भी दो वर्ष उसके बाद हो गये हैं। लेकिन वायदा वायदा ही बना रहा है अमल में कुछ नहीं आया है। तमाचा क्या सर पर लाठी मारिये लेकिन घोषणा करा दीजिये कि जून–जुलाई तक हम सभी नगरपालिकाओं, टाउन एरिया आदि के चुनाव करवा देंगे। इसके लिये मैं आपको खुद धन्यवाद दूंगा और बख्शी जी को भी दूंगा, वह हमारी बड़ी दीदी हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। आवास विकास परिषद् में व्याप्त मुनाफे की प्रवृत्ति को आप रोकिये। अगर यह प्रवृत्ति रहेगी तो हम हाउसिंग की व्यवस्था इस प्रदेश में ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसलिये इसमें सुधार की बहुत गुन्जइस है और सुधार करने की आवश्यकता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार आवास विकास से सम्बन्धित पूरे प्रकरण पर पुनः विचार करे, जल निगम और जल संस्थान के एक करने पर पुनर्विचार करे और इसके लिये एक कमेटी का गठन करके वह

[श्री ऊदल–]

जांच करावें जिससे कि जो त्रुटिपूर्ण कार्य हुए हैं, उनमें भविष्य में सुधार हो सके । अन्त में मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री कन्हैयालाल महेन्द्रू का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राज कुमार राय––

मैं अपने नगर विकास मन्त्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मधुवन में जहां पर 70–80 आदमी गोली से शहीद हुए थे, उसकी उन्होंने टाउन एरिया का दर्जा देने की यहां घोषणा कर दी है । उसके लिये मैं . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

मैंने महेन्द्रू जी को बुलाया है, आपको नहीं । जिसको हम बुला रहे हैं वही बोलेगा । आप बैठिये, आपको नहीं बुला रहा हूं ।

श्री राज कुमार राय––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से टाउन एरिया की घोषणा करने के लिये मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता था, वह मैंने धन्यवाद दे दिया, और मुझे कुछ नहीं कहना है ।

(2 बजकर 45 मिनट)

श्री कन्हैयालाल महेन्द्रू––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर जो बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । नगर विकास का जो बजट आज सदन में पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट नये साल में नयी प्रगति और नयी रोशनी हमारे क्षेत्र में लायेगा ।

अब मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर और उसकी प्रगति के बारे में दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, लखनऊ शहर ऐसा है जिसकी बुनियाद 3 और 4 लाख की आबादी के ऊपर बनायी गयी थी लेकिन आज वह आबादी बढ़कर 12 लाख हो गयी है और लखनऊ की आबादी का जो दबाव बढ़ता जा रहा है, उससे दिन प्रति-दिन हमारी समस्यायें भी बढ़ती जा रही हैं । लखनऊ नगर महापालिका के अन्दर बहुत से ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किये गये हैं जिनके ऊपर अभी तक भी इस नगर महापालिका ने प्रगति की दिशा में कुछ नहीं किया है और न ही ग्राम पंचायतों ने ही कोई विशेष कार्य किया है । ये क्षेत्र आज भी बीच में ही लटके हुये हैं न वहां पर सड़कों की समुचित व्यवस्था है, न पानी की, और न रोशनी की ही समुचित व्यवस्था की गयी है । लखनऊ शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखकर यहां पर एक बड़े वाटर वर्क्स के निर्माण की जरूरत है और अगर इसको बनाने में सफल नहीं होंगे तो जो नयी पाइप लाइन्स डाली जा रही है, उनके अन्दर पहले ही प्रेशर की कमी है तो और भी कम प्रेशर हो जायेगा । जब तक हमारे सोर्स आफ वाटर, जल स्रोत नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक हम यहां के निवासियों को पानी के मामले में कोई राहत नहीं दे सकेंगे और उनके पानी की कमी की समस्या यूं ही बनी रहेगी ।

दूसरे मेरा निवेदन यह है कि जो पाइप लाइन्स डाली जा रही है, वे पहले जल निगम द्वारा डाली जाती है और उनका मेन्टीनैन्स (रख-रखाव) जल संस्थान करता है रख-रखाव की समुचित जानकारी के अभाव से लाइनें टूट जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है ।

लखनऊ की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए यहां पर सफाई कर्मचारियों को काफी काम करना पड़ता है जिसके कारण शहर के अनेकों भागों में गन्दगी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है । अतः मेरा सुझाव है कि सफाई के लिये यहां पर आधुनिक

उपकरणों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये क्योंकि अब हमारे सफाई कर्मचारी पुराने तरीकों के प्रयोगों से अलग हट रहे हैं इसके लिये योजना-बद्ध कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये और आपको एक ऐसी योजना बनानी चाहिये कि 8 वर्ष के अन्दर इस बड़े लखनऊ शहर की सफाई का समुचित निदान हो सके ।

इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट का जहां तक संबंध है, मेरा निवेदन है कि लखनऊ शहर 10 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है । यहां पर जो सड़कें बनायी गयी हैं, उनका कोई स्टैन्डर्ड ही नहीं है । वे बनने के बाद ही टूटने लगती हैं । नीचे के स्तर पर बड़ा ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है । कहीं-कहीं पर सड़कें ठीक तरह से बनती नहीं लेकिन उनका भुगतान कर दिया जाता है । जिसकी वजह से जनता में घोर असंतोष व्याप्त है । मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये ।

मेरे क्षेत्र में कई नाले हैं । उनमें एक सरकटा नाला भी है । यह बहुत बड़ा नाला है जो शहर के बीच से होकर गुजरता है मैं अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने नाले के ऊपर दीवार बनवायी है । लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से 5 वर्ष के अन्दर उस पूरे नाले के ऊपर दीवार बनायी जाये क्योंकि उसके किनारे पर काफी आबादी रहती है और बहुत से मकान भी उसके किनारे पर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं ।

हमारी ओर से जो सड़कें बनी हैं, उनका स्टैन्डर्ड बड़ा ही खराब है दूसरी बात यह है कि कई स्थानों पर उनको खोद दिया गया है । नयी सड़कों के बनने के उपरांत ही उनको खोदने का काम आरम्भ हो जाता है ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके विभागों में कोई आपसी तालमेल नजर नहीं आता है । अब जब डिपार्टमेंट से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि हम इसका पेमेंट कर देंगे ।

एक चीज की ओर और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा । हमारे यहां विदेशी मेहमान भी आते रहते हैं । हमारे यहां सार्वजनिक शौचालयों की और मूत्रालयों की बहुत कमी है । इसके न होने से जगह-जगह गन्दगी और बदबू देखने को मिलती है । जो विदेशी लोग आते हैं, वे यह गन्दगी देखकर क्या सोचते होंगे, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि शहर के अन्दर इनकी व्यवस्था अवश्य करायी जाये ।

गरीबों के लिये जो मकान बन रहे हैं, उन मकानों में लगने वाला सामान बहुत घटिया किस्म का होता है । इसका असर यह हो रहा है कि ये मकान बहुत जल्दी गिर रहे हैं । इस ओर ध्यान देना चाहिये कि मकानों में लगने वाला मैटीरियल ठीक प्रकार का हो ।

अतिक्रमण की समस्या केवल लखनऊ में ही नहीं है, वरन् पूरे प्रदेश की यह समस्या है । जो लोग अतिक्रमण करते हैं या किये हुए हैं उनको अन्यत्र बसाने और काम करने के लिये स्थान दिया जाये तथा उसके लिये एक योजना-बद्ध तरीके से काम किया जाये ताकि लोग अपनी रोजी-रोटी को कमा सकें ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हुआ । कृपया बैठें ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे श्री पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ शब्द कहने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

मान्यवर, नगर विकास विभाग आज सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। प्रातःकाल उठने से लेकर सायंकाल सोने के समय तक आम जनता का संबंध इस विभाग से किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। नगर पालिकाओं आदि का चुनाव पिछले कई वर्षों से न होने के कारण यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। पेयजल का तो अब प्रबन्ध जल संस्थान करती है, पर जहां तक सफाई का प्रश्न है, स्वास्थ्य का प्रश्न है तथा और समस्याओं का संबंध है, वह सब आज चौपट हो गया है और जैसे कि एक बाजार "गड़बड़झाला" शहर लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में है, उसी प्रकार के यह विभाग हो गये हैं। सभी नगर आज गन्दगी की चपेट में आ गये हैं। सफाई आदि की भी सम्पूर्ण व्यवस्था चौपट हो गयी है। जनता की गाढ़ी कमायी का सारा पैसा आज अधिकारियों के जेबों में जा रहा है। चैकिंग नाम की आज कोई चीज नहीं रह गयी है। कोई किसी चीज को देखने वाला नहीं रह गया है।

मैंने माननीय मंत्री जी को इस आशय के पत्र भी लिखे कि झांसी नगर पालिका तथा बुन्देलखंड नगरपालिका व उस क्षेत्र की टाऊन एरिया आदि के आय के स्रोत बहुत कम हैं। शासन से जो अनुदान मिलता है वही एक आमदनी उनकी है। चूंकि यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुये है, आय का और जरिया नहीं है। फिर शासन से जो अनुदान मिलता है उसका सही उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। जो अनुदान मिला है, वह सही खर्च किया गया है या नहीं, मैं चाहूंगा मंत्री जी इसकी जांच करवा लें। श्रीमान जी, मैं माननीय मंत्री जी से पुनः इस बात को कहना चाहता हूं और इस बात के लिये आज मैं चुनौती तो नहीं दे रहा हूं लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना कि भ्रष्टाचार, जितना कि कहना चाहिये घपला आज से दो वर्ष पहले बुन्देलखंड के सभी टाउन एरिया और नगरपालिकाओं में नहीं था, आज उससे ज्यादा हो गया है। नगरपालिका की जो नजूल की भूमि है आज वह ऐसे लोगों के प्रभाव में होती चली जा रही है जिससे कि सम्पूर्ण नगर का विकास रुक गया।

मैं मंत्री जी का ध्यान झांसी नगरपालिका की तरफ दिलाना चाहता हूं कि झांसी नगरपालिका के अन्तर्गत जितने भी सार्वजनिक शौचालय विद्यमान थे, आज वह समाप्त हो गये हैं। उन बस्तियों में सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, जो हरिजन और मलिन और कमजोर वर्ग की बस्तियां हैं और माननीय मंत्री जी का झांसी नगर में आगमन हुआ था लेकिन उन बस्तियों में जाने का मौका नहीं मिला, जहां कि इन्सान एक मिनट भी ठहर नहीं सकता। आज वहां जो शौचालय की व्यवस्था है, उसका परिणाम आज वहां पर यह हो रहा है कि वहां की हजारों की संख्या की आबादी में रहना दूभर हो गया है। माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायें, जहां पर 5 मिनट लोग नहीं रह सकते हैं। वहां पर वर्षों से लोग कैसी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो झांसी मलिन बस्ती के अन्दर बीमारी पैदा हो जायगी जो सारे नगर को चौपट करके रख देगी।

मैं आवास विकास की तरफ अब आना चाहता हूं। मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में पहले आग्रह भी किया था कि शासन को यह देखना चाहिये कि आवास विकास किसके लिये बनेगा, नगर में किस आय वाले लोगों को देना है? लेकिन सरकार ने इस ओर अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया। मैंने कहा था कि बुन्देलखंद एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज बुन्देलखंड के सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण तथा शहरी, किसी भी क्षेत्र के लोगों को जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दो साल की अवधि के बाद इस शासन ने उन कमजोर और हरिजन वर्ग के लिये एक भी मकान बनाकर नहीं दिया है। आज मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि झांसी के अन्दर आवास विकास के जो भी कार्य हों, पहले उनके लिये यह योजना होनी चाहिए जिनके पास मकान नहीं हैं, जिनके पास मकान बनाने का साधन भी नहीं है, जो सड़कों पर रह कर अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं। अगर जांच करायें, तो हजारों की संख्या में आप पायेंगे कि

नगरों में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं या छोटे-छोटे उद्योग-धंधों का काम करते हैं। पहले बुन्देलखंड में उन लोगों को मकान देने की आवश्यकता है। झांसी नगर के अन्तर्गत आवास व्यवस्था के अन्दर जो मकान बनाये गये हैं, उनके लिये पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं की गयी। आज वहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है।

आज वहां पर पानी और बिजली की आवश्यकता है। मैंने स्वयं जाकर देखा है कि दो-दो मील से वहां पर पानी ले आते हैं। वहां पर जो शासन द्वारा बनाई हुई बस्ती है, आज वहां पर पानी नहीं, बिजली नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि पेय-जल व्यवस्था की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बुन्देलखंड के अन्दर पीने के पानी की कमी है और एक बार स्वीकार नहीं किया है, सैकड़ों बार स्वीकार किया है, अपने अधिकारियों के बीच में बैठकर इस प्रकार की चर्चा की गयी है। लेकिन माननीय मंत्री जी आज बुन्देलखंड के पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल की योजनाएं तो बन रही हैं, माननीय मंत्री जी के निर्देश भी हो चुके हैं। लेकिन कार्य नहीं चालू हो रहा है। आज झांसी नगर के अन्दर पेयजल की व्यवस्था इतनी खराब हो गयी है, मैंने प्रश्न भी उठाया था कि दो लाख व्यक्तियों को पानी पीने के लिये व्यवस्था नहीं है। 15 वर्ष की जो लम्बी अवधि की योजना बनी है, वह कल पीने के लिय पानी नहीं दे सकता है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि झांसी की जो समस्या है, इसको हल करने के लिये पेयजल की व्यवस्था बनाई जाय। जो माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं अधिकारियों को मैं आशा करता हूं कि मार्च या अप्रैल तक प्रभावशाली हो जायेंगे यह उनकी परीक्षा है जो झांसी के नागरिकों के सामने आश्वासन दिये हैं, मैं उनसे कह चुका हूं कि 15 अप्रैल तक पेयजल की व्यवस्था हो जायेगी।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया। हमारे मंत्री जी ने जो सदन के सामने स्वायत्त शासन का बजट रखा है वह प्रसंशनीय है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नश्तर जी आप दूसरे माइक से बोलें यह माइक ठीक काम नहीं कर रहा है।

(समय 3 बजे अपरान्ह से)

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम स कानपुर नगर जो इस उत्तर प्र श का औद्योगिक नगर ही नहीं बल्कि एजूकेशन और ट्रेनिंग की संस्थाओं का भी नगर है। उसकी कुछ अपनी अलग समस्यायें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, कानपुर जहां और चीजों के लिये, इस उत्तर प्रदेश के लिये परिचित है और हिन्दुस्तान के मैनचेस्टर के नाम से पुकारा जाता है वही हिन्दुस्तान में कानपुर को गन्दे नगर के नाम से भी पुकारा जाता है आज कानपुर के अन्दर गन्दगी का बोल-बाला है, जिसके कारण वहां के नागरिकों का जीवन दूभर हो गया है। माननीय मंत्री जी ने इस सिलसिल में कुछ कदम उठाये हैं। जो कानपुर के अन्दर डेवलपमेंट एथारिटी, जल संस्थान और नगर महापालिका में कोआरडीनेशन नहीं था उसके आपसी झगड़े की वजह से कानपुर में डेवलपमेंट के काम रुके थे। मैं माननीय मंत्री जो को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने एक जिम्मेदारी अधिकारी को भेजकर तीनों काम को एक हाथमें दिया है जिससे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंटल झगड़े खत्म होकर कानपुर में कुछ काम शुरू हो जायेगा लेकिन मान्यवर, काम शुरू होने के पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर–]

चाहता हूं कि 42 करोड़ रुपचा जो वर्ड बैंक योजना के तहत लिया है, उसमें बहुत सी मलिन बस्तियों के सफाई की योजना शामिल नहीं की गई है और इसमें कानपुर सीवर की समस्या भी है। मान्यवर, कानपुर में सीवर समस्या के कारण मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ रही है और इसके कारण एक बार भयानक बीमारी फैल चुकी है।

मान्यवर, कानपुर में नया गंज, जनरलगंज जो हिन्दुस्तान में माने हुए सबसे बड़े बाजार हैं, जहां देश भर के लोगों का आना जाना होता है, वहां सीवर और टूटी सड़कें और कूड़ों के ढेर कानपुर की छबि बिगाड़ने के लिये काफी हैं। इसके अलावा नया शहर जो विकसित किया जा रहा है और जो नई बस्तियां हैं जैसे साकेत नगर, पांडु नगर, सर्वोदय नगर, विजय नगर चाहे जो हो, वहां ढाई और तीन फीट पानी भरा रहता है क्योंकि यहां सीवर व्यवस्था ठीक नहीं है और कहीं-कहीं नई बस्तियों में सीवर नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे कि पानी बह सके।

कानपुर में हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर के अन्दर 3 से 5 फीट तक सड़कों पर गड्ढे हैं जिससे सड़क पर ही ट्रक आदि खड़े होते हैं परिणामस्वरूप दुर्घटनायें होती हैं। कानपुर के समाचार पत्रों से विदित होता होगा कि 40 फीसदी से अधिक मेन होल में कवर नहीं हैं। इसलिये सुझाव मैं देना चाहता हूं कि चूंकि लोहे के मेन होल कवर्स चोरी चले जाते हैं इस लिये पत्थर या सीमेन्ट के मेन होल कवर्स रखे जायं जिससे उनकी चोरी न हो सके और साथ ही साथ जो जानवरों, इंसानों और बच्चों की मृत्यु मेन होल में गिरने से होती हैं वह न हो सकेंगी। इसके साथ ही साथ नई बस्तियों में जब लोग बसाये जायं तो वहां ड्रेनेज की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था और पाईप लाईन एवं सड़कें बनाने के बाद ही वहां मकानों के निर्माण का कार्य कराया जाय वरना नई बस्तियां या शहर पुरानी बस्तियों से बदतर हो जाता है। इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, ग्वाल टोली में सफाई कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने की एक योजना 10 साल से अधर में लटकी पड़ी है। जमीन मौजूद है लेकिन लालफीताशाही के कारण वह योजना पूरी नहीं की जा रही है जिससे वह लोग जानवरों की जिन्दगी गुजार रहे हैं। अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

कानपुर में बस स्टेशन के पास एक नहर है जो कानपुर के लिये कलंक है। नहर, नगर-पालिका को ट्रांसफर होनी थी लेकिन वह नहीं हुई जिससे बस स्टेशन को अभी तक नहीं बनाया जा सका है। मान्यवर, इसी तरीके से कानपुर बस स्टेशन के बाद चौराहे पर जायं तो वहां एक होटल है जिसने 10–15 सालों से कोर्ट से स्टे ले रखा है। इससे किदवई नगर और नया कानपुर को यातायात में कठिनाई होती है। इस स्टे को समाप्त करने की कार्यवाही के लिये विशेष काम नहीं किया गया है।

मान्यवर, यही हाल परेड बाजार का है। वहां पर एक दूकान के कारण फलवाली सड़क हमारे काम में नहीं आ रही है। मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि महापालिका के अंदर जो ला डिपार्टमेंट है, उसमें जो वकील हैं, उनका एक पैनल बनाया जाय और यह देखा जाय कि नगरपालिका के जो केसेज हैं उनका रिजल्ट क्या निकला, किस केस में हार हुई और किस केस में जीत हुई और कौन जिम्मेदार है। इसकी रिसपांसिबिलिटी फिक्स जब तक नहीं की जायगी तब तक महापालिका को रोज ब रोज हानि होती चली जायगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जरीब चौकी और ग्वाल टोली के बीच एक रेलवे लाइन बिछायी गयी थी। यह रेलवे लाइन उखड़ चुकी है और जमीन खाली हो गयी है। इस जमीन के संबंध में रेलवे बोर्ड ने इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर को आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया

था। उनका आर्बिट्रेशन हो गया वह, जमीन हमको मिल गयी लेकिन आज तक जरीब चौकी और ग्वालटोली के बीच में जो जमीन है, वह मलिन बस्ती बनी हुई है। उस पर तमाम दुकानें वगैरह बन गयीं हैं, उस जमीन पर सूअर पल रहे हैं। इस तरह से नये शहर के अंदर मलिन बस्ती कायम हो गयी है। तो इस जमीन को हासिल करके मलिन बस्ती को खत्म कराने का प्रयास किया जाये ताकि नगर साफ सुथरा हो सके। मैं इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की सख्ती बरतेगा जो धन है, वह अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा और नगरों का सुधार होगा।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस माननीय सदन में आधे घन्टे से ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप की ढाल बनकर अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट कारनामों को एक्सपोज होने से बचाया। इसमें ज्वाइंट रिसपांसबिलिटी होने के कारण पीछे हमारी गृह मंत्री जी भी नहीं रहीं और उन्होंने मंत्री जी को बड़ा सहयोग दिया। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो लिट्रेचर दिया है उसमें आप देखें 113 जगहों पर हाउसिंग कालोनीज बननी हैं और 31 जगहों पर काम आरम्भ हो गया है। इसके माने हैं कि 33 फीसदी से भी हम नीचे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कितनी बड़ी कठिनाई आज जनसंख्या बढ़ने के कारण है। प्रदेश की आबादी 20,21 परसेंट बढ़ी है लेकिन नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या 25 परसेंट से ज्यादा बढ़ी है। आपका जो दायरा है वह 1000 की आबादी से लेकर 18 लाख की आबादी के नगर हैं। नगरपालिकाओं की तादाद 664 है। उसमें आपके हाथ पैर फैले हुए हैं। लेकिन जो गरीब आदमी हैं, जो रात-दिन काम करते हैं, चाहे आगरा हो, चाहे कानपुर हो या चाहे लखनऊ हो, जो 20, 25 मंजिली इमारतें बनाते हैं जो हमारे समाज को सुख सुविधा का सामान मुहैया करते हैं। उनके रहने के स्टेण्डर्ड को छोटा कहते हैं लेकिन वे स्वयं न जाने कैसे एक छोटी-सी झोपडी में अपने बाल-बच्चों को लेकर वहां रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके विभाग नें जिम्मदारी ली है कि नगरीय क्षेत्र में जो "हैव्ज" हैं, उनके लिये हर चीज का इन्तजाम होगा, लेकिन जो "हैव नाट्स" हैं, उनकी तरफ आप यह समझकर चलते हैं कि उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे उनको पानी मयस्सर हो या न हो, चाहे जाड़े में सर छिपाने के लिये उन्हें जगह मिले या नहीं, उसकी तरफ कतई दिलचस्पी आपने नहीं ली।

इसी प्रदेश के अन्दर एक यह घोषणा थी कि 10 साल के अन्दर रिक्शा पुलिंग समाप्त कर दी जायगी और इसके लिये 10 प्रतिशत लाइसेंस हर साल समाप्त किये जायेंगे, लेकिन आप देखिए कितनी तादाद उन रिक्शा चलाने वालों की बढ़ती चली जा रही है। उनके पास रिक्शा चलाने का लाइसेंस नहीं है और गाड़ियां भी पास नहीं हैं। क्या मैं यह मान लूं कि एग्जीक्यूटिव आफीसर्स और दूसरे लोगों की नालेज में यह नहीं है? यह सब उनकी नालेज में है, लेकिन मजबूरी यह है कि यह उनके लिये आमदनी का एक जरिया है। कोई यह देखने वाला नहीं है कि रिक्शे में घंटी है या नहीं, मडगार्ड है या नहीं,या इसके अलावा और दूसरी जरूरी चीजें हैं या नहीं। नतीजा यह होता है कि इसमें बैठने वाला कितनी बार यह सोचता है कि इससे तो पैदल ही चले जायं, तो अच्छा है। आप सभी जानते हैं, एक मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि और जगहों पर भी इसकी जिम्मदारी आपके ऊपर है कि 10 साल के अन्दर इसको समाप्त करेंगे और इसके अनुसार इसके लाइसेंसेज कम होने चाहिये थे।

आज हो यह रहा है कि 20-20 मील से गांव के लोग रिक्शा चलाने के लिये शहरों में भागते हैं और खेती में काम करने के लिये मजदूर किसी भाव में हाथ में नहीं आता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन---]

इसका प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है और शहर में आकर उन लोगों को भी भांति-भांति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि एक्सीडेंट इत्यादि।

हर शहर के अन्दर दूध के एडल्टरेशन को रोकने के लिये इन्सपेक्टर्स हैं, लेकिन क्या आप यह कह सकते हैं कि प्योर दूध जो बच्चों से लेकर बुड्ढों को मिलना चाहिये, वह मिलता है ? हर एक में पानी मिला होता है बल्कि उल्टा हिसाब होता है कि पानी में दूध मिलता है। क्या आपके इन्सपेक्टर्स इस बात को नहीं जानते हैं ? सब जानते हैं लेकिन मजबूरी इस चीज से है कि सबका हिस्सा बंटा हुआ है कि कौन से इन्सपेक्टर को कितना मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। आपके पास जितने जल निगम वगैरह हैं, लेकिन जैसा मा0 ऊदल जी ने कहा करोड़ों रुपया आपने जल योजना में खर्च कर दिया लेकिन दिक्कत यह है कि उसको मैण्टेन कौन करे। निर्माण करने वाले कहते हैं कि हमने बना कर दे दिया, अब तो जल संस्थान वालों का काम है कि वह इसको मैण्टेन करें, दूसरी ओर, जल संस्थान वाले कहते हैं, कि हमको मैण्टेन करने के लिये रुपया नहीं मिलता।

बनारस में ज्ञानपुर तहसील की तरफ चले जाइए। वहां ड्राट स्कीम में जो 4–5 लाख रुपये खर्च करके पेयजल की योजना बनायी गयी थी, उसे आज कोई देखने वाला नहीं है। इन सब चीजों का मेन्टीनेन्स कौन करे ? यह आपकी जिम्मेदारी है परन्तु आपके महकमें के लोग जानते हैं कि उनका कुछ होगा नहीं। कांस्ट्रक्शन के लिये जो लोन ले कर आप बनाते हैं, चाहे एल0 आई0 सी0 से लोन लिया हो या और कहीं से आपने उस योजना पर लोन लिया हो परन्तु वह मकान कैसा बनता है, यह आप भी खूब जानते हैं कि बरसात में बाहर से तो पानी बरसता है आधा घंण्टे और घर के अन्दर पानी टपकता है 6 घण्टे।

मैं मुरादाबाद की ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं कि सफाई की व्यवस्था बहुत ही शोचनीय है। मुरादाबाद में आप जानते हैं कि कितना गन्दा है। वहां पर मुसलमानों के मोहल्लों के अन्दर सफाई नहीं हो रही है। मैंने इसके लिये लिख कर भी दिया परन्तु कुछ नहीं हुआ। मेहतर और मेहतरानियां वहां नहीं जाती हैं और आपके आफिसर उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे देहात में अगर कोई जानवर पालता है तो पहले तय कर लेता है कि उसे कहां पर रखेंगे और कहां पर बांधेंगे परन्तु आपके म्यूनिसपल बोर्ड के अन्दर सुअर पालने का जो प्रोत्साहन है, उसके लिये कोई व्यवस्था शहरों में नहीं है। इसीलिये इन छोटी–छोटी बातों पर दंगे हो जाया करते हैं। मुरादाबाद में इसी तरह से सूअर पालन को लेकर दंगा हो चुका है और ला एण्ड आर्डर की दशा बिगड़ चुकी है। जब आपका योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं होगा तो ला एण्ड आर्डर की सैचुएशन पर उसका असर जरूर आयेगा।

आप नगर विकास के वास्ते जो 67–68 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, तो शहर के लोगों में भी समझ आ गयी है कि पोलिटिकल कांशन्स क्या है और इसका नतीजा क्या है ? चुनाव आप करा नहीं पा रहे हैं इसी बिगड़ती हुई स्थिति के कारण।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रियासत साहेब, आपकी तकरीर का वक्त खत्म हुआ।

श्री रियासत हुसैन---

बहरहाल, आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये और यह जरूरी भी है कि आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो आपके कन्ट्रोल में नहीं है, उनकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये जिससे कि आपकी योजनायें पूरी हो सकें और जो भवन निर्मित हो गये हैं, उनको आप अपने कब्जे में लीजिये ताकि नगरों में रहने वालों को राहत मिल सके।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर बोलने का और मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इस अवसर पर मैं विवादग्रस्त मुद्दों पर न जाकर केवल कुछ रचनात्मक और उपयोगी सुझाव देना ही आवश्यक समझता हूं ।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वे शान्त होकर मेरी बातों को सुन लें। श्रीमन्, आज आपके जो विकास प्राधिकरण है या जो आवास विकास परिषद् है, उनका काम मकान बनाना है और जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान देना है। मकान बनाने के लिये इन इकाइयों को जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है और तय है कि भूमि किसानों की ही अधिगृहीत की जाती है परन्तु यह देखने की बात है कि जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उनको मुआवजा कहां तक और कब मिल पाता है ।

अभी आगरा में शमसाबाद आवास योजना में चार-पांच साल पहिले किसानों की जमीन अधिगृहीत की गयी थी लेकिन आज तक उनको उसका मुआवजा नहीं मिला है और अब हालत यह आ गयी है कि उन बेचारों को रोजी--रोटी मिलना मुश्किल हो गयी है। एक समस्या खड़ी हो गयी है उनके सामने और अब उन लोगों ने तय कर लिया है कि अगर अब आप उनको शीघ्र ही कम्पेनसेशन नहीं देंगे तो वे आमरण अनशन करने पर उतारू हो गये हैं। आमरण अनशन कब इन्सान करता है, जब वह देखता है कि उसके प्रयास के सारे रास्ते बन्द हो गये हैं। तो वे लोग अब आमरण अनशन करने पर उतारू हो गये हैं।

श्रीमन्, उस आवास योजना में आगरा में शमसाबाद आवास योजना में आपने 4-4-81को जब आप वहां गये थे, तो आपने घोषणा की थी कि उस योजना के अन्तर्गत जो लोग माइनारिटीज के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं उनके जो मकान बने हुये हैं प्रोजेक्ट में उनको ध्वस्त नहीं किया जावेगा ।

आपने आश्वासन दिया था लेकिन आज की तारीख तक वहां पर विकास प्राधिकरण के लोग अक्सर पहुंच जाते हैं और उनके सिर के ऊपर तलवार लटक रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा श्रीमन्, कि जो आश्वासन आपने सार्वजनिक रुप से दिया था उसको पूरा कर दें। श्रीमन्, विकास प्राधिकरणों का गठन इसलिए हुआ था कि वह नगरों का विकास करें लेकिन आपके विकास प्राधिकरण मलिन बस्तियां पैदा कर रहे हैं। आगरे के अन्दर नव निर्मित कालोनियों में जहां पर पार्क के लिये जगह छोड़ी गई थी और जहां बच्चे खेलते थे, उन सबको नीलाम कर दिया गया और पैसा वसूल कर लिया गया। यही नहीं, इस तरह की योजनायें बनाई गई कीपी टोला सदर भट्टी में कबूतर के दरबों की तरह 100-100 दुकानें बनाई गई लेकिन उन्हें कोई लेने को तैयार नहीं हुआ कई वर्षों तक। इसी तरह से एक संजय कामर्शियल काम्प्लेक्स बन रहा है आगरा में । बहुत बड़ा काम्प्लेक्स है लेकिन वहां पर 22 रु0 गज की जमीन 3500 रु0 स्क्वायर मीटर के हिसाब से नीलाम हो रही है।

श्रीमन् फतेहपुर सीकरी योजना में 5 रु0 स्क्वायर मीटर की जमीन 80 रु0 स्क्वायर मीटर में दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट वगैरह में खर्च होता है लेकिन 5 और 80 में बड़ा अन्तर है और यह सब जो गरीब आदमी मकान लेता है उसको भुगतना पडता है। जितने भी उल्टे सीधे अनाप-शनाप खर्चे होते हैं। विकास के मद में डाल दिये जाते हैं। संजय काम्प्लेक्स के अन्दर साढ़े चार हजार दुकानें बनने का प्लान है, एल0 आई0 सी0 बिल्डिंग बनाने की बात है, होटल व सिनेमा बनाने की बात है और यह काम्प्लेक्स महात्मा गांधी रोड पर स्थित है। उसी पर सारे डिग्री कालेज भी स्थित हैं और सारे सिनेमा भी उसी

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—]

मार्ग पर स्थित हैं और आप ताज्जुब करेंगे कि वहां पर कोई भी पार्किंग स्पेस की व्यवस्था नहीं की गई है। रिक्शे कहां खड़े होंगे, स्कूटर कहां खड़े होंगे, कार कहां खड़ी होगी? इस तरह से आगरा विकास प्राधिकरण सिर्फ पैसा पैदा करने की मशीन बनकर रह गया है। संजय काम्पलैक्स के सामने वहां पर एच0 आई0 जी0 मकान 4 मंजिले बनाने जा रहा हैं आगरा विकास प्राधिकरण। एक भवन की कीमत 1 लाख 83 हजार वसूल करेंगे और 18 महीने के अन्दर इसको वसूल करना है।

श्रीमन्, उसको आगरे का औसत दर्जे का आदमी नहीं ले सकता है। उसको बड़े-बड़े आई0 ए0 एस0 आफिसर, बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी जो कर्जा लेकर अपने डिपार्टमेंट से उन मकानों को खरीद लेंगे लेकिन औसत दर्जे का आदमी उस मकान को नहीं ले सकता है।

श्रीमन्, आगरा विकास प्राधिकरण ने उस योजना में मास्टर प्लान की अवहेलना की है, आबादी के घनत्व के प्राविधान की अवहेलना की है आगरा विकास प्राधिकरण जैसी जिम्मेदार संस्था ने जो अक्षम्य है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महात्मा गांधी रोड पर उक्त योजनान्तर्गत मकान न बनाये जायं बल्कि वहां पर पार्किंग स्पेस बना दिया जाय। वहां पर फव्वारा लगा दीजिये, वहां पर पेड़ लगा दीजिये ताकि प्रदूषण का जो खतरा है वह दूर हो सके क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी फाउंडरीज हैं। दिल्ली में जहां एशियाड 82 मेला होने वाला है वहां देश, विदेश के पर्यटक भी आयेंगे और वे आगरा जरूर आयेंगे। आगरा में आज सड़कों की दुर्दशा है वहां नाले उफन रहे हैं, गन्दगी का साम्राज्य है। वहां के नालों व सड़कों की सफाई के लिये अलग-अलग ग्रांट्स देकर कोई व्यवस्था कर दीजिये ताकि एशियाड मेले में आगरा के अन्दर हिन्दुस्तान भर के लोग या विदेशी पर्यटक आवें तो वे आगरा की गलत तसवीर लेकर न जायें।

इसके साथ-साथ मैं और कुछ न कह कर टोल टैक्स के बारे में जरूर कहूंगा। टोल टैक्स आमदनी का एक जरिया होना चाहिये लेकिन हर वर्ष उसके आंकड़े घटते जा रहे है, उसकी आमदनी कम होती जा रही है। और आज हालत यह है कि टौल टैक्स का 25 प्रतिशत तो नगरपालिका के खजाने में जाता है और 75 प्रतिशत अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर शीर्षस्थ अधिकारी तक। इसमें कोई शक नहीं है और मेरा यह फर्ज है कि मैं माननीय मंत्री जी से कहूं कि वे इस समस्या का कुछ निदान करें। कुछ सख्ती करें। हमारे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया था कि आगरा में कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो कार्य तो करते हैं महापालिका में इंजीनियर के तौर पर और वही ठेकेदारी भी करते हैं इस तरह से हर प्रकार से नगरमहापालिका को लूटते हैं। माननीय मंत्री जी इसकी जांच करें कि एक तरफ तो वे इंजीनियर बन चेक पर दस्तखत करते हैं और दूसरी तरफ ठेकेदार भी बने हुए हैं।

आपके इंजीनियर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण के अन्दर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। फतेहपुर सिकरी योजना के अन्तर्गत जो निर्बल वर्ग व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये मकान ठेकेदार बनकर बनवा रहे हैं उनकी छतें ही गिर गयी। शमसाबाद में ठेकेदार बनकर इंजीनियर जो मकान बनवा रहे हैं उसके भी छज्जे गिर गये। और इसी तरह से कुछ मकान तो बिलकुल ही हिल गय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विजिलेंस के जरिये अपने उपरोक्त अधिकारियों के बारे में जांच करायें कि कौन अधिकारी, किस तरह से महापालिका के अन्दर लूट कर रहा है और जो लोग दोषी पाये जायं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय ताकि आगे के लिये मिसाल कायम हो सके और कर्मचारी कर्मचारी ही रहे, ठेकेदार न बने। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने इस अनुदान पर बोलने के लिये जो मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह नगर विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध जनजीवन से है। लेकिन मान्यवर, इस विभाग के द्वारा प्रदेश भर में जहां सुधार का काम ज्यादा होना आवश्यक था, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज प्रदेश भर में यह देखा जाता है कि जहां पर पानी मीठा है, जहां पेयजल की व्यवस्था करना जनता के लिये आवश्यक नहीं था वहां पर टंकी बनवा दी गयी और पाइप लाइन डाल कर वहां पानी के नल लगा दिये गये। वहां की जनता इसकी आकांक्षी नहीं थी लेकिन मान्यवर, प्रदेश में आज भी ऐसे स्थान हैं जहां का पानी भारी है, जहां पानी का अभाव है, वहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने फतेहपुर सिकरी क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। फतेहपुर सिकरी क्षेत्र में छोटे बड़े 291 गांव हैं। इनमें से 232 गांव ऐसे हैं जिनका पानी बिलकुल भारी है। साथ ही साथ वे राजस्थान की सीमा से भी लगे हुए हैं अकबर ने जहां 11 वर्ष तक राजधानी रखी थी, वह भी पानी के अभाव के ही कारण फतेहपुर सिकरी से राजधानी हटा ले गया। उस क्षेत्र में 44 गांव ऐसे हैं जिन गांवों के कुओं का पानी सूख चुका है, या एक महीने में पूर्ण रूप से सूख जायेगा। उस क्षेत्र में 44 गांवों में से एक गांव में भी पेयजल योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। हां, जब सूखा पड़ा था सन् 1980 में तो वहां पर आठ बोरिंग किये गये लेकिन आठों बोरिंग औंधे मुंह पड़े हुये हैं। वहां पर कोई इंजन नहीं लगाया गया। पानी बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

उस क्षेत्र के बारे में मैं यह सोच कर चल रहा हूं कि उस क्षेत्र का विधायक विरोधी पक्ष का होने के कारण उस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। लेकिन जन-जीवन तो जन-जीवन होता है। शासन की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र की व्यवस्था करे। जिस क्षेत्र में 80 प्रतिशत पेयजल खारा हो, जहां की आधी जनता प्यासी मरती हो, उस क्षेत्र के लिये आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। उस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर पानी की आवश्यकता नहीं थी लेकिन वहां पर पाइप लाइन डाली गयी है। कीच और मिट्टी के जमाव के कारण वहां पर पशुओं के पैर टूट जाते हैं। वहां के निवासी शासन को धिक्कार रहे हैं कि उस जगह कोई पानी की आवश्यकता नहीं थी लेकिन तब भी इस प्रकार की परेशानी पैदा कर रखी है और जहां पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है।

मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं कि यदि उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो मई के महीने में वहां का जन समूह निकल पड़ेगा और उसको सत्याग्रह आन्दोलन का आश्रय लेना पड़ेगा। तो माननीय नगर विकास मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान दें। उस क्षेत्र में जाकर फतेहपुर सीकरी को देखें। वहां पर गोठरा, बसेरीकाजी, चुरियारी, मेंहदऊ, भगोली-कला, भगोलीखुर्द, नंगला नगोली, तेहरारावत, जौताना, जहांनपुर, सिरोली, सराय, खेड़ा जाट, भोपुर, नगला बलेय कई गांव ऐसे हैं, जहां लोग एक चुल्लू भर पानी नहीं पी सकते। गोठरा का पानी पीकर चिड़िया मर रही हैं। वहां लोग दो-दो, तीन-तीन, किलोमीटर दूर जा कर नहर से पानी ला रहे हैं। यह स्थिति हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह---]

तो, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नगर विकास मंत्री जी इतनी बड़ी धनराशि इस सदन द्वारा मंजूर करवाने जा रहे हैं, उसका कोई अंश इस क्षेत्र में भी खर्च करवायें जहां का 80 प्रतिशत पानी खारा है और लोग प्यासे मर रहे हैं। मैंने विधान सभा में एक सवाल भी किया था और मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया कि इस क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जब मैंने यह पूछा कि वहां पर कोई योजना चलाई जा रही है ताकि समस्या का स्थायी निराकरण हो सके? तो मंत्री जी ने कहा कि आठ योजनायें हैं। जब मैंने नाम पूछा और किन गांवों में ये योजना चलाई जा रही हैं तो मंत्री जी गांवों का नाम नहीं बता सके। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की ओर ध्यान दें। राजनीतिक पार्टी बंदी के मतभेद को भुला कर इस क्षेत्र की ओर ध्यान दें। माननीय मंत्री जी, आप ने करावली को टाउन एरिया घोषित किया लेकिन अभेदोपुरा को उसमें शामिल नहीं किया। वहां के लोगों का प्रस्ताव आपके पास आया है। उनकी मांग है कि आप ग्राम चुनाव कराने जा रहे हैं अभेदोपुरा को भी करावली में सम्मिलित करा लें।

फतेहपुर सीकरी, जिसकी तीस हजार की आबादी है, वहां 13 मोहल्ले के लोग प्यासे मर रहे हैं। जल निगम के द्वारा जो कार्य किया गया है, उसके तहत तीन बोरिंग लगाये गये हैं। शैलो बोरिंग लगाये गये है। उन में पांच मिनट के लिये भी पानी नहीं पहुंचता है। जो पाइप लाइन डाली गई है वह इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से एक मीटर गहरी होनी चाहिये थी किन्तु केवल एक फीट गहरी डाली गई है, जिससे पानी नहीं चढ़ता और फतेहपुर सीकरी की बस्तियां प्यासी मर रही है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि अछनेरा में जो सीवर लाइन डाली गई है, उसको पानी नहीं मिल पा रहा है। 14-15 लाख रुपये इस योजना में खर्च हुये हैं और यह बेकार पड़ी हुई है। बिजली के न होने के कारण पानी इस सीवर लाइन को नहीं मिल पा रहा है। मेरा निवेदन है कि पानी की व्यवस्था की जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय हरदेव जी, मैंने आपही के दल के एक माननीय सदस्य को बुला लिया है कृपया आप बैठें।

श्री कमला प्रसाद सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

ऐसा मालूम होता है कि बहुत से सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, इसलिये प्रत्येक सदस्य के लिये मैं 5 मिनट का समय सीमित करता हूं।

कुमारी सुमनलता दीक्षित ---

अभी किसी महिला ने इस विषय पर नहीं बोला है।

श्री अधिष्ठाता--

आप ही के लिये तो यह व्यवस्था की गई है।

श्री कमला प्रसाद सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से नगरपालिका जौनपुर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां नगरपालिका में, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया में प्रशासक हैं और उनकी बात सुनकर उनके आदेश पर हमारे अधिकारीगण कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से वे जनता के हित के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने देखा है कि हमारे यहां टाउन एरिया जफराबाद, मड़ियाहूं, केराकत में सफाई के बारे में जो कुछ कहा जाता है तो यह कह दिया जाता है कि उसकी देखरेख एस0 डी0 एम0 करते हैं और जब इसके बारे में एस0 डी0 एम0 से कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि इसको नगरपालिका ओ0 सी0 देखते हैं तो यह कह कर टाल दिया जाता है। दोनों बातें बता दी जाती हैं। इससे वहां की जनता परेशान हो जाती है।

हमारे यहां टाउन एरिया जफराबाद में कोई भी आदमी जाकर देख सकता है कि बाजार में वहां पर कोई आदमी चल नहीं सकता है। उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय ह। हमारे आग्रह के बाद भी कोई भी व्यक्ति वहां टाउन एरिया के अन्दर काम करने के लिये नहीं जाता है। यदि शिकायत की जाती है तो जो प्रशासक हैं, उनकी बात को सत्य मानी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सड़के बनायी गई हैं उनके बारे में मैं बार-बार कह चुका हूं और आज भी माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे सी0बी0आई0 से जांच करा लें। उनको काफी पैसा इस मद में सड़क बनाने हेतु मिला हुआ है। एक महीन क अन्दर सारा पैसा बरबाद कर दिया है और सड़कें भी बरबाद हो गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी जांच आप सी0 बी0 आई0 के माध्यम से करा लें और ये जो प्रशासक हैं इनकी बात निश्चित रुप से असत्य निकलेगी।

यही स्थिति उस क्षेत्र में कूड़े के सम्बन्ध में है। नालियां जाम रहती हैं, उनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको उठाने के लिये न तो वहां नगरपालिका के पास कोई ट्रक है, न ट्रैक्टर है। माननीय मंत्री जी को इस बात को देखना चाहिय। यह बहुत गम्भीर बात है। जहां तक म्यूनिसिपल बोर्ड का एरिया है, जहां हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लिया जा रहा है वहां न उनको पानी की सुविधा है और न सड़कों की सुविधा है और न नालियों की सुविधा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप हाऊस टैक्स और वाटर टैक्स ले रहे है और जो म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर आ रहे हैं, उनको पानी, सड़कों और नालियों की सुविधा दें। मान्यवर, मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिये क्योंकि पहले वैसे ही समय बरबाद हो गया है।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में समाप्त करें। एक मिनट और दे देता हूं।

श्री कमला प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जौनपुर में कोई पार्क नहीं है जहां पर लोग शाम को जाकर बैठ सकें। इसी तरह विद्युत के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि बल्बों की जगह राड लगा दिये जायं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां पानी की समस्या हल करने के लिये

[श्री कमला प्रसाद सिंह--]

धन दिया है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 6 ट्यूबवेल लगाये गये हैं, उनके लिये जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाय ताकि जब बिजली न रहे उन जनरेटरों के द्वारा पानी की व्यवस्था की जा सके। अतः जनरेटरों की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।

एक बात इनक्रोचमेंट के संबंध में कहना चाहता हूं मैंने कई बार निवेदन किया कि लोग सड़कों के किनारे मकान और दुकानें बना लेते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कितने बड़े लोग हैं उनको सड़को पर इनक्रोचमेंट नहीं करने देना चाहिये।

मैं आखिर में एक बात कह कर समाप्त करूंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मल्हनी बाजार है वहां की जनसंख्या कम से कम 20 हजार की है तो उसे टाउन एरिया बनाने की कृपा करें। इसके साथ-साथ मल्हनी बाजार, नौ पेड़वां बाजार, और गौरा बादशाहपुर इनको टाउन एरिया बना कर वहां की समस्याओं को दूर करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और स्वागत करता हूं।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हमारे दल के सदस्यों को समय नहीं मिला, श्री कुंवर सिंह नेगी जी को समय दे दीजिये।

श्री धरम पाल--

(श्री नन्द किशोर सिंह का नाम पुकारे जाने पर) ये तो देहात से आते हैं इनका शहरों से क्या मतलब है ?

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे जो स्वायत्त शासन की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने 67 करोड़ की मांग की है लेकिन आज नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज की हालत क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जिले में देवरिया नगर में 4 साल से पेय-जल के लिये टंकी बन रही है लेकिन पानी ऊपर की मंजिल में नहीं चढ़ता है और शहर में गंदगी पड़ी रहती है। जब तक नगरपालिका जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में थी सड़कें बन जाती थी, आज उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। 8 बजे रात के बाद वहां पर चलने पर लोग गिर जा रहे हैं।

इसी तरह शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की टंकियां बेकार पड़ी हैं और पाइप लाइन खराब हो गयी हैं, गौरी बाजार, हाटा बाजार आदि में सड़कों की हालत खराब है, वहां पर उनके सुधार का कोई काम नहीं हो रहा है। पहले जब पी0 डब्लू0 डी0 इनका काम करती थी तो थोड़ा बहुत काम हो जाता था लेकिन आज कोई काम सड़कों का नहीं होता है। गौरी बाजार में जो सड़कें हैं, उनमें एक-एक फुट गड्ढे पड़े हैं, पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि 3559 गावों में पानी की व्यवस्था की जायेगी तो हमारे यहां 2 हजार गांव ऐसे हैं, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था चाहिये। लेकिन आज तक केवल एक गांव में पानी पीने की व्यवस्था की गई है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह लगातार चुनाव कराने के वायदे करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी जगह पर उन्होंने चुनाव नहीं कराया है। अधिकारियों के हाथ में सारी नगरपालिकाएं और टाउन एरिया हैं। हमारे इलाके में एक बैतालपुर क्षेत्र है, जहां पर केन यूनियन है, गन्ना फैक्ट्री है तथा वहां पर 20 हजार से ऊपर आबादी है, उस बैतालपुर को टाउन एरिया बनाने की जनता द्वारा मांग की जा रही है, अतः सरकार उसे टाउन एरिया बनाने की कृपा करें। नगरपालिका, देवरिया का जो टैक्सी स्टैन्ड है, उसका कोई पैसा नहीं ले रहा है। टैक्सी स्टैन्ड जिस जमीन पर है, उसका झगड़ा है और जब खुर्शीद अहमद प्रशासक थे तो उन्होंने गोली चलवायी थी और आज भी वह नगरपालिका टैक्सी स्टैन्ड से पैसा ले रहा है। पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। इन सब बातों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हू कि आज एक महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

श्री अधिष्ठाता---

आप समय का थोड़ा ख्याल रखें।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां एक उत्साहवर्द्धक बजट पेश किया है, जिससे हमारे नगरवासियों को बड़ी आशाएं बंधी हैं, और जो इन्दिरा गांधी के पैगाम के अनुरूप है जिससे यह आशाएं बंधी हैं कि हम नगर के विकास कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने ऐसी भी कुछ बाते कहीं हैं जिसे सुनकर ऐसा लगा कि गोया यही सही है। लेकिन जब वास्तविकता पर ध्यान दिया तो पता चला कि वह सत्य से परे हैं।

जल निगम की बात बार-बार कही गयी उसका गठन सन् 75 में हुआ था और इस उद्देश्य से हुआ था कि गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचाया जायगा। पिछले दो सालों में ही इसके द्वारा बहुत तेज और बहुत अच्छा कार्य किया गया है। विरोधियों के जमाने में जो कार्य हुआ था ,उसे देख लिया जाए और जो हमने किया है, उसे देख लिया जाए, तो उससे साफ मालूम हो जायगा कि कार्य क्षमता किसमें है। मा0 रियासत हुसैन ने कहा है कि आवास विकास परिषद् का 113 नगरों का लक्ष्य था, लेकिन यह लक्ष्य नहीं, संख्या थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी तथ्य रखा जाए सही रखा जाए। (व्यवधान) किसी शायर ने कहा है---जो यह चाहें वह हो जाए यह है अल्लाह की मर्जी, जो हम चाहें तो यह कह दें कि ऐसा हो नहीं सकता।' आपने सिर्फ वायदा किया था, हमने चाहा भी है और कर भी रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। यह कहना कि आज के नगर विकास मंत्री ने कुछ किया नहीं है, यह सच्चाई से इंकार करना है। इन बातों से आपको परहेज करना चाहिये। मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मंत्री जी ने वह कीर्तिमान स्थापित किया है, कि जो आज तक कभी नहीं हुआ था।

[श्री मोहम्मद सफीउर्रमान अन्सारी —]

मान्यवर, मेरा मामूली सा गरीब क्षेत्र है। वहां पर भी मलिन बस्ती योजना के लिए 32 लाख रुपये की योजना कार्यान्वित की गयी है और न जाने वहां पर कई लाख रुपये का और काम किया गया है। सच्चाई से आपको इन्कार नहीं करना चाहिए। बनारस जिसे हम काशी भी कहते हैं, और जिसका दुनिया में एक अहम मुकाम है न केवल इस प्रदेश में, बल्कि दुनिया में अपना एक महत्व है उस काशी की प्रगति और विकास के लिए, वहां पर आने वाले यात्रियों की सुख-सुविधा के लिये और वहां की प्रगति के लिये जितना भी अधिक धन दे सकें उतना दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, वहां की आबादी 8 लाख की है। म्युनिसिपल कारपोरेशन के क्षेत्र में उसका क्षेत्रफल लगभग 75 किलोमीटर है और वहां पर 855 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं जिनके लिए आप केवल 18 लाख रुपये का अनुदान ही देते हैं जो बहुत ही कम है। इस काम के लिये कम से कम 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना चाहिए। पेयजल वितरण में भी सुधार होना चाहिए।

वाराणसी में 146 उद्यान हैं उनके लिए आप केवल 9 लाख रुपये का अनुदान देते हैं जो उनको अच्छी शक्ल में कायम रखने के लिये बहुत कम हैं। इस धनराशि को बढ़ाना चाहिए। वहां पर यद्यपि अच्छे प्रशासक हैं। परन्तु अगर काफी धन वहां की व्यवस्था, निर्माण व सफाई के लिये नहीं दिया जाता है तो वहां पर गन्दगी और बढ़ जायेगी तथा प्रगति रुक जाएगी। बनारस में दूर-दूर से शव आते हैं, वहां पर गंगा जी हैं, जहां पर हजारों शव आते रहते हैं लेकिन विद्युत् शवदाह गृह न होने के कारण गंगा में अधजली लाशों को बहा दिया जाता है इस प्रकार लाशों के बहाने से जल प्रदूषण बढ़ता जाता है। इसलिए शासन को वहां पर तुरन्त एक विद्युत् शवदाह गृह स्थापित करना चाहिए।

बनारस में नगर महापालिका को जो भी आवश्यक सामान जैसे तारकोल और सीमेंट आदि दिया जाता है उसके लिए डी ग्रेड का अथारिटी लेटर होता है। उक्त सामानों के लिये यदि सी ग्रेड का अथारिटी लेटर सा0नि0वि0 से दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा और इससे नगरमहापालिका को आवश्यक सामान प्राथमिकता के आधार पर मिल जायेगी।

जहां तक स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है हेल्थ मैनुअल के अनुसार जितने कर्मचारी होने चाहिए उसके 50 प्रतिशत ही है। इनकी और संख्या बढ़नी चाहिए। ताकि नगर को और अधिक साफ रखने में सुविधा हो।

वाराणसी एक प्राचीन नगर है, इसकी अपनी गरिमा है अपना स्थान है। इसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए क्योंकि वह दुनिया में हमारे मस्तक को ऊंचा करता है अगर वह साफ नहीं रहता है तो हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। मेरी प्रार्थना है कि इस नगर की सफाई के लिये अधिकतम अनुदान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत अनुदान के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय माता प्रसाद पांडेय जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पचपेड़ा एक नोटीफाइड एरिया है लेकिन वहां पर न नालियों का प्रबन्ध है न रोशनी का जिनके अभाव में न वहां पर कोई रिक्शा ही चल पाती है और न आदमी ही पैदल चल पाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सरकार ने 40 हजार रुपया वहां के लिये दिया भी है, वह खर्च नहीं हो पाता है। उसके लिए मैंने कई बार मंत्री जी से आग्रह भी किया लेकिन जो दिया भी उसको भी खर्च नहीं किया जाता है। वहां का प्रभारी अधिकारी बड़ा ही भ्रष्ट है जिससे इस धनराशि को खर्च नहीं किया है।

मान्यवर, गोंडा जनपद में 2,814 गांव हैं लेकिन वहां के किसी एक गांव के रहने वाले को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसी गांव में पीने के पानी की लाइन तक नहीं पहुंची है।

हमारे पचपेड़ा में जो तराई का क्षेत्र है, वहां पीने के पानी की हालत बहुत खराब है। वहां का जल निगम उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है।

हमारा क्षेत्र जन-जाति बाहुल्य क्षेत्र है। कम से कम वहां पीने के पानी की व्यवस्था तो अवश्य होनी चाहिये। हरिजनों के रहने के लिये भी व्यवस्था नहीं है। रोशनी का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है आज तक। बिजली नगर में मौजूद है, पर आपका ध्यान इस ओर नहीं है कि रोशनी का समुचित प्रबन्ध हो। आपके अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। गोंडा नगर में इतनी गन्दगी है कि वहां कोई रह नहीं सकता है। नालियों में पानी सड़ रहा है और उसकी निकासी का प्रबन्ध नहीं है। सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपके अधिकारी कोई बात सुनते ही नहीं हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि आप इन स्थानीय निकायों के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें। पचपेड़ा नगर में पेय-जल की व्यवस्था तुरन्त करायें। आशा है आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

[समय 4 बजे अपराह्न से]

श्री हरदेव---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे निश्चय ही विकास होगा। भारत की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है उसी के तहत इस बजट में प्राविधान किया गया है और इससे पूरे प्रदेश में निश्चय ही विकास का काम हो सकेगा। नगर विकास के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने अपना बजट बनाया है और उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र बलिया की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आजादी की लड़ाई में बलिया सबसे आगे था, किन्तु आजादी के बाद मिलने वाले लाभ में बलिया सबसे पीछे रह गया। हमारे यहां रसड़ा टाउन एरिया तथा अन्य टाऊन एरिया और नोटी-फाइड एरिया में विकास के लिये आपके सहयोग की आवश्यकता है। (व्यवधान) बलिया के जिलाधिकारी ने रसड़ा टाउन एरिया के विकास के लिए 25 लाख रुपये की एक योजना बना कर भेजी है, उसे आप स्वीकार करने की कृपा करें। 25 हजार की आबादी वाल इस नगर में न तो अच्छी सड़कें हैं, न सफाई का इन्तजाम है। गन्दा पानी चारों ओर भरा रहता है जिसके कारण बड़ी कठिनाई होती है। वहां पर काफी अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं।

आपने मान्यवर, निर्बल लोगों के लिये आवास की योजना बना कर एक अच्छा काम किया है और उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। इससे कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा।

[श्री हरदेव---]

रसड़ा तहसील में हाउस टैक्स जो लगा है, वहां की जनता ने हड़ताल भी किया है कि वह हाउस टैक्स जो है, वह गलत लग गया है, जिसको अधिक लगना है, उसे कम लग गया है और जिसे कम लगना है, उसे अधिक लग गया है। इसमें बड़ी अनियमितताये हो गयी है। मैं चाहता हूं कि रसड़ा टाउन एरिया में जो हाउस टैक्स लगाया गया है, उसे निरस्त करके पुन: सही ढंग से लगाने की कृपा की जाय। बलिया और रसड़ा तहसील के अन्तर्गत जो आवास आवंटन करने की बात है, वह गरीब और हरिजनों में आवंटित किया जाय। रतनपुरा एक ब्लाक स्तर का गांव है, उसकी जनसंख्या 5-7 हजार है। वह बड़ा बाजार भी है। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है। पुलिस चौकी की व्यवस्था भी है, डिग्री कालेज, इन्टर कालेज, जूनियर हाई स्कूल आदि वहां पर सभी मौजूद हैं। इसलिए इसको नोटीफाइड एरिया का दर्जा दिया जाय।

जहां तक जल निगम की बात है, कोटवारी, जाम तथा चकरा आदि जो अल्प संख्यक बाहुल्य इलाका है, वहां पर जल निगम की व्यवस्था की जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिला स्तर पर नगरपालिका की ओर से जिला अधिकारी, बलिया ने डा0 भीम राव अम्बेदकर, जो प्रथम कानून मंत्री थे, भारत सरकार के, उनकी मूर्ति की स्थापना जिला परिषद् के सम्मुख लगाने की स्वीकृति की जा चुकी है, इसके लिये अंतिम आदेश आपके विभाग के संयुक्त सचिव, श्री ललित कान्त गुप्ता के पास फाइल में पड़ी हुई है, इसके लगाने के लिए तुरन्त आदेश देने की कृपा करें। नोटीफाइड एरिया, रसड़ा में बिजली, पानी हरिजन बस्ती तक पहुंचाने की व्यवस्था तुरन्त की जाय तथा टाउन एरिया से हरिजन बस्ती तक जाने के लिये सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरदेव जी, आप बैठ जाइये।

श्री हरदेव--

मान्यवर, नजूल लैंड.....

श्री अधिष्ठाता--

अब कुछ नहीं दिया जायगा। माननीय हरदेव जी, आप बैठ जाइये।

श्री हरदेव--

[×××]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य महोदय जो नगर विकास के संबंध में बोलने के लिये इच्छुक हैं उन्होंने खुद 5 मिनट रखे है।

*श्री धरमपाल--

मान्यवर, अब से 5 मिनट देख लीजिएगा। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, कहा जाता है कि प्रजातन्त्र की पाठशाला नगरपालिकायें होती हैं। आज की नगरपालिका को देखकर मालूम

नोट:--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है कि यह पाठशालायें किस प्रकार की हैं। किसी भी नगर के अन्दर चले जाइये दिखाई पड़ेगा लबलबाती हुई नालियां, कच्ची, जीर्ण, ऊबड़-खाबड़ खड़ंजे की सड़क यह कहानी है नगर-पालिकाओं की। कहा जाता है कि नगरपालिकाओं का गठन 1916 में हुआ था। अपने पिट्ठुओं को पद देने के लिये झुनझुना पकड़ा दिया और कुछ आजादी के दीवानों को गुमराह करने के लिये नगरपालिका का जन्म ब्रिटिश पीरियड में हुआ था। ताकि सत्ता का विकेन्द्रीकरण बड़े रूप में दिखाया जा सके, जो आजादी के दीवाने सत्ता की लालच में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वह इस रास्ते से मुड़कर इस रास्ते पर चले आये। आजादी के 34 वर्षों के बाद भी इस प्रदेश के अन्दर अधिकांश नगरपालिकायें 18 या 30 वर्ष से सुपरसीडड ह। अलीगढ़ में, मेरे ख्याल से एक बार के बाद चुनाव नहीं हुआ। मुरादाबाद में भी यही हालत है। कम और बेसो यही हालत और भी नगरों में है। नगरपालिकायें भंग पड़ी हुई है, चाहे वह जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, जब भी कभी नगरों में विद्रोह होता दिखाई देता है, तभी सरकार चुनाव की घोषणा कर देती है कि चुनाव करायेंगे, चुनाव तो हुआ नहीं, बैठा दिया आपने वहां पर आई0ए0एस0 अधिकारियों को।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि झुनझुना पकड़ा दिया। इस झुनझुन का साइज क्या है, वह बतला दें?

श्री धरमपाल--

झुनझुने का साइज आज कल पी0सी0एस0 अधिकारी है। अगर कोई बड़ा अधिकारी होता तो बड़े का नाम लेते।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी नगरपालिकायें सुपरसीडेड पड़ी हैं, उनका चार्ज जिलाधिकारी को दिया है जो प्रभारी अधिकारी आप काम करने के लिये भेजते हैं, जिलाधिकारी उनको चार्ज नहीं देते हैं अगर वह नान पी0सी0एस0 हैं। कहें तो नाम भी गिना दूं और आपको मालूम होगा कि कितने ऐसे प्रभारी अधिकारी हैं जो काम नहीं करने पा रहे हैं। होना तो यह चाहिये था कि जो सीनियर एक्जीक्यूटिव आफीसर हों उनको तैनात किया जाता लेकिन मान्यवर, शासन आपका है, आप जैसा चाहे वैसा करें।

अब मैं आता हूं दूसरी कठिनाई की ओर। मान्यवर, नजूल लैण्ड की समस्या आज हमारे प्रदेश में है। चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार की हो या नगरपालिका के पास हो, कोई रिकार्ड इनके पास नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश शासन में नजूल लैण्ड का रिकार्ड किसी जनपद का सही सलामत दिखा दें तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मान्यवर, एक पद अमीन का होता है, अमीन मर गया तो रिकार्ड उसके घर में पड़ा है और रिटायर हो गया तो उसके पास पड़ा है। उसके रिकार्ड की कापी न तो आपके पास है, और न ही अधिकारियों के पास है।

अब मैं आता हूं प्रशासन के दूसरे तंत्र की ओर। हमारे यहां प्रदेश में जितनी नगरपालिकायें हैं उनमें नागरिकों को मकान बनाने के लिये नक्शा पास कराना होता है। मान्यवर, उस नक्शे को पास कराने की प्रक्रिया क्या है? पहले वह स्वास्थ्य विभाग में जाता है इस बात के लिये कि वह स्वास्थ्य दायक है या नहीं है, उसके बाद फिर इंजीनियर के माध्यम से जाता है अमीन के पास कि इंक्रोचमेंट तो नहीं है और फिर उसके बाद जाता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। मान्यवर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अन्दर बोली लगती है कि जितनी लागत है उसका 25-25 प्रतिशत जमा नहीं होगा तो नक्शा पास नहीं होगा चाहे 6 वर्ष लग जायं।

[श्री धरमपाल---]

मान्यवर, आप देखते हैं कि पूंजीपति का नक्शा तो 2 महीने में आ जाता है लेकिन गरीब और निर्बल आदमी के लिये 5- 5 वर्ष लग जाता है। मान्यवर, इस पद्धति को बदला जाना चाहिये। और एक निश्चित समय कर दिया जाना चाहिये 6 महीने में नक्शा पास कर दिया जायगा।

दूसरी बात मैं टोल टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, आज जो चुंगी घरों को नीलाम किया जाता है आप आबादी की बढ़त्व को देखें, कीमतों की बढ़त्व को देखें उसके आधार पर आज चुंगी की आमदनी नहीं आ रही है। मान्यवर, एक और भ्रष्टाचार का काम मन्त्री जी करने जा रहे हैं। अभी तक सैम्पलिंग का काम सेनिटरी इंस्पेक्टर करते थे। मान्यवर, आज फूड इंस्पेक्टर का नाम लेकर जबरदस्ती का अभियान चलाया जा रहा है 20-25 हजार रुपया घूस का तय कर लिया गया है। मान्यवर, मैं एक बात आवास विकास के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री निर्बल वर्ग की संख्या को देखें.....

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठें।

श्री धरम पाल---

मान्यवर, कहने को तो बहुत था। लेकिन फिर भी मैं आपका आभारी हूं जो आपने समय दिया।

*कुमारी सुमन लता दीक्षित---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे नगरपालिका के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय माता प्रसाद जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं और आशा करती हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे। जहां तक नगर-पालिकाओं का संबंध है, उत्तर प्रदेश में 8 नगरमहापालिकायें हैं। मैं कानपुर से चुनकर आयी हूं। विशेष रूप से मैं कानपुर की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

मुख्य रूप से चाहे नगरपालिकायें हों, चाहे नगरमहापालिकायें हों चाहे टाउन एरिया हों और चाहे नोटीफाइड एरियाज हों, सभी की मुख्य समस्या सफाई, रोशनी और पानी एवं सीवर लाईन की समस्या है। मान्यवर, कानपुर में सड़कों की हालत बहुत खराब है, सीवर लाईन जाम है जिससे इतना कीचड़ होता है कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिये इनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, कानपुर जहां एक ओर औद्योगिक नगर है जो रोशनी से चमचमाता दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर देखें तो बस्तियों में जो जनता रह रही है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है और उसको अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये मान्यवर, मंत्री जी कानपुर में विशेष रूप से जो अंदर बस्तियां हैं उनकी सुख सुविधा की ओर ध्यान दें और वहां सफाई, रोशनी एवं सड़कों पर खड़ंजे लगाने का प्रयास करें। मान्यवर, वहां कर्मचारियों से जब किसी चीज के लिये कहा जाता है तो वह कहते हैं कि अधिकारी सामान नहीं देते हैं लेकिन मंत्री जी ने अभी वहां कुशल प्रशासक, श्री रोशन लाल को कानपुर में भेजा है जिनसे कानपुर की जनता को बड़ी-बड़ी आशायें हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुख्तार अनीस--

उनकी तो तंजुली हो गयी है।

(व्यवधान)

कुमारी सुमन लता दीक्षित--

मान्यवर, जहां तक जल निगम की बात है तो इस संबंध में हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उसके अनुसार जल संस्थान और जल निगम को एक में रख दिया जाय तो उससे अच्छी तरह काम हो सकता है।

अन्त में मैं आशा करती हूं कि कानपुर में सफाई, रोशनी और सड़कों पर खड़ंजा बिछाने की व्यवस्था अतिशीघ्र की जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री राम स्वरूप निगम--

मान्यवर मैं, कटौती का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। श्री माता प्रसाद ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, वैसे तो मंत्री जी ने अपने बजट में ही कटौती पिछले साल के मुकाबले कर दी है, इसलिये वह शायद इसको स्वीकार कर लें जो माता प्रसाद जी द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बजट में जो प्राविधान किया गया है उसके अंदर मंत्री जी ने जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनके अलावा कर्मचारियों को लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। दूसरी तरफ हर नगरपालिका, नगरमहापालिका, टाऊन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज की लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन साधनों में जो पुस्तक में दिखाया है कि जो साधन हैं उनसे हम कार्य करेंगे, तो मान्यवर, यह कैसे संभव हो सकता है। जिस नगरपालिका, नगरमहापालिका, नोटीफाइड एरियाज आदि की जनसंख्या 1951 में जो थी वह आज कम से कम दुगुनी और तिगुनी हो गयी है लेकिन कर्मचारियों का ढांचा ज्यों का त्यों है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है।

मान्यवर, सभी विभागों में यह प्राविधान है कि अगर कोई कर्मचारी अपने सेवा-काल में मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी एवज में उसके घर का जो बालिग व्यक्ति है, उसको सेवा दे दी जाती है। लेकिन नगर पालिका में और इस बजट में इस संबंध में कोई प्राविधान नहीं किया है। इसी तरह से मंत्री जी ने सहारनपुर और कुछ अन्य नगरपालिकाओं के बारे में लिखा है कि वहां पर सड़कें और लाइट वगैरह के बारे में इंतजाम करवाया है। मैं सहारनपुर से आया हूं। मैंने वहां कोई सड़क बनी देखी नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर शहर के एक कोने में जिला चिकित्सालय है। जो सड़क वहां पर जाती है, उस पर घोर अंधेरा रहता है। लाइट का कोई प्रबंध नहीं है।

इसी तरह से फिरोजाबाद की म्युनिसिपैलिटी में भी मान्यवर, यदि आपको जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि वहां बड़ी बदबू है, कोई गली और सड़क ऐसी नहीं है जहां मैला न पड़ा हो। मंत्री जी कहते हैं कि हम नये कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगे लेकिन दूसरी तरफ नगरपालिकाओं की आबादी बढ़ गयी है। समझ में नहीं आता कि इन नगरपालिकाओं की व्यवस्था कैसे होगी ? जैसे जैसे नगरपालिका की आबादी बढ़ती है उसके साथ साथ हाउस टैक्स, चुंगी आदि की इनकम भी बढ़ती है। तो अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने में क्या आपत्ति है ? इसी तरह से आपके विकास प्राधिकरण है, गाजियाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां लोहिया नगर के लोगों ने मंत्री जी को स्मरण पत्रों से अवगत कराया है। वहां पर अवैध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप निम–]

कब्जे कर लिये गये हैं । वहां प्राविधिक अधिकारी, एक्जीक्यूटिव अफसर जो हैं, उनका इसमें हाथ है । लोगों को वहां अवैध कब्जा कराया गया है । जिन लोगों की जमीन वहां पर एक्वायर की गयी थी, उनको भी आवास के लिये प्लाट वगैरह नहीं दिये गये हैं और उन लोगों को मुआवजा भी नहीं दिलवाया गया है । वहां पर लोग बेघरबार हो गये हैं । जबकि वहां के सभी लोगों ने जिनकी जमीन ली गयी थी, स्मरण पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि हमारे साथ न्याय करें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे नगर विकास के बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया । मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत आभारी हूं... अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से कि उन्होंने 19 नवम्बर को हमारे क्षेत्र में,जो नाम हटा दिया गया था, इन लोगों ने अपने शासन काल में उस कालोनी के नाम को फिर "इन्दिरा नगर" रखकर क्षेत्र की जनता की भावना का आदर किया है ।

(मेजो की थपथपाहट)

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, पहले राम सागर मिश्र नगर था तो वह नाम अच्छा था । अब इंदिरा नगर कर दिया गया है तो कौन नाम अच्छा है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

जैसी इनकी आदत रही है और जैसी अक्ल है वैसा काम किया था । अगर अक्ल से काम लिया होता तो वह उधर न बैठे होते ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या राम सागर मिश्र नगर नाम अच्छा है या इन्दिरा नगर नाम अच्छा है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

हम तो यह समझते थे कि आप राज्य मन्त्री रह चुके हैं, उनके अन्दर कुछ गरिमा आयी होगी, लेकिन रहे छिछले के छिछले ही ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य––

मान्यवर, यह छिछले शब्द असंसदीय है ।

श्री अधिष्ठाता––

कार्यवाही देख ली जायगी, जो ऐसे शब्द होंगे, जो कि असंसदीय हैं, उनको निकाल दिया जायगा । वैसे "छिछले" शब्द असंसदीय नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी––

मैं आपका ध्यान उन ग्राम सभाओं की ओर ले जाना चाहता हूं, जिन्हें जनता पार्टी की सरकार ने टाउन एरिया घोषित कर दिया था, जो कि इस लायक नहीं थीं । क्षेत्रीय जनता चाहती है कि ग्राम सभायें रहें क्योंकि टाउन एरिया घोषित कर देने के बाद उन्हें न तो ग्राम सभा वाले अधिकार मिल पा रहे हैं और न टाउन एरिया वाले अधिकार मिल पा रहे हैं । इसके लिये चाहे मन्त्री जी को कोई विधेयक लाना पड़े या नियम बनाना पड़े, उसे बनाकर इन्हें फिर से ग्राम सभा का दर्जा दे दें, तो अच्छा होगा ।

दूसरी बात, लखनऊ में इन्दिरा नगर बस रहा है और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से बस रहा है । एक अलीगंज आवास योजना बन रही है । इस प्रकार से जो आवास योजनायें बन रही हैं, वह शहरों को बढ़ाती जा रही है और देहात को समेटती जा रही है । उनके बीच में जो गांव पड़ रहे हैं, उनके सामने समस्या यह है कि सामने से तो उनके पक्की सड़क निकल गयी, लेकिन गांव के अन्दर के गलियां और कूचें पक्के नहीं किये गये, न बिजली, पानी और टट्टी पेशाब की कोई सुविधा दी गयी । जिन्दगी भर के लिए उनकी जमीन ले ली । हमारी ही कांस्टीट्यूएन्सी में बटहा सुखौली (बरहा सुधौली) एक ग्राम है, वहां पर साल भर पहले जमीन ले ली गयी, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, वे दौड़कर यहां आते हैं । जो गांव कालोनियों के बीच में पड़ते हैं, एक प्लान यह भी होना चाहिये कि इन ग्रामों को जो सुविधा शहर में दे रहे हैं, वह देते रहेंगे । दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा जो कालोनियां बनायी जाती हैं, उनका प्रबन्ध भी आवास विकास परिषद् करे । इसमें सफाई और पानी इत्यादि की व्यवस्था का पैसा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के पास नहीं है, इसलिये इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर नयी कालोनी बने तो उसका इन्तजाम कौन, करेगा, यह भी देखने की बात है ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो कालोनियों के बीच में पेड़ पड़ते हैं उनका कोई हिसाब नहीं रखते हैं, वह काटकर बेच लिये जाते हैं और उनका पैसा एकाउण्ट में जमा नहीं होता है, इसकी जांच होनी चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री फखरे आलम––माननीय अधिष्ठाता महोदय,

बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी,
जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी ।

जो आपने टाइम मुकर्रर कर दिया, तो अपनी बात को उतनी ही समय में समाप्त करूंगा । मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना है । यह समर्थन इसलिये नहीं करना है कि हमने कटौती का प्रस्ताव दिया है बल्कि हम तो यह समझ रहे थे कि मा0 मन्त्री जी का जो बजट आया है, उसमें कोई नयी बात होगी । कुछ नगर विकास का इन्तजाम किया जायेगा मगर उसको देखने से ऐसा मालूम हुआ कि पुरानी परम्परा की तरह हमारे माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था करके बजट बना करके सदन के सामने पेश कर दिया है । मान्यवर, जरूरत इस बात की थी कि

[श्री फखरे आलम---]

उन चीजों का छोटी-छोटी म्यूनिसिपैलिटीज में, उन टाउन एरियाज में कुछ काम करने का इन्तजाम किया जाय। बड़े-बड़े नगरों में बड़ी बड़ी योजनाओं का इन्तजाम कर दिया गया है।

मान्यवर, छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज में पहले छिड़काव का इन्तजाम हुआ करता था। छिड़काव करने वालों का एक तबका हुआ करता था जिसे भिश्ती कहते थे। भिश्तियों का एक क्लास हुआ करता था जिसको खत्म कर दिया गया है और अब वे काम न होने के कारण बेकार हो गये हैं और थोड़े दिनों में ऐसी नौबत आने वाली है कि वे भीख मांगने लगेंगे।

हमने चाहा था कि अन्दोहे जफा से छूटें,
वह सितमगर मेरे मरने पे भी राजी न हुआ।

बड़े बड़े शहरों में एक तो अब छिड़काव होता नहीं है और होता भी है तो टैंकर के जरिये से जिससे कि यह भिश्ती का क्लास खत्म सा हो रहा है।

मान्यवर, बदायूं म्यूनिसिपैलिटी में, जहां से माननीय मंत्री जी भी विधायक चुने गये और अब मंत्री है, वहां बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन हो रहा है। इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि टैक्स इवेजन को कैसे रोका जाय। माननीय मंत्री जी मैं यह कहूंगा कि उन इंस्पेक्टर्स को, उन कर्मचारियों को जो भ्रष्ट हैं, उनको अवश्य ही दण्डित करने की व्यवस्था करें नहीं तो यह भ्रष्टाचार और पनपेगा, और दूर नहीं होगा। उनको वहां से हटायें।

मान्यवर, बदायूं में एक कस्बा है रमजानपुर। रमजानपुर कस्बे को आज से 37 बरस पहले ही टाउन एरिया होना चाहिये था, उसके लिये कई बार रिकमन्डेशन भी हुई पर पता नहीं क्यों वह आज तक टाउन एरिया नहीं बन पाया। अभी हाल ही में जिला स्तर से प्रस्ताव आया था कि इसको टाउन एरिया बनाया जाय, पर लगता है कि इसकी कोई मखसूस वजह रही होगी जो यह अभी तक नहीं टाउन एरिया बन पाया। टाउन एरिया ऐसी जगहों को नहीं होने दिया जा रहा है जहां एक खास किस्म के लोग रहते हैं।

है जुल्म तेरा आम मगर फिर भी सितमगर
मखसूस यह अन्दाजे जफा मेरे लिए हैं।

मान्यवर, हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इन्साफ को तकाजे को मद्देनजर रखते हुए रमजानपुर कस्बे को जल्द से जल्द टाउन एरिया बनाने की कृपा करें।

मान्यवर, कहने के लिये तो बहुत सी बातें थीं पर आपने मौका ही कम दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्री कैलाश टण्डन---

मान्यवर, मैं आपका बडा आभारी हूं कि जो आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता---

साथ ही यह भी कहिये कि समय भी बांध दिया।

*श्री कैलाश टण्डन---

बनारस तो इतना बड़ा नगर है और त्रिलोक से भी न्यारा है और आप उसे समय से बांध रहे हैं । लेकिन मैं मुख्य-मुख्य बातें ही कहूंगा ।

मान्यवर, सबसे अफसोस की बात तो यह है कि वहां पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है । माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है परन्तु वह जल संस्थान के अन्तर्गत नहीं आता है, पता लगा कि जल निगम के अन्तर्गत वहां के पेय जल की योजना आती है । अब उसमें यह पता लगाया जा रहा है कि साइड पर सीवर आ गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये ।

अभी जैसा कि डाक्टर कौशल ने कहा कि एशियाड 82 में विदेश से लोग आयेंगे और वे आगरा जरूर जायेंगे ताजमहल को देखने के लिये । ऐसे ही मैं कहता हूं कि एशियाड 82 के खेल में भाग लेने वाले लोग बनारस भी जरूर जायेंगे । वहां की सफाई के वास्ते, वहां की बिजली के वास्ते, वहां एक स्पेशल ग्रान्ट जरूर मिलनी चाहिए । वहां पर बदशाहपुर, छोटापुरा, पहाड़िया में 40 एकड़ जमीन है । वहां पर काटन मिल बादशाहबाग को 4 लाख चाहिये । जब तक जमीन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक बनारस का विकास नहीं हो सकता है । यह तो जमीन खरीदने की बात है और जहां पर इन जमीनों पर भवन निर्माण की बात है, एक बात जरूर है, यह जो विकास परिषद् है, उनको जो पैसा दिया गया अगर वह पैसा हम लोग किसी बैंक में जमा किये होते तो 5 हजार रु0 का 6 साल में 10 हजार रु0 हो जाता । आपके दुर्गापुर के अन्दर 40 एकड़ जमीन है, तुलसीपुर के अन्दर 400 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर आजतक यह कोई योजना नहीं बना पाये कि रोड कितनी चौड़ी बनेगी, इसमें दुकान कहां होंगी, कहां स्कूल बनेगा । काशी नगरी गंगा से लेकर वरुणा तक बसी है । आपके नगरमहापालिका के कर्मचारियों के प्रति मुझे मानव जी की दो पंक्तियां याद आ गई---उन्होंने लिखा है :

रावण की किस-किस लंका पर आग लगाऊं ।
जन-जन रावण, घर घर लंका, कहां-कहां आग लगाऊं ।

जब आपके विभाग का प्रत्येक कर्मचारी ही भ्रष्ट है तो किसको दोष दिया जाय । इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहां पर चौधरी नौनिहाल सिंह, आने वाले थे. मैंने सफाई चौकी को लिख कर भेज दिया कि मा0 मंत्री जी आ रहे हैं, सफाई की व्यवस्था करवा दें लेकिन चौधरी नौनिहालसिंह ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वहां पर कम से कम यहां से लेकर टेबिल इतना कूड़ा जमा हुआ था । मोटर घुटने तक धंस गई । यह व्यवस्था है आपके सफाई विभाग की ।

इसी तरह से 10 ता0 के अखबार में वहां की चुंगी के बारे में कुछ बातें लिखी हैं । वहां ढाई रु0 फीस ली जाती है लेकिन साढ़े चार रु0 और पांच रु0 जबरदस्ती वसूल किया जाता है । इस तरीके से ट्रक एसोसिएशन ने भी लिखकर हम लोगों को दिया है । आप इन सारी बातों की जांच करायें और ऐसी व्यवस्था करें कि काशी की गरिमा बनी रहे । वहां पर एशियाड 82 के लोग आयेंगे इसलिए वहां पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिये और स्पेशल ग्रान्ट मिलनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटोती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मुझे विश्वास है कि बनारस को आप इतना पैसा देंगे क्योंकि आपने जब रामनवमी मेला, कुंभ मेला के लिए पैसा दिया है तो काशी में गंगा स्नान का मेला लगा रहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाश टण्डन—]

है और वहां पर इंसान ही नहीं देवता लोग भी वहां स्नान करने आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर कार्तिक का जो मेला है, उसका भी सरकार प्रान्तीयकरण करे और जिस व्यवस्था की जरूरत है उसको सरकार पूरा करे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है । अभी तक 4 हजार से अधिक गांव अभावग्रस्त हैं । लोगों को बीहड़ और विकट रास्ते से मीलों दूर पानी के लिये जाना पड़ता है। यहां जल निगम द्वारा दो लाख रुपये की सीमा निर्धारित कर दी गयी है जिससे कोई भी विकास कार्य सम्भव नहीं है । मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि जल निगम और जल संस्थान में कर्मचारियों की बहुत सी रिक्तियां हैं ।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

सीमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिससे वहां पर कोई योजना ठीक प्रकार से नहीं चल सकती । इसलिये इसका प्रबन्ध होना चाहिये । सरकार ने पहले से आज तक वहां पर काफी पैसा खर्च किया है लेकिन योजनाओं को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया । कई योजनाओं में लाखों में रुपये खर्च करने के बाद भी वहां पर अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है । उदाहरण के लिये चमोली जिले की चौरासेण योजना पूरी हो गयी लेकिन पानी अभी भी गांव में नहीं है । बासुकेदार कौशलपुर धोलतीर पटटीतल्ल नागपुर में सतेराताल मयकोटी पेयजल योजना पर अभी तक लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है और सुझाव है कि जिस प्रकार अन्य विभागों में जिला स्तर पर प्रगति समीक्षा समितियां है वे भी इस प्रकार की समिति का ठीक प्रकार गठन करें जिससे योजनायें कार्यान्वित हो सके ।

चमोली जिले में नोटिफाइड एरियाज हैं लेकिन उनके पास साधन बहुत कम हैं । यहां से जो मदद मिलती है वह भी बहुत कम होती है जिससे वे अपने कर्मचारियों का वेतन तक नहीं दे पाते हैं ।नोटिफाइड एरिया जिस क्षेत्र में हैं वे अपने क्षेत्र की जमीन की मालिक भी नहीं हैं । इसी लिये नोटिफाइड एरियाज अपने कार्यालय, अपने भवन के लिये कोई भूमि उपलब्ध नहीं कर पा रही हैं । हमारे चमोली जिले में गोपेश्वर और जोशीमठ का काफी बड़ा स्थान है । वहां पर डिग्री कालेज हैं और तमाम सरकारी कार्यालय हैं । 10–12 हजार की आबादी है । जोशीमठ भी अब बड़ा नगर हो गया है इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा प्रस्ताव है कि इन नगरों को नगरपालिका का दर्जा दे दिया जाय । जोशीमठ व गोपेश्वर में सीवर लाइन पर लाखों रुपया वर्षों से खर्च हो रहा है लेकिन अभी तक वह लाइन चालू नहीं हो पायी है । वहां पर सीवर लाइन की व्यवस्था होनी चाहिये ।

जहां तक लखनऊ की बात है यह हमारे प्रदेश की राजधानी है । यहां की सड़कें किस बुरी हालत में हैं, यहां की रोशनी व सफाई किस प्रकार की है, इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गोलागंज क्षेत्र के निवासियों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिये हजारों रुपये इकट्ठा कर जमा किया है । इसे वर्षों हो गये लेकिन अभी तक उनको कोई सेवा उपलब्ध नहीं करायी गयी । और न उनका पैसा ही वापस किया गया । बहुत से ऐसे लोग हैं जो नगरपालिका के भवनों में रहते हैं और उनके पास अपना खुद का भी भवन है । ऐसे लोगों को नगरपालिका के भवनों से हटा देना चाहिये और जो जरूरतमन्द हों, उनको नगरपालिका के भवन देने चाहिये ।

*श्री अनवार खां--

माननीय, आपने जो मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका तहेदिल से मशकूर हूं । यह अनुदान जो माननीय विकास मंत्री जी ने पेश किया है, यकीनन उससे यह आभास होता है कि प्रदेश के अन्दर जल की पूर्ति के लिए और मकानों के विस्तार के लिये काफी कुछ है और महसूस होता है कि काफी तरक्की होगी ।

अभी और कुछ दिन दस्तूरे मैखाना है
इस नाकामयाबी के लिए दिन गुजरें,
मेरे साकी को नजरे उठाने दो
जितने खाली हैं सब जाम भर जायेंगे ।

माननीय, बजट जिस अन्दाज का है, ऐसी उपेक्षा है. . . .

एक सदस्य--

उपेक्षा ही तो है. . . .

श्री अनवार खां--

अपेक्षा है, आप की समझ में गलती है । मैं माननीय मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं । मुझे आशा है कि वे इन पर जरूर गौर फरमायेंगे ।

मेरे क्षेत्र में अतरौली नगरपालिका है । वहां पर दो चार बातों की कमी है । सन् 60 से मेरे यहां वाटर वर्क्स की स्कीम चल रही है । उस के लिए ड्रेनेज स्कीम नहीं है । पानी की दुर्व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त यहां पर कोई स्लाटर हाउस नहीं है । लोग मवेशियों को खेतों में और इधर उधर लिये फिरते हैं । स्लाटर हाउस वहां नहीं है । कांजी हाउस वहां नहीं है । इसके अतिरिक्त वहां जो हरिजन बस्ती है, आज तक वहां एक क्वाटर नहीं बनाया गया । हरिजनों और शैड्यूल्डकास्ट के लोग मकान की समस्या से बेहद परेशान हैं । इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि वहां पर इस तरह का एक प्रस्ताव करके कुछ रुपया दिलवायें जिससे हरिजन बस्ती का निर्माण हो सके ।

मैं अब जल निगम की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी की कृपा से अतरौली जल निगम एक्सटेन्शन के लिए 28 लाख रुपये स्वीकृत हुये हैं लेकिन सिर्फ दो ट्यूब वैल के लिये दो लाख रुपये दिये गये जिन की बोरिंग हो गई है । ओवर हैड बैंक के लिए गड्ढा खुदा हुआ है । अभी तक पैसा नहीं मिला है जिस कारण वहां पर वाटर वर्क्स का काम अधूरा है । इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि अक्सर लोग पानी की वजह से बड़े परेशान इसलिये रहते हैं कि बिजली की कटौती जब हो जाती है तो पानी बंद हो जाता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी नगर-पालिका के लिए बम्बे की व्यवस्था की जाय जिससे पानी की व्यवस्था हो सके ।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मेरे क्षेत्र को डार्क एरिया डिक्लेयर कर दिया है। डार्क एरिया से मतलब यह है कि पानी थोड़े दिनों के बाद कुओं में सुखने लग जायगा और गांव के लोग बेहद परेशान हो जायेंगे। एक साल के करीब हो गया मैंने देहात की पेय जल योजना के लिए माननीय मंत्री जी को एक पत्र दिया था जिस पर यह तो हो गया कि आवश्यक कार्यवाही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनवार खां--]

की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उस भूमि पर जिस पर लोग पानी के लिए एक महीने बाद परेशान होने लगते हैं पेयजल समस्या का समाधान शीघ्र कर देंगे।

इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में शौचालय नहीं है नगरपालिका क्षेत्र में, जिससे छोटे वर्ग के लोग जो बाहर शौचालय के लिए जाते हैं उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस सिलसिले में कुछ अनुदान देकर इस समस्या का समाधान कराने की कृपा करेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बदासू टाउन एरिया में बक्शी साहब हैं, सन् 78 में रिटायर हो गये और मौत के बिस्तर पर लेटे हैं। सन् 78 से आज तक उन को ग्रेच्युटी नहीं मिली है। कार्यालय में कोई सुनवाई होती नहीं है। वह तड़फ तड़फ कर मर जायेंगे। जब तक उसको ग्रेच्युटी नही मिलेगी। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे उस पर रहम खायें और अपने डिपार्टमेंट के लोगों से उसको ग्रेच्युटी दिलायें। मैं माननीय मंत्री जी से उसके बारे में कई बार कह चुका हूं और उन्होंने आदेश भी दिये हैं लेकिन उस बेवा को अभी तक सन् 78 से ग्रेच्युटी नहीं मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो छोटे-छोटे कस्बे हैं काजमावाद और तिजोरी, इनको टाउन एरिया घोषित कर दिया जाय।

इसके अतिरिक्त सेनिटरी इन्सपेक्टर, अतरौली जो है उनको सैम्पिल भरने की पावर नहीं है। यह पावर ब्लाक के सेनिटरी इन्सपेक्टर को दे दी गई है जो कि मिलावट करने वालों से लोगों से मिले हुये रहते हैं और यह बता देते हैं कि आज हम फलां जगह जाकर सैम्पिल भरेंगे। इस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा सुझाव है कि दूसरी जगह से सेनिटरी इन्सपेक्टर्स की टीम वहां अचानक जाय और छापा मारे। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार इस हेतु स्पेशल कोर्ट भी बनाये ताकि इस तरह से एडल्टरेशन करने वालों को सजा दिलायी जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उन पर वे ध्यान पूर्वक विचार करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री खैरुल बशर--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे एक मिनट अपनी बात कहने का आप मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड मानीटरी फंड से जो पैसा लिया गया है वह साम्राज्यवाद की दूसरी शक्ल है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वह उनसे ट्रेनिंग लेती है और इस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था के प्रश्न का मतलब यह नहीं है कि आप मन्त्री जी से अपनी बात कहें। कृपया विराजें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर सम्मानित सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उनका बड़ा आभारी हूं। उस पक्ष में बैठे हुये सम्मानित सदस्यों ने प्रकारान्तर में पीछे से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। अपनी सारी बात कहने के बाद औपचारिकतावश मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट मांगों का उन्होंने समर्थन किया। श्रीमन्, मैं दो-एक सुझाव और देना चाहूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

हमारे प्रदेश में जो नगरपालिकायें, टाउन एरियाज तथा क्षेत्र समितियां हैं, उनके द्वारा जो सड़कें बनायी गई हैं, उनकी स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। सड़क के निर्माण में जो मक्सफ़र्ड खरीदने की जरूरत होती है तो उसको वह सीधे न खरीदकर पी० डब्लू० डी० से खरीदा जाता है जिससे सड़क के निर्माण में दिक्कतें होती हैं। हमारे प्रदेश में यह सरकार रोशनी, प्रकाश और पानी की व्यवस्था करने में असफल रही है। अस्पतालों में शौचालयों की उचित व्यवस्था नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। यह उत्तर प्रदेश के ही नहीं, सम्पूर्ण प्रदेश का प्रश्न है। लखनऊ मेडिकल कालेज में आने वाले मरीजों के घर वालों के लिये कहीं भी रहने की व्यवस्था नहीं है और न ही उनके लिये शौचालय आदि की व्यवस्था है। इसकी सारी जिम्मेदारी नगरमहापालिका के ऊपर आती है किन्तु उसने कोई व्यवस्था नहीं की है। एक समय था जब धर्मशालाएं हुआ करती थीं। बड़े-बड़े दानवीर हुआ करते थे, उन दानवीरों को इन्होंने क्रश कर दिया। मेरा निवेदन है कि सारे प्रदेश में शौचालयों की व्यवस्था करने के लिये एक शौचालय निगम आप बनायें। आपने जल निगम बनाया, आपने आवास विकास निगम बनाया, आपने विकास प्राधिकरण बनाया तो मैं शासन को सुझाव देना चाहता हूं कि एक शौचालय निगम भी बनाइये जिसके पास प्रचुर शक्ति हो और प्रचुर मात्रा में धन हो। जिससे वह शौचालयों का प्रबन्ध पूरे प्रदेश में करे और जो नगरों में बढ़ती हुई समस्या है, उसका निराकरण हो सके।

दूसरी बात, मैं विद्युत शव दाहगृहों के बारे में कहना चाहता हूं। बनारस से निरन्तर यह मांग हो रही है वहां घाटों की बड़ा समस्या है। दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट आदि जितने भी घाट हैं, उनकी स्थिति खराब है, इसी तरह इलाहाबाद और लखनऊ में विद्युत शवदाह गृह बनाने की बात है। लखनऊ में अभी तक काम नहीं चला है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि शवदाह गृहों को पर्याप्त मात्रा में बनाया जाय ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं जो लकड़ी नहीं खरीद सकते हैं, उनका शवदाह हो सके।

दूसरी बात, घपलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। घपले इतने ज्यादा हैं कि मैं किस किस का नाम लूं। मान्यवर, 30–7–81 के दैनिक जागरण में आप देख लें उसमें आया है कि उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं मे 150 अरब का घपला है। अधिकारियों ने माननीय मन्त्री को राय दी कि अगर आप जांच करायेंगे तो तीन वर्ष लग जायेंगे। और आज तक जो भी मंत्री आया है, वह तीन साल तक आवास विकास मंत्री नहीं रह पाया है। मन्त्री जी ने खुद विधान परिषद् में स्वीकार किया है कि तालकटोरा आवास योजना में सवा तीन लाख का घपला है। मेरा सिर शर्म से उस वक्त झुक जाता है जब मैं बाहर जाता हूं और लोग मुझसे कहते हैं कि जिस प्रदेश की गृह मन्त्री भ्रष्टाचार में प्रमुख नायिका का काम करती हैं वहां भ्रष्टाचार का क्या हाल होगा और जल निगम, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद् का भ्रष्टाचार उसके सामने शून्य है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय–]

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे मंत्री जी ने बड़े जोरों से उद्घोषणा की और रामसागर मिश्र नगर को इन्दिरा नगर कर दिया। यह सही है कि वह देश की प्रधान मन्त्री हैं और आपकी नेता हैं और उनकी कृपा से ही आप मन्त्री बन सकते हैं लेकिन जो काम स्वतंत्रता संग्राम में रामसागर मिश्र ने किया, वह गौरव शायद इन्दिरा गांधी को कभी नही प्राप्त हो सकता है। राम सागर जी पंडित नेहरू के साथ रहे हैं। मैं उनके पास जब जाता था तो वह अपने जीवन के बारे में बताते थे कि किस प्रकार वह नेहरू जी के साथ जेल में रहे। 16 वर्ष तक जेल में रहे, आजीवन अविवाहित रहे, आपके यहां विधान परिषद् में एम0 एल0 सी0 भी रहे हैं। इनके काले कारनामों में इमरजेंसी के समय में उनको जेल में मरना पड़ा। तो जिस व्यक्ति ने देश के लिये सारा जीवन न्योछावर कर दिया उनके नाम पर यह नाम अगर रहने देते तो क्या हो जाता ? इन्दिरा गांधी के नाम पर तो तमाम कारखाने हो सकते हैं, विकास परिषद् और नगर बना सकता है। अगर लखनऊ में राम सागर का नाम रहने देते तो क्या बात हो जाती ? आपने बदल कर कौन सी भलमंसाहत कर दी, इन्दिरा नगर करके आपने कौन सा नाम रोशन कर दिया। बेशक आप इन्दिरा गांधी के नाम के बगैर यहां नहीं आ सकते हैं लेकिन राम सागर मिश्र का नाम तो रहने देते।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह जो पुस्तकें छपती हैं, इनको कभी पढ़ तो लीजिये। इलाहाबाद का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले तीन साल से यानी 78–79, 79–80 और 80–81 से एक बात छप रही है वहां पर एक स्कूल चल रहा है जिसमें महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई की शिक्षा दी जाती है, उसमें छात्राओं की संख्या 75 ही चली आ रही है न इनकी संख्या घटती है और न बढ़ती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसके लिये आप अपने कर्मचारियों को निर्देश दीजिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की एक कल्पना थी देश में राम राज्य स्थापित करने की। रामराज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य कहुं नहीं व्यापा। मान्यवर, उसमें किसी प्रकार की, किसी कमी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने भी कल्पना की है जनकल्याणकारी राज्य की। उसके मायने हुआ करते हैं कि वहां के निवासियों को आवास की सुविधा हो, उन्हें रोजगार की सुविधा हो। यदि आप उन्हें रोजगार न दे सकें, न दे सकें, लेकिन गरीब लोग जो वस्त्र और सिर पर की छाया के अभाव में ठिठुर कर सड़कों के किनारे मर जाया करते हैं, उनके लिये कम से कम छोटे-छोटे मकान तो बनवा दें। और उनसे उसका मूल्य न लीजिये।

रिक्शावाला तो नित्य कमाकर आपको दो रुपया रोज मकान के नाम पर दे देता है, वैसे ही आप दूसरे निर्धन लोगों के लिए योजना बनाइये और उनसे एक-दो रुपया रोज लेकर उन्हें मकान की सारी सुविधायें दीजिये। समस्त नगरपालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है, उसमें नित्य आपका इन्टरफियरेंस होता है। इसलिये उचित यह मालूम देता है कि उनकी सारी की सारी आमदनी को आप अपने खजाने में जमाकर लें और अपने खजाने से उनका बजट आप उन्हें दे दिया करें और उससे, उनको आप अपनी योजना बनाने के लिये कहें। इसके साथ मैं सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का, जिसे मैंने समझबूझ कर गरीबों, पिछड़े हुए और सताये हुए लोगों के लिये रखा है, समर्थन करें।

[समय 5 बजे अपरान्ह से]

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय पाण्डेय जी उसको वापस ले लेंगे। सदन

के इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं । मान्यवर, एक बात बार बार कही गयी विरोध पक्ष के सदस्यों की ओर से चुनाव के बारे में, तो जो जनतन्त्र का गला घोटने वाले लोग हैं, वे ही चुनाव की बात करते हैं ।

श्री रामआसरे वर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री जी से कह दें कि वह अपनी बात करें, औरों की नहीं ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

मैं आपकी बात सुनता रहा हूं, कृपया आप भी मेरी बात धैर्य से सुनें । मैं किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहा हूं । केवल इतना कह रहा हूं कि जिन लोगों ने नगरपालिकाओं और क्षेत्र समितियों सब को समाप्त किया, जनतन्त्र का गला घोटा, वही आज जनतन्त्र की बात कर रहे हैं । जनतन्त्र को इस देश में कायम करने वाली केवल एक मात्र श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, दूसरा कोई नहीं है । इन्दिरा जी के निर्देश पर.....

श्री धरमपाल––

अलीगढ़ की नगरपालिका 18 साल से भंग है और बहराइच की.....(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

जिला परिषदों के चुनाव कराये जा रहे हैं और उसके तुरन्त बाद टाउन एरिया, नगर-पालिका व महापालिकाओं के भी चुनाव कराये जायेंगे, यह मैं सदन को आज बताना चाहता हूं ।.. (व्यवधान) हमारे बहुत से सदस्यों ने नगर विकास मंत्री के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है, मान्यवर, मैं उनको चिन्ता रहित करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस शासन है और उसका नगर विकास मंत्री पूरे पांच वर्ष रहेगा । इसमें दो राय नहीं है आप इतमिनान से बैठिये ।.. (व्यवधान) सुनिये, सुनिये । यह मान्यवर, नजर का फेर है । कुछ लोगों को अच्छी चीजों में भी खराबी नजर आती है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है.....(व्यवधान) । मान्यवर, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने आगरा नगर महा-पालिका के विकास प्राधिकरण के बारे में बताया । मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वहां पर गलत ढंग से एलाटमेन्ट किये गये हैं लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य मुझ को बता देंगे कि फलां मामले में गलत एलाटमेन्ट हुआ है तो उस अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी और उसको बचाने का कोई सवाल नहीं है ।

एक ही बात विरोध पक्ष की ओर से कही गयी कि घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री खैरुल बशर––

मान्यवर, ये अपनी ही सम्पत्ति की जांच करायें ?

(घोर व्यवधान)

(श्री खैरुल बशर व्यवधान के बीच कुछ बोलते रहे जो सुनाई नहीं दिया ।)

श्री उपाध्यक्ष––

अगर शासक दल के लोग भी इसी प्रकार से हल्ला करने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी ।

(विरोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं ।)

[श्री उपाध्यक्ष---]

अगर खैरुल बशर साहब बोलते हैं तो क्या किया जाय, लेकिन आप तो खामोश रहिये।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

एक माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि आवास विकास तालकटोरा योजना में कोई घोटाला हुआ है और उसमें हमारे मंत्रिमण्डल के कोई सदस्य शामिल हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। मैंने परिषद् में यह कहा था कि तालकटोरा योजना के लिये मुआवजा जिलाधिकारी के यहां जमा किया गया। और भी बहुत योजनायें होती हैं जिनका मुआवजा जमा किया जाता है। उस धनराशि में कोई घपला हुआ है जिसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है कि कौन-कौन दोषी हैं। कुछ मामले विचाराधीन हैं, बाकी मामलों में सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है। एक माननीय सदस्य बिरादरीवाद का आरोप लगा रहे थे। एक बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जितने भी आवास विकास परिषद् या विकास प्राधिकरण के मकान आवंटित किये जाते हैं, वे सब लाटरी पद्धति से किये जाते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

वह तो आपने नहीं किया है।

श्री मुख्तार अनीस---

जिन लोगों के नाम निकलते हैं, वे उन्हीं लोगों के होते हैं.....

(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

इन्होंने जो आरोप लगाये हैं, वे सर्वथा मिथ्या हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होता है उसके अनुसार फिर लाटरी पड़ती है।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

अधिकारीगण अपने ही लोगों को मकान एलाट कर देते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मेरे आदेश से कोई भी मकान किसी को भी नहीं दिया गया है। ये आरोप भी सर्वथा मिथ्या हैं। कुंठित भावना से ये आरोप मेरे ऊपर लगाये गये हैं।

श्री मुख्तार अनीस---

सदन की एक कमेटी बैठाल दीजिए जो आगरा में जाकर देखें कि इन्होंने क्या-क्या भ्रष्टाचार किया है।

श्री रामअौतार दीक्षित---

जब सदन में शासन पक्ष की ओर से कोई उत्तर दिया जाता है तो क्या वाद-विवाद सम्भाव्य है, इसके बारे में आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें?

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में कोई भी बात बिना मेरी आज्ञा के कहना असंसदीय है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

मान्यवर, एक आरोप यह लगाया गया कि कानपुर में संजय सिनेमा की इजाजत दी गयी और उनको गलत तरीके से जमीन भी एलाट की गयी। यह आरोप बिलकुल मिथ्या है। (व्यवधान) संजय सिनेमा की कोई इजाजत नहीं दी गयी और न ही जमीन एलाट की गयी, जमीन उन्हीं की थी। (व्यवधान) नरौना सिनेमा के बारे में भी कहा गया, उसके लिये भी कोई आज्ञा मैंने नहीं दी। (व्यवधान)

संजय काम्पलेक्स का ठेका देने का आरोप लगाया गया। कोई ठेका संजय काम्पलेक्स का नहीं दिया गया। (व्यवधान) न ही शासन को इसकी कोई जानकारी है।

एक आरोप यह लगाया गया कि आगरा में एक राज्य मंत्री, श्री गुलाब सेहरा जी को 405 गज जमीन का प्लाट दे दिया गया। (व्यवधान–शोर) यह आरोप भी बिल्कुल मिथ्या है। मेरे मंत्रित्व काल में कोई जमीन उनको नहीं दी गयी है। यह आरोप गलत है। इसके विपरीत मान्यवर, सारे सदन को मालूम है (व्यवधान) कि किस तरह से इनके काल में साढ़े 8 लाख रुपये की भूमि खरीदी गयी और क्या-क्या हुआ। (व्यवधान–शोर)

मेरठ में कुछ नियुक्तियों के बारे में यह आरोप लगाया गया कि एक ही बिरादरी के लोगों को रखा गया। मेरठ में जो जिलाधीश हैं वही नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और जहां तक मेरी जानकारी है वे शैड्यूलकास्ट के हैं। वहां कोई नौकरी में नहीं रखा गया है। यह आरोप भी सरासर गलत है। (व्यवधान) शासन के आदेश से या मेरे आदेश से किसी को कहीं भी कोई नौकरी नहीं दी गयी। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरा कोई भी रिश्तेदार न तो नगरपालिका में और न ही नगरमहापालिका में कहीं नौकर है और न कोई नौकरी करने वाला ही है। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वे सब उनके एक साथी ने लगवाये हैं, चूंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिये मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी––

(व्यवधान के बीच) आप मैडम के इशारे पर चलते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

मैडम के तो पैर के धोवन के बराबर भी नहीं हैं आप..... (शोर–व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, अभी जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप मैडम के इशारे पर चलते हैं तो माननीय मंत्री जी ने उनके लिये कहा कि आप तो मैडम के पैर के धोवन के बराबर भी नहीं हैं, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाय। (व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, देवी के चरणों की तो सभी लोग पूजा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय मुख्तार अनीस, आपने मुझसे कोई व्यवस्था मांगी। माननीय नगर विकास मंत्री ने मैडम शब्द का प्रयोग किया। मैडम अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो किसी भी स्त्री के लिए आदर्श सूचक शब्द है और मैं समझता हूं कि आप उसको किसी व्यक्ति से जोड़ते हों, तो वह आपके जोड़ने की विधि हो सकती है। लेकिन मैडम के पांव के धूल के बराबर भी माननीय कुबेर भंडारी नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। (व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठ जाइये। व्यवस्था पर कोई व्यवस्था नहीं होती। आप बिराजें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी मांग की कि जल निगम और जल संस्थान को एक कर दिया जाय, क्योंकि इसमें कार्य करने में बड़ी भारी कठिनाई हो रही है। जिम्मेदारी कोई भी ओढ़ने के लिये तैयार नहीं। मान्यवर, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि शासन भी इस बात पर विचार कर रहा है कि कोई रास्ता ऐसा निकाला जाय जिससे यह कठिनाई दूर हो सके, चाहे इसको सब्सीडियरी बना के या और कोई रास्ता निकालें जिससे एक दूसरे पर वह दोषारोपण न कर सकें। माननीय नरेशचन्द्र अग्रवाल ने और भी माननीय सदस्यों ने मांग की कि आई0 डी0 एस0 जो योजना है, उसके अन्तर्गत इस प्रदेश के बीस नगर लिये गये हैं, उनमें स्टाफ की कमी की वजह से कार्य नहीं शुरू हो पाया। इस संबंध में शासन का ध्यान गया है और बहुत शीघ्र स्टाफ की नियुक्ति करके इस बात की पूर्ण आशा और विश्वास है कि मार्च, 82 तक इन सभी जगह कार्य शुरू करवा देंगे।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने झांसी के आवास योजनाओं के बारे में और रियासत हुसैन साहब ने गरीबों के बारे में बहुत हमदर्दी जाहिर की। लेकिन मैं मान्यवर, शुरू में बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश शासन, विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन काल में जितने भी मकान बनवा रहा है, उनमें 82 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बना रहा है। इसलिए जितना आप चिंतित हैं, उससे 50 गुना, 100 गुना हम चिंतित हैं। मान्यवर, गरीबों की चिन्ता करने वाले लोग जब शासन में थे, तो करोड़ों रुपया बकाया वेतन स्वच्छकारों का छोड़ गये। यह पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में उनके आदेश से 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और स्वच्छकारों को सबसे पहले उनका वेतन दिया गया। मान्यवर, स्वच्छकारों के लिये दूसरा हमने 13 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। आपसे ज्यादा हम लोग, चिंतित हैं। जहां तक इनक्रोचमेंट का मामला है, उसके बारे में शासन चिंतित है और जगह-जगह इनक्रोचमेंट ड्राइव हम चला रहे हैं। उसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। लेकिन कहीं-कहीं पर कठिनाई है, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि जब सिविल कोर्ट में स्थगन आदेश आ जाते हैं, तो काम रुक जाता है। काशी की व्यवस्था के बारे में इस वर्ष व्यापक सुधार किया गया है। काफी मात्रा में डम्पर, लोडर, 24 पावर टीलर और 10 ट्राली तथा काफी सामान खरीदा गया है।

सड़कों के लिये विशेष अनुदान 50 लाख रुपया का दिया गया है। जिससे मुझे आशा है कि काशी नगरी के अनुरूप वहां की सड़कों की व्यवस्था हो जायेगी। मान्यवर, एक और दिलचस्प आरोप लगाया गया। किसी माननीय सदस्य के कान में एक माननीय सदस्य ने कहा, यह और पूछ लो कि मंत्री जी के बिरादरी की कोई मिथलेश कुमारी है फिरोजाबाद में। उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। हमें तो मालूम नहीं कि कौन मिथलेश कुमारी है क्योंकि बिरादरी और रिश्तेदारी में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती है। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया और उस पर आवास विकास परिषद् को कब्जा भी मिल गया है। जिसने गलत सूचना दी है उससे आप पूछे कि उन्होंने इतनी गलत सूचना क्यों दी ?

श्री कुबेर भण्डारी––

अभी तो आप कह रहे थे कि जानते नहीं हैं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

आप बुद्धि बिहीन गजराज हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

कानपुर के बारे में सुमन लता दीक्षित ने चिन्ता व्यक्त की। वह अपनी जगह पर है। कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। उसकी हालत सुधारने के लिये हम दिन-रात चिन्तित हैं और प्रयत्नशील हैं।अभी हमारे माननीय सदस्य का इस बात पर एतराज था कि कानपुर के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता कानपुर सुधारने के लिये क्यों दिया है। कानपुर में उस रुपये से मलिन बस्तियों का हम सुधार करने जा रहे हैं जिसमें लगभग 90 हाते आयेंगे, और वहां जो गिरी हुई जिन्दगी जी रहे हैं, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं और रोशनी, पानी एवं खड़ंजे की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे 20 हजार परिवार लाभान्वित होंगे और 15 हजार साइट एवं सर्विसेज की व्यवस्था होगी जिससे पर्यावरण में सुधार होगा।

इसके अलावा मान्यवर, बहुत से अभी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये उनके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं और आश्वासन देता हूं कि यदि कहीं भी कोई शिकायत भ्रष्टाचार की हमारी नोटिस में माननीय सदस्य लायेंगे तो उस अधिकारी को शासन कभी भी बक्शेगा नहीं। मान्यवर, पिछले वर्ष बजट के समय यह घोषणा किया था कि विधायकों के लिये लखनऊ में कालोनी बनायेंगे। तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिये मार्टिनपुरवा में, कालीदास मार्ग के अपोजिट, भूमि अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया है और फिलहाल 200 मकान बनाने का इरादा है। जैसे ही यह अध्यापन का काम पूरा हो जायेगा, तो विधायकों को सूचित करेंगे कि जो माननीय सदस्य मकान लेना चाहेंगे, उनको मकान हम देंगे। जो मकान बनेंगे उसमें यदि प्रार्थना-पत्र ज्यादा होंगे तो लाटरी की पद्धति अपनानी पड़ेगी।

श्री धरमपाल––

मान्यवर, मकान कांस्टीट्यून्सी के सीरियल वाइज एलाट करने की पद्धति को अपनायें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

यदि मांग ज्यादा होगी तो और बढ़ा देंगे लेकिन सीरियल वाइज इसलिये नहीं कर सकते हैं कि फिर आरोप लगायेंगे शासक पक्ष के मा0 सदस्या का रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया और विरोध पक्ष का बाद में, इसलिये लाटरी से ही मुनासिब होगा।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त कुछ मा0 सदस्यों ने सुझाव दिया कि जिस तरह ब्रिज कारपोरेशन विदेशों में अच्छा काम कर रहा है, उसी तरह जल निगम टेक्निकल नो हाऊ विकसित करके साऊथ एशिया और जहां मांग हो वहां काम करे, तो इस पर शासन विचार करेगा।

इसके अलावा नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरियाज आदि के चुनाव का प्रोसेस चालू है। इसीलिये सबसे पहले ग्राम सभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं और शेष के संबंध में शीघ्र ही प्रोसेस को हम पूरा करेंगे और सभी का चुनाव करायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री माता प्रसाद पाण्डेय से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री धरम पाल—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं की जनसंख्या को देखते हुए उस अनुपात में सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,55,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,99,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों की सूचना एक ही तरह की थी इसलिये सूचना नं 01 स्वीकार की गयी है लेकिन नाम मैं सबके पढ़े देता हूं। श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री फखरे आलम, श्री मुख्तार अनीस, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री खैरुल बशर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, की सूचना दिनांक 19—20 फरवरी, 1982 को जनपद मैनपुरी के अोछा थाने के अन्तर्गत ग्राम बल्लभपुर में 4 व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबंध में है।

माननीया गृह मंत्री इस पर कब बयान देंगी ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, 2 मार्च को लगा दें।

'करंट' पत्र के संवाददाता श्री अनिल कुमार तथा भू0पू0 विधायक पर हमला किए जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 7-1-82 को 11 बजे भू0पू0 विधायक श्री दीप नारायन पाण्डेय एडवोकेट ने थाना बलरामपुर नगर,गोण्डा, पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि वे तथा 'करंट' के संवाददाता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं अजदार हुसैन व ध्रुव नरायन सोनी गाड़ी मालिक गाड़ी संख्या यू0पी0जेड 01201 से एक मुकदमें की पैरवी में बलरामपुर जा रहे थे लगभग 9.30 बजे जब जीप महराजगंज के समीप पहुंची तो दो व्यक्तियों ने, जो मोटर साइकिल पर थे जीप के बगल में मोटर साइकिल लाकर फायर किया। ड्राइवर ने जीप भगा दी और गोली किसी को नहीं लगी। चूंकि घटना स्थल थाना क्षेत्र खरगूपुर में पड़ता था अतः कागजात उसी दिन थाना खरगूपुर उचित कार्यवाही हेतु भेज दिये गये। इस संबंध में थाना खरगूपुर पर अ0सं0 5/82 धारा 307 भा0द0वि0 कायम करके विवेचना की जा रही है। विवेचना से अभियुक्तों का पता अब तक नहीं लग सका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामजद नहीं है लेकिन फिर भी अभियुक्तों का पता लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इस घटना से पत्रकारों अथवा स्थानीय जनता में कोई क्षोभ व्याप्त नहीं है।

श्री मसरूर जाफरी---

मान्यवर, इस बात का जिक्र इन्होंने अपने वक्तव्य में किया है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव तथा भूतपूर्व विधायक, श्री दीप नारायण पाण्डे पर हमला करने वाले अभियुक्तों का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। यह घटना कैसे हुई कि 7 जनवरी को यह अनिल कुमार श्रीवास्तव तथा श्री दीप नारायण पाण्डे बलरामपुर जा रहे थे और 30-32 कि0मी0 से दो कातिल बराबर पीछा करते रहे और नानाजी देशमुख की कुटी के पास हमला हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

केवल प्रश्न ही पूछें।

श्री मसरूर जाफरी--

तो नाना जी देशमुख की कुटी के पास हमला हुआ। हमला क्यों हुआ, क्योंकि 2 दिसम्बर, 1978 को एक शीर्षक निकाला था, "करंट" के सम्पादक ने कि "नानाजी देशमुख की आलीशान कोठी" उस पर याचिका दायर कर दिया, 7 जनवरी को, जिरह होने वाली थी.....

श्री उपाध्यक्ष---

आपका प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

नियमानुसार जो वक्तव्य माननीय मन्त्री जी ने पढ़ा है, इस पर प्रश्न पूछा जाना चाहिये। अगर बैकग्राउण्ड उस प्रश्न से संबंधित हो, तो उसको ले सकते थे। अतः मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्न पूछने की ही अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने यही कहा कि केवल प्रश्न ही पूछिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो प्रश्न से संबंधित बैकग्राउण्ड नहीं है, उसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री मसरूर जाफरी--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के अलावा आप जो कुछ कहेंगे, लिखा नहीं जायगा।

श्री मसरूर जाफरी--

यह हमला 30-32 कि0 मी0 के बाद हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ.....

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी, यह प्रश्न से संगत बैकग्राउण्ड नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दें। इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह देखना पड़ेगा कि आज तक प्रश्न की पृष्ठभूमि में तमाम इस प्रकार की बातें हुई हैं और अगर इसको लिया जाय तो तमाम बातों को लेना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लेकिन मान्यवर, मेरी प्रार्थना यह थी कि प्रश्न की बैकग्राउण्ड से अगर वह संबंधित न हो तो उसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस दिन यह घटना घटी उस दिन बलरामपुर की अदालत में नानाजी देशमुख से संबंधित मुकदमे में जिरह होनी थी। साथ ही यह भी कि उस दिन की जो विवेचना की बात कही, तो उसमें कौन से तथ्य प्रकाश में आये ? क्या यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि स्वास्थ्य संस्थान की ओर से एक साजिश के तहत यह घटना घटी ?

नोट:--[× × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह जो प्रथम सूचना अंकित करायी है, उसमें श्री दीप नारायण जी ने यह कहा कि नाना जी देशमुख बनाम् अयूब सैय्यद के मुकदमें की पैरवी करने जा रहे थे। यह लगता है कि उस दिन उनका मुकदमा था। दूसरी बात यह है कि एक साजिश स्वास्थ्य संस्थान की है, इस बिन्दु पर भी विवेचना की जा रही है और अभी पूरे तथ्य को इस वक्त बता देना जनहित में नहीं है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि थाना बलरामपुर ने थाना खरगूपुर को यह रिपोर्ट कितने बजे भेजी और थाना खरगूपुर ने इस केस पर कार्यवाही कब शुरू की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह 7-1-82 को 11 बजे दिन में खरगूपुर थाने में सूचना मिली और यह घटना सुबह साढ़े नौ बजे हुई थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भूतपूर्व विधायक या कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, यह बड़ी चिन्ता की बात है तो उन्होंने इस संबंध में जो एफ0 आई0 आर0 लांज करायी तो उस एफ0 आई0 आर0 में मोटर साइकिल का नम्बर क्या बताया गया है। और क्या उस मोटर साइकिल के मालिक से सम्पर्क किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह रिपोर्ट फर्जी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मोटर साइकिल पीछे से आ रही थी तेजी से जीप भगा कर वे बचे। मोटर साइकिल की तलाश जारी है। जहां पर भी संदिग्ध दशा मिल रही है जांच हो रही है। जहां तक इसमें भूतपूर्व विधायक का प्रश्न है, कुछ आरोप हैं भूतपूर्व लोगों के बीच में जो इधर-उधर हैं, इसे गम्भीरता से देखा जा रहा है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री यह सिद्ध करने की कृपा करेंगे कि इसमें किसी राष्ट्रीय साम्प्रदायिक संगठन का हाथ है और वह कौन सा मुकदमा था जिसकी पैरवी के लिये वह बलरामपुर जा रहे थे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न विषयान्तर है।

श्री राज कुमार राय--

यह घटना 7 जनवरी की है और आज तक यह पता नहीं चल सका है कि मोटर साइकिल कौन सी है या किसकी है जिस पर अभियुक्त भागे थे। यह विवेचना अभी जारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि खरगूपुर थाना घटना स्थल से कितनी दूरी पर है ? जिन लोगों के पास कार थी उन्हें कोई चोट भी नहीं लगी। कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी तो वे पास के थाने पर जा सकते थे। क्या विवेचनाधिकारी ने इस बात पर कोई विवेचना की कि दरअसल वह खरगूपुर थाना क्यों नहीं गये ? यदि वे वहां जाते तो तुरन्त क्राइम नम्बर पड़ जाता और गाड़ी पीछा करके मोटर साइकिल का पीछा करके पकड़ सकती थी। तो जो सफरर थे

[श्री राजकुमार राय--]

वे थाना खरगूपुर क्यों नहीं गये ? जिन विधायक का नाम लिया गया कि वे भूतपूर्व विधायक दीप नारायण पाण्डेय और "करंट" के संवाददाता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, इन लोगों की विवेचना से कोई बात सामने नहीं आ रही है कि कौन से लोग थे और उनके मारने का मोटिव क्या था ? इन बिन्दुओं पर कहां तक विवेचना हुई है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं अब यह बात तो क्या जानूं कि क्यों नहीं वे लोग थाना खरगूपुर में रिपोर्ट लिखाये ? इसका मन्तव्य उन्होंने यही बताया कि वे बलरामपुर जा रहे थे जहां पर उनके मुकदमें की पेशी थी तो वह वकील हैं उन्होंने समझा कि दर्ज करा दिया जाय। जहां तक मोटर साइकिल को पकड़ने का प्रश्न है शासन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो सी0 आई0 डी0 से भी इसकी जांच कराने पर शासन विचार कर रहा है ताकि सब बिन्दु बिल्कुल स्पष्ट हो जायें।

श्री रामकुमार भार्गव--

मान्यवर, यह 7-1-82 की घटना है और इसमें एक भूतपूर्व विधायक और एक संवाद-दाता का मामला है और इसमें भारतीय संगठन का हाथ बताया जा रहा है तो क्या मा0 मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि हो सकता है इस मामले में कुछ दबाव पड़ रहा हो तो क्या इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करवायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह तो कह दिया उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कई लोग बोल उठे जिससे मैं खुद ही प्रश्न को नहीं समझ सका कि आपका प्रश्न क्या है। आप इसको स्पष्ट कर दें।

श्री रामकुमार भार्गव--

इस मामले में किसी राष्ट्रीय संगठन का नाम आ रहा है। इतना वक्त हो गया और एक सब इन्सपेक्टर रैंक का आदमी इसकी जांच कर रहा है ? हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ दबाव पड़ रहा हो तो क्या मा0 मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर तो आपको मिल चुका है कि शासन गम्भीरता से विचार कर रहा है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने पर कुछ सुना नहीं जा सका।)

आप सब लोग बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं इसलिये कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री अकबाल हुसैन--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विवेचना कौन अधिकारी कर रहा है और जहां पर यह घटना घटा है उस जगह का जो मुकदमा था उस दिन बलरामपुर में और जो कम्पलेन्ट है क्या उनकी कोई कोठी या संस्थान वहां पर है और उस संस्थान में कितनी मोटर साइकिलें हैं? क्या इन सब बातों की विवेचना हो रही है क्योंकि यह एक भूतपूर्व विधायक और एक पत्रकार के ऊपर हमला किया गया है इसलिये इसकी गंभीरता को देखते हुए क्या आप इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर तो आपको मिल गया।

श्री अकबाल हुसैन--

जहां पर घटना घटी है वहां पर उस केस के कंपेलेंट का कोई संस्थान हैं और वहां पर मोटर साइकिलें हैं या नहीं उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप इसकी विवेचना करवायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मोटर साइकिल तो हमारे आपके पास भी हो सकती है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दोनों मा0 सदस्य आमने-सामने आगे बैठें हैं। मोटर साइकिल का तो वह पता लगा ही लेंगे। आपकी आज्ञा से मैं उस बिन्दु पर भी, जिसमें किसी संगठन की बात कही गई, उस बिन्दु पर भी जांच करवा लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो विवेचना अभी तक चल रही है, यह विवेचना और कितने दिनों तक चलती रहेगी क्या कोई निश्चित अवधि आप सदन को बतलायेंगे कि कितनी अवधि के अन्दर यह विवेचना पूरी हो जायेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

विवेचना को यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास है। लेकिन कुछ गम्भीर बिन्दु हैं इन पर कुछ समय लग सकता है।

श्री खैरुल बशर--

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस घटना से पत्रकारों में कोई क्षोभ नहीं है तो वहां के किन-किन पत्रकारों से बयान लिया गया जिसके आधार पर आपने यह बात कही कि पत्रकारों में क्षोभ नहीं है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि पूरा वाक्य पढ़ लिया करें। क्षोभ व्याप्त नहीं है, अब नहीं है, पहले तो था।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

जैसा कि रिपोर्ट लिखाने वालों ने कहा कि गोली चलायी गयी, तो गोली तो मिलनी चाहिये थी। क्या गोली का कोई खोखा मिला खाली?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसलिये तो मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि गम्भीरता में कमी-कभी यह बिन्दु भी देखना होता है। देखना है कि गोली का खाली खोखा कहां है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 49 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
23 फरवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 146 पर।)

उन विद्यालयों की सूची जिनकी वर्ष 1978–79 में क्षति हुई थी और उसके लिये आर्थिक सहायता हेतु उसी वर्ष आवेदन पत्र भी दिया था :—

1—बस्ती	..	विवेकानन्द इण्टर कालेज, दुवैलिया बाजार।
2—देवरिया	..	महन्त त्रिवेणी पर्वत इण्टर कालेज, विशुपरा बाजार, देवरिया।
3—गाजीपुर	..	इण्टरमीडिएट कालेज बेटावर।
4—बरेली	..	सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज, बरेली।
5—बुलन्दशहर		श्री लाल बहादुर शास्त्री आदर्श इण्टर कालेज, सावितगढ़।
6—गाजीपुर	..	श्री शिव कुमार शास्त्री इण्टर कालेज, गाजीपुर।
7—जालौन		वैदिक इन्टर कालेज, गोसाई।
8—गाजीपुर	..	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोसन्देपुर।
9—जौनपुर	..	श्री शंकर आदर्श इण्टर कालेज, इमली पाण्डेय पट्टी।
10—जौनपुर	..	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहगंज।
11—इलाहाबाद	..	श्री ब्रह्मचारी इण्टर कालेज, तिलहापुर।
12—अलीगढ़	..	श्री कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोमरा।
13—इलाहाबाद	..	जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज, जारी।
14—इलाहाबाद	..	केदारनाथ जायसवाल हायर सेकेण्डरी स्कूल, नैनी।
15—जौनपुर	..	श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मीरगंज।
16—जौनपुर	..	सरस्वती बाल विद्यालय मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

———

नत्थी 'ख'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 150 पर)

मांगें	यथास्थिति पर टिप्पणी
(1) प्रबन्ध समितियों को सावैधानिक संगठन बनाया जाय तथा उसमें शिक्षकों को 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाय ।	(1) इस प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया कि इसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन करते समय सम्मिलित कर कार्यवाही की जाय।
(2) शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों, कार्टोग्राफर्स, तथा डिमांस्ट्रेटर्स को यू0 जी0 सी0 स्केल दिया जाय ।	(2) शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों को यू0 जी0 सी0 का 700-1600 वेतनमान दिये जाने का शासन ने निर्णय ले लिया है। इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करने की कार्यवाही को जा रही है। कार्टोग्राफर्स तथा डिमांस्ट्रेटर्स को यू0 जी0 सी0 स्केल दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।
(3) परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों के पारिश्रमिक दरों को बढ़ाया जाय तथा सभी विश्वविद्यालयों में पारिश्रमिक की दरों को समान किया जाय ।	(3) इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 1981 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।
(4) 700–1600 के वेतनमान में रु0 1300 के स्तर पर मूल्यांकन को हटाया जाय ।	(4) शासनादेश संख्या 1839/ 15–81–(11)–14(14)-77 दिनांक 14 मई, 1981 द्वारा 700–1600 वेतनमान में 1300 के स्तर पर मूल्यांकन समाप्त कर दिया गया है।
(5) मकान किराया भत्ता	(5) इन शिक्षकों को मकान किराया भत्ता शासनादेश संख्या 6169/15–81–(11)–3(108)/78 दिनांक 13 अक्टूबर, 1981 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।
(6) उच्च वेतनमान में समयबद्ध प्रोन्नति दिया जाना ।	(6) शिक्षकों को यू0 जी0 सी0 द्वारा संस्तुत वेतनमान दिये गये हैं और यू0 जी0 सी0 ने समयबद्ध प्रोन्नति का प्राविधान नहीं किया है ।
(7) त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स सभी कालेजों में समान रूप से एक साथ लागू किया जाय ।	(7) इस प्रकरण पर विचार हेतु शासन ने कुलपति की एक उप समिति गठित की थी। इस उपसमिति की रिपोर्ट पर आगामी कुलपति सम्मेलन में विचार किया जायगा ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 162 पर।)

क्रम-संख्या	लखनऊ से दिल्ली विमान द्वारा की गई यात्रा की तिथि		यात्रा का उद्देश्य
1	15–7–1980	..	निर्माण निगम द्वारा निर्मित किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं मीटिंग हेतु।
2	15–8–1980	..	निरीक्षण एवं मीटिंग।
3	11–9–1980	..	दिल्ली स्थित कार्यो का निरीक्षण एवं लीबिया जाते समय।
4	2–11–1980	..	कार्य निरीक्षण, मीटिंग तथा वार्तालाप हेतु।
5	20–11–1980	..	यू0 पी0 भवन की मीटिंग तथा कार्य निरीक्षण।
6	8–12–1980	..	यू0 पी0 भवन एवं दिल्ली परिवहन निगम, पी0 ए0 सी0 गाजियाबाद, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर, तदोपरान्त ओखला (दिल्ली) के कार्यों का निरीक्षण।
7	19–12–1980	..	दिल्ली परिवहन निगम की बैठक तथा लघु सचिवालय गाजियाबाद के शिलान्यास समारोह में भाग लेने।
8	12–1–1981	..	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (लीबिया) के परियोजना निदेशक से वार्तालाप हेतु तथा कार्य निरीक्षण।
9	2–3–1981	..	कार्य निरीक्षण हेतु।
10	29–3–1981	..	सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता एवं कार्य निरीक्षण।
11	5–6–1981	..	दिल्ली में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता तथा बम्बई में ओ0सी0 सी0 की मीटिंग में भाग लेने हेतु।
12	11–6–1981	..	यू0 पी0 भवन की मीटिंग।
13	24–6–1981	..	अध्यक्ष, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ वार्ता।
14	5–7–1981	..	ओखला बाढ़ समस्या के सम्बन्ध में।
15	8–7–1981	..	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से ओखला बाढ़ समस्या के सम्बन्ध में वार्ता।
16	13–9–1981	..	मथुरा तथा बम्बई की बैठकों में भाग लेने हेतु।
17	25–9–1981	..	संयुक्त राज्य अमरीका, इंगलैन्ड, स्वीडन जाते हुये संजय गांधी पी0 जी0 आई0 के प्रतिनिधि मण्डल के साथ।
18	14–11–1981		अध्यक्ष, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम व दिल्ली परिवहन निगम तथा न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने।
19	26–11–1981	..	लीबिया के कार्यों के सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ बैठक।
20	1–12–1981	..	लीबिया जाते हुये।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 171 पर)।

1––वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनक्रमों में संशोधन करके आवश्यकता पर आधारित योग्यता मूलक वेतनमान निश्चित किया जाना चाहिये था किन्तु शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करने हेतु सरकार ने न्यूनतम स्तर पर स्वयं अपने द्वारा निर्धारित मानक की भी उपेक्षा की है। इस विसंगति का तत्काल निराकरण किया जाय।

2––सी0 टी0 वेतनमान के अवमूल्यन को समाप्त किया जाय तथा इसका पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि इस वेतनक्रम में कार्यरत व्यक्ति को शिक्षक सुलभ गरिमा के अनुरूप जीने लायक वतन मिल सके तथा इस वेतनमान को आधार मानकर अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों क वेतनमानों का पुन: निर्धारण किया जाय।

3––पुनरीक्षित वेतनमानों के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वर्तमान पे पैकेट की भारी कटौती को दूर करने के लिये अंतरिम सहायता तथा अतिरिक्त अन्तरिम सहायता की धनराशि के परिलब्धियों में सम्मिलित करके ही पुनरीक्षित वतनमानों में वेतन निर्धारण किया जाय।

4––महंगायी भत्ते की किश्तों की दरों को घटाकर वेतन आयोग ने अन्याय किया है आयोग द्वारा संस्तुत 2.4 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की दरों के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित एवं वर्तमान में प्रचलित चार प्रतिशत तथा तीन प्रतिशत की दर पूर्ववत् रखी जाय।

5––मकान किराया भत्ता में राज्य कर्मचारियों के साथ समानता स्थापित की जाय।

6––व्यायाम शिक्षकों, आशुलिपिक, टंकण, क्राफ्ट तथा संगीत आदि शिक्षकों के वेतन की विसंगतियों को दूर किया जाय।

7––ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत असुविधापूर्ण जीवन जी रहे शिक्षकों को ग्रामीण प्रतिकर भत्ता दिया जाय।

8––राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा दी जाय।

9––दस वर्ष तक का एक वेतनमान में कार्य करने के उपरान्त भी यदि शिक्षक उससे उच्च वेतनमान में पदोन्नति नहीं पाता है तो उसे वेतनमान का सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

10––सी0 टी0 के पुराने ग्रेड के अध्यापकों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जायगी। इस प्रकार यदि आयोग की अनुशंसा के अनुसार सेलेक्शन ग्रेंड के लिये गणना की जाती है तो उनकी संख्या बराबर घटती जायगी। अत: तृतीय वर्षीय गणना का सूत्र इन अध्यापकों पर लागू न किया जाय।

11––इस पुराने सी0 टी0 अध्यापकों को एल0 टी0 ग्रेड में प्रोन्नति का प्रतिशत 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाय।

12––सी0 टी0 वेतनक्रम में दो वेतनवृद्धियां और दे दी जायं।

13––एल0 टी0 वेतनक्रम में भी सुधार हो।

14––400 का 635 तथा 450 का 770 रुपये की तुलना करने से 625 का प्रारम्भिक वेतनमान त्रुटिपूर्ण है। इसे ठीक किया जाय और प्रवक्ता वेतनक्रम भी बढ़ाकर 685–1,240–40–1360 किया जाय।

15––बीमा की मृत्यु उपादान की धनराशि सरकारी शिक्षकों की भांति रु0 25,000 किया जाय।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 196 पर)

वर्ष 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1980–81 में राज्य सम्पत्ति विभाग में चौकीदार, जमादार, लिफ्टपैन, चपरासी और टेलीफोन अटेन्डेन्ट की नियुक्ति से सम्बन्धित सूची––

वर्ष	क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	पद नाम	नियुक्ति की तिथि	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री			
1977–78	1	पवन कुमार	चौकीदार	10–6–77	..
1978–79	1	रमेश	स्वीपर	1–4–78	अनुसूचित जाति
	2	बनवारी	स्वीपर	1–4–78	तदेव
1979–80	1	ईश्वरदीन यादव	टेली0 अटेन्डेन्ट	9–4–79	पिछड़ी जाति
	2	नित्यानन्द तिवारी	तदेव	9–4–79	––
	3	विनोद कुमार मिश्र	तदेव	9–4–79	..
	4	गिरजा दयाल श्रीवास्तव	तदेव	9–4–79	..
	5	रन बहादुर	तदेव	10–4–79	पिछड़ी जाति
	6	विश्वनाथ शरण	तदेव	11–4–79	––
	7	राम देव	तदेव	12–4–79	पिछड़ी जाति
	8	रमेश चन्द्र कुरील	तदेव	12–4–79	अनुसूचित जाति
	9	विजय नारायण पाल	तदेव	13–4–79	..
	10	राम दुलारे	तदेव	17–4–79	अनुसूचित जाति
	11	सालिगराम	तदेव	17–4–79	तदेव
	12	विश्वनाथ प्रसाद	तदेव	17–4–79	पिछड़ी जाति
	13	बशीरुद्दीन	तदेव	18–4–79	..
	14	पंचम लाल कुरील	तदेव	19–4–79	अनुसूचित जाति
	15	राम दत्त पाण्डेय	तदेव	20–4–79	..
	16	रमेश चन्द्र	तदेव	3–8–79	..
	17	अंजनी प्रसाद मिश्र	तदेव	8–8–79	..
	18	राजेश द्विवेदी	तदेव	8–8–79	..
	19	राम चन्द्र तिवारी	चौकीदार	25–8–79	..
	20	राम सरण मुरई	टेली0 अटे0	1–8–79	अनुसूचित जाति
	21	राधेश्याम तिवारी	टेली0 अटे0	1–9–79	..
	22	श्रीमती शाहजहां	स्वीपर	7–9–79	अनुसूचित जाति
	23	सईद	स्वीपर	1–8–79	तदेव
	24	गौरगो मण्डल	चौकीदार	1–10–79	..
	25	राधेश्याम सिंह	चौकीदार	1–10–79	..

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 208 पर)

वर्ष 1979–80

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	क्रम सं0	विद्यालय का नाम
1	प्रा0 पा0 बवेरु प्राचीन	25	प्रा0 पा0 पिथौराबाद
2	,, तेरा	26	,, मसुरी
3	,, विसन्डा प्राचीन	27	,, मानपुर
4	,, मानिकपुर	28	,, डोडिया
5	,, मांरो	29	,, हन्न
6	,, छोबो	30	,, गुवरोल
7	,, सीतापुर	31	,, मानिकपुर
8	,, बोही	32	,, रसिन
9	,, नरैनी प्राचीन	33	,, बडोखरजुर्ग
10	,, मदेहदू	34	,, बिलगांव
		35	,, नेवादा
वर्ष 1980-81		36	,, परखपुरवा
		37	,, पारा
1	प्रा0 पा0 गौरीकलां	38	,, मुरैह
2	,, तिन्दवारी प्रथम	39	,, कुचारम
3	,, चिल्ला	40	,, देवारी
4	,, अतरहट	41	,, खोपा
5	,, कन्या साथी	42	,, खुरबल
6	,, बघेलाबारी	43	,, सिकरी सानी
7	,, मटेहना	44	,, सावारा
8	,, कपना	45	,, मभुआ
9	,, विदावल	46	,, अघाव
10	,, कन्या छोबों	47	,, सिंहपुर
11	,, बबानी	48	,, पिन्डारन
12	,, मूरागढ़	49	,, बौरन
13	,, मटाध	50	,, मझला
14	,, सीतापुर	51	,, किरथहनी
15	,, अमलोरे	52	,, अतरहट
16	,, गोन्डा	53	,, गोधनी
17	,, पल्हरी	54	,, चतरा
18	,, तिन्दवारी द्वितीय	55	,, निम्नीपार
19	,, पलानी	56	,, तिन्दवारी प्राचीन
20	,, मपछन		
21	,, गोरेपुरवा		
22	,, पुकारी		
23	,, टिटिहरा		
24	,, नाबी		

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या –185 का उत्तर पीछे पृष्ठ 210 पर)

प्रस्तर में उल्लिखित शिकायतें	विवरण
1––महंगाई एवं भ्रष्टाचार की शिकायत ..	अधिकारियों को सतर्क दृष्टि हेतु निर्देशित किया गया है।
2––केन्द्रीय सरकार के मजदूर विरोधी कानूनों के वापसी की मांग।	
3––जिले में हरिजन उत्पीड़न पुलिस जुर्म आदि।	
4––हरिजनों एवं भूमिहीनों का जिले में उत्पीड़न एवं न्यूनतम मजदूरी दिलाये जाने की मांग।	
5––हरिजनों एवं आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों से बन्दूक लाईसेन्स हेतु एन0एस0सी0 से छूट।	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया जा चुका है बन्दूक लाइसेंस हेतु हरिजन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय।
6––जिले में चकबन्दी द्वारा किसानों की बर्बादी व चकबन्दी अधिकारियों द्वारा रुपये की वसूली की शिकायतें।	संबंधित चकबन्दी अधिकारियों को सतर्क दृष्टि रखने व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
7––सोहावल पावर हाउस, फैजाबाद में लाखों रुपये के कोयले की अवैध बिक्री पर जांच व क्षमता भर विद्युत उत्पादन की मांग।	कार्यवाही हेतु संबंधित विद्युत अधिकारियों को लिखा गया है।
8––हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति में कथित घोटाला व आर्थिक गड़बड़ियों में साकेत महाविद्यालय की समिति को भंग किया जाना व अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग।	8––छात्रवृत्ति के कथित अनियमितताओं के बारे में पुलिस कार्यवाही हुई है तथा उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य व एक लिपिक को गिरफ्तार किया गया था जो बाद में जमानत पर छूटे। कार्यवाही चल रही है।
9––नगरपालिका में पालिका कर्मचारियों के प्रावीडेन्ड फण्ड में कथित घोटाला तथा उस पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही व फण्ड को कर्मचारियों के खाते में जमा करने की मांग। पालिका के स्वास्थ्य व चुंगी विभाग में रुपयों के तथा कथित घपले की शिकायत।	संबंधित अधिकारियों को सतर्क दृष्टि रखने व कार्यवाही हेतु लिखा गया है।
10––(क) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद में थानेदारों की नियुक्ति विधायकों के प्रभाव में जातिगत के आधार पर करने का तथा कथित आरोप।	जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहींहुये।
(ख) थानाध्यक्ष भीटी द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी कटेहरी के कार्यकर्ता को मारने की शिकायत।	
(ग) थाना बेवाना के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत व हरिजन उत्पीड़न।	

प्रस्तर में उल्लिखित शिकायतें	विवरण
11—(क) जनपद के थाना इनायतनगर खण्डासा, कुमारगंज के अधिकारियों के विरुद्ध विविध शिकायतें। (ख) न्यूनतम मजदूरी मांगने पर हरिजन मजदूरों को प्रताड़ित किया जाना तथा पुलिस द्वारा हरिजनों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की शिकायत । (ग) मिल्कीपुर व बीकापुर थाना क्षेत्र के पुलिस द्वारा पुलिस के विरुद्ध हरिजनों को क्राइम अभियान में चालान करके परेशान करने की शिकायत । (घ) थाना क्षेत्र खण्डासा व बीकापुर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की तथाकथित शिकायत ।	जांच कराई गई । जांच से पुलिस के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।
12—सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री शर्मा के विरुद्ध 15 प्रतिशत कमीशन की वसूली व फर्जी वर्क आर्डर व टेन्डर की शिकायत ।	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सर्किल 23 को जांच व कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।
13—जिला चिकित्सालय फैजाबाद में गन्दगी व बिजली के अभाव की शिकायत ।	व्यवस्था व निगरानी हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को लिखा गया है ।
14—तहसील बीकापुर के ग्राम सराय खरगी के लेखपाल स्वामीनाथ द्वारा गृह अनुदान वितरण में अनियमितताओं के कारण निलम्बित होने व सत्तारूढ़ दल के हस्तक्षेप से बहाल होने व स्थानान्तरित हो जाने की शिकायत ।	14—उल्लिखित शिकायतों पर तथ्यात्मक विवरण परगनाधिकारी बीकापुर से मांगा गया है । नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी ।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–194 का उत्तर पीछे पृष्ठ 212 पर)

"सूची"

क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	31–3–81 की संख्या		वर्ष 1980–81 में
		अध्यापक	छात्र	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
				रु0
(1)	श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, हाटा, देवरिया	5	42	40,644
(2)	श्री बैकुण्ठ नाथ पवहारि संस्कृत महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर, देवरिया ।	14	191	1,01,044
(3)	श्री भागवत दास संस्कृत विद्यालय, बधीचघाट. देवरिया ।	5	91	25,758
(4)	श्री राधा कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, लक्ष्मी निवास बाग, देवरिया ।	9	77	61,231
(5)	श्री सांग वेद विद्यालय, हटवा बाजार, भटनी, देवरिया ।	4	69	21,201
(6)	श्री देवकली नाथ संस्कृत विद्यालय, बरपार, देवरिया ।	4	76	19,792
(7)	श्री कुबेर नाथ संस्कृत महाविद्यालय, कुबेरनाथ, देवरिया ।	4	77	21,581
(8)	श्री लक्ष्मीनारायण संस्कृत महाविद्यालय, लक्ष्मीगंज, देवरिया ।	3	53	17,268
(9)	श्री देवीश्याम सुन्दरी संस्कृत महाविद्यालय, अजगा, मझगवां, देवरिया ।	3	38	14,946
(10)	श्री ब्रह्मदेव तिवारी संस्कृत विद्यालय चकड़ी-वीरभद्र, देवरिया ।	4	95	24,415
(11)	महानिर्वाण संस्कृत महाविद्यालय कसया, देवरिया	3	51	16,354
(12)	श्री नारायण संस्कृत पाठशाला, कप्तानगंज, देवरिया ।	4	80	23,459
(13)	श्री शारदा संस्कृत महाविद्यालय, परियांव डीह, देवरिया ।	4	70	21,815
(14)	श्री रामजानकी संस्कृत महाविद्यालय, पड़रौना भदरही दुदरी, देवरिया ।	5	64	26,885
(15)	श्री विजय राघव संस्कृत विद्यालय पाण्डेचक, बरनई, देवरिया ।	2	85	13,075
(16)	पूर्णानन्द संस्कृत पाठशाला, बांसी, पोस्ट भेड़ा पाकड़, देवरिया ।	2	34	10,502
(17)	श्री घनश्याम दास आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गुरुकुल देवरिया ।	4	53	21,589
(18)	श्री लोकमान्म आदर्श संस्कृत पाठशाला, राजा बाजार सेवरही, देवरिया ।	3	67	9,416

1	2	3	4	5
(19)	श्री प्रकाश संस्कृत विद्यालय, बसन्तपुर, पो0 सिरसिया, देवरिया ।	3	85	35,539
(20)	श्री संस्कृत पाठशाला, रामकोला, देवरिया ।	5	61	26,687
(21)	श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय, पंडित के रामपुर पो0 बड़हरा, देवरिया ।	5	102	27,678
(22)	श्री गौतम महर्षि संस्कृत महाविद्यालय, पिपरा रामधर, देवरिया ।	5	71	23,026
(23)	श्री ब्रह्मचर्य संस्कृत पाठशाला, रामपुर कारखाना, देवरिया ।	3	41	18,008
(24)	श्री देववाणी प्रचारक जनता विद्यालय, बड़हरी, दौलाकदम, देवरिया ।	6	81	35,821
(25)	श्री राम संस्कृत विद्यालय, छितौनी, देवरिया ।	3	26	15,376
(26)	श्री कृष्ण संस्कृत पाठशाला, खैरमा कन्हौली, देवरिया ।	1	69	6,347
(27)	श्री रवीन्द्र संस्कृत विद्यालय, रवीन्द्र नगर, पडरौना, देवरिया ।	1	11	5,665
(28)	स्वामी टेवानन्द आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, देवाश्रम मठलार, देवरिया ।	6	89	42,087
(29)	श्री सरवार आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, किशोरगंज, सलेमपुर, देवरिया ।	6	79	31,306
(30)	श्री विद्याधर्म प्रचारिणी संस्कृत पाठशाला, भवानी छापर, देवरिया ।	8	87	44,844
(31)	श्री विद्याधर्म संजीवनी संस्कृत महाविद्यालय, देवरिया ।	6	113	55,776
(32)	श्रीरामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जोराबाजार, त्रिमुहाघाट, जोराबाजार, देवरिया ।	5	68	26,709
(33)	श्री सीताराम संस्कृत महविद्यालय, कटियार, संतरवि, देवरिया ।	4	72	25,667
(34)	श्री कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, लक्ष्मीपुर तर-कुलवा, देवरिया ।	5	103	27 767
(35)	श्री सत्यनारायण आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, बरारी बैलालपुर, देवरिया ।	7	129	35 698
(36)	श्री परशुराम चण्डिकावेद विद्यालय सोहनाग, सलेमपुर, देवरिया ।	4	92	21,014
(37)	श्री परमहंसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, बरहज, देवरिया ।	56	90	14,246
(38)	श्री यज्ञशाला संस्कृत पाठशाला, मठियाशुक्ल, डा0 तरकुलवा, देवरिया ।	4	126	13,035
(39)	श्री शिव स्मारक संस्कृत विद्यालय, दोगारा-मिश्र, भटिपरा, जगदीशलार, देवरिया ।	2	72	12,803

1	2	3	4	5
(40)	महामना मदन मोहन संस्कृत महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया ।	5	102	22,969
(41)	श्री राम संस्कृत विद्यालय, तोलियाशुक्ल नेलियाकलां, देवरिया ।	4	109	19,427
(42)	पाणिनि संस्कृत विद्यापीठ, पडरौना, देवरिया ।	4	70	25,673
(43)	श्री वेदवेदांग संस्कृत विद्यालय, पिपरा बाजार, देवरिया ।	4	36	10,036
(44)	श्री भगवती संस्कृत विद्यालय रतनपुर कंचनपुर, देवरिया ।	4	29	12,00
(45)	श्री बजरंगबली संस्कृत विद्यालय, आंडला, देवरिया ।	4	29	1
(46)	श्री लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी संस्कृत विद्यालय भेलना चन्दोहा, देवरिया ।	3	25	1
(47)	श्री राम संस्कृत पाठशाला, पथरदेवा देवरिया ।	अनुदान निलंबित है ।		
(48)	श्री शिव विजय राघव संस्कृत पाठशाला, झरनाकुटी, देवरिया ।	जैसा कि उपर्युक्त है ।		
(49)	श्री बजरंग बली संस्कृत पाठशाला, सोनबरसा पो0 पनिका बाजार, देवरिया ।	इस विद्यालय के फर्जी होने की शिकायत पर जांचोपरान्त अनुदान बन्द कर दिया गया।		
(50)	श्री राम संस्कृत विद्यालय, पंडित के रामपुर बड़हरी, देवरिया ।	विद्यालय के संचालन की वास्तविक स्थिति का पता लगवाया जा रहा है		

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–197-का उत्तर पीछे पृष्ठ 213 पर)

समस्याओं की सूची एवं उस पर कृत कार्यवाहो का उल्लेख

समस्या	कृत कार्यवाही
1––श्री रघुबीर सिंह, स0 अ0 किसान उ0 मा0 वि0 खरौआ को विधिवत चयन उपरान्त कार्यरत कराना एवं वेतन भुगतान की कार्यवाही करना ।	एकल संचालन द्वारा भुगतान की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही है ।
2––श्री रवीन्द्र कुमार सक्सेना, व्यायाम अध्यापक, भारतीय उ0 मा0 वि0, बेवर को एल0 टी0 वेतनमान दिया जाना ।	आवश्यक कार्यवाही उच्च स्तर पर की जा रही है ।
3––श्री लेखराज सिंह, परिचालक क्रिश्चियन इण्टर कालेज, मैनपुरी की सेवा समाप्ति का प्रकरण ।	संबंधित प्रधानाचार्य के प्रकरण के संबंध में पूर्ण विवरण भेजने हेतु जि0 वि0 नि0 द्वारा निवेदन किया गया था, स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पुनः स्मरण-पत्र भेजा गया है ।
4––मदन इण्टर कालेज, भोगांव को दो परिचारक क्रमशः सर्वश्री महेश सिंह यादव, श्री कृष्ण की सेवा समाप्ति का प्रकरण ।	इस प्रकरण पर नियमानुसार व्यक्तिगत सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।
5––श्री जय प्रकाश शर्मा, जनता इण्टर कालेज, नौनेर के 1-11-73 से 17-7-75 तक का अवशेष वेतन भुगतान का प्रकरण ।	श्री शर्मा को इस अवधि का वेतन देने का दायित्व प्रबन्धाधिकरण का ही है विभाग द्वारा वेतन भुगतान नियमानुसार नही किया जा सकता । प्रबन्ध समिति को अपने श्रोतों से वेतन भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा लिखा जा चुका है ।
6––श्री कैलाश दुबे, लिपिक, ए0 के0 इण्टर कालेज, शिकोहाबाद की अवैधानिक पदोन्नति का प्रकरण ।	लिपिक की अवैधानिक पदोन्नति संबंधी निदेशालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने के लिये साधिकार नियंत्रक को लिखा जा चुका है । साधिकार नियंत्रक ही इस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी है ।
7––श्री हरी ओम शर्मा, जनता उ0 मा0 वि0, शिकोहाबाद के त्याग-पत्र का प्रकरण ।	श्री हरी ओम शर्मा ने प्रबन्ध समिति को अपना त्याग पत्र दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया । अध्यापक ने स्वीकृत के लगभग 3 माह बाद प्रकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया कि त्याग-पत्र अमान्य है । प्रकरण पर मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, आगरा द्वारा विचार किया जा रहा है ।

समस्या	कृत कार्यवाही
8--श्री हरी बाबू, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ए0 के0 इण्टर कालेज शिकोहाबाद की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान का प्रकरण ।	प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्ट रिक्त पद न होने पर भी श्री हरी बाबू की नियुक्ति कर दी गयी है, पद न होने के कारण वेतन भुगतान करना अनियमित है ।
9--श्री राम करन नाथ मिश्र, पाली इण्टर कालेज, शिकोहाबाद, श्री नवाब सिंह, कृषक विद्यापीठ उ0 मा0 वि0 मुरलीनगर, भोगांव के निलम्बन का प्रकरण ।	संबंधित दोनों अध्यापकों के निलम्बन के प्रकरण जि0 वि0नि0 कार्यालय से प्राप्त होते ही जांचोपरान्त निलम्बन अमान्य कर दिया गया । दोनों अध्यापक विधिवत् कार्यरत हैं ।
10--जे0 टी0सी0 से सी0 टी0 वेतन-क्रम में स्वत: पदोन्नति के प्रकरण :--	
(1) श्री अभिलेख कुमार त्रिपाठी, एम0 डी0 जैन इ0 का0 सिरसागंज ।	(1) श्री अभिलेख कुमार त्रिपाठी का प्रकरण संबंधित प्रबन्धक से मांगा गया है, प्राप्त होते ही जांचोपरान्त जि0 वि0 नि0 द्वारा निर्णीत कर कर दिया गया ।
(2) श्री राम नरेश; उ0मा0 वि0 हुसेनपुर	(2) श्री राम नरेश का प्रकरण अभी प्रबन्धाधिकरण से प्राप्त नहीं हुआ है ।
(3) श्री महेन्द्र सिंह, आदर्श विद्या मन्दिर उ0 मा0 वि0 रामनगर ।	(3) श्री महेन्द्र सिंह का प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है ।
(4) श्री कमलेश बिहारी, डी0ए0 बी0, घिरोर ।	(4) श्री कमलेश बिहारी का प्रकरण प्रबन्ध से मांगा गया है, प्रबन्ध समिति ने अपने प्रस्ताव में विगत पांच वर्षों में संबंधित अध्यापक को प्रतिकूल प्रविष्टियां अवगत कराने का उल्लेख किया है जिसके आधार पर स्वत: पदोन्नति मान्य नहीं की जा सकती ।
11--कतिपय अध्यापकों के वेतन निर्धारण में संशोधन संबंधी प्रकरण--	
(1) श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, ना0इ0 का0, शिकोहाबाद ।	(1) श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, ना0इ0 का0 शिकोहाबाद का प्रकरण न्यायालय का प्रकरण है, संबंधित पत्रजातों को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु निदेशालय को भेजे जा चुके हैं ।

समस्या	कृत कार्यवाही
(2) श्री विनोद बिहारी कुलश्रेष्ठ ए0 के0 इ0 का0, शिकोहाबाद ।	(2) श्री बिनोद बिहारी कुलश्रेष्ठ का प्रकरण मण्डलीय उ0 शि0 नि0, आगरा को भेजने हेतु कतिपय सूचनायें प्रबन्धाधिकरण से जि0 वि0 नि0 द्वारा मांगी गयी है। प्राप्त होने पर प्रकरण मा0उ0शि0 नि0, आगरा को प्रेषित कर दिया जायगा ।
(3) श्री राजबीर सिंह, देवनागरी इ0 का0, कुरावली ।	(3) श्री राजबीर को अग्रिम वेतन वृद्धियां दिये जाने के संबंध में प्रधानाचार्य से कतिपय सूचनायें मांगी गयी थी. जो अभी तक अप्राप्त है; पुनः स्मरण-पत्र भेजा गया है ।
(4) श्री राम प्रकाश वर्मा, डी0 ए0 वी0 इ0 का0, घिरोर ।	(4) श्री राम प्रकाश वर्मा के संबंध में प्रकरण प्रबन्धाधिकरण से निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त हुये थे जिन्हें जांचोंपरान्त निदेशालय को प्रेषित कर दिया गया हैं ।
12—अवशेष धन भुगतान संबंधी प्रकरण :—	
(1) श्री राजेन्द्र सिंह व शंकर सिंह ए0 के0 इ0 का0, शिकोहाबाद ।	(1) अवशेष वेतन बिल की जांच हो चुकी है । भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।
(2) श्रीमती अनुसुइया, जैन कन्या उ0मा0 वि0, शिकोहाबाद ।	(2) श्रीमती अनुसूइया के संबंध में प्रबन्धक से अवकाश स्वीकृत संबंधी सूचना एवं बिल प्राप्त नहीं हुआ है । स्मरण कराया गया है ।
(3) बी0डी0एम0 गर्ल्स इ0का0, शिकोहाबाद की अध्यापिकाओं का वेतन निर्धारण संबंधी भुगतान ।	(3) विद्यालय के वेतन वितरण अधिनियम में आने का पूर्व का प्रकरण है, जो विभाग को संदर्भित है ।
(4) श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य (हाई स्कूल) डी0ए0बी0इ0 का0 घिरोर ।	(4) उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार निलम्बन के पश्चात् देय अवधि से वेतन भुगतान नियमित है । वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में प्रबन्धक को बिल एवं सेवा-पंजिका प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है ।

समस्या	कृत कार्यवाही
(5) श्री धर्मेन्द्र किशोर अग्निहोत्री, नेशनल इ0 का0, भोगांव ।	(5) श्री धर्मेन्द्र किशोर का अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।
(6) श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जैन कन्या उ0 मा0वि0, शिकोहाबाद ।	(6) श्रीमती लक्ष्मी वर्मा के अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।
(7) श्री रूपलाल शाक्य, जनता इ0 का0, बेबर ।	(7) श्री रूपलाल शाक्य के अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।
13--वेतन वृद्धियां एवं दक्षतारोक के प्रकरण :-	
(1) श्री राजपाल सिंह, प्रवक्ता देव ना0इ0 का0, कुरावली । (2) श्री बलराम प्रसाद, कला अध्यापक श्री राम भरोसे लाल, डी0ए0बी0इ0 का0, घिरोर ।	दक्षता रोक पार करने का आदेश देना प्रबन्धाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है । सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश के उपरान्त ही जि0वि0 नि0 कार्यालय द्वारा भुगतान सम्भव हो सकेगा । आवश्यक कार्यवाही करने के लिये संबंधित प्रबन्धकों से निरन्तर निवेदन किया जाता रहा है ।
14--सेलेक्शन ग्रेड सम्बन्धी प्रकरण :-- (1) किसी विशेष व्यक्ति का नाम उल्लेख नहीं किया गया ।	सेलेक्शन ग्रेड सम्बन्धी जितने भी प्रकरण जि0 वि0 नि0 कार्यालय में प्राप्त हुये हैं । सभी निर्णीत हो चुके हैं ।
15--पी0 एफ0 का जी0 पी0 एफ0 में स्थानान्तरण ।	जनपद के 67 विद्यालयों में 52 विद्यालयों के पी0 एफ0 का जी0 पी0 एफ0 में स्थानान्तरण की कार्यवाही हो चुकी है । शेष 15 विद्यालयों के लिये प्रयास जारी है । प्रधानाचार्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डाकघर द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है । इसके लिये इस कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है । फिर भी व्यक्तिगत सम्पर्क कर कार्य शीघ्र निस्तारण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।
16--कार्यालय द्वारा शिक्षकों से दुर्व्यवहार ।	कार्यालय द्वारा शिक्षकों से दुर्व्यवहार नहीं किया जाता ।

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 205 का उत्तर पीछे पृष्ठ 216 पर)

प्रवक्ता वेतनक्रम रु0 400-750

क्रमांक	विद्यालय का नाम		रिक्ति का विषय	रिक्ति की तिथि
1	2		3	4
1	रा0 इ0 का0, कमान्द, (टि0 ग0)	..	हिन्दी	2-8-80
2	रा0 इ0 का0, चाकाववीली, (टि0 ग0)	..	हिन्दी	29-7-81
3	रा0 इ0 का0, हिन्डोलाखाल, (टि0 ग0)	..	अर्थशास्त्र	18-7-81
4	रा0 इ0 का0, नकोट, (टि0 ग0)	..	अर्थशास्त्र	17-7-81
5	रा0 इ0 का0, चाकाववीली, (टि0 ग0)	..	अर्थशास्त्र	12-12-81
6	रा0 इ0 का0, अंजनीसैंण, (टि0 ग0)	..	अंग्रेजी	14-11-80
7	रा0 इ0 का0, चमियाला, (टि0 ग0)	..	अंग्रेजी	5-11-81
8	रा0 इ0 का0, छाम, (टि0 ग0)	..	इतिहास	10-11-80
9	रा0 इ0 का0, पांगरखाल, (टि0 ग0)	..	भौतिकशास्त्र	8-12-81
10	रा0 इ0 का0, अंजनीसैण, (टि0 ग0)	..	रसायन शास्त्र	5-3-81
11	रा0 इ0 का0, पुजारगांव, (टि0 ग0)	..	रसायन शास्त्र	22-8-81
12	रा0 इ0 का0, नरेन्द्र नगर, (टि0 ग0)	..	रसायन शास्त्र	22-12-81
13	रा0 इ0 का0, चमियाला, (टि0 ग0)	..	गणित	1-5-81
14	रा0 इ0 का0, नैनबाग, (टि0 ग0)	..	गणित	16-7-81
15	रा0 इ0 का0, भवान (टि0 ग0)	..	जीव विज्ञान	21-8-81

स्नातक वेतन-क्रम रु0 300-550

1	रा0उ0मा0, वि0 भल्ले गांव (टिहरी गढ़वाल)	..	अंग्रेजी	18-7-81
2	रा0उ0मा0, वि0 रौंणद, (टिहरी गढ़वाल)	..	अंग्रेजी	15-11-79
3	रा0उ0मा0 वि0 तैलासिलगढ़, (टि0 ग0)	..	सामान्य	18-3-80
4	रा0उ0मा0 वि0 भल्लेगांव, (टि0 ग0)	..	सामान्य	21-4-81
5	रा0उ0मा0 वि0 बैरगणि, (टि0 ग0)	..	सामान्य	24-7-81
6	रा0उ0मा0 वि0 सेमन्डीधार, (टि0ग0)	..	सामान्य	17-7-81
7	रा0उ0मा0 वि0 रणाकोट, (टि0 ग0)	..	सामान्य	29-12-81
8	रा0इ0का0 तोलीसेण--मुखेम, (टि0ग0)	..	सामान्य	17-11-81
9	रा0सं0वि0 चम्बा, (टि0 ग0)	..	सामान्य	20-12-81
10	रा0उ0मा0 वि0 नागेश्वर सौड़, (टि0ग0)	..	सामान्य	
11	रा0इं0का0 विनकखाल, (टि0ग0)	..	सामान्य	
12	रा0उ0मा0वि0 हिंसरियाखाल, (टि0 ग0)	..	--	16-12-81
13	रा0उ0मा0बि0 घोड़ाखुरी, (टि0ग0)	..	सामान्य	1-1-82
14	रा0इं0का0 थत्यूड (टि0 ग0)	..	सामान्य	14-12-81
15	रा0उ0मा0बि0 सेमण्डीधार, (टि0ग0)	..	सामान्य	1-12-81
16	रा0इं0का0, रामा श्रमलस्या, (टि0 ग0)	..	विज्ञान गणित	9-3-80
17	रा0हा0 सोराखाल, (टि0 ग0)	..	विज्ञान गणित	1-10-79
18	रा0हा0 डांगी (टि0 ग0)	..	विज्ञान गणित	13-1-81
19	रा0इं0का0, अखौड़ी, (टि0 ग0)	..	विज्ञान गणित	25-2-81
20	रा0हा0, हिंसरियाखाल, (टि0 ग0)	..	विज्ञान गणित	3-3-81

क्रमांक	विद्यालय का नाम		रिक्ति का विषय	रिक्ति की तिथि
21	रा0इं0का0, पुजारगांव, (टि0 ग0)	..	विज्ञान गणित	20-7-81
22	रा0हा0, सेमण्डीधार, (टि0 ग0)	..	,,	16-8-81
23	रा0इं0का चाकाववोली (टि0 ग0)	..	,,	21-8-81
24	रा0हा0, खैरगणित, (टि0ग0)	..	,,	4-9-81
25	रा0हा0, रणाकोट, (टि0 ग0)	..	,,	17-11-81
26	रा0इं0का0, भवान, (टि0ग0)	..	,,	12-11-81
27	रा0इं0का0, सिद्धसाड़, (टि0 ग0)	..	,,	6-12-81
28	रा0हा0, गालुड़धार, (टि0ग0)	..	,,	22-9-81
29	रा0इं0का0, अजनीसैण, (टि0ग0)	..	,,	
30	रा0हा0, भल्लेगांव, (टि0 ग0)	..	,,	
31	रा0इ0का0, घुमेटीधार, (टि0 ग0)	..	,,	13-12-81
32	रा0इ0का0, ठेला-नैलचामी, (टि0 ग0)	..	,,	18-12-81
33	रा0इं0का0, हिन्डोलाखाल, (टि0 ग0)	..	,,	25-11-81
34	रा0हा0, गालुड़धार, (टि0ग0)	..	,,	22-7-81
35	रा0इं0का0, चम्बा, (टि0ग0)	..	जीव विज्ञान	5-12-81
36	रा0हा0, नैलबासर, (टि0 ग0)	..	,,	
37	रा0हा0, मैण्डखाल, (टि0 ग0)	..	,,	
38	रा0इ0का0, किलाक्लेश्वर, (टि0 ग0)	..	,,	
39	रा0इं0का0, टिहरी, (टि0ग0)	..	,,	11-12-81
40	रा0हा0, नागरजाधार, (टि0 ग0)	..	हिन्दी	10-12-81
41	रा0हा0, सौराखाल, (टि0 ग0)	..	,,	
42	रा0हा0, घोपड़धार, (टि0 ग0)	..	,,	
43	रा0हा0, घोपड़धार, (टि0 ग0)	..	कला	19-12-81

सी0 टी0 वेतन क्रम रु0 250-425

1	रा0हा0, हिसरियाखाल, (टि0 ग0)	..	सी0 टी0 व्यायाम	6-11-81
2	रा0हा0, धारकोट, (टि0 ग0)	..	,,	12-11-81
3	रा0हा0, गालुड़धार, (टि0 ग0)	..	,,	
4	रा0इं0 का0, चमियाला, (टि0 ग0)	..	,,	24-12-81
5	रा0इं0का0, सिद्धसौड़, (टि0 ग0)	..	,,	16-12-81

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ 220 पर)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 तथा नियम 158 के अन्तर्गत किये गये आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

1--खण्ड 1 के उपखण्ड (1) की पंक्ति 2 में "1981" के स्थान पर "1982" कर दिया गया है।

2--प्रस्तावना में "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है।

पी0एम0यू0 पी0-ए0पी0-22 वि0 सभा-30-7-83-(1579)-1983-813 (हिन्दी)।